छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त, 2001

अधिसूचना

क्रमांक 77/4785/2001/1/3.— मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम **विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001** है।

(दो) यह 1 नवम्बर, 2000 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा।

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियाँ जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द **''मध्यप्रदेश''** जहाँ कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द **''छत्तीसगढ़''** स्थापित किये जाएँ।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी—

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधियों के नाम
(1)	(2)
1.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
2.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता/-

(इन्दिरा मिश्रा)

प्रमुख सचिव.

—: अनुक्रमणिका :—

1. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966..... 01—29

नियम—1 संक्षिप्त नाम.....01
नियम—2 निर्वचन.....01
नियम—3 प्रयुक्ति.....02
नियम—4 सेवाओं का वर्गीकरण.....03
नियम—5 सेवाओं का गठन.....03
नियम—6 पदों का वर्गीकरण.....03
नियम—7 प्रथम, द्वितीय पदों पर नियुक्तियां.....03
नियम—8 अन्य पदों पर नियुक्तियां.....03
नियम—9 निलम्बन 04
नियम—10 शास्तियां.....07
नियम—11 चतुर्थ श्रेणी सदस्यों के लिए दण्ड.....09
नियम—12 अनुशासिक प्राधिकारी.....09
नियम—13 कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकारी.....10
नियम—14 मुख्य शास्ति की प्रक्रिया.....11
नियम—15 जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही.....17
नियम—16 लघु शास्ति की प्रक्रिया.....18
नियम—17 आदेशों का संसूचित किया जाना.....19
नियम—18 सामान्य कार्यवाही.....19
नियम—19 कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया.....20
नियम—20 उधार दिये गये पदाधिकारियों के संबंध में उपबंध.....20
नियम—21 उधार लिये गये पदाधिकारियों के संबंध में उपबंध.....21
नियम—22 आदेश जिनके विरूद्व अपील नहीं होती.....22
नियम—23 आदेश जिनके विरूद्व अपील होती है.....22
नियम—24 अपीलीय प्राधिकारी.....22
नियम—25 अपील के लिए अवधिकाल.....23
नियम—26 अपील का प्रारूप तथा उसकी विषय—वस्तु.....23
नियम—27 अपील पर विचार.....24
नियम—28 अपीलीय आदेश का कार्यान्वयन.....25
नियम—29 पुनर्विलोकन.....26
नियम—30 आदेशों/सूचनाओं की तामील.....28
नियम—31 समयावधि का शिथिलीकरण.....28
नियम—32 आयोग की मंत्रणा की प्रतिलिपि दी जाना.....28
नियम—33 संक्रमणकालीन उपबंध.....28
नियम—34 निरसन तथा व्याबृत्ति.....28
नियम—35 शंकाओं का निवारण.....29

2. नियमों के अंतर्गत कार्यवाही सम्बन्धी आदेशों का प्ररूप.....30—64

(1) आदेशों के प्ररूप.....30—53
(2) परिपत्र दिनांक 08.02.1999 ..... 54—64
(3) परिपत्र दिनांक 30.06.1994 .....65—72

3. नियमों में किये गये संशोधन.....73—86

(''मध्यप्रदेश राजपत्र'' असाधारण, दिनांक 7 जनवरी, 1967 में प्रकाशित किया जा चुका है.)
(दिनांक 26 फरवरी, 2007 तक संशोधित.)

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 1966

क्रमांक 2936–2414–एक (3).–– संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :––

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966

पहला भाग–सामान्य

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ––

(1) ये नियम **''मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966''** कहलायेंगे.

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

2. निर्वचन––इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(क) शासकीय सेवक के सम्बन्ध में **''नियुक्ति प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है––

(एक) वह प्राधिकारी, जो कि उस सेवा में, जिसका कि शासकीय सेवक तत्समय सदस्य हो, या सेवा के उस ग्रेड में, जिसमें कि शासकीय सेवक तत्समय सम्मिलित हो, नियुक्तियां करने के लिये सशक्त हो; या

(दो) वह प्राधिकारी, जो कि उस पद पर, जिसको कि शासकीय सेवक तत्समय धारण करता हो, नियुक्तियां करने के लिए सशक्त हो; या

(तीन) वह प्राधिकारी जिसने कि शासकीय सेवक को यथास्थिति ऐसी सेवा, ग्रेड या पद पर नियुक्त किया हो; या

(चार) जहां शासकीय सेवक, किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य होने के नाते, या किसी अन्य स्थायी पद को मूलतः धारण करने के नाते, शासन के निरन्तर नियोजन में रहा हो वहां वह प्राधिकारी, जिसने कि उसे उस सेवा में या उस सेवा के किसी ग्रेड में या उस पद पर नियुक्त किया हो;

इनमें से जो भी प्राधिकारी उच्चतम प्राधिकारी हो;

(ख) **''आयोग''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) **''मध्यप्रदेश शासन के विभाग''** से अभिप्रेत है, कोई भी ऐसी स्थापना या संगठन जो कि राज्यपाल द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश शासन का विभाग होना घोषित किया गया हो;

(घ) **''अनुशासिक प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो कि नियम 10 में उल्लिखित की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो;

(ङ) **''शासन''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;

(च) **''शासकीय सेवक''** से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति, जो––

(एक) राज्य के अधीन किसी सेवा का सदस्य हो या कोई सिविल पद धारण करता हो और उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो विदेश सेवा में हो या जिसकी सेवाऐं संघ सरकार या किसी अन्य राज्य शासन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधिकार में अस्थायी रूप से रखी गयी हो;

[*Published in "Madhya Pradesh Gazette" (Extra-Ordinary), dated the 7th January, 1967*]
(As Amended upto 26th February, 2007**)**

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Bhopal, the 30th December, 1966.

No. 2936−2414−1(iii). In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules, namely :-

THE MADHYA PRADESH CIVIL SERVICES (CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL) RULES, 1966

PART I− GENERAL

1. Short title and commencements. −

(1) These Rules may be called "the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966"

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette.

2. Interpretation. − In these rules, unless the context otherwise requires,−

(a) **"appointing authority"** in relation to a Government servant means−

(i) the authority empowered to make appointments to the service of which the Government servant is for the time being a member or to the grade of the Service in which the Government servant is for the time being included, or

(ii) the authority empowered to make appointment to the post which the Government servant for the time being holds, or

(iii) the authority which appointed to the post which the Government servant to such Service, grade or post, as the case may be, or

(iv) Where the Government servant having been a permanent member of any other service of having substantively held and other permanent post, has been in continuous employment of the Government, the authority which appointed him to that Service of to any grade in the Service or to that post,

whichever authority is the highest authority ;

(b) **"Commission"** means the Madhya Pradesh Public Service commission;

(c) **"Department of the Government of Madhya Pradesh"** means any establishment of organisation declared by the Governor by a notification in the official Gazette to be a department of the Government of Madhya Pradesh;

(d) **"disciplinary authority"** means the authority competent under these rules to impose on a Government servant any of the penalities specified in rule 10;

(e) **"Government"** means the Government of Madhya Pradesh;

(f) **"Government Servant"** means a person who−

(i) is a member of a Service or holds a civil post under the State, and includes any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of the Union Government, or any other State Government or a local or other authority;

(दो) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य शासन के अधीन किसी सेवा का सदस्य हो या कोई सिविल पद धारण करता हो और जिसकी सेवाऐं राज्य शासन के अधिकार से अस्थायी रूप से रखी गयी हों;

(तीन) किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण की सेवा में हो और जिसकी सेवाऐं राज्य शासन के अधिकार में अस्थायी रूप से रखी गयी हों;

(छ) नियुक्ति, अनुशासिक, अपीलीय या पुनर्विलोकन प्राधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए **''विभाग के अध्यक्ष''** से अभिप्रेत है, वह प्राधिकारी जो कि यथास्थिति फण्डामेण्टल एण्ड सप्लीमेंन्टरी रूल्स या सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अधीन विभाग का अध्यक्ष होना घोषित किया गया हो;

(ज) **''अनुसूची''** से अभिप्रेत है, इन नियमों की अनुसूची;

(झ) **''सेवा''** से अभिप्रेत है, राज्य की सिविल सेवा;

(ञ) **''राज्य''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. प्रयुक्ति,––

(1) ये नियम प्रत्येक शासकीय सेवक को लागू होंगे किन्तु ––

(क) अखिल भारतीय सेवाओं के किसी सदस्य को,

(ख) सामयिक नियोजन में के किसी व्यक्ति को,

(ग) ऐसे व्यक्ति को, जिसे कि एक मास से कम की सूचना देकर सेवामुक्त किया जा सकता है,

(घ) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके लिये इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन या इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात् राज्यपाल द्वारा या उनके पूर्व अनुमोदन से किये गये करार द्वारा या उसके अधीन किया गया हो ऐसे विशेष उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के बारे में,

लागू नहीं होंगे,

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, आदेश द्वारा, शासकीय सेवकों के किसी भी वर्ग को इन समस्त नियमों या उनमें से किसी भी नियम के प्रवर्तन से अपवर्जित कर सकेंगे.

(3) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ये नियम, उपनियम (1) में के अपवाद (घ) के अन्तर्गत आने वाली सेवा या पद पर अस्थायी रूप से स्थानान्तरित किये गये ऐसे प्रत्येक शासकीय सेवक को लागू होंगे जिसको कि ये नियम, यदि ऐसा स्थानांतर नहीं होता तो लागू होते.

(4) यदि इस सम्बन्ध में कोई शंका उत्पन्न हो––

(क) कि क्या ये नियम या इनमें से कोई नियम किसी व्यक्ति को लागू होते हैं/होता है, या

(ख) यह कि क्या कोई व्यक्ति, जिसको कि ये नियम लागू होते हैं, किसी विशिष्ट सेवा का है;

तो मामला राज्यपाल को निर्देशित किया जाएगा जो कि उसको विनिश्चित करेंगे.

(ii) is a member of a Service or holds a civil post under the Government of India or any other State Government and whose services are temporarily placed at the disposal of the State Government;

(iii) is in the service of a local or other authority and whose services are temporality placed at the disposal of the State Government;

(g) **"head of the department"** for the purpose of exercising the powers as appointing, disciplinary, appellate or reviewing authority, means the authority, declared to be the head of the department under the Fundamental and Supplementary Rules or the Civil Service Regulations, as the case may be;

(h) **"Schedule"** means the Schedule to these rules;

(i) **"Service"** means a civil service of the state;

(j) **"State"** means the State of Madhya Pradesh.

3. Application. −

(1) These rules shall apply to every Government servant but shall not apply to−

(a) any member of the All-India Services,

(b) any person in casual employment,

(c) any person subject to discharge from service on less than one month's notice,

(d) any person for whom special provision is made, in respect of matters covered by these rules, by or under any law for the time being in-force or by or under any agreement entered into by or with the previous approval of the Governor before or after the commencement of these rules, in regard to matters covered by such special provisions;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Governor may by order exclude any class of Government servants from the operation of all or any of these rules.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), these rules shall apply to every Government servant temporarily transferred to a Service of post coming within exception (d) in sub-rule (1), to whom, but for such transfer, these rules would apply.

(4) If any doubt arises-

(a) whether these rules or any of them apply to any person; or

(b) whether any person to whom these rules apply belongs to a particular service;

the matter shall be referred to the Governor, who shall decide the same.

दूसरा भाग–वर्गीकरण

4. सेवाओं का वर्गीकरण.–

(1) राज्य की सिविल सेवाएं निम्नानुसार वर्गीकृत होंगी :–

(एक) राज्य सिविल सेवा, प्रथम श्रेणी;
(दो) राज्य सिविल सेवा, द्वितीय श्रेणी;
(तीन) राज्य सिविल सेवा, तृतीय श्रेणी;
(चार) राज्य सिविल सेवा, चतुर्थ श्रेणी;

(2) यदि कोई सेवा एक से अधिक ग्रेडों से मिलकर बनती हो, तो ऐसी सेवा के भिन्न–भिन्न ग्रेड भिन्न–भिन्न वर्गों में सम्मिलित किये जा सकेंगे.

5. राज्य सिविल सेवाओं का गठन.–– प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी की राज्य सिविल सेवायें अनुसूची में उल्लिखित की गई सेवाओं तथा सेवाओं में ग्रेडों से और ऐसी अन्य सेवाओं या ग्रेडों या पदों से जो कि राज्य शासन द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित किये जायें, मिलकर बनेगी.

6. पदों का वर्गीकरण.––

(1) राज्य के अधीन के सिविल पद, राज्य के अधीन उन सिविल पदों को छोड़ कर, जो कि साधारणतः उन व्यक्तियों द्वारा धारण किये जाते हों जिन्हें कि ये नियम लागू नहीं होते हैं, राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निम्नानुसार वर्गीकृत होंगे :–

(एक) राज्य सिविल पद, प्रथम श्रेणी;
(दो) राज्य सिविल पद, द्वितीय श्रेणी;
(तीन) राज्य सिविल पद, तृतीय श्रेणी;
(चार) राज्य सिविल पद, चतुर्थ श्रेणी;

(2) राज्य के अधीन के सिविल पदों के वर्गीकरण से सम्बन्धित कोई भी ऐसा आदेश, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो और जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह उपनियम (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा दिये गये आदेश द्वारा परिवर्तित, विखण्डित या संशोधित न कर दिया जाय.

तीसरा भाग–नियुक्ति प्राधिकारी

7. प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी की सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियां.–– प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी की राज्य सिविल सेवा के लिए समस्त नियुक्तियां राज्य शासन द्वारा की जाऐंगी :

परन्तु राज्य शासन, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तथा ऐसी शर्तों के, जिन्हें कि वह ऐसे आदेश में उल्लिखित करें, अधीन रहते हुए भी, ऐसी नियुक्तियां करने की शक्ति किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा.

8. अन्य सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियां.–– तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी की राज्य सिविल सेवाओं के लिए समस्त नियुक्तियां, अनुसूची में इस सम्बन्ध में उल्लिखित किये गये प्राधिकारियों द्वारा की जायेंगी.

PART II-CLASSIFICATON

4. Classification of Services.-

(1) The civil Services of the State shall be classified as follows:-

(i) State Civil Services, Class I;
(ii) State Civil Services, Class II;
(iii) State Civil Services, Class III;
(iv) State Civil Services, Class IV.

(2) If a Service consists of more than one grade, different grades of such Service may be included in different classes.

5. Constitution of State Civil Services.-The State Civil Services, Class I, Class II, Class III and Class IV shall consist of the Services and grades of Services specified in the Schedule, and such other services or grades or posts as may be notified by the State Government from time to time.

6. Classification of post.-

(1) Civil posts under the State other than those ordinarily held by persons to whom these rules do not apply, shall by a general or special order of the Governor be classified as follows :-

(i) State Civil Posts, Class I;
(ii) State Civil Posts, Class II;
(iii) State Civil Posts, Class III;
(iv) State Civil Posts, Class IV.

(2) Any order made by the competent authority, and in force immediately before the commencement of these rules relating to classification of civil posts under the State, shall continue to be in force until altered, rescinded or amended by an order made by the Governor under sub-rule (1).

PART III- APPOINTING AUTHORITY

7. Appointments to Class I and Class II Services and posts.-
All appointments to State Civil Services, Class I and Class II shall be made by the State Government:

Provided that the State Government may, by a general or a special order and subject to such conditions as it may specify in such order delegate to any other authority the power to make such appointments.

8. Appointments to other Services and Posts.-
All appointments to the State Civil Services Class III and Class IV, shall be made by the authorities specified in this behalf in the Schedule.

चौथा भाग–निलम्बन

9. निलम्बन.––

(1) नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके कि अधीनस्थ वह हो या अनुशासिक प्राधिकारी या उस सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी किसी शासकीय सेवक को.––

(क) जहां उसके विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो या अनुशासिक कार्यवाही लम्बित हो, या

(ख) जहां उसके विरूद्ध किसी भी दाण्डिक अपराध के सम्बन्ध में कोई मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन हो,

निलम्बित कर सकेगा :

/परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलम्बित किया जाएगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात् उसके विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो,

/परन्तु *यह और भी कि* जहां निलम्बन का आदेश किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो जो नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नस्तर श्रेणी का हो तो ऐसा प्राधिकारी तत्क्षण उन परिस्थितियों की जिनमें कि आदेश दिया गया था, रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को करेगा.

(2) कोई शासकीय सेवक नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा––

(क) उसके निरूद्व किये जाने के दिनांक से यदि उसे, या तो किसी दाण्डिक आरोप पर या अन्यथा, अडतालीस घण्टे से अधिक की कालावधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्व किया गया हो;

(ख) उसे दोषसिद्ध ठहराये जाने के दिनांक से, यदि वह, किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने की दशा में, अडतालीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो, और ऐसी दोषसिद्वि के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत न कर दिया गया हो या सेवा से हटा न दिया गया हो या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त न कर दिया गया हो,

निलम्बित कर दिया गया समझा जायेगा.

व्याख्या.––इस उपनियम के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट की गयी अडतालीस घण्टे की कालावधि की संगणना दोषसिद्वि के पश्चात्, कारावास के प्रारम्भ से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये कारावास की विच्छिन्न कालावधियां, यदि कोई हों, संगणित की जायेगी.

/प्रथम परन्तुक सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–2–96–3–एक, दि. 17.04.1996 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, तथा द्वितीय परन्तुक में शब्द ''यह और भी कि'' जोडा गया। प्रथम परन्तुक निम्नानुसार था–

''परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलम्बित किया जाएगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में उसके विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो.''

तदुपरांत अधिसूचना क्र सी–6–1–2007–3–एक, दिनांक 26.02.2007 द्वारा प्रथम परन्तुक में पुनः संशोधन कर उपरोक्तानुसार शब्द ''सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात्'' जोडते हुऐ प्रतिस्थापित किया गया, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26.02.2007 में प्रकाशित है.

PART IV-SUSPENSION

9. Suspension:-

(1) The appointing authority or any authority to which it is subordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered in the behalf by the Governor by general or special order, may place a Government servant under suspension:-

(a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending, or

(b) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial:

**Provided that a Government Servant shall invariably be placed under suspension when a challan for a criminal offence involving corruption or other moral turpitude is filed after sanction of prosecution by the Government against him.*

Provided **further* that where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstances in which the order was made.

(2) A Government servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority-

(a) with effect from the date of his detention, if, he is detained in custody whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours;

(b) with effect from the date of his conviction, if, in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

Explanation.- The period of forty-eight hours referred to in clause (b) of this sub-rule shall be computed from the commencement of the period of imprisonment, if any, shall be taken into account.

---

*The following first proviso and the word "further" in the second proviso inserted vide GAD Notification no C-6-2-96-3-EK dated 17.04.1996 and published in Madhya Pradesh gazette 03.08.96, which was as followed :-

"Provided that a Government Servant shall invariably be placed under suspension when a challan for a criminal offence involving corruption or other moral turpitude is filed against him. "

Again, In the first proviso words "after sanction of prosecution by the Government" inserted vide GAD notification NoC-6-1-2007, dated 26.02.2007 which is published in Gazette dated 26.02.2007.

S (2–क) *जहां किसी शासकीय सेवक को उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन निलम्बित किया जाय, वहां निलम्बन आदेश में, ऐसा आदेश करने के कारण अन्तर्विष्ट होंगे और जहां ऐसे शासकीय सेवक के विरूद्ध नियम 14 के अधीन जांच करना प्रस्तावित हो वहां नियम 14 के उपनियम (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा ऐसे शासकीय सेवक को आरोप पदों की, अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की और उन दस्तावेजों तथा साक्षियों की, जिनके कि द्वारा प्रत्येक आरोप पद का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, सूची की एक प्रतिलिपि निलम्बन आदेश के दिनांक से 45 दिन की कालावधि के भीतर जारी की जायेगी या जारी करवाई जायेगी:*

परन्तु जहां अनुशासिक प्राधिकारी राज्य सरकार ***#या उच्च न्यायालय*** *हो, वहां आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो कि ऊपर वर्णित की गयी हैं, प्रतिलिपि ऐसे शासकीय सेवक को निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि के भीतर जारी की जायेगी या जारी करवाई जायेगी.*

(2–ख) *जहां अनुशासिक प्राधिकारी आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो कि उपनियम (2–क) में निर्दिष्ट की गयी हैं, प्रतिलिपि 45 दिन की कालावधि के भीतर शासकीय सेवक को जारी न करें, वहां अनुशासिक प्राधिकारी उक्त कालावधि के समाप्त होने के पूर्व राज्य शासन से निलम्बन की उक्त कालावधि को बढाने के लिये लिखित में आदेश अभिप्राप्त करेगा:*

परन्तु निलम्बन की कालावधि में, निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि से परे किसी भी दशा में वृद्वि नहीं की जायेगी.

(3) जहां निलम्बित शासकीय सेवक पर पदच्युति, सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित की गयी शास्ति इन नियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन पर अपास्त कर दी जाय और मामला आगे जांच या कार्यवाही के लिये या किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ वापस भेज दिया जाय, वहां उसको निलम्बित किये जाने का आदेश, पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश के दिनांक को तथा से प्रवृत्त बना रहा समझा जायेगा और आगामी आदेश होने तक प्रवृत्त बना रहेगा.

(4) जहां शासकीय सेवक पर पदच्युति, सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की अधिरोपित की गयी शास्ति विधि न्यायालय के विनिश्चय के परिणामस्वरूप या द्वारा अपास्त कर दी जाय अथवा शून्य घोषित कर दी जाय या शून्य हो जाय और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर अनुशासिक प्राधिकारी, उसके विरूद्ध उन्हीं अभिकथनों पर, जिन पर कि पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी, आगे और जांच करने का विनिश्चय करे वहां शासकीय सेवक, पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेशों के दिनांक से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया गया समझा जायेगा और आगामी आदेश होने तक निलम्बित बना रहेगा.

S नियम 9 में उपनियम (2–क) एवं (2–ख) उनके परन्तुकों सहित प्रावधान सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–5–81–3–एक, दि. 26.02.1982 द्वारा जोडे गये हैं तथा दि 12.03.1982 के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हैं.

उपनियम (2–क) के परन्तुक में शब्द ''या उच्च न्यायालय'' सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–3–98–3–एक, दि 20.05.1998 द्वारा जोडा गया जो दि 21.05.1998 के मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित है.

***(2-a)** Where a Government servant is placed under suspension under clause (a) of sub-rule (1) the order of suspension shall contain the reasons for making such order and where it is proposed to hold an enquiry against such Government servant under rule 14, a copy of the articles of charges, the statement of imputations of miss-conduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained shall be issued or caused to be issued by the disciplinary authority to such Government servant as required by sub-rule (4) of rule 14, within a period of 45 days from the date of order of suspension:*

Provided that where the disciplinary authority is the State Government # *or the High Court* copy of charges and other documents mentioned above shall be issued or caused to be issued to such Government servant within a period of 90 days from the date of order of suspension:

***(2-b)** Where the disciplinary authority fails to issue to the Government servant a copy of the charges and other documents referred to in sub-rule (2-a) within the period of 45 days, the disciplinary authority shall, before expiry of the said period obtain orders in writing of the State Government for extension of the said period of suspension:*

Provided that the period of suspension shall in no case be enhanced beyond a period of 90 days from the date of the order of suspension.

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Government servant under a suspension, is set aside in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Government servant, is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him in the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the Government servant shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.

---

* In rule 9' the sub rules (2-a) and (2-b) with their provisons inserted vide GAD Notification No.. F. 6-5-81-3-I, dated 26th February 1982 and published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 12th March 1982.

In the proviso of sub rule (2-a) the words "or the High Court" Inserted vide GAD Notification No C-6-3-98-EK, dated 20.05.98 and published in M.P. Gazette dated 21.05.98.

(5) **(क)** इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह रूपभेदित या प्रतिसंहृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा रूप भेदित या प्रतिसंहृत न कर दिया जायः

• परन्तु निलम्बन आदेश के दिनांक से पैंतालीस दिन की कालावधि के समाप्त होने पर निलम्बन आदेश उस स्थिति में प्रतिसंहृत हो जायेगा जबकि आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो उपनियम (2–क) में निर्दिष्ट की गयी हैं, प्रतिलिपि ऐसे शासकीय सेवक को उपनियम (2–ख) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा (यदि वह राज्य सरकार न हो) उक्त दस्तावेजों के जारी करने की कालावधि के बढ़ाये जाने के लिये राज्य सरकार का आदेश अभिप्राप्त किये बिना जारी न की जायः

• परन्तु यह और भी कि निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि समाप्त होने पर निलम्बन आदेश उस स्थिति में प्रतिसंहृत हो जायेगा जबकि आरोपों की तथा अन्य दस्तावेजों की, जो कि उपनियम (2–क) में निर्दिष्ट की गयी हैं, प्रतिलिपि शासकीय सेवक को जारी न की जाय.

•(ख) *ऐसे शासकीय सेवक के सम्बन्ध में, जिसका निलम्बन आदेश खण्ड (क) के प्रथम या द्वितीय परन्तुक के अनुसार प्रतिसंहृत किया गया है, सक्षम प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना समीचीन समझे नियम 14 के उपनियम (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उसको आरोपों की तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि जारी किये जाने के पश्चात् उसे निलम्बित करेगा.*

••(ग) जहां शासकीय सेवक को (या तो किसी अनुशासिक कार्यवाही के सम्बन्ध में या अन्यथा) निलम्बित किया गया हो या निलम्बित किया गया समझा गया हो, और उसी निलम्बन के चालू रहने के दौरान कोई अन्य अनुशासिक कार्यवाही उसके विरूद्ध प्रारम्भ की गयी हो, वहां उसे निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, अपने द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यह निर्देश दे सकेगा कि शासकीय सेवक तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक कि ऐसी समस्त कार्यवाहियां या उनमें से कोई भी कार्यवाही समाप्त न हो जाय.

••(घ) इन नियमों के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया निलम्बन आदेश, किसी भी समय, उस प्राधिकारी द्वारा, जिसने वह आदेश दिया हो या जिसके द्वारा वह दिया गया समझा जाता हो या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसके कि अधीनस्थ वह प्राधिकारी हो रूप भेदित या प्रतिसंहृत किया जा सकेगा.

α परन्तु नियम 9 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किया गया निलम्बन आदेश तब तक प्रतिसंहृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके बारे में सरकार द्वारा कारण स्पष्ट करते हुऐ आदेश पारित नहीं कर दिया जाये.

• उपनियम (5)(क) के पश्चात् दोनों परन्तुक तथा पद (ख) सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–5–81–3–एक, दि 26.02.1982 द्वारा जोडे गये हैं तथा दि 12.03.1982 के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हैं. तथा इसी अधिसूचना द्वारा

•• पूर्व के खण्ड (ख) तथा (ग) के प्रावधानों को क्रमशः खण्ड (ग) तथा (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया गया.

α सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–2–96–3–एक, दिनांक 17.04.1996 द्वारा उपनियम (5) (घ) के पश्चात् यह परन्तुक जोडा गया.

(5) **(a)** An order of suspension made or deemed to have been made under this rule, shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so:

** Provided that the order of suspension shall stand revoked on expiry of the period of forty five days from the date of order of suspension in case a copy of charges and other documents referred to in sub-rule (2-a) are not issued to such Government servant by the disciplinary authority (if it is not the State Government) without obtaining the orders of the State Government for extension of the period for issue of the said documents, as required under sub-rule (2-b) :*

** Provided further that the order of suspension shall stand revoked on expiry of the period of 90 days from the date of order of suspension, in case the copy of charges and other document referred to in sub-rule (2-a) are not issued to such Government servant.*

***(b)** In respect of a Government servant, whose orders of suspension stand revoked in accordance with the first or second proviso of clause (a) the authority competent may, if it considers expedient so to do, place him under suspension after a copy of charges and other documents, as required by sub-rule (4) of rule 14, have been issued to him.*

****(c)** Where a Government servant is suspended or is deemed to have been suspended, (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceedings is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the Government servant shall continue to be under suspension until the termination of all or any so such proceedings.

****(d)** An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deem to have made the order or any authority to which that authority is subordinate.

//Provided that an order of suspension made under the first proviso to sub-rule (1) of rule 9 shall not be revoked except by an order of the Government made for reasons to be recorded.

---

* After sub rule (5)(a) both provisons inserted vide GAD notification No.. F-6-5-81-3-I, dated 26th February 1982 and published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 12th March 1982, and vide the same notification-

** The Previous clauses (b) & (c) of sub-rule (5) re-lettered as clauses (c) & (d) respectively.

// After sub rule (5)(d) the proviso inserted vide GAD Notification No C-6-2-96-3-EK, dated 17.04.96 and published in MP Gazette dated 03.08.96.

पांचवां भाग–शास्तियां तथा अनुशासिक प्राधिकारी

10. शास्तियां.— शासकीय सेवक पर, निम्नलिखित शास्तियां, अच्छे तथा पर्याप्त कारणों से तथा इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित किये गये अनुसार, अधिरोपित की जा सकेगी, अर्थात् :–

लघु शास्तियां

(एक) परिनिन्दा;

(दो) उसकी पदोन्नति का रोका जाना;

(तीन) उपेक्षा से या आदेशों के भंग द्वारा शासन को उसके द्वारा पहुंचाई गयी किसी आर्थिक हानि की पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग की उसके वेतन से वसूली;

(चार) • वेतन की वृद्धियों का *या गतिरोध भत्ते का* रोका जाना.

मुख्य शास्तियां

(पांच) • किसी उल्लिखित कालावधि के लिये अवनत करके वेतन के समय–मान के निम्नतर प्रक्रम में, ऐसे और निदेशों के साथ लाया जाना कि क्या शासकीय सेवक ऐसी अवनति की कालावधि के दौरान, *यथास्थिति,* वेतन वृद्धियां *या गतिरोध भत्ता* उपार्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी कालावधि के समाप्त हो जाने पर ऐसी अवनति उसके वेतन की भावी वृद्धियों को *या गतिरोध भत्ते को* स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;

टिप्पणी.—*अभिव्यक्ति ''अवनत करके वेतन के समय–मान के निम्नतर प्रक्रम में लाया जाना'' के अन्तर्गत शासकीय सेवक को गतिरोध भत्ता मिलने पर जिस प्रक्रम पर वेतन प्राप्त होता है, उस प्रक्रम से भिन्न प्रक्रम पर अवनत करना भी आता है.''*

(छः) अवनत करके वेतन के निम्नतर समय–मान में, निम्नतर ग्रेड में, निम्नतर पद पर निम्नतर सेवा में लाया जाना जो उस शासकीय सेवक को पदोन्नत करके वेतन के उस समय–मान में, उस ग्रेड में या उस सेवा में जिससे कि वह अवतन किया गया था लाये जाने की साधारणतः रोक करेगा, उस ग्रेड या पद या सेवा पर जिससे कि शासकीय सेवक अवनत किया गया था, पुनः स्थापित किये जाने की शर्तों के सम्बन्ध में तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर इस प्रकार से पुनः स्थापित हो जाने पर उसकी ज्येष्ठता तथा वेतन के सम्बन्ध में और निर्देशों के सहित या रहित;

(सात) अनिवार्य सेवा–निवृत्ति;

(आठ) सेवा से हटाया जाना, जो कि शासन के अधीन भावी नियोजन के लिये अनर्हता न होगी;

(नौ) सेवा से पदच्युत किया जाना जो कि मामूली तौर पर शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी :

• खण्ड (चार) तथा (पांच) टिप्पणी सहित, पूर्व के खण्ड (चार) तथा (पांच) के स्थान पर, सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र 6–2–76–3–एक, दि 24.03.1976 द्वारा संशोधित किये गये हैं जो राजपत्र दि 02.04.1976 में प्रकाशित हैं. पूर्व के प्रावधान निम्नानुसार थेः–

''(चार) वेतन की वृद्धियों का रोका जाना;

(पांच) किसी उल्लिखित कालावधि के लिये अवनत करके वेतन के समयमान के निम्नतर प्रक्रम में, ऐसे और निर्देशों के साथ लाया जाना कि क्या शासकीय सेवक ऐसी अवनति की कालावधि के दौरान वेतन वृद्वियां उपार्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी कालावधि के समाप्त हो जाने पर ऐसी अवनति उसके वेतन की भावी वृद्वियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;''

PART V- PENALTIES AND DISCIPLINARY AUTHORITIES

10. Penalties.-

The following penalties may, for good and sufficient reason and as hereinafter provided, be imposed on a Government servant, namely :-

Minor penalties

(i) Censure;

(ii) withholding of his promotion;

(iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Government by negligence or breach of orders;

(iv) withholding of increments of pay ***** *or stagnation allowance*;

Major penalties

***(v)** reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not, the Government servant will earn increments of pay *"or the stagnation allowance, as the case may be"* during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments or his pay or stagnation allowance.

NOTE.- The expression "reduction to a lower stage in the time scale of pay" shall also include reduction of pay from the stage of pay drawn by a Government servant on account of grant of stagnation allowance, if any.

(vi) reduction to a lower time-scale of pay, grade, post or Service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government servant to the time-scale of pay, grade, post or Service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grads or post or Service from which the Government servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

(vii) compulsory retirement;

(viii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;

(ix) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

***Clauses** (iv) and (v) substituted vide G.A.D. Notification No F. 6- 2-76-3-I, dated 24th March 1976 and published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 2nd April 1976.

NOTE-To find out the previous clause (iv) & (v), the words "or stagnation allowance" and the words "or the stagnation allowance, as the case may be" with the note below to clause (v) shall be omitted from the amended clauses (iv) and (v) respectively.

∞*परन्तुक.––इसका लोप किया गया है.*

व्याख्या.––निम्नलिखित बातें इस नियम के तात्पर्य के अन्तर्गत शास्ति नहीं होंगी, अर्थात्.––

(एक) शासकीय सेवक की वेतन–वृद्धियों का, उस सेवा को, जिसका कि वह हो या उस पद को जिसे कि वह धारण करता हो, शासित करने वाले, नियमों या आदेशों के अनुसार या उसकी नियुक्ति के निबन्धनों के अनुसार कोई विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण रोका जाना;

(दो) किसी शासकीय सेवक का, वेतन के समय–मान में के दक्षतारोध पर, रोध को पार करने में उसकी अयोग्यता के आधार पर, रोका जाना;

(तीन) किसी शासकीय सेवक को, उसके मामले पर विचार करने के पश्चात्, ऐसी सेवा, ग्रेड या पद जिस पर पदोन्नति के लिये वह पात्र हो, मौलिक या स्थानापन्न रूप में पदोन्नत न किया जाना;

(चार) किसी ऐसे शासकीय सेवक का, जो उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा हो, इस आधार पर कि वह ऐसी उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद के लिये अयोग्य समझा गया है या उस के आचरण से असम्बद्ध किसी प्रशासकीय आधार पर निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तित किया जाना;

(पांच) किसी ऐसे शासकीय सेवक का, जो किसी अन्य सेवा, ग्रेड या पद पर, परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति के निबन्धनों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों तथा आदेशों के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसके समाप्त होने पर उसकी स्थायी सेवा, ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तित किया जाना;

(छः) किसी ऐसे शासकीय सेवक की, जिसकी कि सेवाएं संघ सरकार से या किसी अन्य राज्य शासन से या किसी ऐसे शासन के नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण से उधार ली गयी हो, सेवाओं का उस प्राधिकरण के अधिकार में पुनः रखा जाना जिससे कि ऐसे शासकीय सेवक की सेवाएं उधार ली गयी थीं;

(सात) शासकीय सेवक का, उसकी अधिवार्षिकी या सेवा–निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्धों के अनुसार अनिवार्यतः सेवा–निवृत्त किया जाना;

(आठ) **(क)** परिवीक्षा पर नियुक्त शासकीय सेवक की सेवाओं का, उसकी परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या अन्त में, उसकी नियुक्ति के निबन्धनों के या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों तथा आदेशों के अनुसार; या

(ख) आगामी आदेश होने तक के लिये नियुक्त किये गये किसी अस्थायी शासकीय सेवक की सेवाओं का, इस आधार पर कि उसकी सेवाओं की अब आगे आवश्यकता नहीं है; या

(ग) किसी करार के अधीन नियोजित शासकीय सेवक की सेवाओं का, ऐसे करार के निबंधों के अनुसार समाप्त किया जाना.

∞ सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र 6–4–77–3–एक, दि 26.09.1977 द्वारा उक्त परन्तुक का लोप किया गया जो राजपत्र दि 11.11.1977 में प्रकाशित है. पूर्व परन्तुक का प्रावधान निम्नानुसार है:–

''परन्तु किसी शासकीय सेवक को ऐसी किसी सेवा, ग्रेड या पद से, जिस पर कि वह शासकीय सेवा में अपने प्रवेश के समय नियुक्त किया गया था, निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर अवनत नहीं किया जाएगा.''

***Provisio- [Have been deleted]**

Explanation.- The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule, namely:-

(i) withholding of increments of pay of a Government servant for his failure to pass any departmental examination in accordance with the rules or orders governing the Service to which he belongs or post which he holds or the terms of his appointment;

(ii) stoppage of a Government servant at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;

(iii) non-promotion of a Government servant, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a service, grade or post for promotion to which he is eligible;

(iv) reversion of a Government servant officiating in a higher Service, grade or post to a lower service, grade or post, on the ground that he is considered to be unsuitable for such higher Service, grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;

(v) reversion of a Government servant, appointed on probation to any other Service, grade or post, to his permanent Service, grade, or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such prohibition;

(vi) replacement of the services of a Government servant, whose services had been borrowed from the Union Government or any other State Government or an authority under the control of any such Government, at the disposal of the authority from which the services of such Government Servant had been borrowed;

(vii) compulsory retirement of a Government servant in accordance with the provision relation to his superannuation or retirement;

(viii) termination of the services.-

(a) of a Government servant appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation; or

(b) of a temporary Government servant appointed until further orders on the ground that his services are no longer required; or

(c) of a Government servant, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement.

---

*Provisio have been deleted vide GAD Notification No 6-4-77-3-I, dated 26th September, 1977 and published in Madhya Pradesh Gazette (ordinary dated 11th November 1977. It was as following-

"Provided that a government Servant shall not be reduced to a service, grade or post lower than that to which he was appointed at the time of his entry in government Service"

11. चतुर्थ श्रेणी की सेवा के सदस्यों के लिये दण्ड.—— नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों के अतिरिक्त, चतुर्थ श्रेणी की सेवा के शासकीय सेवक पर छोटी–मोटी असावधानी करने, समय का पालन न करने, आलस्य अथवा लघु प्रकार के वैसे ही दुराचरण के लिये *पचास** रूपये से अनधिक जुर्माने की शास्ति भी ॰ *नियुक्ति प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा* अधिरोपित की जा सकेगी :

परन्तु किसी भी शासकीय सेवक पर किसी भी मास में अधिरोपित अधिकतम जुर्माना *पचास** रूपये से अधिक नहीं होगा :

॰ *परन्तु यह और भी कि इस नियम के अनुसार अधिरोपित जुर्माने का आदेश, नियम 29 के अधीन पुनर्विलोकन के अधीन नहीं होगा.*

12. अनुशासिक प्राधिकारी.——

(1) राज्यपाल किसी भी शासकीय सेवक पर नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा.

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किन्तु उपनियम (3) के अपबन्धों के अधीन रहते हुऐ, नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति——

(क) राज्य सिविल सेवा के सदस्य पर, नियुक्ति प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित किये गये प्राधिकारी द्वारा अथवा राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा;

(ख) राज्य सिविल पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति पर राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में उल्लिखित किये गये किसी प्राधिकारी द्वारा अथवा ® नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या इस सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित किये गये प्राधिकारी द्वारा

अधिरोपित की जा सकेगी.

(3) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी.——

(क) नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी कोई भी शास्ति भी ऐसे प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित नहीं की जायेगी जो नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ हो;

#परन्तु उच्च न्यायालय को, नियम 10 के खण्ड (छः) (जहां तक कि वह रैंक अर्थात् पद या सेवा में कटौती से सम्बन्धित है) तथा खण्ड (सात) से (नौ) में यथाविनिर्दिष्ट शास्तियों को छोड़कर समस्त शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति होगी.

....

॰ सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र 1514–3533–एक–3–67, दिनांक 27.06.1967 द्वारा नियम 11 में शब्द *''नियुक्ति प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा''* स्थापित किया गया तथा द्वितीय परन्तुक जोडा गया है जो राजपत्र दि 07.07.1967 में प्रकाशित है. पूर्व का प्रावधान निम्नानुसार था——

''नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों के अतिरिक्त, चतुर्थ श्रेणी की सेवा के शासकीय सेवक पर छोटी मोटी असावधानी करने, समय का पालन न करने, आलस्य अथवा लघु प्रकार के वैसे ही दुराचरण के लिये पांच रूपये से अनधिक जुर्माने की शास्ति भी अधिरोपित की जा सकेगी :

परन्तु किसी भी शासकीय सेवक पर किसी भी मास में अधिरोपित अधिकतम जुर्माना पांच रूपये से अधिक नहीं होगा.''

* सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–5–2002–3–एक, दि 17.06.2002 द्वारा ''रूपये पांच'' के स्थान पर ''रूपये पचास'' स्थापित किया गया.

® सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र 503–सी–आर–437–एक–3–72 दि 25.08.1972 द्वारा नियम 12 (2)(ख) में ''अथवा'' से ''नियुक्ति'' के बीच के शब्दों ''जहां ऐसा कोई आदेश न दिया गया हो, वहां'' का लोप किया गया, जो राजपत्र दि 22.09.1972 में प्रकाशित है.

सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–3–98–3–एक, दि 20.05.1998 द्वारा नियम 12 (3) (क) के पश्चात् यह परन्तुक जोडा गया, जो राजपत्र दि 21.05.1998 में प्रकाशित है.

11. Punishment of Members of Class IV Service.-

Besides the penalties specified in Rule 10, the penalty of fine not exceeding *Rupees* ***** *fifty* may also be imposed on a Government servant belonging to class IV service *£"by the appointing authority or any other authority specified in the schedule in this behalf"*, for petty carelessness, unpunctuality, idleness or similar misconduct of a minor nature:

Provided that the maximum fine imposed on any Government servant in any month shall not exceed rupees ***** *fifty*;

£ Provided further that the order of fine imposed in accordance with this rule shall not be subject to review under rule 29.

12. Disciplinary Authorities.-

(1) The Governor may impose any of the penalties specified in rule 10 on any Government servant.

(2) Without prejudice to the Provisions of sub-rule (1), but subject to the provisions of sub-rule (3), any of the penalties specified in rule 10 may be imposed on-

(a) a member of a State Civil Service by the appointing authority or the authority specified in the Schedule in this behalf or by any other authority empowered in this behalf by a general or special order of the Governor;

(b) a person appointed to a State Civil post by the authority specified in this behalf by a general or special order of the Governor or, ** by the appointing authority or the authority specified in the Schedule in this behalf.

(3) Notwithstanding anything contained in this rule-

(a) no penalty specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 shall be imposed by any authority subordinate to the appointing authority;

 # Provided that the high court shall have the power to impose all the penalties as specified in clause (vi) (So far as it relates to reduction in rank i.e. post of service), and clauses (vii) to (ix) of rule 10.

£ In Rule 11 words "by the appointing authority or any other authority specified in the schedule in this behalf" and the proviso inserted vide GAD Notification No. 1514-3533-I (iii)-67, dated 27th June 1967, published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 7th July 1967.

Note.-To find out the previous rule 11, the words from "by the appointing.....to.....this behalf" and the second proviso to this rule shall be omitted from the amended rule 11.

* In rule 11,words "Rupees fifty" substituted in place of "Rupees five" amending vide GAD Notification No.C-6-5-2002-3EK, dated 17.06.2002 and pu8blished in M.P. Gazette dated 17.06.2002.

** In the said Rules, in clause (b) of sub-rule (2) of Rule 12, the words "where no such order has been made:" shall be omitted in between the words "Governor or .....by the", vide GAD Notification No. 503/C.R. 437/I(3)72, dated 25th August 1972, published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 22nd September 1972.

In 12(3)(a) the proviso Inserted vide GAD Notification No. C-6-3-98-3-EK, dated 20.05.98 and published in M.P. Gazette date 21.05.98.

(ख) जहां कोई शासकीय सेवक, जो किसी सेवा का सदस्य हो, किसी अन्य सेवा या पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसे शासकीय सेवक पर, नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक उल्लिखित की गयी शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तब तक ऐसी कोई भी शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा जब तक कि उसने ऐसे प्राधिकारी से परामर्श न कर लिया हो जो कि उसका अधीनस्थ प्राधिकारी न हो तथा जो कि उस शासकीय सेवक पर उक्त शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने के लिये उपनियम (2) के अधीन तब सक्षम होता जब कि वह (शासकीय सेवक) ऐसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त न किया गया होता.

व्याख्याः– जहां कोई ऐसा शासकीय सेवक, जो किसी भी श्रेणी की सेवा का हो या किसी भी श्रेणी का राज्य सिविल पद धारण करता हो, चाहे परिवीक्षा पर या अस्थायी रूप से ठीक आगे की उच्चतर श्रेणी की सेवा या सिविल पद पर पदोन्नत कर दिया जाय, तो वह, इस नियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर श्रेणी की सेवा का या ऐसी उच्चतर श्रेणी का राज्य सिविल पद धारण करने वाला समझा जाएगा.

13. कार्यवाहियां संस्थित करने के लिये प्राधिकारी.––

(1) राज्यपाल या उनके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी––

(क) किसी भी शासकीय सेवक के विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा;

(ख) अनुशासिक प्राधिकारी को किसी भी ऐसे शासकीय सेवक के, जिस पर कि वह अनुशासिक प्राधिकारी नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति इन नियमों के अधीन अधिरोपित करने के लिये सक्षम हो, विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही संस्थित करने के लिये निर्देश दे सकेगा,

(2) नियम 10 के खण्ड (एक) से खण्ड (चार) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिये इन नियमों के अधीन सक्षम कोई अनुशासिक प्राधिकारी किसी भी शासकीय सेवक के विरूद्व, नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने के लिये अनुशासिक कार्यवाहियां इस बात के होते हुऐ, भी संस्थित कर सकेगा कि ऐसा अनुशासिक प्राधिकारी, उपरोक्त शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने के इन नियमों के अधीन सक्षम नहीं है.

(b) where a Government servant who is a member of a service, is temporarily appointed to any other Service or post, the authority competent to impose on such Government servant any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 shall not impose any such penalties unless it has consulted such authority, not being an authority subordinate to it, as would have been competent under sub-rule (2) to impose on the Government servant any of the said penalties had he not been appointed to such other Service or post.

Explanation.-Where a government servant belonging to a Service or holding a State Civil post of any class, is promoted, whether on probation or temporarily to the Service or civil post of the next higher class, he shall be deemed for the purposes of this rule to belong to the Service of, or hold the State Civil post of such higher class.

13. Authority to institute proceedings.-

(1) The Governor or any other authority empowered by him by general or special order may-

(a) institute disciplinary proceedings against any Government servant;

(b) direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceedings against any Government servant on whom that disciplinary authority is competent to impose under these rules any of the penalties specified in rule 10.

(2) A disciplinary authority competent under these rules to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 10 may institute disciplinary proceedings against any Government servant for the imposition of any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under these rules to impose any of the latter penalties.

छठा भाग–शास्तियों को अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया

14. मुख्य शास्तियां अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया.––

(1) नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश, यावत्शक्य इस नियम में तथा नियम 15 में उपबंधित की गयी रीति में, या पब्लिक सर्वेण्ट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, 1850 (क्रमांक 37 सन् 1850) द्वारा, जहां कि उस एक्ट के अधीन ऐसी जांच की जाती हो, उपबंधित की गयी रीति में की गयी जांच के पश्चात् ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं.

(2) जब कभी अनुशासिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी शासकीय सेवक के विरूद्ध लागाये गये किसी अवचार या कदाचार के लांछन की सत्यता की जांच करने के लिये आधार है, तो वह (अनुशासिक प्राधिकारी) स्वयं जांच कर सकेगा या यथास्थिति इस नियम के अधीन या पब्लिक सर्वेण्ट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, 1850 के उपबन्धों के अधीन उसकी (लांछन की) सत्यता की जांच करने के लिये किसी प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा.

π *परन्तु यह कि, जहां यौन उत्पीडन की शिकायत, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 के उपनियम (3) के अभिप्राय के अंतर्गत आती हो, वहां प्रत्येक विभाग अथवा कार्यालय में ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिये गठित की गयी समिति को, ऐसे नियमों के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया जांच प्राधिकारी समझा जाएगा और यदि, यौन उत्पीडन की शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत समिति के लिए पृथक् प्रक्रिया विहित नहीं की गयी है, तो शिकायत समिति जहां तक साध्य हो, इन नियमों में अधिकथित की गयी प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी.*

व्याख्या––जहां अनुशासिक प्राधिकारी स्वयं जांच कर रहा हो, वहां उपनियम (7) से उपनियम (20) तक में तथा उपनियम (22) में जांचकर्ता प्राधिकारी के प्रति किया गया कोई भी निर्देश अनुशासिक प्राधिकारी के प्रति किया गया निर्देश समझा जाएगा.

(3) जहां शासकीय सेवक के विरूद्ध इस नियम तथा नियम 15 के अधीन जांच करना प्रस्तावित हो वहां अनुशासिक प्राधिकारी––

(एक) अवचार या कदाचार के लांछन की विषय वस्तु को निश्चित तथा पृथक् आरोप पदों के रूप में लिखेगा या लिखवाएगा;

(दो) प्रत्येक आरोप पद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण बनाएगा या बनवाएगा जिसमें कि निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे :–

(क) शासकीय सेवक द्वारा की गयी स्वीकृति या संस्वीकृति को सम्मिलित करते हुऐ समस्त सुसंगत तथ्यों का विवरण;

(ख) उन दस्तावेजों की सूची जिनके कि द्वारा, तथा उन साक्षियों की सूची जिनके कि द्वारा आरोप पदों का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है.

π सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–1–2004–3–एक, दिनांक 17.03.2005 द्वारा नियम 14 (2) में यह परन्तुक जोडा गया है, जो राजपत्र दिनांक 17.03.2005 में प्रकाशित है.

PART VI- PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES

14. Procedure for imposing major penalties.-

(1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 shall be made except after an inquiry held, as far as may be, in the manner provided in this rule and rule 15 or in the manner provided by the Public Servants (inquiries) Act, 1850 (37 of 1850), where such inquiry is held under that Act.

(2) Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a Government servant, it may itself inquire into, or appoint under this rule or under the provisions of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850, as the case may be, an authority to inquire into the truth thereof.

**provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of sub-rule(3) of Rule 22 of the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, the complaints committee established in each Department or office for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of these rules and the complaints committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the complaints committee for holding the enquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as for as practicable in accordance with the procedure laid down in these rules.*

Explanation.-Where the disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference in sub-rule (7) to sub-rule (20) and in sub-rule (22) to the inquiring authority shall be constructed as a reference to the disciplinary authority.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against a Government servant under this rule and rule 15, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up-

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge;

(ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain-

(a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the Government servant;

(b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

---

* In rule 14(2) the proviso inserted vide GAD's Notification C-6-1-2004-3-1, dated 17-03-2005 and published in MP Gazette 17-03-2005

(4) अनुशासिक प्राधिकारी शासकीय सेवक को आरोप पदों की, अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की और उन दस्तावेजों तथा साक्षियों की, जिनके कि द्वारा प्रत्येक आरोप पद का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, सूची की एक प्रतिलिपि परिदत्त करेगा या परिदत्त करवाएगा और शासकीय सेवक से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर, जो कि उल्लिखित किया जाय, अपने प्रतिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत करे और यह भी बतलाये कि क्या वह अपनी व्यक्तिशः सुनवाई की जाने की वांन्छा करता है.

(5) **(क)** प्रतिवाद का लिखित कथन प्राप्त होने पर, अनुशासिक प्राधिकारी स्वयं, आरोप–पदों में से ऐसे आरोप पदों की जो स्वीकार नहीं किये गये हों, जांच कर सकेगा या उपनियम (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिये, जांचकर्ता प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे ; और जहां समस्त आरोप शासकीय सेवक द्वारा प्रतिपाद के अपने लिखित कथन में स्वीकार कर लिये गये हों, वहां अनुशासिक प्राधिकारी ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे, प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और नियम 15 में दी गयी रीति में कार्य करेगा.

(ख) यदि शासकीय सेवक द्वारा, प्रतिवाद का कोई भी लिखित कथन प्रस्तुत न किया जाय, तो अनुशासिक प्राधिकारी स्वयं आरोप पदों की जांच करेगा, या उपनियम (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिये जांचकर्ताा प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे.

(ग) जहां अनुशासिक प्राधिकारी स्वयं किसी भी आरोप पद की जांच करे, या ऐसे आरोप की जांच करने के लिये किसी जांचकर्ता प्राधिकारी की नियुक्ति करे, तो वह आदेश द्वारा आरोप पदों के समर्थन में अपनी ओर से मामला, प्रस्तुत करने के लिये किसी शासकीय सेवक या विधि व्यवसायी को नियुक्त कर सकेगा जो कि **''प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी''** के नाम से जाना जाएगा.

(6) अनुशासिक प्राधिकारी, जहां कि वह स्वयं जांचकर्ता प्राधिकारी न हो, वहां जांचकर्ता पदाधिकारी को वह––

(एक) आरोप पदों की तथा अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्रतिलिपि;

(दो) शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवाद के लिखित कथन की, यदि कोई हो, प्रतिलिपि;

(तीन) उपनियम (3) में निर्दिष्ट किये गये साक्षियों, यदि कोई हों, के विवरण की प्रतिलिपि;

(चार) शासकीय सेवक को उपनियम (3) में निर्दिष्ट किये गये दस्तावेजों के परिदान को सिद्ध करने वाला साक्ष्य; और

(पांच) ''प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी'' को नियुक्त करने वाला आदेश की प्रतिलिपि;

अग्रेषित करेगा.

(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the Government servant a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of document and witnesses by which each article of charges is proposed to be sustained and shall require the Government servant to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5) **(a)** On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted, or, if it considers it necessary so to do, appoint, under sub-rule (2), an inquiring authority for the purpose; and where all the articles of charges have been admitted by the Government servant in his written statement of defence, the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in rule 15.

(b) If no written statement of defence is submitted by the Government servant, the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge or may, if it considers it necessary to do so, appoint, under sub-rule (2), an inquiring authority for the purpose.

(c) Where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding an inquiry into such charge, it may by an order, appoint a Government servant or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.

(6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority-

(i) a copy of the article of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the Government servant;

(iii) a copy of the statements of witnesses, if any, referred to in sub-rule (3);

(iv) evidence providing the delivery of the documents referred to in sub-rule (3) to the Government servant; and

(v) a copy of the order appointing the "Presenting Officer."

(7) शासकीय सेवक, आरोप पदों की तथा अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्राप्ति के दिनांक से दस कार्य दिवसों के भीतर ऐसे दिन तथा ऐसे समय पर, जिसकी जांचकर्ता पदाधिकारी लिखित सूचना द्वारा इस सम्बन्ध में उल्लिखित करे, या दस दिन से अनधिक ऐसे और समय के भीतर जैसा कि जांचकर्ता प्राधिकारी अनुज्ञात करे, जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिशः उपसंजात होगा.

(8) शासकीय सेवक अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये किसी अन्य शासकीय सेवक की सहायता ले सकेगा, किन्तु वह इस प्रयोजन के लिये किसी विधि व्यवसायी को तब तक नहीं लगा सकेगा जब तक कि अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी विधि व्यवसायी न हो, या अनुशासिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुऐ ऐसा करने के लिये अनुज्ञात न कर दे.

(9) यदि वह शासकीय सेवक, जिसने अपने प्रतिवाद के लिखित कथन में, आरोप पदों में से किसी भी आरोप–पद को स्वीकार नहीं किया है या प्रतिवाद का कोई भी लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया है, जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो, तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या कोई प्रतिवाद करना चाहता है और वह आरोप–पदो में से किसी भी आरोप–पद में का दोष स्वीकार करता है, तो जांचकर्ता प्राधिकारी उसे अभिवचन (प्ली) को अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर उस शासकीय सेवक के हस्ताक्षर करावाएगा.

(10) जांचकर्ता प्राधिकारी उन आरोपों–पदों के सम्बन्ध में जिन्हें कि शासकीय सेवक स्वीकार करता है, दोषित का निष्कर्ष देगा.

(11) यदि शासकीय सेवक उल्लिखित समय के भीतर उपसंजात नहीं होता है या अभिवचन करने से इंकार करता है या अभिवचन नहीं करता है, तो जांचकर्ता प्राधिकारी, प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसके द्वारा कि वह आरोप–पदों का सिद्ध करना प्रस्तावित करता हो, और उस मामले को, यह आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् कि शासकीय सेवक, अपना प्रतिपाद तैयार करने के प्रयोजन के लिये :––

(एक) आदेश के दिनांक से पांच दिन के भीतर या पांच दिन से अनधिक ऐसे और समय के भीतर, जिसकी कि जांचकर्ता प्राधिकारी अनुज्ञा दे, उपनियम (3) में निर्दिष्ट की गयी सूची में उल्लिखित किये गए दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा;

(दो) अपनी ओर से पृच्छा किये जाने वाले साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर सकेगा;

टिप्पणी,––यदि शासकीय सेवक उपनियम (3) में निर्दिष्ट की गयी सूची में वर्णित साक्षियों के कथनों की प्रतिलिपियां दिये जाने के लिये मौखिक रूप से या लिखित आवेदन करे, तो जांचकर्ता प्राधिकारी उसे यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में ऐसे समय पर, जो कि अनुशासिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों की पृच्छा प्रारम्भ होने के तीन दिन से अधिक पश्चात् का न हो, ऐसी प्रतिलिपियां देगा.

(तीन) किन्हीं ऐसी दस्तावेजों का, जो कि शासन के अधिकार में है किन्तु उपनियम (3) में निर्दिष्ट की गयी सूची में वर्णित नहीं है, पता लगाने या उसे पेश करने के लिये आदेश के दिनांक से दस दिन के भीतर अथवा दस दिन से अनधिक ऐसे और समय के भीतर हो, जिसकी कि जांचकर्ता प्राधिकारी अनुज्ञा दे, सूचना दे सकेगा.

(7) The Government servant shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by him of the articles of charge and the statement of the imputation of misconduct or misbehaviour, as the inquiring authority may, by a notice in written specify in this behalf, or within such further time, not exceeding ten days, as inquiring authority may allow.

(8) The Government servant may take the assistance of any other Government servant to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits.

(9) If the Government servant who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the Government servant thereon.

(10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of there articles of charge to which the Government servant pleads guilty.

(11) The inquiring authority shall, if the Government servant fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the Government servant may, for the purpose of preparing his defence-

> **(i)** inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the enquiring authority may allow, the documents specified in the list referred to in sub-rule (3);
>
> **(ii)** submit a list of witnesses to be examined on his behalf.

Note.-If the Government servant applies orally or in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in sub-rule (3), the inquiring authority shall furnish him with such copies as early as possible and in any case not later than three days before the commencement of the examination of the witnesses on behalf of the disciplinary authority.

> **(iii)** Give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow, for the discovery or production of any documents which are in the possession of Government but not mentioned in the list referred to in sub-rule (3).

टिप्पणी,––शासकीय सेवक उन दस्तावेजों की सुसंगति बतलाएगा जिनका कि शासन द्वारा पता लगाया जाने की या जिनके कि शासन द्वारा पेश किया जाने की उसने अपेक्षा की हो, ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक के लिये, जो कि तीस दिन अधिक पश्चात् का न हो, स्थगित कर देगा.

(12) दस्तावेजों का पता लगाया जाने या उन्हें प्रस्तुत किये जाने के लिये सूचना प्राप्त होने पर जांचकर्ता प्राधिकारी उसको (सूचना को) या उसकी प्रतिलिपियों को, उस प्राधिकारी की ओर जिसकी कि अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे हों, उन दस्तावेजों को ऐसे दिनांक तक, जो कि ऐसी अधियाचना में उल्लिखित किया जाय, पेश करने की अधियाचना के साथ अग्रेषित करेगा;

परन्तु जांचकर्ता प्राधिकारी उसके द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर, उन दस्तावेजों में से ऐसे दस्तावेजों के लिए अधियाचना करने से इंकार कर सकेगा जो कि उसकी राय में, उस मामले से सुसंगत न हो.

(13) उपनियम (12) में निर्दिष्ट की गयी अधियाचना के प्राप्त होने पर ऐसा प्रत्येक प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अधियाचित की गयी दस्तावेज हैं, उन्हें जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा.

परन्तु यदि उस प्राधिकारी का, जिसकी कि अभिरक्षा या कब्जे में अधियाचित की गयी दस्तावेज हैं, उसके द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यह समाधान हो जाय कि ऐसे समस्त दस्तावेज या उनमें से किसी भी दस्तावेज का पेश किया जाना लोकहित या राज्य की सुरक्षा के विरूद्ध होगा, तो वह जांचकर्ता प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा और जांचकर्ता प्राधिकारी, इस प्रकार सूचित किये जाने पर, शासकीय सेवक को यह जानकारी संसूचित करेगा और ऐसे दस्तावेजों के पेश किये जाने या उनका पता लगाये जाने के लिये उसके द्वारा की गयी अधियाचना को वापस लेगा.

(14) जांच करने के लिये नियत किए गए दिनांक को, वह मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य, जिसके कि द्वारा आरोप–पदों का सिद्ध किया जाना प्रस्तावित है, अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से पेश किया जाएगा. साक्षियों की पृच्छा प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी द्वारा या उसकी ओर से की जाएगी और शासकीय सेवक द्वारा या उसकी ओर से उनकी प्रतिपृच्छा की जा सकेगा. प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी साक्षियों की पुनः पृच्छा, ऐसे किन्हीं भी बिन्दुओं पर जिन पर कि उनकी प्रतिपृच्छा की गयी हो, करने का हकदार होगा किन्तु जांचकर्ता प्राधिकारी की इजाजत के बिना किसी भी नवीन विषय पर पुनः पृच्छा करने का हकदार नहीं होगा. जांचकर्ता प्राधिकारी साक्षियों से ऐसे प्रश्न भी पूछ सकेगा जिन्हें कि वह उचित समझे.

(15) अनुशासिक प्राधिकारी की ओर से मामले को समाप्त किए जाने के पूर्व यदि यह आवश्यक प्रतीत हो, तो जांचकर्ता प्राधिकारी, स्वविवेक से प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी को ऐसा साक्ष्य, जो कि शासकीय सेवक को दी गयी सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था, पेश करने की अनुज्ञा दे सकेगा या वह स्वयं नवीन साक्ष्य मंगा सकेगा या किसी भी साक्षी को पूनः बुला सकेगा तथा उसकी पुनः पृच्छा कर सकेगा और ऐसे मामले में शासकीय सेवक, आगे पेश की जाने के लिए प्रस्तावित और साक्ष्य की सूची की प्रतिलिपि, यदि वह उसकी मांग करे, प्राप्त करने का और ऐसा करने साक्ष्य नवीन पेश किए जाने के पूर्व स्थगन का दिन तथा वह दिन, जिसके लिए कि जांच स्थगित की गयी हो, छोड़कर, पूरे तीन दिन के लिए उस जांच को स्थगित करवाने का हकदार होगा. जांचकर्ता प्राधिकारी शासकीय सेवक को ऐसी दस्तावेजों का, अभिलेख में उनके सम्मिलित किए जाने के पूर्व, निरीक्षण करने का अवसर देगा, यदि जांचकर्ता प्राधिकारी की यह राय हो कि नवीन साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह शासकीय सेवक को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा.

Note.- The Government servant shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered are produced by the Government.

(12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition:

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition referred to in sub-rule (12), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority:

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest or production of all or any of such document would be against the public interest or security of the State, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall, on being so informed, communicate the information to the Government servant and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.

(14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the Government servant. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the Government servant or may itself call for new evidence or re-call and re-examine any witness and in such case the Government servant shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the Government servant an opportunity of inspection such documents before they are taken on the record. The inquiring authority may also allow the Government servant to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interest of justice.

टिप्पणी.––साक्ष्य में की कोई कमी पूरी करने के लिए नवीन साक्ष्य की न तो अनुज्ञा दी जाएगी, न नवीन साक्ष्य मंगाया जायेगा और नहीं किसी साक्षी को पुनः बुलाया जायेगा, ऐसा साक्ष्य तभी मंगाया जायेगा जबकि मूलतः प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में अंतर्भूत न्यूनता या त्रुटि हो.

(16) जब अनुशासिक प्राधिकारी की ओर से अपना पक्ष समाप्त कर दिया जाय, तब शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपना प्रतिवाद मौखिक या लिखित में, जैसा कि वह अधिक पसन्द करे, वर्णित करे, यदि प्रतिवाद मौखिक रूप से किया जाता है, तो वह अभिलिखित किया जाएगा और शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उस अभिलेख पर हस्ताक्षर करे, दोनों में से किसी भी मामले में और प्रतिवाद के कथन की प्रतिलिपि, नियुक्त किए गए, प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी को, यदि कोई हो, दी जाएगी.

(17) तदनन्तर शासकीय सेवक की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा, यदि वह ऐसा करना अधिक पसन्द करे तो शासकीय सेवक अपनी ओर से स्वयं की पृच्छा कर सकेगा. तदनन्तर, शासकीय सेवक द्वारा पेश किए गए साक्षियों की पृच्छा की जाएगी और वे साक्षीगण इस बात के दायित्वाधीन होंगे कि जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा उनकी प्रतिपृच्छा, पुनः पृच्छा तथा पृच्छा अनुशासिक प्राधिकारी के पक्ष के साक्षियों को लागू होने वाले उपबन्धों के अनुसार की जाय.

(18) जांचकर्ता प्राधिकारी शासकीय सेवक द्वारा अपना मामला समाप्त कर देने पर उस शासकीय सेवक को उसके विरूद्ध साक्ष्य में प्रतीत होने वाली किन्हीं भी परिस्थितियों को स्पष्ट करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन से साक्ष्य में उसके विरूद्ध प्रतीत होने वाली परिस्थितियों पर उससे साधारणतः प्रश्न कर सकेगा और उपर्युक्त रूप में साधारणतः प्रश्न तब करेगा जब कि शासकीय सेवक ने स्वयं पृच्छा न की हो.

(19) जांचकर्ता प्राधिकारी साक्ष्य का पेश किया जाना पूर्ण हो जाने के पश्चात्, नियुक्त किए गए प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी की, यदि कोई हो, तथा शासकीय सेवक की सुनवाई कर सकेगा, या उन्हें अपने–अपने मामले का लिखित निचय (ब्रीफ) फाईल करने की, यदि वे ऐसा करना चाहें, अनुज्ञा देगा.

(20) यदि वह शासकीय सेवक जिसे आरोप–पदों की प्रतिलिपि परिदत्त की गयी हो, प्रतिवाद का लिखित कथन उस प्रयोजन के लिए उल्लिखित किए गए दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत नहीं करता है, या जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित नहीं होता है या इस नियम के उपबन्धों का पालन करने में अन्य प्रकार से असफल रहता है या वैसा करने से इंकार करता है तो जांचकर्ता प्राधिकारी एकपक्षीय जांच कर सकेगा.

(21) **(क)** जहां अनुशासिक प्राधिकारी ने, जो कि नियम 10 के खण्ड (एक) से खण्ड (चार) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो, { किन्तु जो नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए सक्षम न हो } किसी भी आरोप के पदों की जांच स्वयं की हो या करवाई हो और उस प्राधिकारी की, अपने या स्वयं के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी जांचकर्ता प्राधिकारी के निष्कर्ष में से किसी भी निष्कर्ष पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यह राय हो कि नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियां शासकीय सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह प्राधिकारी जांच के अभिलेख ऐसे अनुशासिक प्राधिकारी की ओर अग्रेषित करेगा जो कि अंतिम वर्णित शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो.

Note.- New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally.

(16) When the case for the disciplinary authority is closed, the Government servant shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the Government servant shall be required to sign the record, in either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

(17) The evidence on behalf of the Government servant shall then be produced, The Government servant may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the Government servant shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witness for the disciplinary authority.

(18) The inquiring authority may, after the Government servant closes his case and shall, if the Government servant has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the Government servant to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any, appointed, and the Government servant, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(20) If the Government servant to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule, the inquiring authority may hold the inquiry ex-parte.

(21) (a) Where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 10, but not competent to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10, has itself inquired into or the articles of any charge and that authority having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the finding of any inquiring authority appointed by it, is of opinion that by penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 should be imposed on the Government servant that authority shall forward the records of the inquiry to the such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties.

(ख) वह अनुशासिक प्राधिकारी, जिसको कि अभिलेख इस प्रकार से अग्रेषित किए गए हों, अभिलेख में के साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकेगा या यदि उसकी यह राय हो कि साक्षियों में से किसी भी साक्षी की और पृच्छा न्याय के हित में आवश्यक है तो उस साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उस साक्षी को पृच्छा, प्रतिपृच्छा और पुनः पृच्छा के सकेगा और शासकीय सेवक पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जिसे कि वह इन नियमों के अनुसार उचित समझे.

(22) जब कभी कोई जांचकर्ता प्राधिकारी किसी जांच में पूरे साक्ष्य या उसके किसी भाग की सुनवाई करने तथा उसे अभिलिखित करने के पश्चात्, उसमें क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना बन्द कर दे, और उसका उत्तराधिकारी होकर कोई अन्य ऐसा जांचकर्ता प्राधिकारी आए, जिसे ऐसा क्षेत्राधिकार प्राप्त है और जो ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है तो इस प्रकार उत्तराधिकारी होकर आने वाला जांचकर्ता प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस प्रकार अभिलिखित किए गए या अंशतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित किए गए और अंशतः स्वयं द्वारा अभिलिखित किए गए साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकेगाः

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांचकर्ता प्राधिकारी की यह राय हो कि उन साक्षियों में से, जिनका कि साक्ष्य पूर्व में ही अभिलिखित किया जा चुका है, किसी भी साक्षी की ओर पृच्छा न्याय के हित में आवश्यक है, तो इसमें पूर्व उपबंधित किए गए अनुसार किन्ही भी ऐसे साक्षियों को पुनः बुला सकेगा उनकी पृच्छा, प्रतिपृच्छा तथा पुनः पृच्छा कर सकेगा.

(23) **(एक)** जांच समाप्त होने के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसमें :–

(क) आरोप पद तथा अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण;

(ख) प्रत्येक आरोप पद के सम्बन्ध में शासकीय सेवक का प्रतिवाद;

(ग) प्रत्येक आरोप पद के सम्बन्ध में साक्ष्य का निर्धारण;

(घ) प्रत्येक आरोप पद पर निष्कर्ष और उनके कारण;

अन्तर्विष्ट होंगे.

व्याख्याः––यदि जांचकर्ता प्राधिकारी की राय में, जांच की कार्यवाहियों से मूल आरोप पदों से भिन्न कोई, आरोप सिद्ध होता है, तो वह ऐसे आरोप पद पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा :

परन्तु ऐसे आरोप पद पर निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं किए जाऐंगे जब तक कि शासकीय सेवक या तो उन तथ्यों को, जिन पर ऐसा आरोप पद आधारित है, स्वीकार न कर लिया हो या उसे ऐसे आरोप पद के विरूद्ध अपना बचाव करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्राप्त न हो गया हो ;

(दो) जांचकर्ता प्राधिकारी जहां वह स्वयं अनुशासिक प्राधिकारी न हो, अनुशासिक प्राधिकारी की ओर जांच के अभिलेख भेजेगा जिनमें––

(क) खण्ड (एक) के अधीन उसके द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट;

(ख) शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवाद का लिखित कथन, यदि कोई हो;

(ग) जांच के क्रम में पेश किया गया मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य;

(घ) जांच के दौरान प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी या शासकीय सेवक द्वारा या दोनों के द्वारा फाइल किए गए लिखित निचय (ब्रीफ) यदि कोई हों; और

(ङ) जांच के सम्बन्ध में अनुशासिक प्राधिकारी तथा जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश, यदि कोई हों;

सम्मिलित होंगे.

(b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interests of justice recall the witness and examine, cross-examine and re-examine the witness and may impose on the Government Servant such penalty as it may deem fit in accordance with these rules.

(22) Whenever any inquiring authority after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction herein and is succeeded by another inquiring authority which has, and which exercises such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or party recorded by itself:

Provided that if the succeeding inquiring authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided.

(23) **(i)** after the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain-

(a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(b) the decence of the Government servant in respect of each articles of charge;

(c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;

(d) the findings on each article of charge and the reasons therefore.

Explanation.- If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish and article of charge different from the original articles of the charge, it may record its finding on such article of charge:

Provided that the finding on such article of charge shall not be recorded unless the Government servant has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The inquiring authority where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include-

(a) the report prepared by it under clause (i);

(b) the written statement of defence, if any, submitted by the Government servant;

(c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;

(d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer of the Government Servant or both during the course of the inquiry; and

(e) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.

***14–(क)** *नियम 16 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी, जहां आरोपों में भ्रष्टाचार या आचरण का कोई ऐसा आरोप अन्तर्विष्ट हो, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित होती है, वहां नियम 14 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा.*

15. जांच की रिपोर्ट पर कार्यवाही :–

(1) अनुशासिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जांचकर्ता प्राधिकारी न हो, अपने द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, उस मामले को जांचकर्ता प्राधिकारी की ओर और जांच तथा रिपोर्ट के लिये भेज सकेगा और जांचकर्ता प्राधिकारी तदुपरान्त, जहां तक हो सके नियम 14 के उपबंधों के अनुसार और जांच करने के लिए अग्रसर होगा.

(2) अनुशासिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप पद पर जांचकर्ता प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो, ऐसी असहमति के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा और ऐसे आरोप पर अपने स्वयं के निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, यदि अभिलेख में का साक्ष्य उस प्रयोजन के लिये पर्याप्त हो.

(3) यदि अनुशासिक प्राधिकारी की, समस्त आरोप पदों या किसी भी आरोप पद पर के अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुऐ, यह राय हो कि नियम *10* ****** *में* उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की जाय, तो वह नियम 16 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी शामिल अधिरोपित करने वाला आदेश देगा******किन्तु ऐसा करते समय वह कारणों को लेखबद्व करेगाः*

परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें आयोग से परामर्श करना आवश्यक है, जांच का अभिलेख अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा आयोग की ओर, उसकी मंत्रणा के लिये अग्रेषित किया जाएगा और शासकीय सेवक पर कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश देने के पूर्व ऐसी मंत्रणा पर विचार किया जाएगा.

***** (4)** *विलोपित.*

*****म.प्र.राजपत्र दि. 13.01.1984 में प्रकाशित सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–4–83–3–एक,दि.16.12.1983द्वारा नियम14–(क)जोडा गया तथा उपनियम(3)के अंत में अंतिम वाक्य''ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश देगा''के स्थान पर''किन्तु.....करेगा.''स्थापित किया गया.

****** सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–5–83–3–एक, दिनांक 23.07.1984 द्वारा नियम 15 के उपनियम (3) में शब्द ''10'' से शब्द ''में'' के बीच के शब्दों ''के खण्ड (एक) से खण्ड (चार) तक'' का लोप किया गया है. जो राजपत्र दि 03.08.1984 में प्रकाशित है.

******* सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–5–83–3–एक, दिनांक 23.07.1984 द्वारा नियम 15 के उपनियम (4) का लोप किया गया, जो जो राजपत्र दि 03.08.1984 में प्रकाशित है. उक्त शब्द तथा उपनियम (4) निम्नानुसार थे :–

''**(4)** **(एक)** यदि अनुशासिक प्राधिकारी की, समस्त आरोप –पदों या किसी भी आरोप– पद पर के अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए यह राय हो कि नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की जाय, तो वह, ––

(क) उसके द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट की तथा प्रत्येक आरोप–पद पर के अपने निष्कर्ष की प्रतिलिपि, या जहां जांच उसके द्वारा नियुक्त किये गये जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा की गयी हो, वहां ऐसे प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि और प्रत्येक आरोप–पद पर के अपने निष्कर्ष का, अपनी असहमति के संक्षिप्त कारणों समेत, यदि कोई हो विवरण के जांचकर्ता प्राधिकारी के निष्कर्ष सहित शासकीय सेवक को देगा ;

(ख) शासकीय सेवक को सूचना देगा कि जिसमें उस पर अधिरोपित किये जाने के लिये प्रस्तावित शास्ति का वर्णन होगा और जिसमें उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह सूचना की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर या पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसे और समय के भीतर, जो कि अनुज्ञात किया जाय, ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करे जिसे कि वह नियम 14 के अधीन की गयी जांच के दौरान पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर, प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध करना चाहता हो;

(दो) **(क)** ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कि आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो खण्ड (एक) के आधीन दी गयी सूचना की प्रतिलिपि तथा ऐसी सूचना के अनुसरण में दिये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के साथ जांच का अभिलेख अनुशासिक प्राधिकारी के द्वारा आयोग की ओर उसको मंत्रणा के लिए अग्रेषित किया जाएगा.

(ख) अनुशासिक प्राधिकारी शासकीय सेवक द्वारा दिये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर तथा आयोग द्वारा दी गयी मंत्रणा पर विचार करने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि शासकीय सेवक पर कौन सी शास्ति, यदि कोई हो, अधिरोपित की जाय और ऐसे आदेश देगा, जैसा कि वह उचित समझे.

(तीन) जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक न हो, वहां अनुशासिक प्राधिकारी खण्ड (एक) के अधीन दी गयी सूचना के अनुसरण में शासकीय सेवक द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करेगा और यह अवधारित करेगा कि कौन सी शास्ति, यदि कोई हो, उस (शासकीय सेवक) पर अधिरोपित की जाय और ऐसा आदेश देगा कि जैसा कि वह उचित समझे.''

*#**14-(A)** . Notwithstanding anything contained in rule 16, where the charges contain any charge of corruption or conduct involving moral turpitude, the procedure laid down in rule 14 shall be followed.*

(15). Action on the inquiry report.-

(1) The disciplinary authority if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of rule 14 as for as may be.

(2) The disciplinary authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, records its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge, if the evidence on record is sufficient for the purpose.

***(3)** If the disciplinary authority having regard to its finding on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in **rule 10* should be imposed on the Government servant, it shall, notwithstanding any thing contained in rule 16, make an order imposing such penalty* *"but in doing so it shall record reasons in writing;"*

Provided that in every case where it is necessary to consult the Commission, the record of the inquiry shall be forwarded by the disciplinary authority to the Commission for its advice and such advice shall be taken into consideration before making any order imposing any penalty on the Government servant.

$ *Rule15 sub-rule (4) shall be omitted*

Rule 14-A and at the and of sub-rule (3) of rule 14, the words i.e., from "but in ....." shall be added vide GAD Notification No. F.C-6-4-83-3-I, dated 16th December 1983, published in "Madhya Pradesh Gazette" (Ordinary), dated 13 January 1984.

*In sub-rule (3) of rule 15, the words, figures and brackets i.e. "clause (i) to (iv) of" in between the words "specified in..... rule 10" shall be omitted vide GAD Notification No. C-6-5-83-I, dated 23rd July 1984, published in "Madhya Pradesh Gazette" (Ordinary), dated 3rd August 1984.

$ The following sub-rule 15(4) shall be omitted vide GAD Notification No. C-6-5-83-3-I dated 23rd July 1984, published in "Madhya Pradesh Gazette" (Ordinary), dated 3rd August 1984:-

"(4) (i) If the disciplinary authority having regard to its finding son all or any of the articles of charge, is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 should be imposed on the Government Servant, it shall,-

(a) furnish to the Government servant copy of the report of the enquiry held by it and its findings on each article of charge or, where the inquiry has been held by an inquiring authority, appointed by it, a copy of the report of such authority and a statement of its findings on each article of charge together with brief reason for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority;

(b) give the Government servant notice stating the penalty proposed to be imposed on him and calling upon him to submit within fifteen days of receipt of the notice or such further time not exceeding fifteen days, as may be allowed, such representation as he may wish to make on the proposed penalty on the basis of the evidence adduced during the inquiry held under Rule 14;

(ii) (a) In every case in which it is necessary to consult the Commission, the record of the inquiry, together with a copy of the notice given under clause (i) and the representation made in pursuance of such notice, if any, shall be forwarded by the disciplinary authority to the Commission for its advice.

(b) the disciplinary authority shall after considering the representation, if any, made by the Government servant, and the advice given by the Commission, determine what penalty, if any, should be imposed on the Government servant and make such order as it may deem fit;

(iii) Where it is not necessary to consult the Commission the disciplinary authority shall consider the representation, if any, made by the Government servant in pursuance of the notice given to him under clause (i) and determine what penalty if any, should be imposed on him and make such order as it may deem fit.

16. लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया .——

(1) नियम 15 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुऐ, शासकीय सेवक पर, नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) तक ***तथा नियम 11** में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से किसी भी शास्ति को, अधिरोपित करने वाला कोई आदेश :——

(क) शासकीय सेवक को, उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव की तथा ऐसे अवचार या कदाचार के उन लांछनों की, जिनके आधार पर कि वह (कार्यवाही) की जाना प्रस्तावित है, लिखित इत्तिला दिये जाने के, और ऐसा अभ्यावेदन जिसे कि वह उस प्रस्ताव के विरूद्ध करना चाहे, करने के लिए, युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के;

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें कि अनुशासिक प्राधिकारी की राय यह हो कि ऐसी जांच आवश्यक है, नियम 14 के उपनियम (3) से (23) तक में दी गयी रीति में जांच करने के;

(ग) खण्ड (क) के अधीन शासकीय सेवक द्वारा दिये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को तथा खण्ड (ख) के अधीन की गयी जांच, यदि कोई हो, के अभिलेख पर विचार करने के;

(घ) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष अभिलिखित करने के; और

(ङ) जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो, वहां आयोग से परामर्श करने के,–

पश्चात् ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं.

ৎ ***(1–क)*** *उपनियम (1) के खण्ड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी, यदि किसी मामले में शासकीय सेवक द्वारा, उक्त उपनियम के खण्ड (क) के अधीन किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् वेतन वृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोका जाना प्रस्तावित किया जाय और ऐसी वेतनवृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोके जाने से शासकीय सेवक को देय पैंशन की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना हो या तीन वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये वेतनवृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोका जाना हो या किसी कालावधि के लिए संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोका जाना हो तो शासकीय सेवक पर, किसी ऐसी शास्ति को अधिरोपित करने वाला कोई आदेश करने से पूर्व नियम –14 के उपनियम (3) से (23) तक में दी गयी रीति में ऐसी जांच की जाएगी.*

(2) ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

(एक) शासकीय सेवक के विरूद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव के प्रज्ञापन की, जो कि उस शासकीय सेवक को दिया गया हो, प्रतिलिपि;

(दो) उसको दिये गये अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्रतिलिपि जो कि उसको परिदत्त की गयी हो;

---

*सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र 1514–3533–1–3–67, दिनांक 27.06.1967 द्वारा नियम 16 (1) में ''तथा नियम 11'' शब्द, अंक जोडे गये हैं, जो राजपत्र दि 07.07.1967 में प्रकाशित है.

ৎ सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–30–92–3–एक, दिनांक 22.06.1992 द्वारा नियम 16 में उपनियम (1–क) जोडा गया है, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10.07.1992 में हुआ है.

(16). Procedure for imposing minor penalties.-

(1) Subject to the provision of sub-rule (3) of rule 15, no order imposing on a Government servant any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 10 #*and rule 11* shall be made except after,-

(a) informing the Government servant in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour and which it is proposed to be taken, and given him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;

(b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-rule (3) to (23) of rule 14, in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary;

(c) taking the representation, if any, submitted by the Government servant under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into consideration:

(d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour;

(e) consulting the Commission where such consultation is necessary.

***(1-A)** *Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the Government Servant under such withholding or increments of pay or Stagnation Allowance is likely to effect adversely the amount of pension payable to the Government Servant or to withhold increments of pay or Stagnation allowance for a period exceeding three years or to withhold increments of pay or Stagnation allowance with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-rule (3) to (23) of rule 14, before making any order imposing on the Government Servant any such penalty.*

(2) The record of the proceedings in such cases shall include-

(i) a copy of the intimation to the Government servant of the proposal to take action against him;

(ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him;

#In sub-rule (1) of Rule 16, after the word and figure rule 10, words and figure "and rule 11" shall be inserted vide GAD Notification No. 1514-1533-I(iii)-67, dated 27th June 1967, published in "Madhya Pradesh Gazette" (Ordinary), dated 7th July 1967.

* In rule 16, sub rule (1-a) inserted vide GAD Notification No. C-6-30-92-3-EK, dated 22.06.92 and published in M.P. Gazette date 10.07.92.

(तीन) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो;

(चार) जांच के दौरान पेश किया गया साक्ष्य;

(पांच) आयोग की मंत्रणा, यदि कोई हो;

(छः) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष; और

(सात) मामले में दिये गये आदेश उनके कारणों सहित.

17. आदेशों का संसूचित किया जाना.——अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश शासकीय सेवक को संसूचित किये जाऐंगे और उसे अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा की गयी जांच की, यदि कोई हो, रिपोर्ट की प्रतिलिपियां आरोप के प्रत्येक पद पर उसे निष्कर्ष की प्रतिलिपियां या जहां अनुशासिक प्राधिकारी जांचकर्ता प्राधिकारी न हो, वहां जांचकर्ता प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि तथा अनुशासिक प्राधिकारी के निष्कषों का विवरण उसकी असहमति, यदि कोई हो, संक्षिप्त कारणों समेत तथा जांचकर्ता प्राधिकारी के निष्कर्षों (यदि वे उसको पूर्व में ही न दिये गये हों) सहित तथा आयोग द्वारा दी गयी मंत्रणा की, यदि कोई हो, प्रतिलिपि और जहां अनुशासिक प्राधिकारी ने आयोग की मंत्रणा प्रतिग्रहित न की हो वहां ऐसे अप्रतिग्रहण के कारणों का संक्षिप्त विवरण भी दिया जाएगा.

18. सामान्य (कामन) कार्यवाही.——

(1) जहां किसी मामले में दो या अधिक शासकीय सेवक संबंधित हों, वहां राज्यपाल या कोई अन्य प्राधिकारी जो कि ऐसे समस्त शासकीय सेवकों पर सेवा से पदच्युत करने की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हों, यह निदेश देते हुए आदेश दे सकेगा कि उन समस्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही सामान्य (कामन) कार्यवाही में की जा सकेगी.

• *परन्तु इस नियम के अधीन राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न्यायिक अधिकारियों के मामले में, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाएगा.*

टिप्पण.——यदि ऐसे शासकीय सेवकों पर पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भिन्न–भिन्न हों, तो सामान्य (कामन) कार्यवाही में अनुशासिक कार्यवाही करने का आदेश ऐसे प्राधिकारियों में से उच्चतम प्राधिकारी द्वारा अन्य प्राधिकारियों की सम्मति से दिया जा सकेगा.

(2) नियम 12 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुऐ, ऐसे किसी आदेश में निम्नलिखित बातें उल्लिखित की जायेंगी :——

(एक) वह प्राधिकारी, जो ऐसी सामान्य (कामन) कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा.

(दो) नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियां जिन्हें कि अधिरोपित करने के लिए ऐसा अनुशासिक प्राधिकारी सक्षम होगा; और

(तीन) यह कि क्या नियम 14 तथा नियम 15 तथा नियम 16 में दी गयी प्रक्रिया का कार्यवाही में अनुसरण किया जाएगा.

• नियम 18(1) के पश्चात् परन्तुक सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–3–98–3–एक, दिनांक 20.05.1998 द्वारा जोडा गया है, जो राजपत्र दिनांक 21.05.1998 में प्रकाशित है.

(iii) his representation, if any;

(iv) the evidence produced during the inquiry;

(v) the advice of the Commission, if any;

(vi) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; and

(vii) the orders on the case together with the reasons therefore.

17. Communication of orders.- Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the Government servant who shall also be supplied with a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority and a copy of its findings on each article of charge, or, where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the report of the inquiring authority and a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its dis-agreement, if any, with the findings of the inquiring authority (unless they have already been supplied to him) and also a copy of the advice, if any given by the Commission and, where the disciplinary authority, has not accepted the advice of the Commission, a brief statement of the reasons for such non-acceptance.

18. Common Proceedings.-

(1) Where two or more Government servants are concerned in any case, the Governor or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such Government servant may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceedings.

** Provided that the powers conferred on the Governor under this rule shall in case of Judicial officers, be exercised by the chief justice.*

Note.- If the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such Government servant are different, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 12, any such order shall specify-

(i) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceedings;

(ii) the penalties specified in rule 10 which such disciplinary authority shall be competent to impose;

(iii) whether the procedure laid down in rule 14 and rule 15 or rule 16 shall be followed in the proceeding.

---

* The proviso of rule 18(1) inserted vide GAD Nonfiction No. C-6-3-98-3-I, dated 20.05.98 and published in M.P. Gazette date 21.05.98.

19. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया—नियम 14 से नियम 18 तक में अर्न्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी :–

(एक) जहां किसी शासकीय सेवक पर, ऐसे आचरण के आधार पर जिसके कि परिणामस्वरूप उसे किसी दाण्डिक आरोप के सम्बन्ध में सिद्धदोष ठहराया गया हो, कोई शास्ति अधिरोपित की गई हो; या

(दो) जहां अनुशासिक प्राधिकारी का उसके द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाय कि इन नियमों में उपबंधित की गई रीति में जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है; या

(तीन) जहां राज्यपाल का समाधान हो जाय कि राज्य की सुरक्षा के हित में इन नियमों में उपबंधित की गयी रीति में कोई जांच करना इष्टकर नहीं है;

वहां अनुशासिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और उस पर ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे कि वह उचित समझे :

परन्तु इस नियम के अधीन किसी भी मामले में कोई आदेश देने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जाएगा जहां कि ऐसा परामर्श आवश्यक हो.

20. संघ सरकार या किन्हीं भी अन्य राज्य शासनों या किसी अधीनस्थ या स्थानीय प्राधिकरण आदि को उधार दिए गए पदाधिकारियों के सम्बन्ध में उपबन्ध :–

(1) जहां किसी शासकीय सेवक की सेवायें एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को या संघ सरकार या किसी अन्य राज्य शासन या उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकरण को या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को (जो इस नियम में इसके पश्चात् ''उधार लेने वाले प्राधिकरण'' के नाम से निर्दिष्ट है) उधार दी गयी हों, वहां उधार लेने वाले प्राधिकरण को ऐसे शासकीय सेवक को निलम्बित करने के प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की ओर उसके विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए अनुशासिक प्राधिकारी की शक्तियां प्राप्त होंगी :

परन्तु उधार लेने वाला प्राधिकरण, उस प्राधिकरण को, जिसने कि शासकीय सेवक की सेवायें उधार दी हों (जो इस नियम में इसके पश्चात् ''उधार देने वाले प्राधिकरण'' के नाम से निर्दिष्ट है), उन परिस्थितियों की तत्काल सूचना देगा जिनके कारण यथास्थिति शासकीय सेवक को निलम्बित करने के या अनुशासिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश दिए गए हों.

(2) शासकीय सेवक के विरूद्ध की गयी अनुशासिक कार्यवाही के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए–

(एक) यदि उधार लेने वाले प्राधिकरण की यह राय हो कि नियम 10 के खण्ड (एक) से खण्ड (चार) तक में उल्लिखित की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की जाय, तो वह उधार देने वाले प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात् मामले में ऐसे आदेश देगा जैसे कि वह आवश्यक समझे :

परन्तु उधार लेने वाले प्राधिकरण तथा उधार देने वाले प्राधिकरण की राय में भिन्नता होने की दशा में शासकीय सेवक की सेवायें उधार देने वाले प्राधिकरण के अधिकार में पुनः दे दी जायेंगी;

(दो) यदि उधार लेने वाले प्राधिकरण की यह राय हो कि नियम 11 में उल्लिखित की गयी शास्ति चतुर्थ श्रेणी का शासकीय सेवा के किसी सदस्य पर अधिरोपित की जाय तो वह उधार देने वाले प्राधिकरण से परामर्श किये बिना ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा;

19. **Special procedure in certain cases.-** Notwithstanding anything contained in rule 14 to rule 18-

(i) where any penalty is imposed on a Government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge, or

(ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules; or

(iii) where the Governor is satisfied that in the interest of the security of the State, it is not expedient to hold any inquiry in the manner provided in these representations,

the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit:

Provided that the Commission shall be consulted where such consultation is necessary, before any orders are made in any case under this rule.

20. **Provisions regarding officers lent to the Union or any other State Government or any subordinate or Local Authority, etc.-**

(1) Where the services of a Government servant are lent by one department to another department or to the Union Government or to any other State Government or any authority subordinate there to or to a local or other authority (hereinafter in this rule referred to as "the borrowing authority"), the borrowing authority shall have the powers of the appointing authority for the purpose of placing such Government servant under suspension and of the disciplinary authority for the purpose of conducting a disciplinary proceeding against him:

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the authority which lent the services of the Government servant (hereinafter in this rule referred to as "the lending authority") of the circumstances leading to the order of suspension of such Government servant or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceedings conducted against the Government servant-

(i) If the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 10 should be imposed on the Government servant, it may, after consultation with the lending authority, make such orders on the case as it deems necessary:

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of the Government servant shall be replaced at the disposal of the lending authority;

(ii) If the borrowing authority is of the opinion that a penalty specified in rule 11 should be imposed on any member of class IV Government servant, it may impose such penalty without consulting the lending authority;

(तीन) यदि उधार लेने वाले प्राधिकरण की यह राय हो कि नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की जाए, तो वह उसकी सेवायें उधार देने वाले प्राधिकरण के अधिकार में पुनः दे देगा तथा जांच की कार्यवाहियां उसकी ओर भेज देगा और तदुपरांत उधार देने वाला प्राधिकारी, यदि वह अनुशासिक प्राधिकारी हो, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे, या यदि वह अनुशासिक प्राधिकारी न हो, तो वह मामला अनुशासिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो कि मामले में ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश पारित करने के पूर्व अनुशासिक प्राधिकारी नियम 15 के उपनियम (3) तथा (4) के उपबन्धों का अनुपालन करेगा.

व्याख्या :– अनुशासिक प्राधिकारी, उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे गये जांच के अभिलेख पर, या जहां तक हो सके नियम 14 के अनुसार ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, इस खण्ड के अधीन आदेश दे सकेगा.

21. संघ सरकार या अन्य राज्य शासनों आदि से उधार लिए गए पदाधिकारियों के सम्बन्ध में उपबन्ध :–

(1) जहां किसी शासकीय सेवक के जिसकी सेवायें एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से या संघ सरकार से या किसी अन्य राज्य शासन से या उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकरण से अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से उधार ली गयी हों, विरूद्ध निलम्बन का आदेश दिया गया हो या कोई अनुशासिक कार्यवाही की गयी हो, वहां उसकी सेवायें उधार देने वाले प्राधिकरण को (जो इस नियम में इसके पश्चात् ''उधार देने वाले प्राधिकरण'' के नाम से निर्दिष्ट है) उस परिस्थितियों की, जिनके परिणामस्वरूप यथास्थिति शासकीय सेवक को निलम्बित करने या उसके विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश दिये गये हों, जानकारी तत्काल दी जाएगी.

(2) शासकीय सेवक के विरूद्ध की गयी अनुशासिक कार्यवाहियों के निष्कर्षों के प्रकाश में, यदि अनुशासिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति उस पर अधिरोपित की जाये, तो वह नियम 15 के उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उधार देने वाले प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे :–

(एक) परन्तु उधार लेने वाले प्राधिकारी और उधार देने वाले प्राधिकारी की राय भिन्नता होने की दशा में शासकीय सेवक की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के अधिकार में पुनः दे दी जायेंगी;

(दो) यदि अनुशासिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की जाए, तो वह ऐसे शासकीय सेवक की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के अधिकार में पुनः दे देगा तथा उसकी ओर जांच की कार्यवाहियां ऐसी कार्यवाही के हेतु, जैसी कि वह आवश्यक समझे, भेज देगा.

(iii) If the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 should be imposed on the Government servant, it shall replace his services at the disposal the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry and thereupon the lending authority may, if it is the disciplinary authority, pass such orders thereon as it may deem necessary or, if it is not the disciplinary authority, submit the case to the disciplinary authority which shall pass such orders on the case as it may deem necessary:

Provided that before passing any such order the disciplinary authority shall comply with the provision of sub-rules (3) and (4) of rule 15.

Explanation. -The disciplinary authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted to it by the borrowing authority, or after holding such further inquiry as it may deem necessary, as far as may be, in accordance with rule 14.

21. Provisions regarding officers borrowed from Union or other State Government etc.-

(1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is conducted against a Government servant whose services have been borrowed by one department from other department or from the Union Government or any other State Government or an authority subordinate thereto or a local or other authorities, the authority leading his services (herein after in this rule referred to as "the lending authority") shall forthwith be informed of the circumstances lending to the order of the suspension of the Government servant or of the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding conducted against the Government servant if the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 10 should be imposed on him, it may subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 15, after consultation with the lending authority, pass such orders on the case as it may deem necessary:-

(i) provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority the services of the Government servant shall be replaced at the disposal of the lending authority;

(ii) If the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (iv) to (ix) of rule 10 should be imposed on the Government servant, it shall replace the services of such Government servant at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action as it may deem necessary.

सातवां भाग–अपील

22. आदेश, जिनके कि विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है :– इस भाग में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी,––

(एक) राज्यपाल द्वारा दिये गये किसी भी आदेश के;

(दो) किसी भी ऐसे आदेश के जो अन्तःकालीन स्वरूप का या किसी अनुशासिक कार्यवाही के अंतिम निपटारे के लिये सहायक उपाय के स्वरूप का हो;

***(दो–क)** *नियम 11 के अधीन दिये गये किसी आदेश के ;*

(तीन) नियम 14 के अधीन जांच के अनुक्रम में जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी आदेश के;

π(चार) *अपीलीय प्राधिकारी के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया कोई आदेश के;*

विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी.

23. आदेश, जिनके कि विरूद्ध अपील होती है :– नियम 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुऐ, शासकीय सेवक निम्नलिखित समस्त आदेशों के या उनमें से किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा, अर्थात् :–

(एक) नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने वाला आदेश, चाहे वह अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा या किसी अपीलीय या पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो;

(दो) नियम 10 के अधीन अधिरोपित की गयी किसी भी शास्ति में वृद्धि करने वाला आदेश;

• ***(तीन)*** *नियम 9 के अधीन किया गया अथवा किया गया समझा गया निलम्बन का आदेश.*

व्याख्या :––इस नियम में अभिव्यक्ति ''शासकीय सेवक'' में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो अब शासकीय सेवा में नहीं रहा हो.

24. अपीलीय प्राधिकारी :––

(1) शासकीय सेवक, जिसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो अब शासकीय सेवा में नहीं रहा है, नियम 23 में उल्लिखित किये गये समस्त आदेशों के या उनमें से किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील उस प्राधिकारी को, जो कि या तो अनुसूची में या राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में उल्लिखित किया गया हो, या जहां ऐसा कोई प्राधिकारी उल्लिखित नहीं किया गया हो, तो वह––

(एक) जहां ऐसा शासकीय सेवक प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की राज्य सिविल सेवा का सदस्य हो या था या प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के किसी राज्य सिविल पद का धारक हो या था––

*****नियम 22 का खण्ड (2–क) सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र 1514–3533–एक–3–67, दि 27.06.1967 द्वारा जोडा गया है जो राजपत्र दि 07.07.1967 में प्रकाशित है.

π नियम 22 का खण्ड (चार) सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–3–98–3–एक दि 20.05.1998 द्वारा जोडा गया है जो राजपत्र दि 21.05.1998 में प्रकाशित है.

• नियम 23 का खण्ड (तीन) सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–5–6–87–3–49 दि 01.10.1988 द्वारा जोडा गया है जो राजपत्र दि 28.10.1988 में प्रकाशित है.

PART-VII_APPEALS

22. **Orders against which no appeal lies**.-Notwithstanding anything contained in this part, no appeal shall lie against,-

(i) any order made by the Governor;

(ii) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-in-aid for the final disposal of a disciplinary proceeding;

***** ***(ii-a)*** *any order passed under rule 11.*

(iii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under rule 14.

***(iv)*** *any order passed by the High Court as an Appellate Authority.*

23. Orders against which appeal lies.- Subject to the provisions of rule 22, a Government servant may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely;-

(i) an order imposing any of the penalties specified in rule 10 whether made by the disciplinary authority or by any appellate or reviewing authority;

(ii) an order enhancing any penalty, imposed under rule 10;

©*(iii)* *an order of suspension made or deemed to have been made under rule 9.*

Explanation.- In this rule the expression " Government servant" includes a person who has ceased to be in Govt. service.

24. Appellate authorities.-

(1) A Government servant including a person who has ceased to be in Government service, may prefer an appeal against all or any of the orders specified in rule 23 to the authority specified in this behalf either in Schedule or by a general or special order of the Governor or, where on such authority is specified,

(i) Where such Government servant is or was a member of a State Civil Service Class I or Class II or holder of a State Civil post, Class I or Class II-

---

* In Rule 22 after clause (ii), the clause "(ii-a)" shall be inserted vide GAD Notification No. 1514-3533-I (iii)-67, dated 27th June 1967, published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 7th July 1967.

In Rule 22 after clause (iii), the clause "(iv)" shall be inserted vide GAD's Notification No C-6-3-98-3-ek, dated 20th May 1998, published in Madhya Pradesh Gazette dated 21th May 1998.

© The clause (iii) of rule 23 shall be inserted inserted vide GAD's Notification No C-5-6-87-3-49, dated 01-10-1988, published in Madhya Pradesh Gazette dated 28-10-1988.

(क) नियुक्ति प्राधिकारी को, जहां वह आदेश, जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी है, उसके अधीनस्थ प्राधिकारी ने दिया हो; या

(ख) राज्यपाल को, जहां ऐसा आदेश किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो.

(दो) जहां ऐसा शासकीय सेवक तृतीय या चतुर्थ श्रेणी की राज्य सिविल सेवा का सदस्य हो या था या तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के, राज्य सिविल पद का धारक हो या था वहां उस प्राधिकारी को, जिसके कि ठीक अधीनस्थ वह प्राधिकारी हो जिसने कि वह आदेश दिया हो जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी हो,

कर सकेगा.

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी.––

(एक) नियम 18 के अधीन की गयी किसी सामान्य (कामन) कार्यवाही में के किसी आदेश के विरूद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसके कि ठीक अधीनस्थ वह प्राधिकारी हो जो उस कार्यवाही के प्रयोजन के लिये अनुशासिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो;

(दो) जहां वह व्यक्ति, जिसने वह आदेश दिया हो, जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी है, अपनी पश्चात्वर्ती नियुक्ति के आधार पर या अन्यथा, ऐसे आदेश के सम्बन्ध में अपीलीय प्राधिकारी हो जाये, वहां ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसके कि ठीक अधीनस्थ ऐसा व्यक्ति हो.

25. अपीलों के लिए अवधिकाल :–– इस विभाग के अधीन की गयी कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी अपील उस दिनांक से, जिसको कि अपीलार्थी को उस आदेश की जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी हो, प्रतिलिपि दी गयी है, 45 दिन की कालावधि के भीतर न की जाये :

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी उक्त कालावधि के समाप्त होने के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाये कि अपीलार्थी के पास, अपील समय पर न प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त कारण था.

26. अपील का प्रारूप तथा उसकी विषय–वस्तु.––

(1) अपील करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपील प्रथक रूप से तथा अपने स्वयं के नाम से करेगा.

(2) अपील उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसको कि अपील होती हो, अपील की एक प्रतिलिपि अपीलार्थी द्वारा उस प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसने कि वह आदेश दिया हो जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी हो. उसमें वे समस्त सारवान कथन तथा तक्र अन्तर्विष्ट होंगे जिन पर कि निर्भर हो उसमें कोई भी असम्मानपूर्ण या अनुचित भाषा नहीं होगी तथा वह स्वयंमेव पूर्ण होगी.

(3) वह प्राधिकारी जिसने ऐसा आदेश दिया हो, जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी है. अपील की एक प्रति प्राप्त होने पर, उसे उस पर अपनी टिप्पणी के साथ तथा सुसंगत अभिलेखों के साथ अपरिहार्य विलम्ब के बिना तथा अपीलीय प्राधिकारी से किसी निर्देश की प्रतीक्षा न करते हुऐ, अपीलीय प्राधिकारी की ओर अग्रेषित करेगा.

(a) to the appointing authority, where the order appealed against is made by an authority subordinate to it; or

(b) to the Government, where such order is made by any other authority.

(ii) where such Government servant is or was a member of a State Civil Service Class III or Class IV or holder of a State Civil Post, Class III or Class IV, to the authority to which the authority making the order appealed against is immediately subordinate.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1),-

(i) an appeal against an order in a common proceeding held under rule 18 shall lie to the authority to which the authority functioning as the disciplinary authority for the purpose of that proceeding in immediately subordinate.

(ii) where the person who made the order appealed against becomes by virtue of his subsequent appointment or otherwise, the appellate authority in respect of such order, an appeal against such order shall lie to the authority to which such person is immediately subordinate.

25. Period of limitation for appeals..-

No appeal preferred under this part shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of forty five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant;

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

26. Form and contents of appeal..-

(1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name.

(2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be completed in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall in receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay and without waiting for any direction from the appellate authority.

**27. अपील पर विचार.—*

(1) निलम्बन आदेश के विरूद्ध की गयी अपील की दशा में अपीलीय प्राधिकारी नियम 9 के उपबंधों को एवं प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुऐ यह विचार करेगा कि क्या निलम्बन आदेश न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार ऐसे आदेश की पुष्टि करेगा या उसे प्रतिसंहृत करेगा.

(2) नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाला या उक्त नियम के अधीन अधिरोपित की गयी किसी शास्ति में वृद्धि करने वाले आदेश के विरूद्ध की गयी अपील के मामले में, अपीलीय प्राधिकारी यह विचार करेगा कि–

(क) क्या इन नियमों में दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है, और यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन न किये जाने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के किन्हीं अपबंधों का अतिक्रमण हुआ है या न्याय विफल हुआ है;

(ख) क्या अनुशासिक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलेख पर के साक्ष्य द्वारा प्रमाणित हैं; और

(ग) क्या अधिरोपित की गयी शास्ति या बढायी गयी शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है; और––

(एक) शास्ति की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि करने, उसमें कमी करने या उसे अपास्त करने में; या

(दो) उस मामले को ऐसे प्राधिकारी की ओर, जिसने कि शास्ति अधिरोपित की हो या उसमें वृद्धि की हो या किसी अन्य प्राधिकारी की ओर, ऐसे निदेश सहित जैसे कि वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भेजने के,

आदेश पारित करेगा :

परन्तु––

(एक) उन समस्त मामलों में आयोग से परामर्श किया जायेगा जहां कि ऐसा परामर्श आवश्यक हो;

#(दो) *यदि बढाई गयी शास्ति, जिसे अधिरोपित करना अपीलीय प्राधिकारी प्रस्तावित करे, नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से एक शास्ति हो तथा मामले में नियम 14 के अधीन जांच पूर्व में न की गयी हो, तो अपीलीय प्राधिकारी, नियम 19 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुऐ, स्वयं ऐसी जांच करेगा या यह निदेश देगा कि ऐसी जांच नियम 14 के उपबंधों के अनुसार की जाये और उसके पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाहियों पर विचार करके ऐसे आदेश देगा जैसे कि वह उचित समझे.*

***** सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–5–6–87–3–49 दि 01.10.1988 जो राजपत्र दि 28.10.1988 में प्रकाशित है.द्वारा विद्यमान नियम 27 को उसके उपनियम (2) के रूप में क्रमांकित कर उसके पूर्व उपनियम (1) स्थापित किया गया.

नियम 27 के परन्तुक के खण्ड (दो) के स्थान पर नया खण्ड सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क सी–6–5–83–3–एक, दि 23.07.1984 द्वारा स्थापित किये गये हैं. यह अधिसूचना दि 03.08.1984 के राजपत्र में प्रकाशित है. पूर्व के खण्ड (दो) के प्रावधान निम्नानुसार थे :–

''(दो) यदि बढाई गयी शास्ति, जिसे अधिरोपित करना अपीलीय प्राधिकारी प्रस्तावित करे, नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से एक शास्ति हो तथा मामले में नियम 14 के अधीन जांच पूर्व में न की गयी हो, तो अपीलीय प्राधिकारी, नियम 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्वयं ऐसी जांच करेगा या यह निदेश देगा कि ऐसी जांच नियम 14 के उपबंधों के अनुसार की जाय और उसके पश्चात्, ऐसी जांच की कार्यवाहियों पर विचार करने तथा अपीलार्थी को, ऐसी जांच के दौरान पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित की गयी शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जहां तक हो सके, नियम 15 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार देने के पश्चात् ऐसे आदेश देगा जैसे कि वह उचित समझे;''

****27 *Consideration of appeal-***

(1) *In the case of an appeal against, an order of suspension, the Appeallate authority shall consider whether in the light of provisions of rule 9 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm revoke the order, accordingly.*

(2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 10 or enhancing any penalty imposed under the said rule, the appellate authority shall consider;-

(a) whether the procedure laid down in these rules has been complied with and if not, whether such non-compliance has resulted in the violation of any provisions of the Constitution of India or in the failure of Justice;

(b) whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence on the record; and

(c) Whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate, inadequate or severe; and pass orders-

(i) confirming, enhancing, reducing, or setting aside the penalty; or

(ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case:

Provided that-

(i) the Commission shall be consulted in all cases where such consultation is necessary;

£(ii) *If the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 and an inquiry under rule 14 has not already been held in the case, the appellate authority shall, subject to the provisions of rule 19, itself hold such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of rule 14 and thereafter on consideration of the proceedings of such inquiry, make such orders as it may deem fit.*

** In rule 27, sub rule (1), inserted and existed sub rule renumbered as sub rule (2) vide GAD Notification No.C-5-6-87-3-XLIX, dated 1.10.88 and published in M.P. Gazette 28.10.88.

£ Clause (ii), in proviso to rule 27, shall be substituted vide GAD's Notification No. C-6-5-83-1, dated 23rd July 1984, published in "Madhya Pradesh Gazette" (Ordinary), dated 3rd August 1984.

Note.-To find out the previous clause (ii), the following sentences shall be inserted before the last sentence i.e. "make such orders as it may deem fit" is amended clause-

"and after giving the appellant a reasonable opportunity, as far as may be, in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 15, of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry".

#(तीन) *यदि बढाई गयी शास्ति, जिसे अधिरोपित करना या अपीलीय प्राधिकारी प्रस्तावित करे, नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से एक शास्ति हो, और मामले में नियम 14 के अधीन जांच पहले ही की जा चुकी हो, तो अपीलीय प्राधिकारी, अपीलार्थी को, प्रस्तावित की गयी शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश देगा जैसे कि वह उचित समझे; और*

(चार) बढाई गयी शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश किसी भी अन्य मामले में तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि अपीलार्थी को ऐसी बढाई गयी शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जहां तक हो सके, नियम 16 के उपबंधों के अनुसार न दे दिया गया हो.

28. अपील में दिये गये आदेशों का कार्यान्वयन.——वह प्राधिकारी, जिसने वह आदेश दिया हो जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी है, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेशों को प्रभावी बनाएगा.

———————————————————————————————————————

नियम 27 के परन्तुक के खण्ड (तीन) के स्थान पर नया खण्ड सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क सी–6–5–83–3–एक, दि 23. 07.1984 द्वारा स्थापित किये गये हैं. यह अधिसूचना दि 03.08.1984 के राजपत्र में प्रकाशित है. पूर्व के खण्ड (तीन) के प्रावधान निम्नानुसार थे :–

''(तीन) यदि बढाई गयी शास्ति, जिसे अधिरोपित करना अपीलीय प्राधिकारी प्रस्तावित करे, नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से एक शास्ति हो, तथा मामले में नियम 14 के अधीन जांच पहले ही की जा चुकी हो, तो अपीलीय प्राधिकारी, अपीलार्थी को, जांच के दौरान पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित की गयी शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जहां तक हो सके, नियम 15 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार देने के पश्चात् ऐसे आदेश देगा जैसे कि वह उचित समझे; और''

***(iii)** *If the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 and an inquiry under rule 14 has already been held in the case, the appellate authority shall, after giving the appellant a reasonable opportunity of making representation against the penalty proposed make such orders as it may deem fit.*

(iv) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable opportunity, as for as may be, in accordance with the provisions of rule 16, of making a representation against such enhanced penalty.

28. Implementation or orders in appeal.- The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority.

***** Clause (iii), in proviso to rule 27, shall be substituted vide GAD Notification No. C-6-5-83-3-I dated the 23rd July 1984, published in "Madhya Pradesh Gazette" (Ordinary), dated the 3rd August 1984.

Note.- To find out previous clause (iii), the following sentences should be inserted in the amended clause in between the words "opportunity.....of making" and in between the words "proposed.....make such" respectively-

"as for as may be in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 15".

"on the basis of the evidence adduced during the inquiry".

आठवां भाग–पुनर्विलोकन

29. पुनर्विलोकन :–

(1) ***** *नियम 11 को छोड़कर* इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी.––

(एक) राज्यपाल, या

(दो) विभाग का अध्यक्ष, जो सीधा राज्य शासन के अधीन हो, ऐसे विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन किसी विभाग या कार्यालय (जो सचिवालय न हो) में सेवा करने वाले शासकीय सेवक के मामले में, या

(तीन) अपीलीय प्राधिकारी, उस आदेश के, जिसका कि पुनर्विलोकन किया जाना प्रस्तावित है, दिनांक से छः मास के भीतर, या

(चार) कोई अन्य प्राधिकारी, जो राज्यपाल द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में, उल्लिखित किया गया हो, और ऐसे समय के भीतर, जो कि ऐसे सामान्य या विशेष आदेश में विहित किया जाय;

किसी भी समय, या तो स्व–प्रेरणा से या अन्यथा, किसी भी जांच के अभिलेख मंगा सकेगा/सकेंगे और इन नियमों के अधीन या नियम 34 द्वारा निरस्त किये गये नियमों के अधीन दिये गये ऐसे किसी भी आदेश का, जिसके कि विरूद्ध अपील अनुज्ञात है किन्तु कोई अपील नहीं की गयी हो या जिसके विरूद्ध कोई अपील अनुज्ञात नहीं हो, पुनर्विलोकन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, जहां कि ऐसा परामर्श किया जाना आवश्यक हो, कर सकेगा, और ––

(क) आदेश की पुष्टि कर सकेगा/सकेंगे, उसे रूपभेदित कर सकेगा/सकेंगे, या उसे अपास्त कर सकेगा/सकेंगे; या

(ख) उस आदेश द्वारा अधिरोपित की गयी शास्ति की तुष्टि कर सकेगा/सकेंगे, उसमें कमी कर सकेगा/सकेंगे, या उसमें वृद्धि कर सकेगा/सकेंगे या उसे अपास्त कर सकेगा/सकेंगे या जहां कोई भी शास्ति अधिरोपित नहीं की गयी हो, वहां कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा/सकेंगे; या

(ग) मामले को, उस प्राधिकारी की ओर जिसने कि वह आदेश दिया हो या किसी अन्य प्राधिकारी की ओर ऐसे प्राधिकारी को ऐसी और जांच, जैसी कि वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझे, करने के निदेश देते हुऐ भेज सकेगा;

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिसे कि वह उचित समझे.

^ ***स्पष्टीकरण–एकः–*** *इस उपनियम के अधीन राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियां, जिला न्यायालय या उसके एवं अधीनस्थ न्यायालय में सेवा करने वाले तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवक के मामले में, मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग में लाई जायेंगी.*

~ *स्पष्टीकरण–दोः–* *इस नियम के अधीन राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न्यायिक अधिकारियों के मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा.*

***** शब्द तथा अंक ''नियम 11 को छोड़कर'' सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क 1514–3533–1–3–67, दि. 27.06.1967 द्वारा जोडे गये, जो राजपत्र दि 07.07.1967 में प्रकाशित है.

^ नियम 29 के पश्चात् स्पष्टीकरण सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र 1204–3195–1–3–66,दि 17.05.1967 द्वारा जोडा गया.

~ सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–3–98–3–एक दि 20.05.1998 द्वारा पूर्व स्पष्टीकरण को क्रमांकित 'एक' कर ''स्पष्टीकरण–दो'' स्थापित किया गया है जो राजपत्र दि 21.05.1998 में प्रकाशित है.

PART VIII.-REVIEW

29. Review:-

(1) Notwithstanding anything contained *#"in these rules except rule 11"-*

(i) the Governor, or

(ii) the head of a department directly under the State Government, in the case of a Government servant serving in a department or office (not being the Secretariat), under the control of such head of a department, or

(iii) the appellate authority, within six months of the date of the order proposed to be reviewed, or

(iv) any other authority specified in this behalf by the Governor by a general or special order, and within such time as may be prescribed in such general or special order;

may at any time, either on his or its own motion or otherwise call for the records of any inquiry and review any order made under these rules or under the rules repealed by rule 34 from which an appeal is allowed but from which no appeal has been preferred or from which no appeal is allowed, after consultation with the commission where such consultation is necessary, and may-

(a) confirm, modify or set aside the order; or

(b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed or;

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or

(d) pass such other orders as it may deem fit ;

*** Explanation.-** ***I*** The powers conferred on the Governor under this sub-rule shall, in the case of a class III or class IV Government servant serving in a district court or a court subordinate thereto, be exercised by the Chief Justice;

*** **Explanation-II** The powers conferred on the Governor under this rule shall, in the case of Judicial officers be exercised by the High Court.*

In sub-rule (1) of rule 29, for the words "in these rules" the words and figures "in these rules except rule 11" shall be substituted vide GAD Notification No. 1514-3533-i (iii)-67 dated the 27th June 1967, published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Ordinary), dated the 7th July 1967.

* In rule 29 of the said Rules, below sub-rule (1), the explanation shall be inserted vide GAD Notification No. 1204-3195-I (iii)-67, dated 17th May 1967.

**Explanation II shall be inserted after explanation I, vide GAD's notification C-6-3-98-3-1, dated 20-05-1998 and published in MP Gazette dated 21-05-1998

परन्तु किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाला या बढाने वाला कोई भी आदेश पुनर्विलोकन करने वाले किसी भी प्राधिकारी द्वारा तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि सम्बन्धित शासकीय सेवक को प्रस्तावित की गयी शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और जहां नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करना या उस आदेश द्वारा, जिसका पुनर्विलोकन चाहा गया है, अधिरोपित की गयी शास्ति को उन्हीं खण्डों में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से किसी शास्ति तक बढाना प्रस्तावित है, वहां ऐसी शास्ति नियम 14 में दी गयी रीति में जांच करने के पश्चात् *तथा जहां आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक हो, वहां ऐसा परामर्श लेने के पश्चात् ही अधिरोपित की जाएगी, अन्यथा नहीं :

परन्तु यह और भी कि पुनर्विलोकन की किसी भी शक्ति का प्रयोग विभाग के अध्यक्ष द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि––

(एक) वह प्राधिकारी, जिसने अपील में आदेश दिया हो, या

(दो) जहां कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी हो, वहां वह प्राधिकारी जिसे अपील प्रस्तुत की जाती,

उसका अधीनस्थ न हो.

(2) पुनर्विलोकन के लिए कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि,––

(एक) अपील के लिये अवधि काल समाप्त न हो जाय; या

(दो) जहां ऐसी अपील प्रस्तुत कर दी गयी है, वहां उसका निपटारा न हो जाय.

(3) पुनर्विलोकन के आवेदन पत्र पर उसी रीति में कार्यवाही की जाएगी मानो कि वह इन नियमों के अधीन अपील हो.

———————————————————————————————————————

* नियम 29 के उपनियम (1) के परन्तुक में शब्द ''के पश्चात्.'' से ''तथा जहां'' के बीच के वाक्यांश का सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–5–83–3–1, दिनांक 23.07.1984 द्वारा लोप किया गया है. विलोपित वाक्यांश निम्नानुसार था :–

''तथा सम्बन्धित शासकीय सेवक को जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित की गयी शास्ति के विरूद्ध कारण बतलाने का युक्तियुक्त अवसर लेने के पश्चात्''

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any reviewing authority unless the Government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it has proposed to impose any of the penalties specified in clauses (V) to (IX) of rule 10 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the penalties specified in those clauses, no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in rule 14 * and except after consultation with the commission where such consultation is necessary:

Provided further that no power to review shall be exercised by the head of department unless-

(i) the authority which made the order in appeal, or

(ii) the authority to which an appeal would lie, where no appeal has been preferred, is subordinate to him.

(2) No proceeding for review shall be commenced until after-

(i) the expiry of the period of limitation for an appeal; or

(ii) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred.

(3) An application for review shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these rules.

---

* In proviso to sub-rule (1), in rule 29 the words **"and after giving a reasonable opportunity to the Government servant concerned of showing cause against the penalty proposed on the sentence adduced during .the inquiry"** shall be omitted vide GAD Notification No. C-6-5-83-3-I, dated 23rd July 1984, published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 3rd August 1984.

नवां भाग–प्रकीर्ण

30. आदेशों, सूचनाओं आदि की तामील,––इन नियमों के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, या जारी की गयी प्रत्येक सूचना तथा अन्य आदेशिका की तामील सम्बन्धित शासकीय सेवक पर व्यक्तिशः की जाएगी या वह उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित की जाएगी.

31. समयावधि को शिथिल करने तथा विलम्ब को दरगुजार करने की शक्ति.––इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर, इन नियमों के अधीन कोई आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी, अच्छे तथा पर्याप्त कारणों से या पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर, इन नियमों के अधीन किये जाने के लिए अपेक्षित किसी भी बात के लिए इन नियमों में उल्लिखित किये गये समय में वृद्धि कर सकेगा या किसी विलम्ब को दरगुजार कर सकेगा.

32. आयोग की मंत्रणा की प्रतिलिपि का दिया जाना.––जब कभी इन नियमों में उपबंधित किये गये अनुसार आयोग से परामर्श किया जाय तब आयोग द्वारा दी गयी मंत्रणा की प्रतिलिपि और जहां ऐसी मंत्रणा प्रतिग्रहित नहीं की गयी हो, वहां ऐसे अप्रतिग्रहण के लिए कारणों का एक संक्षिप्त विवरण भी उस मामले में पारित किये गये आदेश की प्रतिलिपि सहित, आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित शासकीय सेवक को दिया जाएगा.

33. संक्रमणकालीन उपबंध.––इन नियमों के प्रारम्भ होने पर तथा उनके प्रारम्भ से और इन नियमों के अधीन अनुसूचियों के प्रकाशित होने तक समय–समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 की अनुसूचियों को, उन शासकीय सेवकों के, जिन्हें कि वे इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व लागू होती हों, सम्बन्धित प्रवर्गों से सम्बन्धित अनुसूचियां समझी जायेंगी, और ऐसी अनुसूचियां इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों में निर्दिष्ट की गयी अनुसूचियां समझी जाएगी.

34. निरसन तथा व्यावृत्ति.––

(1) नियम 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 तथा उनके अधीन जारी की गयी कोई भी अधिसूचनाएं या जारी किये गये आदेश, जहां तक कि वे इन नियमों से असंगत हैं, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं.

परन्तु यह कि––

(क) ऐसे निरसन का, उक्त नियमों के पूर्व प्रवर्तन पर या उनके अधीन की गयी किसी अधिसूचना या दिये गये आदेश या की गयी किसी बात या की गयी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा;

(ख) उक्त नियमों के अधीन कोई भी ऐसी कार्यवाहियां, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय लम्बित हो, चालू रखी जाएगी तथा जहां तक हो सके इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उसी प्रकार निपटाई जाएगी मानो कि ऐसी कार्यवाहियां इन नियमों के अधीन कार्यवाहियां हो.

(2) इन नियमों में कि किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि यह नियम लागू होते हैं, अपील के किसी ऐसे अधिकार से वंचित करती है जो कि उसे इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन प्राप्त हुऐ थे.

PART- IX -- MISCELLANEOUS

30. Service of orders notices etc.-Every order, notice and other process made of issued under these rules shall be served in person in the Government servant concerned of communicated to him be registered post.

31. Power to relax time-limit and to condone delay.- Save as otherwise expressly provided in these rules, the authority competent under these rules to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown extend the time specified in these rules for anything required to be done under these rules or condone any delay.

32. **Supply of copy of commission's advice**.- Whenever the Commission is consulted as provided in these rules, a copy of the advice by the Commission, and where such advice had not been accepted, also a brief statement of the reasons for such non-acceptance, shall be furnished to the Government servant concerned along with a copy of the order passed in the case, by the authority making the order.

33. Transitory Provisions.- On and from the commencement of these rules until the publication of the Schedules under these rules, the Schedules to the Madhya Pradesh Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 as amended from time to time, shall be deemed to be the Schedules relating to the respective categories of Government servants to whom they are, immediately before the commencement of these rules, applicable and such Schedules shall be deemed to be the Schedules referred to in the corresponding provisions of these rules.

34. Repeal and Saving.-

(1) Subject to the provisions of rule 33, the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and any notifications or orders issued there under in so far as they are in consistent with these rules, are hereby repealed:

Provided That-

(a) such appeal shall not affect the previous operation of the said rules, or any notification or order made, or anything, done, or any action taken, there under;

(b) any proceedings under the said rules, pending at the commencement of these rules shall be continued and disposed of as far may be in accordance with the provisions of these rules, as if such proceedings were under these rules.

(2) Nothing in these rules shall be construed as depriving any persons to whom these rules apply, of any right of appeal which had accrued to him under the rules, notification or orders in force before the commencement of these rules.

(3) इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, ऐसे प्रारम्भ होने के पूर्व दिये गये आदेश के विरूद्ध लम्बित किसी अपील पर इन नियमों के अनुसार उसी प्रकार विचार किया जाएगा तथा उस पर आदेश उसी प्रकार दिये जायेंगे मानो कि ऐसे आदेश इन नियमों के अधीन किये गये थे तथा अपील इन नियमों के अधीन प्रस्तुत की गयी थी.

(4) इन नियमों के प्रारम्भ के समय से, ऐसे प्रारम्भ के पूर्व दिये गये किन्हीं आदेशों के विरूद्ध कोई भी अपील, इन नियमों के अधीन उसी प्रकार की जायेगी या पुनर्विलोकन सम्बन्धी आवेदन–पत्र इन नियमों के अधीन उसी प्रकार प्रस्तुत किया जायेगा मानो कि ऐसे आदेश इन नियमों के अधीन दिये गये थे;

परन्तु इन नियमों में कि किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी अपील या पुनर्विलोकन के लिये किसी अवधि में, जो कि इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त किसी नियम द्वारा उपबंधित की गयी हो, कमी करती है.

35. **शंकाओं का निवारण.**––यदि इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबन्ध के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो मामला राज्यपाल को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जो कि राज्यपाल द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उल्लिखित किया जाय, निर्देशित किया जाएगा और राज्यपाल या ऐसा अन्य प्राधिकारी उसे विनिश्चित करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लक्ष्मीनारायण सरजे,
अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 1966

क्रमांक 2937–2414–एक–3.––भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र 2936–2414–एक(3), दिनांक 30 दिसम्बर, 1966 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लक्ष्मीनारायण सरजे,
अतिरिक्त सचिव.

(3) An appeal pending at the commencement of these rules against an order made before such commencement shall be considered and order there on shall be made, in accordance with these rules, as if such order were made and the appeal where preferred under these rules.

(4) As form the commencement of these rules any appeal or application for review against any orders made before such commencement shall be preferred or made under these rules, as if such orders were made under these rules.

Provided that nothing in these rules shall be construed as reducing any period of limitation for any appeal or review provided by any rule in force before the commencement of these rules.

35. Removal of doubts.- If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to the Governor or such other authority as may be specified by the Governor by a general or special order, and the Governor or such other authority shall decide the same .

By order and in the name of the Governor

of Madhya Pradesh

L.B. SARJE, Addl. Secy.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत कार्यवाही सम्बन्धी आदेशों के मानक प्रारूप.

Standard form of orders regarding the proceedings under The Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control And Appeal), Rules, 1966

.....

निलम्बन आदेश का मानक प्ररूप

(मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम– 9(1) एवं (2) देखें)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

आदेश

क्रमांक.....: चूंकि श्री **.....(शासकीय सेवक का नाम एवं पद)** के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है/लम्बित है/आपराधिक प्रकरण में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है।

अतएव, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता **(नियुक्ति प्राधिकारी या वह प्राधिकारी जिसके वह अधीन हो या इस सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी),** मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)/(2) के खण्ड (क)/(ख) .के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, श्री**..... (शासकीय सेवक का नाम एवं पद).**को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हैं।

पुनश्च, आदेशित किया जाता है कि इस अवधि में आदेश के प्रभावशील रहते हुऐ **श्री ....(शासकीय सेवक का नाम एवं पद)** का मुख्यालय **.....(स्थान का नाम)** रहेगा तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उपरोक्त अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

हस्ता/–
(सक्षम अधिकारी का नाम एवं पद)

पृ क्रमांक..... स्थान एवं दिनांक.....

1. श्री.....(निलम्बित शासकीय सेवक का नाम व पद) को पालनार्थ,
2 .....(नियुक्ति प्राधिकारी)
3. .....(उधारग्रहीता प्राधिकारी जहां आवश्यक हो)
4. वे परिस्थितियां जिनमें निलम्बन आदेश जारी किये गये, निम्नानुसार हैं:–

(निलम्बन के कारण एवं प्रकरण का विवरण दें)

(जो लागू न हों काट दें)

निलम्बित शासकीय सेवक द्वारा मूलभूत नियम 53(2) के अधीन प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्ररूप

———

मैं, ...(शासकीय सेवक का नाम) .....पद पर रहते हुऐ दिनांक.....द्वारा निलम्बित किया गया हूं, एतद्द्वारा, प्रमाणित करता हूं कि मैं किसी व्यवसाय/पेशा या लाभ/पारिश्रमिक/वेतन के लिए किसी बृत्ति में नियुक्त नहीं रहा हूं।

हस्ता/–
(शासकीय सेवक का नाम एवं पता)

पुलिस अभिरक्षा में रहने पर शासकीय सेवक का निलम्बन आदेश का प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम– 9)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

आदेश

क्रमांक.....: चूंकि, श्री.....**(शासकीय सेवक का नाम एवं पद)** के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण अन्वेषणाधीन है,

और चूंकि श्री.....को दिनांक.....को 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा गया,

अतएव, श्री.....को अभिरक्षा की तिथि से, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम.....के अधीन निलम्बित किया गया समझा जाय तथा आगामी आदेश तक निलम्बनाधीन बने रहेंगे।

हस्ता/–
(सक्षम अधिकारी का नाम एवं पद)

विभागीय जांच में निलम्बन प्रतिसंहृत किये जाने वाले आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम– 9 (5))

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

आदेश

क्रमांक.....: चूंकि, श्री.....**(शासकीय सेवक का नाम एवं पद)** को ....द्वारा दि .....से निलम्बित किया गया/निलम्बित किया गया समझा गया, के आदेश पारित किये गये थे।

अतएव, अब, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता **(वह प्राधिकारी जिसके द्वारा निलम्बन आदेश पारित किया गया या पारित किया गया समझा गया या उक्त प्राधिकारी के अधीन कोई अन्य प्राधिकारी),** मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (5) (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, उक्त निलम्बन आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रतिसंहृत करते हैं।

हस्ता/–
(आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व पद)

पृ क्रमांक..... स्थान एवं दिनांक.....

1. श्री.....(निलम्बित शासकीय सेवक का नाम व पद),
2 .....(नियुक्ति प्राधिकारी)
3. .....(उधारग्रहीता निलम्बनकर्ता प्राधिकारी जहां आवश्यक हो)
4. .....(निलम्बन आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी)
5. **निलम्बन आदेश प्रतिसंहृत किये जाने के कारण निम्नानुसार हैं:–**

मुख्य शास्ति हेतु आरोप–पत्र का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम–14)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

क्रमांक.....: अधोहस्ताक्षरकर्ता, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 के अधीन श्री ..... के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करना प्रस्तावित करते हैं। अवचार या दुर्व्यवहार के अध्यारोपों का सारांश, जिसके सम्बन्ध में जांच की जाना प्रस्तावित है, आरोप पदों के कथन **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है। प्रत्येक अरोप पद के समर्थन में अवचार/दुर्ब्यवहार का अभिकथन **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है। आरोप पदो के प्रमाण में दस्तावेजों एवं साक्षियों की सूचियां भी क्रमशः **परिशिष्ट–3 एवं 4** पर संलग्न है।

2– श्री ..... को निर्देशित किया जाता है कि वह इस ज्ञापन की प्राप्ति से 10 दिवस के अन्दर अपने बचाव में लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें तथा यह भी बतायें कि क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई की वांछा रखते हैं।

3– सूचित किया जाता है कि यह जांच उन्हीं आरोप पदों के सम्बन्ध में संस्थित की जाएगी जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाता। अतएव प्रत्येक आरोप पद को स्पष्टतः स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए।

4– श्री. ..... को और सूचित किया जाता है कि यदि वह बचाव में लिखित अभिकथन एवं जानकारी उपर्युक्त कण्डिका–2 में वर्णित तिथि को या उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं करते हैं या जांचकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित नहीं होते हैं या अन्यथा असफल होते हैं या मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 के प्रावधानों का अथवा उक्त नियम के संदर्भ में जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करने से इंकार करते हैं तो जांच प्राधिकारी उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर सकेंगे।

5– मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम, 21 की ओर श्री ....का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अंतर्गत कोई भी शासकीय सेवक अपने हित में उसकी सेवा के मामले में किसी उच्च प्राधिकारी पर कोई राजनैतिक या वाह्य प्रभाव नहीं डालेगा। यदि इन कार्यवाहियों में किसी भी मामले पर अपने पक्ष में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है तो यह माना जाएगा कि श्री.....को ऐसे प्रतिनिधित्व की जानकारी है तथा यह आपकी प्रेरणा से किया गया है और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम, 21 का उल्लंघन किए जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

6– ज्ञापन की प्राप्ति प्रस्तुत की जाय।

हस्ता/–
(विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद)

प्रति,
श्री.....(संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पद)

परिशिष्ट–1

श्री ..... के विरूद्ध आरोप–पदों का अभिकथन

पद–1

यह कि श्री .....जब .....की अवधि में .....
कार्य करते हुऐ.....
.....

पद–2

यह कि उपर्युक्त अवधि में तथा उपर्युक्त कार्यालय में कार्यरत रहने के दौरान श्री.....
.....
.....

पद–3

यह कि उपर्युक्त अवधि में एवं उपर्युक्त कार्यालय में कार्यरत रहते हुऐ श्री.....
.....
.....

परिशिष्ट–2

श्री ..... के विरूद्ध आरोप–पदो ंके समर्थन में अवचार या दुर्व्यवहार के प्रकरण में अभिकथन

पद–1

यह कि .....
.....
.....
.....

पद–2

यह कि .....
.....
.....
.....

पद–3

यह कि .....
.....
.....
.....

परिशिष्ट–3

उन दस्तावेजों की सूची जिनके द्वारा श्री ..... के विरूद्ध निर्धारित आरोप पदों को प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है–

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

6. .....

परिशिष्ट–4

उन साक्षियों की सूची जिनके द्वारा श्री ..... के विरूद्ध निर्धारित आरोप पदों को प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है–

1. श्री .....

2. श्री .....

3. श्री .....

4. श्री .....

5. श्री .....

6. श्री.....

जांच समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 14)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

आदेश

क्रमांक.....: चूंकि, श्री .....के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 के अधीन जांच संस्थित की जा रही है,

और चूंकि, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता का विचार है कि श्री.....के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच हेतु एक जांच समिति की नियुक्ति की जाना चाहिए,

अतएव, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता, उपर्युक्त नियमों के नियम 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, जांच समिति नियुक्त करते हैं जिसमें सम्मिलित होंगे :–

1. श्री.....
2. श्री.....
3. श्री.....

(जांच समिति के सदस्यों के नाम एवं पद लिखें)

हस्ता/–
(विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद)

प्रतिलिपि,

श्री .....(सम्बन्धित शासकीय सेवक का नाम एवं पद)
श्री .....(सम्बन्धित संबंधित जांच समिति के सदस्यों के नाम एवं पद)
श्री .....(उधारग्रहीता प्राधिकारी का नाम एवं पद जहां आवश्यक हो)

को सूचनार्थ।

जांच प्राधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम–14 (2))

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

क्र .....: चूंकि, श्री .....के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 के अधीन जांच संस्थित की जा रही है,

और चूंकि, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता का विचार है कि श्री.....के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच हेतु जांच प्राधिकारी की नियुक्ति की जाना चाहिए,

अतएव, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता, उपर्युक्त नियमों के नियम 14 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, श्री.....(जांचकर्ता प्राधिकारी का नाम एवं पद) को श्री.....के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच हेतु जांचकर्ता प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

हस्ता/–
विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद

प्रतिलिपि,

श्री .....(सम्बन्धित शासकीय सेवक का नाम एवं पद)
श्री .....(सम्बन्धित संबंधित जांच समिति के सदस्यों के नाम एवं पद)
श्री .....(उधारग्रहीता प्राधिकारी का नाम एवं पद जहां आवश्यक हो)

को सूचनार्थ।

पूर्व नियुक्त जांच अधिकारी के स्थान पर नियुक्ति आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 14 (22))

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

क्र .....: चूंकि, श्री .....के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 के अधीन जांच संस्थित की जा रही है,

चूंकि, श्री.....के विरूद्ध आरोपों की जांच के लिए आदेश क्र..... दिनांक.....द्वारा, श्री.....को जांचकर्ता प्राधिकारी नियुक्त किया गया था,

और चूंकि, श्री.....(पूर्व जांच अधिकारी का नाम एवं पद) पूर्ण/आंशिक प्रमाण अभिलिखित कर तथा सुनवाई उपरांत स्थानांतरित हो गये हैं/उपलब्ध नहीं हैं और श्री..... .....के विरूद्ध आरोपों की जांच हेतु अन्य जांच प्राधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है,

अतएव, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (22) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, श्री .....(प्रस्तावित जांच अधिकारी का नाम एवं पद) को श्री.....के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं।

हस्ता/–
विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद

प्रतिलिपि,

श्री .....(सम्बन्धित शासकीय सेवक का नाम एवं पद)
श्री .....(नये जांच अधिकारी का नाम एवं पद)

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 14 (5)(ग))

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

क्र .....: चूंकि, श्री .....के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 के अधीन जांच संस्थित की जा रही है,

और चूंकि, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता का विचार है कि प्रकरण में आरोप–पदों को प्रमाणित करने के लिए राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की जाना चाहिए,

अतएव, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता, उपर्युक्त नियमों के नियम 14 (5)(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, श्री.....(प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद) को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं।

हस्ता/–
विहित/अनुशासिक प्राधिकारी का नाम
एवं पद

प्रतिलिपि,

श्री .....(प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद)
श्री .....(सम्बन्धित शासकीय सेवक का नाम एवं पद)
श्री .....(जांचकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद)

लघुशास्ति हेतु आरोप–ज्ञापन का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 16 (एक) (क))

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

क्र .....: चूंकि, श्री .....(नाम एवं पद तथा कार्यालय का नाम जिसमें वह कार्यरत है) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित है। अवचार या दुर्व्यवहार के अभिकथन जिन पर उपर्युक्त कार्यवाही प्रस्तावित है, संलग्न है।

श्री.....को प्रस्ताव के विरूद्ध जैसा कि वह चाहे, पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एतद्द्वारा, अवसर प्रदान किया जाता है।

यदि श्री.....इस ज्ञाप की प्राप्ति की तिथि से 10 दिवस के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो यह माना जाएगा कि उनके पक्ष में कोई आधार नहीं है तथा श्री.....के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किये जाऐंगे।

श्री.....द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति प्रस्तुत की जाय।

हस्ता/–
विहित/अनुशासिक प्राधिकारी का नाम
एवं पद

लघुशास्ति हेतु कार्यवाही संस्थित करने के लिए मानक प्ररूप
(ऐसे मामले जिनमें अनुशासिक प्राधिकारी जांच संस्थित करने का निर्णय लेते हैं)
(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 16)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

क्र .....: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अधीन जारी ज्ञापन क्र.....दि .....के तारतम्य में राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता का मत है कि उक्त नियमों के नियम 16 के अधीन श्री ....के विरूद्ध जांच संस्थित करना आवश्यक है। अवचार या दुर्व्यवहार के अभिकथन, जिनके सम्बन्ध में प्रस्तावित है, संलग्न आरोप–पद **परिशिष्ट–1** पर है। प्रत्येक आरोप–पद की पुष्टि में अवचार/दुर्व्यवहार के अभिकथन **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है। अभिलेखों की सूची तथा साक्षियों की सूची जिनके द्वारा आरोप पद प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, क्रमशः **परिशिष्ट– 3 एवं 4** पर संलग्न है।

2– श्री.....को निर्देशित किया जाता है कि इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 10 दिवस के अंदर अपने बचाव में लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें तथा बतायें कि क्या वह व्यक्तिशः सुनवाई के इच्छुक हैं ?

3– सूचित किया जाता है कि यह जांच उन्हीं आरोप पदों के सम्बन्ध में संस्थित की जाएगी जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है। अतएव प्रत्येक आरोप पद को स्पष्टतः स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए।

4– श्री. ..... को और सूचित किया जाता है कि यदि वह बचाव में लिखित अभिकथन एवं जानकारी उपर्युक्त कण्डिका–2 में वर्णित तिथि को या उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं करते हैं या जांचकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित नहीं होते हैं या अन्यथा असफल होते हैं या मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों का अथवा उक्त नियम के संदर्भ में जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करने से इंकार करते हैं तो जांच प्राधिकारी उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर सकेंगे।

5– मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम, 21 की ओर श्री ..... का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अंतर्गत कोई भी शासकीय सेवक अपने हित में उसकी सेवा के मामले में किसी उच्च प्राधिकारी पर कोई राजनैतिक या वाह्य प्रभाव नहीं डालेगा। यदि इन कार्यवाहियों में किसी भी मामले पर अपने पक्ष में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है तो यह माना जाएगा कि श्री.....को ऐसे प्रतिनिधित्व की जानकारी है तथा यह आपकी प्रेरणा से किया गया है और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम, 21 का उल्लंघन किए जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

6– ज्ञापन की प्राप्ति प्रस्तुत की जाय।

हस्ता/–
(विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद)

प्रति,
श्री.....(संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पद)

संयुक्त विभागीय जांच में अनुशासनिक कार्यवाही के आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 18)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

आदेश

क्र.....: चूंकि, निम्नलिखित शासकीय सेवक, अनुशासनिक प्रकरण में संयुक्त रूप से भागीदार हैं :–

1. श्री.....
2. श्री.....
3. श्री.....
4. श्री.....
5. श्री.....

अतएव, अब मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता, एतदद्वारा, निर्देशित करते हैं :––

(एक) कि समस्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संयुक्त कार्यवाही के अधीन की जाएगी।

(दो) कि श्री.....(प्राधिकारी का नाम एवं पद) संयुक्त कार्यवाही के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे तथा निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित करने के लिए विहित होंगे, अर्थात् :–
(शास्तियों का उल्लेख करें)

(तीन) कि नियम 18 में विहित प्रावधानों का अनुगमन इस जांच में किया जाएगा।

हस्ता/–
(विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद)

प्रति,

श्री.....
श्री.....
श्री.....

संयुक्त विभागीय जांच में जांच प्राधिकारी की नियुक्ति के आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 18)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

आदेश

क्र.....: चूंकि, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 18 के अधीन निम्नांकित शासकीय सेवकों के विरूद्ध जांच संस्थित की जा रही है :–

1 श्री.....
2. श्री.....
3. श्री.....
4. श्री.....
5. श्री.....

चूंकि, उपर्युक्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध संयुक्त कार्यवाही संस्थित की गयी है,

और चूंकि, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता का विचार है कि उक्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच हेतु जांच प्राधिकारी नियुक्त किया जाए,

अतएव, अब, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त नियमों के नियम 18 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, श्री .....(जांच अधिकारी का नाम एवं पद) को उक्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच हेतु जांच प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

हस्ता/–
अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रतिलिपि,

1. अपचारी शासकीय सेवक
2. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी
3. जांच प्राधिकारी संबंधित अभिलेखों सहित
4. राज्य सतक्रता आयोग(जहां आवश्यक हो)

संयुक्त विभागीय जांच में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति के आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 18)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

आदेश

क्र.....: चूंकि, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम– 18 के अधीन निम्नांकित शासकीय सेवकों के विरूद्ध जांच संस्थित की जा रही है :–

2 श्री.....
2. श्री.....
3. श्री.....
4. श्री.....
5. श्री.....

चूंकि, उपर्युक्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध संयुक्त कार्यवाही संस्थित की गयी है,

और चूंकि, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता का विचार है कि जांच प्राधिकारी के समक्ष उक्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि हेतु प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है,

अतएव, अब, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त नियमों के नियम 18 सहपठित 14 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, श्री .....(प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद) को जांच अधिकारी के समक्ष उक्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध लगाये गये आरोप पदों की पुष्टि हेतु प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं।

हस्ता/–
अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रतिलिपि,

1. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी
2. अपचारी शासकीय सेवक
3. जांचकर्ता अधिकारी
4. जांच प्राधिकारी संबंधित अभिलेखों सहित
5. राज्य सतक्रता आयोग(जहां आवश्यक हो)

विभागीय जांच में शासकीय सेवक के दोषसिद्ध पाये जाने पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

आदेश

क्र.....: चूंकि, श्री.....(शासकीय सेवक का नाम एवं पद) को उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में दोषी पाया गया है

और चूंकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अधीन, आरोपों को ध्यान में रखते हुऐ समुचित शास्ति दी जाना प्रस्तावित करते हैं,

और चूंकि, शास्ति के परिमाण के बारे में निर्णय लिये जाने से पूर्व श्री..... को नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में उनके विरूद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही क्यों न की जाय, के सन्दर्भ में व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था,

और चूंकि, जांच प्रतिवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर (प्रति संलग्न है) राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता अस्थायी रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्री..... आरोपों की गंभीरता के अनुरूप **लघु/मुख्य शास्ति** अधिरोपित की जा सकती है और तदनुसार उन पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (.....) के अधीन .....की शास्ति अधिरोपित की जाना प्रस्तावित है,

अतएव अब, श्री.....को उक्त प्रस्तावित शास्ति पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध कोई भी पक्ष जिसे वह प्रस्तुत करना चाहते हैं, पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विचार किया जाएगा। ऐसा पक्ष यदि कोई हो, श्री.....को इस ज्ञाप की प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस से अनधिक समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ज्ञाप की प्राप्ति प्रस्तुत की जाय।

हस्ता/–
विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद

टीपः–उपर्युक्त प्ररूप में प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार अनावश्यक भाग को निकाल देना चाहिए।

विभागीय जांच में शासकीय सेवक के दोषसिद्ध पाये जाने पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

आदेश

क्र.....: चूंकि, श्री.....(शासकीय सेवक का नाम एवं पद) को उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में दोषी पाया गया है

और चूंकि, विचार किया गया कि श्री.....का अवचार आरोपों की गंभीरता के अनुसार लघु/मुख्य शास्ति अधिरोपित करने योग्य है,

और चूंकि, श्री.....को व्यक्तिशः सुनवाई तथा लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था,

और चूंकि, श्री..... अपना लिखित अभिकथन दे चुके हैं जिस पर राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् विचार किया गया,

अब इसलिए, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 17 .द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ और मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श (जहां आवश्यक हो) से राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता, एतद्द्वारा, श्री.....पर उक्त नियमों के नियम 10 (.....) में उल्लेखित .....की शास्ति अधिरोपित करते हैं।

हस्ता/–
विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद

न्यायालयीन अपील में निर्णय होने पर शास्ति संबंधी आदेश निरस्त करने के लिए आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

आदेश

क्र.....: चूंकि, श्री.....(शासकीय सेवक का नाम एवं पद) को आपराधिक आरोपों में मा. .....न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने के आधार पर आदेश क्रमांक..... दिनांक.....द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (..) में उल्लेखित .....की शास्ति अधिरोपित की गयी थी।

और चूंकि, सक्षम विधिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक .....द्वारा उक्त दोषसिद्धि निरस्त की गयी है तथा श्री .....को उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया है,

अतएव अब, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता, एतद्द्वारा, ...की शास्ति सम्बन्धी आदेश निरस्त करते हैं।

हस्ता/–
सक्षम अधिकारी का नाम एवं पद

लोक सेवक/निजी व्यक्तिगत साक्षी को बुलाने के लिए प्ररूप

———

क्रमांक.....

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).....

प्रति,

महोदय,

मैं, श्री.....के विरूद्ध जांच कार्यवाही में जांचकर्ता प्राधिकारी नियुक्त किया गया हूं। इस प्रकरण में आपका साक्ष्य महत्वपूर्ण समझा गया है। निवेदन है कि आप मेरे समक्ष दिनांक..... .....को .....बजे.....स्थान पर उपस्थित हों। एक दिन से अधिक यहां आपको रोके जाने की संभावना नहीं है।

भवदीय,
हस्ता/–
जांच अधिकारी का नाम एवं पद

प्रतिलिपि,

श्री.....(शासकीय सेवक साक्षी का नाम) से निवेदन है कि उक्त तिथियों में जांच में उपस्थित हों।

साक्षियों हेतु जांच अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्ररूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....(साक्षी का नाम एवं पद, कार्यालय इत्यादि) दिनांक.....को .....स्थान पर श्री.....के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित हुऐ तथा उन्हें दि.....को बजे कार्यमुक्त किया गया।

उनकी यात्रा एवं अन्य व्यय के लिए उन्हें किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ता/–
अनुशासनिक/जांच अधिकारी

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/बचाव सहायक को जांच अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्ररूप

———

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....(प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/बचाव सहायक का नाम एवं पद, कार्यालय इत्यादि) दिनांक.....को .....स्थान पर श्री. .....के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच की कार्यवाही में आरोपों के समर्थन में/श्री..... .....के पक्ष में सहायता करने के लिए मेरे समक्ष उपस्थित हुऐ।

उनकी इस यात्रा एवं अन्य व्यय के सम्बन्ध में उन्हें किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ता/–

अनुशासनिक/जांच अधिकारी

प्रतिलिपि,

.....विभाग को सूचनार्थ ।

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक सी 6-2/98/3/1 भोपाल, दिनांक 8 फरवरी, 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :—भ्रष्टाचार के प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही.

सन्दर्भ:—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 6-3/77/3/1, दिनांक 15-9-77, क्रमांक सी 6-2/80/3/1, दिनांक 6-10-80 एवं सी 6-2/98/3/1, दिनांक 26-5-98.

इस विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत ये निदेश जारी किये गये थे कि यदि किसी शासकीय सेवक को न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध में दोषी पाये जाने के कारण दण्डित किया गया है, जिससे उस शासकीय सेवक के नैतिक पतन होने का आभास होता हो और उसे शासकीय सेवा में रखना लोकहित में उचित नहीं हो तो, अनुशासनिक प्राधिकारी उपर्युक्त नियम के नियम 19(1) के अन्तर्गत उस शासकीय सेवक पर उचित शास्ति अधिरोपित करने के लिये तुरंत कार्यवाही करे. अर्थात् आपराधिक आरोपों में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर शासकीय सेवक के विरुद्ध "संक्षिप्त जांच" करने के उपरांत मामले के गुणदोष पर विचार कर उचित शास्ति अधिरोपित करें. इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए इस बात का कोई प्रतिबंध नहीं है कि उस शासकीय सेवक ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील दायर कर दी है इसलिये शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती.

2. उक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी राज्य सरकार के समक्ष कुछ ऐसे प्रकरण सामने आये हैं जिसमें शासकीय सेवक को न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध पाये जाने पर भी प्रशासकीय विभाग/नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारियों ने संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की. भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिये विधि विभाग के परामर्श से समस्त प्रशासकीय विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी/अनुशासनिक प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिये निम्नानुसार निदेश जारी किये जाते हैं:—

(क) सेवारत् शासकीय सेवकों के मामलों में :—

1. उक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शासकीय सेवक यदि किसी आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाते हैं जिसमें उनका नैतिक पतन अंतर्विलित हो तो यह अपेक्षा है कि उसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (नौ) में प्रावधानित "सेवा से पदच्युत (dismissal) करने" की शास्ति अधिरोपित की जाना चाहिये.

2. उक्त प्रकार के प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 19 सहपठित नियम 14 एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (अ) के अंतर्गत अपचारी शासकीय सेवक के विरुद्ध विस्तृत विभागीय जांच आवश्यक नहीं है, साथ ही, संबंधित शासकीय सेवक को कार्यवाही के पूर्व कोई सूचना देना भी आवश्यक नहीं है अर्थात दण्डादेश सीधे पारित एवं जारी किया जा सकता है.

3. यदि संबंधित अपचारी शासकीय सेवक की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई हो तो सर्वप्रथम विभागीय प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग का मत प्राप्त कर लिया जावे. विभागीय प्रस्ताव पर आयोग की सहमति की स्थिति में अंतिम दण्डादेश प्रशासकीय विभाग द्वारा पारित

किये जा सकते हैं. यदि विभागीय प्रस्ताव पर आयोग सहमत नहीं होता तो प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रकरण समन्वय में मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसमें आयोग से असहमति के आधार स्पष्ट दर्शाये जाने चाहिये. संबंधित शासकीय सेवक को दण्डादेश के साथ आयोग के मत की प्रति दी जाना चाहिये तथा आयोग से असहमति की स्थिति में उसके आधार भी दण्डादेश में दर्शाये जाना चाहिये.

4. प्रथम श्रेणी अधिकारियों मामले में मध्यप्रदेश शासन के कामकाजी नियमों के भाग 4 नियम 10 के अधीन जारी किये गये निर्देश (छ) के अनुसार अंतिम दण्डादेश पारित करने के पूर्व समन्वय में मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त किये जावे.

5. यदि संबंधित शासकीय सेवक ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में ''अपील'' की है और अपीलीय न्यायालय ने दोष सिद्धि को ''स्थगन'' न देकर मात्र ''सजा'' को स्थगित किया है तो भी उक्तानुसार शास्ति अधिरोपित की जा सकती है.

6. संबंधित शासकीय सेवक को ''दण्डादेश'' पारित करने के साथ ही, राज्य प्रशासनिक अधिकरण में ''केवियेट'' भी दाखिल कर दिया जावे ताकि आरोपी शासकीय सेवक अधिकरण से ''एकपक्षीय'' स्थगन प्राप्त करने में सफल न हो. ''अधिकरण'' द्वारा ''स्थगन'' दिये जाने पर उच्च न्यायालय में ''याचिका'' दायर की जावे.

उक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों में प्रस्तुत की जाने वाली टीप तथा अंतिम दण्डादेश का प्रारूप क्रमशः संलग्न परिशिष्ट क (I) तथा क (II) पर संलग्न है.

(ख) ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ नहीं की गई हो एवं जिन्हें आपराधिक प्रकरण में दंडित किया गया हो.

ऐसे सेवानिवृत शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ नहीं की गई हो एवं जिन्हें आपराधिक प्रकरण में दण्डित किया गया हो उनकी पेंशन म. प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के उप नियम (एक) के अन्तर्गत स्थाई रूप से रोकने के लिए शासन सक्षम है. ऐसे प्रकरणों में भी संबंधित शासकीय सेवक को पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है. पेंशन रोकने संबंधी अंतिम आदेश मंत्रि-परिषद् द्वारा पारित किये जावेंगे. ऐसे शासकीय सेवकों, जिनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई है, के विषय में सर्वप्रथम आयोग का मत प्राप्त किया जावेगा. तत्पश्चात् आयोग के मत सहित प्रकरण मंत्रि-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा.

उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में प्रस्तुत की जाने वाली टीप तथा पेंशन रोकने संबंधी दण्डादेश का प्रारूप क्रमशः संलग्न परिशिष्ट ख-1, ख-2 पर है.

(ग) ऐसे शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध विभागीय जांच अथवा आपराधिक प्रकरण लंबित हैं और जो सेवानिवृत्त हो गये हैं अथवा हो रहे हैं.

(i) ऐसे शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्त हो गये हैं और उनकी पेंशन भी अंतिम रूप से स्वीकृत की जा चुकी है और उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच लंबित है या बाद में संस्थापित होती है तो म. प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 9 (4) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल अर्थात मंत्रिपरिषद् आदेश द्वारा विभागीय जांच/न्यायिक कार्यवाही प्रारम्भ करने की तिथि से ऐसे शासकीय सेवक को स्वीकृत पेंशन में अस्थाई रूप से 50 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है.

(ii) उक्त नियम 9 (4) के द्वितीय परन्तुक के ''ए'' के अनुसार यदि विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के दिनांक से एक वर्ष में पूर्ण नहीं होती है तो उपर्युक्त एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात रोकी गई पेंशन का 50 प्रतिशत पुनस्थापित हो जायेगा.

(iii) इसी प्रकार नियम 9 (4) के द्वितीय परन्तुक के ''बी'' के अनुसार यदि विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि में पूर्ण नहीं होती है तो उपर्युक्त दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् रोकी गई पेंशन की पूर्ण राशि पुर्नस्थापित हो जायेगी. इसी द्वितीय परन्तुक के ''सी'' के अनुसार विभागीय जांच का अंतिम आदेश पेंशन रोकने का पारित होने पर आदेश विभागीय जांच प्रारम्भ होने की तिथि से प्रभावशील माना जावेगा.

(iv) लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त शासकीय सेवक के मामले में सर्वप्रथम ''आयोग'' का मत प्राप्त किया जायेगा तत्पश्चात् प्रकरण मंत्रिपरिषद् को प्रस्तुत किया जावेगा.

(v) उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में प्रस्तुत की जाने वाली टीप, संबंधित शासकीय सेवक को दिये जाने वाले कारण बताओं नोटिस और अंतिम आदेश का प्रारूप क्रमशः संलग्न परिशिष्ट ग-1, ग-2, और ग-3 पर है.

3. कृपया आपराधिक प्रकरणों में दोष सिद्ध पाये गये शासकीय सेवकों के विरुद्ध उक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जावे. साथ ही इन निर्देशों का कठोरता के साथ पालन किया जावे.

(एम. के. वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी 6-2/98/3/1 भोपाल, दिनांक 8-2-99

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
सचिव, लोकायुक्त, संगठन, म. प्र. भोपाल,
सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
महानिदेशक प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल
सचिव, विधानसभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
3. निज सचिव/निज सहायक/मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री, म. प्र. शासन.
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल,
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
5. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल..
6. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/रायपुर.
7. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर/खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर.
8. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
9. अवर सचिव स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय.
10. श्री वीरेन्द्र खोंगल, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, म. प्र. भोपाल.
12. सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी कल्याण शाखा 15 की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित.

(एम. के. वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

परिशिष्ट "क-1"

विषय :—शासकीय सेवक को किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध कर दंडित किए जाने पर विभाग द्वारा शासकीय सेवक को दीर्घ शास्ति प्रदान करने के लिए लिखी जाने वाली टीप का प्रारूप.

श्री ..... आत्मज श्री ..... इस विभाग में ..... पद पर पदस्थ हैं (जो वर्तमान में निलंबित हैं एवं उनका मुख्यालय ..... हैं).

श्री ..... को ..... न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक ..... में निर्णय दिनांक ..... से आरोप प्रमाणित किए जाने पर धारा (अधिनियम) ..... के अंतर्गत दोषसिद्ध कर ..... अवधि के सश्रम/सामान्य कारावास एवं ..... रु. अर्थदंड से दंडित किया गया है जिसके निर्णय की प्रति, जो न्यायालय ..... से प्राप्त हुई है जो पताका "क" पर उपलब्ध है. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि श्री ..... का कृत्य जिसके लिए उन्हें दोषसिद्ध माना है, उन्हें शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है. श्री ..... को न्यायालय द्वारा दिया गया दंडादेश गंभीर आरोप ..... के संबंध में हैं, जो तुच्छ प्रकृति का नहीं है, जिसके लिए आरोपी पर लघुशास्ति अधिरोपित की जा सके.

आरोप का उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 (1) (1) (3) के अंतर्गत कदाचरण का कृत्य है. न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में ..... के उपरोक्त कदाचरण के कृत्य के लिए अपचारी कर्मचारी श्री ..... पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-10 में प्रावधानित दीर्घशास्ति अधिरोपित किया जाना उचित है. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-19 सहपठित नियम-14 एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद-311 (2) (अ) के अंतर्गत अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध विस्तृत विभागीय जांच आवश्यक नहीं है.

आपराधिक प्रकरण के निर्णय जिसमें अपचारी कर्मचारी को ..... वर्ष के सश्रम/सामान्य कारावास के दण्ड से दंडित किया गया है, जो गंभीर कदाचरण का कृत्य है, को देखते हुए अपचारी कर्मचारी श्री ..... को उनकी सेवा से पदच्युत (डिसमिस) किया जाता है. आदेश की तामीली अपचारी कर्मचारी पर की जाए.

नियुक्तिकर्ता अधिकारी/विभाग प्रमुख.

टीप:—लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के विषय में "विभागीय टीप" तथा "आदेश" में आयोग के मत का उल्लेख भी किया जावे.

परिशिष्ट "क-2"

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय

(जिस विभाग से संबंध हो)

प्रति,

श्री ..... आत्मज .....

निवासी .....

पता .....

विषय :— ..... न्यायालय द्वारा आप. प्रकरण क्रमांक ..... में प्रदत्त निर्णय दिनांक .....
जिसमें अपचारी कर्मचारी श्री ..... को धारा ..... के अंतर्गत
दोषसिद्ध कर ..... वर्ष के सश्रम कारावास एवं ..... रु. अर्थदण्ड से दंडित किया
गया है, के प्रकाश में अपचारी कर्मचारी को पदच्युत (डिसमिस) के दीर्घशास्ति से दंडित करने के संबंध में.

आदेश

(1) यह कि आप ..... विभाग में ..... अधिकारी/कर्मचारी के पद पर पदस्थ हैं. आपको ..... न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक ..... निर्णय दिनांक ..... अधिनियम की धारा ..... के अंतर्गत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दोषसिद्ध कर ..... अवधि के सश्रम/सामान्य कारावास से एवं रु. ..... के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि आपका कृत्य जिसके लिए आपको दोषसिद्ध माना है, आपका शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है. ऐसी स्थिति में आपका कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उपनियम (1) एवं (3) के अंतर्गत कदाचरण की परिधि में आता है.

(2) यह कि उपरोक्त आपराधिक प्रकरण में आपके विरुद्ध प्रदत्त दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय के प्रकाश में आपके कदाचरण के कृत्य को देखते हुए राज्य शासन/विभाग ..... द्वारा विचारोपरान्त आपके विरुद्ध दीर्घशास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है.

(3) यह कि गंभीर कदाचरण के कृत्य के प्रकाश में आप पर पदच्युत (डिसमिस) का दीर्घशास्ति आदेश दिनांक ..... से अधिरोपित की जाती है.

संलग्न :—आप. अपील क्र. ..... के निर्णय दिनांक ..... की प्रति.

भोपाल :
दिनांक .....

विभाग प्रमुख/नियुक्तिकर्ता अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मुद्रा.

परिशिष्ट "ख-1"

सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिसके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ नहीं की गई एवं जिसे आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि पर दण्डित किया गया है को पेंशन रोकने के संबंध में.

श्री ..... आत्मज ..... पद का नाम .....
दिनांक ..... से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. उनके विरुद्ध ..... में धारा ..... के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण लंबित था जिसमें दिनांक ..... को उन्हें ..... अवधि के सश्रम/साधारण कारावास से दण्डित किया गया है.

श्री ..... पर आरोपित कृत्य जिसके लिये उन्हें दण्डित किया गया है, गंभीर आपराधिक कदाचरण का कृत्य है. यदि श्री ..... सेवा में रहते तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ए) के अंतर्गत उनकी सेवाऐं बिना किसी विभागीय जांच के समाप्त की जा सकती थी. चूंकि श्री ..... सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्हें शासन से पेंशन प्रदान की जा रही है. जबकि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के उपनियम (1) के अंतर्गत ऐसी पेंशन को स्थायी रूप से रोकने के लिए शासन सक्षम है तथा इसी नियम के अंतर्गत ऐसे गंभीर कदाचरण के कृत्य को देखते हुए शासकीय सेवक श्री ..... को प्रदान की जाने वाली पेंशन को स्थायी रूप से रोका जाना आवश्यक है. अत: नस्ती आदेश हेतु शासन को भेजी जावे.

हस्ताक्षर

शासन से नस्ती आदेश सहित प्राप्त. आदेश के पालन में शासकीय सेवक श्री .....
को पेंशन स्थायी रूप से रोकने हेतु आदेश जारी किये जावें.

हस्ताक्षर

टीप:—

(1) मंत्रिपरिषद् द्वारा ही पेन्शन रोकने के आदेश हो सकेंगे.

(2) लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के विषय में "विभागीय टीप" तथा "आदेश" में "आयोग" के मत का उल्लेख होगा.

परिशिष्ट ''ख-2''

आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि एवं दण्डादेश पश्चात् सेवा-निवृत्त शासकीय सेवकों की पेंशन रोकने के संबंध में आदेश का प्रारूप

मध्यप्रदेश शासन ..... विभाग

प्रति,

श्री ..... आत्मज .....

विभाग .....

पता .....

विषय :— आपराधिक प्रकरण क्र. ..... निर्णय दिनांक ..... में धारा ..... के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दंडित किए जाने के प्रकाश में पेंशन रोकने हेतु.

आदेश

(1) यह कि आप ..... विभाग में शासकीय सेवा में कार्यरत थे और दिनांक ..... को सेवा-निवृत्त हुए हैं और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत आपको सेवा-निवृत्त पश्चात् विभाग के आदेश क्रमांक .....से रुपए ..... मासिक पेंशन प्रदान किया जा रहा है.

(2) यह कि आपके सेवा नियोजन की अवधि में आपके विरुद्ध ..... न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक ..... धारा .....के अंतर्गत स्थान ..... में लंबित थे, जिसमें दिनांक .....को न्यायालय द्वारा निर्णय प्रदान कर आपको धारा ..... के अंतर्गत दोषसिद्ध कर ..... अवधि के सश्रम/साधारण कारावास एवं ..... रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया है. यह कि जिसे कृत्य के संबंध में आपको दंडित किया गया है वह कृत्य गंभीर कदाचरण का है जिसके प्रकाश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से आपकी पेंशन रोकी जाना आवश्यक है.

(3) यह कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 (1) के अंतर्गत शासन आपको देय पेंशन स्थायी रूप से रोकने के लिए सक्षम है.

अत: नियम-9 (1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन द्वारा आपकी देय पेंशन को स्थायी रूप से रोका जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

परिशिष्ट "ग-1"

विषय :— श्री ..... के विरुद्ध न्यायालय में .....
आपराधिक प्रकरण क्रमांक ..... अथवा विभागीय जांच लंबित होने पर पेंशन रोकने के संबंध में.

शासकीय कर्मचारी/अधिकारी श्री ..... जो .....
पद पर स्थान पर ..... पदस्थ थे, के विरुद्ध ..... न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक ..... अंतर्गत धारा ..... अधिनियम .....लंबित है (अथवा विभागीय जांच लंबित है) जिसमें उल्लिखित कृत्य गंभीर कदाचरण का कृत्य है.

श्री ..... दिनांक ..... को सेवा-निवृत्त हो चुके हैं तथा उन्हें पेंशन भी स्वीकृत हो गई है, उनके गंभीर कदाचरण के कृत्य को देखते हुए उनकी पेंशन में 50% की कटौती करना आवश्यक है. अत: पेंशन नियमों के नियम-9 (4) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत प्रतिवेदन, राज्य शासन को प्रेषित की जाती है.

पेंशन को रोकने के लिए मुख्य बिन्दु

(1) किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच अथवा सिविल अथवा आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया (आपराधिक प्रकरण भी) लंबित होने, जिसमें आरोपी के विरुद्ध गंभीर कदाचरण का आरोप होने पर आरोपी की पेंशन अस्थायी रूप से विभागीय अथवा आपराधिक प्रकरण के निराकरण होने तक रोकने की कार्यवाही नियम-9, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के अंतर्गत की जानी चाहिए.

(2) नियुक्ति लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर होने की स्थिति में लोक सेवा आयोग से सहमति ली जानी चाहिए.

(3) सेवा-निवृत्ति के पूर्व विभागीय जांच प्रारंभ होना आवश्यक है और ऐसी जांच लंबित रहने पर नियम-9 (2) (ए) के अंतर्गत यह जांच बिना किसी अग्रिम अनुमति के जारी रखी जा सकती है.

(4) विभागीय जांच में पेंशन रोकने के लिए प्रावधान नियम-9 (2) (ए) में है. परंतुक के अंतर्गत प्रतिवेदन शासन/मंत्रिपरिषद् को भेजना आवश्यक है. जिनके द्वारा पेंशन रोकने के आदेश दिए जाएंगे.

(5) यदि विभागीय जांच सेवा-निवृत्ति तक प्रारंभ नहीं होती है तो बिना महामहिम राज्यपाल अर्थात् मंत्रिपरिषद् की अनुमति के नियम-9(2) (बी) (1) के अंतर्गत प्रारंभ नहीं की जा सकती एवं उप नियम-(2) (बी) (2) के अंतर्गत घटना के 4 साल पश्चात् ऐसी जांच प्रारंभ भी नहीं की जा सकती.

(6) जांच लंबित होने पर अथवा अनुमति मिलने पर जांच नियमानुसार जारी रहेगी और जिसमें सेवा में रहने पर कर्मचारी की सेवा समाप्त की जा सकती हो ऐसे प्रकरणों कर्मचारी की पेंशन अथवा उसके भाग को स्थायी अथवा निश्चित अवधि के लिए रोका जा सकेगा इसी तरह यदि शासकीय धन की वसूली किसी कर्मचारी/अधिकारी से की जाना है तो ऐसी धन की वसूली उसकी पेंशन से की जा सकेगी जिसकी सीमा 1/3 पेंशन की राशि से अधिक नहीं होगी.

(7) नियम-4 के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी के लिए अस्थायी (प्रोविजनल) पेंशन और मृत्यु सह उपादान स्वीकृत की जा सकती है.

(8) यदि ऐसे कर्मचारी के पेंशन स्वीकृत हो चुकी है तो उप नियम (4) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल अर्थात् मंत्रिपरिषद् द्वारा विभागीय जांच प्रारंभ करने की तिथि से स्वीकृत पेंशन की 50% तक की राशि रोकने के आदेश दिए जा सकेंगे.

(9) इसी नियम के द्वितीय परंतुक "ए" के अनुसार यदि विभागीय जांच प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर पूरी नहीं होती है तो रोकी गई पेंशन का 50% पुन: स्थापित हो जाता है.

विषय :— श्री ..... के विरुद्ध न्यायालय में .....
आपराधिक प्रकरण क्र. ..... लंबित होने के प्रकाश में विभागीय जांच एवं पेंशन रोकने के संबंध में.

और ''बी'' के अनुसार दो वर्ष में 100% पेंशन पुन: स्थापित हो जाती है. ''सी'' के अनुसार विभागीय जांच में अंतिम आदेश पेंशन रोकने का पारित होने पर आदेश विभागीय जांच प्रारंभ होने की तिथि से प्रभावशील माना जाए.

टीप:—लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के विषय में ''विभागीय टीप'' एवं ''आदेश'' में ''आयोग'' के मत का भी उल्लेख होगा.

परिशिष्ट ''ग-2''

विषय :— अस्थायी रूप से पेंशन रोकने हेतु कारण बताओ सूचना [मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) अधिनियम, 1976 के नियम-9 के अंतर्गत]

प्रति,

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(1) यह कि आप ..... विभाग में ..... के पद पर ..... स्थान पर पदस्थ थे, आपके विरुद्ध ..... न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक . . . . . धारा . . . . . अधिनियम . . . . . के अंतर्गत (अथवा विभागीय जांच लंबित है) जिसमें उल्लिखित कृत्य गंभीर कदाचरण का है.

(2) यह कि इसके पूर्व आप दिनांक . . . . . से शासकीय सेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर अथवा अन्यथा सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा आपको पेंशन रु. . . . . स्वीकृत हो चुकी है.

(3) यह कि आपके विरुद्ध लंबित गंभीर कदाचरण के आपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच प्रकरण को देखते हुए आपको स्वीकृत पेंशन राशि में से 50% की कटौती मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9 (4) के प्रथम परंतुक के प्रावधानों के अंतर्गत अस्थाई रूप से करना उचित एवं युक्तिसंगत प्रतीत होता है.

अत: सूचना प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आप लिखित कारण बताएं कि आपकी स्वीकृत पेंशन की राशि में से अस्थायी रूप से 50% की कटौती क्यों न की जाए.

भोपाल :
दिनांक . . . . . .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

परिशिष्ट ''ग-3''

विषय :— अस्थायी रूप से, विभागीय अथवा आपराधिक प्रकरण के निराकरण होने तक पेंशन की राशि में कटौती करना.

प्रति,

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(1) यह कि आप मध्यप्रदेश शासन के अधीन ..... के पद पर ..... स्थान पर शासकीय सेवा में पदस्थ थे.

(2) यह कि आपके विरुद्ध ..... न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक . . . . . के अंतर्गत धारा . . . . . अधिनियम . . . . . के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है. (अथवा विभागीय जांच लंबित है) जिसमें उल्लिखित कृत्य गंभीर कदाचरण का है.

(3) यह कि इसके पूर्व आप दिनांक . . . . . से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करके अथवा अन्यथा दिनांक . . . . . से सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा आपको रु. . . . . माहवार पेंशन की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है.

(4) यह कि आपके विरुद्ध उक्त गंभीर कदाचरण के संबंध में लंबित आपराधिक प्रकरण (अथवा विभागीय जांच) के निराकरण होने तक, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9(4) के प्रथम परंतुक के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त देय पेंशन की राशि में से 50% राशि की कटौती करना विचारणीय है. इस संबंध में सूचना पत्र दिनांक . . . . . भी दिया गया. उक्त सूचना पत्र के संबंध में आपके द्वारा दिए गए लिखित उत्तर (यदि कोई हो तो) तथा अन्य तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आपको देय उक्त पेंशन की राशि में से 50% राशि की कटौती आगामी आदेश होने तक की जाए, तद्नुसार आपको देय पेंशन की राशि में से 50% की कटौती एतद्द्वारा की जाती है.

भोपाल :
दिनांक . . . . . .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ/ती-6-2/94/3/एक भोपाल, दिनांक 30 जून, 1994.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान उनकी पदोन्नति/स्थाईकरण प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त -

उपरोक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित मार्गिन में अंकित निर्देशों तथा इस संबंध के समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए एवं उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णय दिनांक 27-8-91 (भारत संघ बनाम जानकीरमण इत्यादि ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 2010) तथा भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 22011/4/91-स्था.(क), दिनांक 14-9-92 के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे शासकीय सेवकों के पदोन्नति के मामलों में, जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाही लंबित हो अथवा जिसके आचरण की जाँच की जा रही हो, के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नानुसार होंगे :-

(1) 209/2449/I/3/63 दिनांक 31-1-64
(2) 3-29/73/3-एक दिनांक 20-3-74
(3) 3-17/79/3/एक दिनांक 11-1-80
(4) 6-1/80/I/3 दिनांक 12-7-80
(5) 620-1213-I-3-82 दिनांक 23-9-82

उन शासकीय सेवकों के मामले, जिन पर मुहर बंद लिफाफे की क्रियाविधि लागू होती है ।

2(I)- शासकीय सेवकों के पदोन्नति संबंधी मामलों पर विचार करते समय पदोन्नति की विचारण परिधि में आने वाले ऐसे शासकीय सेवकों के ब्यौरे, जो निम्न वर्गों के अन्तर्गत आते हों, विशेष तौर पर विभागीय पदोन्नति समिति के ध्यान में लाए जाने चाहिए :-

(i) निलंबित शासकीय सेवक,

(ii) शासकीय सेवक, जिन्हें आरोप-पत्र जारी कर दिया गया है और जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, और

(iii) शासकीय सेवक, जिन पर, किसी आपराधिक आरोप के आधार पर, अभियोजन के प्रकरणों में, जिनमें चार्ज शीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई हो तथा कार्यवाही लंबित है ।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि नीचे उल्लेखित बंद लिफाफे की प्रक्रिया केवल ऐसे शासकीय सेवकों के लिए अपनाई जायेगी, जिनके विरुद्ध या तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप-पत्र वास्तविक रूप से जारी कर दिया गया हो और या जिनके विरुद्ध अभियोजन पत्र वास्तव में अदालत में पेश हो गया हो ।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा, पैरा-2(i) में वर्णित प्रवर्गों के संबंध में अपनाई जाने वाली क्रिया-विधि ।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति, उन शासकीय सेवकों के, जो कि उक्त वर्णित वर्गों के अन्तर्गत आते हैं, उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन पर विचार न करते हुए, अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी । विभागीय पदोन्नति समिति के उपयुक्तता संबंधी मूल्यांकन, जिसमें पदोन्नति के लिए अयोग्य भी शामिल हो सकता है, इसके द्वारा दिए गए ग्रेड को, मुहरबंद लिफाफे में रखा जायेगा । इस लिफाफे पर "श्री ..... (शासकीय सेवक का नाम) के संबंध में - - - - - - - - - ग्रेड में/पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष । इसे श्री - - - - - - (शासकीय सेवक का नाम) के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन की सम्पूर्ति पर ही खोला जायेगा"/ अंकित किया जायेगा । विभागीय पदोन्नति के कार्यवृत में केवल इस आशय के नोट की ही आवश्यकता है कि "निष्कर्ष संलग्न सीलबंद लिफाफे में दिए गए हैं"। जब किसी शासकीय सेवक की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्ष किसी मुहरबंद लिफाफे में रखे गए हों तो रिक्ति को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अलग से यह सलाह दी जानी चाहिए कि उच्च ग्रेड में इस रिक्ति को स्थानापन्न आधार पर ही भरा जाए ।

अनुवर्ती विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि ।

(3) उपरोक्त पैरा-2(2) में उल्लिखित वही क्रियाविधि आयोजित की जाने वाली अनुवर्ती विभागीय समितियों द्वारा तब तक अपनाई जायेगी जब तक कि संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामला/आपराधिक अभियोजन का मामला समाप्त नहीं हो जाता ।

अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन के मामले की सम्पूर्ति उपरांत कार्यवाही ।

3§1§- ऐसे किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन के मामले में, जिसमें शासकीय सेवक के विरुद्ध आरोपों को वापस ले लिया जाता है, की सम्पूर्ति पर मुहरबंद लिफाफे/लिफाफों को खोला जायेगा । ऐसे मामले में जब किसी शासकीय सेवक को पूर्णत: दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में उसकी पदोन्नति की तारीख, मुहरबंद लिफाफों में रखे गए निष्कर्षों में, उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा इस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जायेगी । ऐसे शासकीय सेवक को, यदि ज़रूरी हो तो स्थानापन्न आधार पर कार्य करने वाले सब से बाद में पदोन्नत किए गए व्यक्ति को पदावनत कर, पदोन्नत किया जा सकता है । उसे, उसके कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में काल्पित रूप में§नोशनल§ पदोन्नत किया जा सकता है । तथापि इस प्रश्न का, कि क्या संबंधित शासकीय सेवक वास्तविक पदोन्नति की तारीख से पहले की काल्पित §नोशनल§ पदोन्नति की अवधि के लिए वेतन के किन्हीं बकायों का पात्र होगा और यदि हां तो किस सीमा तक, इस मामले में निर्णय नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक क्रियाविधि/आपराधिक अभियोजन के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए लिया जायेगा । जहां-कहीं भी प्राधिकारी द्वारा वेतन अथवा इसके किसी अंश के बकायों से इंकार किया जाता है तो ऐसे निर्णय के कारणों को रिकार्ड किया जायेगा । ऐसे सभी हालातों का पूर्वानुमान लगाया जाना तथा विस्तृत रूप में निरूपित करना संभव नहीं है, जिनके अन्तर्गत वेतन अथवा इसके किसी अंश के बकायों से इंकार किया जाना जरूरी हो । ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां कार्यवाही में, चाहे यह कार्यवाही अनुशासनिक अथवा आपराधिक स्वरूप की ही हो, शासकीय सेवक की वजह से देरी हुई हो अथवा अनुशासनिक कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति संदेह के लाभ के कारण अथवा साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण हो और जिसके लिए शासकीय सेवक के कृत्य के कारण साक्ष्य अनुपलब्ध हो गई हो । यह कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण ऐसी अस्वीकृति को न्यायोचित ठहराया जा सकता है ।

§2§ यदि अनुशासनिक कार्यवाही के परिणाम-स्वरूप शासकीय सेवक पर कोई शास्ति लगाई जाती है अथवा उसके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन में उसे दोषी पाया जाता है तो उस स्थिति में मुहरबंद लिफाफा खोलने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात् लिफाफे/लिफाफों में रखे निष्कर्षों पर कार्यवाही नहीं की जायेगी । अत:

ऐसी स्थिति में उसकी पदोन्नति के मामले पर, सामान्यतः उस पर आरोपित शास्ति को ध्यान में रखते हुए, अगली विभागीय पदोन्नति समिति में विचार किया जायेगा ।

(3) सामान्यतः किसी शासकीय सेवक को अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप दंडित तब ही करना चाहिए जब ऐसा करने के लिए जांच के निष्कर्षों में उपयुक्त/अच्छे एवं पर्याप्त (Good & Sufficient) आधार हों । जांच के फलस्वरूप ऐसे उपयुक्त/अच्छे एवं पर्याप्त आधार न हों तो शासकीय सेवक को दोषमुक्त करना चाहिए । शासन के ध्यान में यह बात आई है कि कई प्रकरणों को, जिनमें अपचारी अधिकारी के विरुद्ध की गई जांच में उनको दंडित करने के उपयुक्त / अच्छे एवं पर्याप्त आधार थे, केवल चेतावनी देकर समाप्त कर दिया गया और इस आधार पर अपचारी अधिकारी को पदोन्नत भी कर दिया गया इस प्रकार की कार्यवाही करना अनुचित है । मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत चेतावनी दण्ड की परिभाषा में नहीं आती । अर्थात् इन नियमों के अन्तर्गत जो दण्ड परिभाषित है, उनमें चेतावनी सम्मिलित नहीं है । नियमों के अन्तर्गत की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच के परिणामस्वरूप यदि यह पाया जाता है कि अपचारी शासकीय सेवक पर कुछ दोष आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उस पर कम से कम परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित करना आवश्यक है और ऐसे प्रकरणों को केवल चेतावनी देकर समाप्त नहीं करना चाहिए ।

"मुहरबंद लिफाफों" के मामलों की छः माही समीक्षा

4- यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि शासकीय सेवक के विरुद्ध लगाए गए किसी अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन के मामले में अनुचित रूप से विलम्ब न किया जाए और इस संबंध में कार्यवाही को शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप दिए जाने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि शासकीय सेवक के मामले को मुहरबंद लिफाफे में कम से कम अवधि तक ही रखा जाए । अतः संबंधित नियोक्ता प्राधिकारियों को चाहिए कि उनके द्वारा ऐसे शासकीय सेवकों के प्रकरणों की, जिनके उपयुक्तता संबंधी मामले को अगले ग्रेड पर पदोन्नति करने के लिए पहली विभागीय पदोन्नति समिति, जिसने उस शासकीय सेवक की उपयुक्तता पर निर्णय लिया था और साथ ही अपने निष्कर्षों को मुहरबंद लिफाफे में रखा था, के आयोजन की तारीख से छः माह की अवधि समाप्त होने पर विस्तृत रूप से समीक्षा की जाए । ऐसी समीक्षा बाद में भी हर 6 महीने के अन्तर पर की जानी चाहिए । इस समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ अनुशासनिक कार्यवाही

आपराधिक अभियोजन में हुई प्रगति का जायजा लिया जाना चाहिए तथा इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आगामी उपायों पर विचार किया जाना चाहिए ।

तदर्थ पदोन्नति के लिए क्रियाविधि ।

5.1- उपरोक्त पैरा-4 में उल्लिखित छःमाही समीक्षा किए जाने के बावजूद कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जिनमें पहली विभागीय पदोन्नति समिति, जिसने शासकीय सेवक के संबंध में अपने निष्कर्षों को मुहरबंद लिफाफे में रखा था, की बैठक की तारीख से दो साल बाद भी शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन संबंधी मामलों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया हो । ऐसी स्थिति में नियोक्ता अधिकारी ऐसे शासकीय सेवक के मामले की समीक्षा करें, बशर्ते कि वह शासकीय सेवक निलम्बनाधीन न हो तथा निम्न-लिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसे तदर्थ पदोन्नति दिए जाने की संभावना पर विचार किया जाए कि, -

(क) क्या शासकीय सेवक की पदोन्नति लोकहित के विरुद्ध होगी ?

(ख) क्या आरोप इतने गंभीर हैं कि उसे पदोन्नति से वंचित रखे रहना जरूरी है ?

(ग) क्या निकट भविष्य में प्रकरण के पूरा होने की संभावना है ?

(घ) क्या किसी विभागीय अथवा किसी न्यायालयीन कार्यवाही को अन्तिम रूप दिए जाने में होने वाले विलम्ब में सीधे तौर पर अथवा परोक्ष रूप में संबंधित शासकीय सेवक का कोई योगदान है ?

(ङ) क्या ऐसी कोई संभावना है कि संबंधित शासकीय सेवक तदर्थ पदोन्नति के बाद प्राप्त हुई अपनी सरकारी हैसियत का दुरुपयोग कर सकता है और जिसके परिणामस्वरूप विभागीय/आपराधिक अभियोजन के मामलों से संबंधित कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ?

लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप प्रारम्भ की गई विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक अभियोजन के मामलों में नियोक्ता प्राधिकारी को उक्त संस्थाओं से भी परामर्श करना चाहिए और उनके विचारों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

सेवा के समग्र रिकार्ड के आधार पर तदर्थ पदोन्नति हेतु मूल्यांकन।

§2§- यदि नियोक्ता प्राधिकारी इस आशय के किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शासकीय सेवक को तदर्थ पदोन्नति दिया जाना लोकहित के विरुद्ध नहीं होगा तो उस स्थिति में इस संबंध में इस आशय का कोई निर्णय लिए जाने के लिए कि क्या संबंधित शासकीय सेवक तदर्थ आधार पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त है या नहीं, उसके मामले को, दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, सामान्य रूप से आयोजित की जाने वाली अगली विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए । जहाँ शासकीय सेवक के नाम पर तदर्थ पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है, तो उस स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति को चाहिए कि वह उस शासकीय सेवक के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन के मामले पर ध्यान न देते हुए, उस व्यक्ति के सेवा के समग्र रिकार्ड के आधार पर उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करें ।

तदर्थ पदोन्नति का आदेश जारी किया जाना ।

§3§- किसी शासकीय सेवक को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिए जाने के बाद उसकी पदोन्नति का आदेश जारी किया जाए और जारी आदेश में आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाए कि :-

§i§ पदोन्नति विशुद्ध रूप में तदर्थ आधार पर की जा रही है और इस तदर्थ पदोन्नति से शासकीय सेवक को नियमित पदोन्नति का कोई हक हासिल नहीं होगा,

§ii§ की जा रही पदोन्नति का विभागीय जाँच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा

§iii§ पदोन्नति "आगामी आदेशों तक" ही होगी । आदेशों में यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि शासन/सक्षम प्राधिकारी उक्त तदर्थ पदोन्नति को रद्द करने तथा उसे वापस उसी पद पर भेजने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिस पद से उसे पदोन्नत किया गया था ।

तदर्थ पदोन्नति का नियमित किया जाना तथा पैरा 3§i§ की सुविधाएं दी जाना ।

§4§- यदि संबंधित शासकीय सेवक को मामले के गुण-दोष के आधार पर आपराधिक अभियोजन से दोषमुक्त कर दिया जाता है अथवा विभागीय कार्यवाही में पूरी तरह दोष रहित करार दिया जाता है, तो तदर्थ पदोन्नति को नियमित पदोन्नति में परिवर्तित कर दिया जाए और इस पदोन्नति को तदर्थ पदोन्नति होने की तारीख से ही सभी संबंधित सुविधाओं सहित

नियमित पदोन्नति के रूप में माना जाए । यदि ऐसे शासकीय सेवक का, मुहरबंद लिफाफे में रखी गई विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही में निश्चित किए गए उसके स्थानक्रम को देखते हुए तदर्थ पदोन्नति की तारीख से पहले की किसी तारीख से और उसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति की पदोन्नति की वास्तविक तारीख से, जिसे उक्त शासकीय सेवक के तत्काल बाद कनिष्ठ स्थान दिया गया है, सामान्यत: नियमित पदोन्नति मिल गई हो, तो उस स्थिति में उसे उपरोक्त पैरा 3(i) में निरूपित विधिवत् वरिष्ठता तथा कल्पित (नोशनल) पदोन्नति की सुविधायें दे दी जायेंगी ।

तदर्थ पदोन्नति निरस्त किया जाना ।

(5)- यदि शासकीय सेवक को आपराधिक अभियोजन से गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि तकनीकी आधार पर ऐसा किया जाता है और साथ ही शासन या तो इस मामले को किसी उच्च न्यायालय में ले जाना चाहता है अथवा विभागीय तौर पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता है अथवा ऐसे शासकीय सेवक को यदि विभागीय कार्यवाही में दोष रहित करार नहीं दिया जाता तो उसे दी गई तदर्थ पदोन्नति को रद्द कर दिया जाना चाहिए ।

स्थाईकरण के लिए "मुहरबंद लिफाफे" की क्रियाविधि ।

6- किसी निलम्बनाधीन शासकीय सेवक अथवा जिसके विरुद्ध अभियोजन में विभागीय जाँच चल रही हो, के स्थाईकरण के दावे पर विचार करते समय भी पिछली कंडिकाओं में उल्लिखित क्रियाविधि का ही अनुसरण किया जाना चाहिए । जब ऐसे किसी शासकीय सेवक के मामले को विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा मुहरबंद लिफाफे में रखा जाता है तो उसके लिए एक स्थाई रिक्ति भी सुरक्षित रखी जानी चाहिए ।

ऐसे शासकीय सेवक के प्रकरण में मुहरबंद लिफाफे की क्रिया-विधि, जिसके विरुद्ध कोई मामला विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद परन्तु वास्तविक रूप में उनकी पदोन्नति होने से पहले, सामने आता है ।

7- कोई शासकीय सेवक, जिसकी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति की सिफारिश तो की जाती है, परन्तु जिसके मामले में पैरा 2(i) में उल्लिखित कोई हालात विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, परन्तु वास्तविक रूप में उसकी पदोन्नति होने से पहले सामने आते हैं, तो उसके मामले में यह मानकर कार्यवाही की जावेगी कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उसके संबंधित अनुक्रम मुहरबंद लिफाफे में रखी गई है, अर्थात् ऐसे प्रकरण में पदोन्नति नहीं की जायगी और मुहरबंद लिफाफे की प्रक्रिया उसमें लागू हो गई मानी जायेगी । ऐसे शासकीय सेवक को तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा, जब तक उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त न

कर दिया जाए । यदि अपचारी अधिकारी दोषमुक्त नहीं होता है तो विभागीय पदोन्नति की सिफारिश पर अमल नहीं किया जायेगा ।

8- उपरोक्त विषय से संबंधित अनुशासनिक/न्यायालयीन मामले में अथवा अन्य किन्हीं शासकीय निर्देशों में जहां-कहीं पैरा-8 के मार्जिन में अंकित निर्देशों का उल्लेख हुआ हो तो उन्हें एतद् द्वारा निरस्त माना जाकर, उनके स्थान पर इन निर्देशों को पढ़ा जाए और इस ज्ञापन द्वारा जारी निर्देशों को सावधानीपूर्वक दृढ़ता से पालन कराया जाए ।

(बी०के० मेहरोत्रा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में किये गये संशोधन

Amendments made in The Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control And Appeal), Rules, 1966.

["मध्यप्रदेश राजपत्र" भाग 4 (ग), दिनांक 28 अक्टूबर 1988 में प्रकाशित]

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

भोपाल, दिनांक १ अक्टूबर १९८८

क्र. सी-५-६-८८-३-उनन्चास.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, १९६६ में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(१) नियम २३ में, खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्.—

"(तीन) नियम ९ के अधीन किया गया अथवा किया गया समझा गया निलंबन का आदेश.";

(२) विद्यमान नियम २७ को उसके उपनियम (२) के रूप में क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनः क्रमांकित उपनियम (२) के पूर्व, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(१) निलंबन आदेश के विरुध्द की गई अपील की दशा में अपीलीय प्राधिकारी नियम, ९ के उपबन्धों को एवं प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, यह विचार करेगा कि क्या निलंबन का आदेश न्यायोचित है या नहीं और तद्नुसार ऐसे आदेश की पुष्टि करेगा या उसे प्रतिसंहृत करेगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एन. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक १ अक्टूबर १९८८

क्र. सी-५-६-८८-३-उनन्चास.—भारत के संविधान के अनुच्छेद २४८ के खण्ड (२) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-५-६-८७-३-उनन्चास, दिनांक १ अक्टूबर १९८८ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एन. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 1st October 1988

F. No. C/5-6-87-3-XLIX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) in rule 23, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(iii) an order of suspension made or deemed to have been made under rule 9".

(2) the existing rule 27 shall be numbered as sub-rule (2) thereof and before sub-rule (2) as so renumbered the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(1) In the case of an appeal against an order of suspension, the Appellate Authority shall consider whether in the light of provisions of rule 9 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm revoke the order, accordingly."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

K. N. SHRIVASTAVA, Dy. Secy

भोपाल, दिनांक 22 जून 1992

क्र. सी-6-30-92-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 16 में, उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1—क) उप नियम (1) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मामले में शासकीय सेवक द्वारा, उक्त उप नियम के खण्ड (क) के अधीन किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् वेतन वृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोका जाना प्रस्तावित किया जाए और ऐसी वेतन वृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोके जाने से शासकीय सेवक को देय पेंशन की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या तीन वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए वेतन वृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोका जाना हो या किसी कालावधि के लिए संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोका जाना हो तो शासकीय सेवक पर, किसी ऐसी शास्ति को अधिरोपित करने वाला कोई आदेश करने से पूर्व नियम-14 के उप नियम (3) से (23) तक में दी गई रीति में ऐसी जांच की जाएगी."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश मेहरा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 1992

क्र. सी-6-30-92-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-30-92-3-एक, दिनांक 22 जून 1992 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश मेहरा, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 22nd June 1992

No. C-6-30-92-3-I.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 16 after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(1—A) Notwithstanding anything Contained in clause (b) of sub rule (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the Government Servant under clause (a) of that sub-rule to withhold increments of pay of Stagnation Allowance and such withholding or increments of pay or Stagnation Allowance is likely to effect adversely the amount of pension payable to the Government Servant or to withhold increments of pay or Stagnation allowance for a period exceeding three years or to withhold increments of pay or Stagnation allowance with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-rules (3) to (23) of rule 14, before making any order imposing on the Government Servant any such penalty."

By order and in the name of the Governor of
Madnya Pradesh,
OM PRAKASH MEHRA, Principal Secy.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347] भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अगस्त 1996—श्रावण 12, शके 1918

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1996

क्र. सी-6-2-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-9 में,

(एक) उप नियम (1) के विद्यमान परंतुक में शब्द 'परन्तु' के स्थान पर शब्द 'परन्तु यह और भी कि' स्थापित किये जाये; और

(दो) उप नियम (1) के विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित 'परंतुक अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

'परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जायेगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो.'

(तीन) उप नियम, (5) के खण्ड (घ) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाये, अर्थात्:—

'परंतु नियम, 9 के उप नियम (1) के प्रथम परंतुक के अधीन किया गया निलंबन आदेश तब तक प्रतिसंहृत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके बारे में सरकार द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए आदेश पारित नहीं कर दिया जाये.'

2. यह संशोधन दिनांक 17 अप्रैल, 1996 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्ड्या, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1996

क्र. सी-6-2-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-2-96-3-एक, दिनांक 3 अगस्त 1996 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्ड्या, अपर सचिव

Bhopal, the 3rd August 1996

No. C-6-2-96-3(I).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Rule 9,—

(i) in the exsting proviso to sub-rule (1) for the words "Provided that" the words "Provided further that "shall be substituted, and

(ii) before the existing proviso to sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that a Government Servant shall invariably be placed under suspension when a challan for a criminal offence involving corruption or other moral turpitude is filed against him."

(iii) to clause (d) of sub-rule (5) the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that an order of suspension made under the first proviso to sub-rule (1) of rule 9 shall not be revoked except by an order of the Government made for reasons to be recorded."

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from the 17th April, 1996.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. C. PANDYA, Addl. Secy.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. 2
डब्ल्यू-पी/505/98

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 2/पी-122/98

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 मई 1998—वैशाख 31, शक 1920

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मई 1998

क्र. सौ-6-3-98-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 9 के उपनियम (2-क) के विद्यमान् परन्तुक में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर " राज्य सरकार या उच्च न्यायालय" स्थापित किए जाएं.

(2) नियम 12 के उपनियम (3) के खण्ड (क) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाय, अर्थात्:—

"परन्तु उच्च न्यायालय को, नियम 10 के खण्ड (छह) (जहां तक कि वह रेंक अर्थात् पद या सेवा में कटौती से संबंधित है) तथा खण्ड (सात) से (नौ) में यथाविनिर्दिष्ट शास्तियों को छोड़कर समस्त शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति होगी."

(3) नियम 18 के उपनियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"परन्तु इस नियम के अधीन राज्यपाल को प्रदत शक्तियों का प्रयोग न्यायिक अधिकारियों के मामले में, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाएगा."

(4) नियम 22 के खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखत खण्ड जोड़ा जाय, अर्थात्:—

"(चार) अपीलीय प्राधिकारी के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया कोई आदेश"

(5) नियम 29 में, विद्यमान् स्पष्टीकरण का स्पष्टीकरण-एक के रूप में क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार क्रमांकित किये गये स्पष्टीकरण-एक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण-अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण-दो

इस नियम के अधीन राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, न्यायिक अधिकारियों के मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा किया जायगा."

(6) अनुसूची में शीर्ष "विधि विभाग" के अधीन वर्ग-एक तथा वर्ग-दो से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

नियम 5, 10, 24 तथा 29 देखिये

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	वह प्राधिकारी जो उन शास्तियों को अधिरोपित करने के लिये सक्षम होगा जिन्हें कि वह नियम 10 में दिये गये मद क्रमांक के संदर्भ में अधिरोपित कर सकेगा		
		प्राधिकारी	शास्ति	अपीलीय प्राधिकारी
वर्ग-एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य)	राज्यपाल (राज्य सरकार)	1. मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किये गये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रशासकीय समितियां.	(एक) से (पांच) तथा (छह) से वेतन या श्रेणी के निम्न समय वेतनमान की अवनति की सीमा तक.	उच्च न्यायालय.
		2. राज्य सरकार (उच्च न्यायालय की सिफारिशों के अनुसार राज्यपाल)	(छह) से पद या सेवा में अवनति की सीमा तक अर्थात् रैंक में अवनति और (सात) से (नौ) तक.	उच्च न्यायालय के परामर्श से या उच्च न्यायालय की सिफारिशों के अनुसार राज्यपाल.
वर्ग-दो व्यवहार न्यायाधीश (निम्नस्तर न्यायिक सेवा के सदस्य)	राज्यपाल (राज्य सरकार)	(एक) मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त की गयी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रशासकीय समितियां.	(एक) से (पांच) तक और (छह) वेतनमान श्रेणी के निम्न समय वेतनमान की अवनति की सीमा तक.	उच्च न्यायालय.
		(दो) राज्य सरकार (राज्यपाल) उच्च न्यायालय की सिफारिशों के अनुसार.	(छह) से पद या सेवा में अवनति की सीमा तक, अर्थात् रैंक में अवनति, और (सात) से (नौ) तक.	उच्च न्यायालय के परामर्श से या उच्च न्यायालय की सिफारिशों के अनुसार राज्यपाल.

भाग –दो

पद का वर्णन	निलम्बन आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
समस्त न्यायिक अधिकारी (उच्च न्यायिक सेवा और निम्नस्तर न्यायिक सेवा के सदस्य)	मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त की गयी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रशासकीय समितियां.	उच्च न्यायालय

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मई 1998

क्र. सी-6-3-98-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-6-3-98-3-एक, दिनांक 20 मई 1998 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 20th May 1998

No.C-6-3-98-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely:—

AMENDMENT

In the said Rules,—

(1) in the existing proviso to sub-rule (2-a) of rule 9, for the words "State Government", the words "State Government of the High Court" shall be substituted.

(2) in clause (a) of sub-rule (3) of rule 12, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the High Court shall have the power to impose all the penalties except penalties as specified in clause (vi) (so far as it relates to reduction in rank *i. e.* post of service), and clauses (vii) to (ix) of rule 10."

(3) in sub-rule (1) of rule 18, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the powers conferred on the Governor under this rule shall in case of Judicial Officers, be exercised by the Chief Justice."

(4) after clause (iii) of rule 22, the following clause shall be added, namely:—

" (iv) any order passed by the High Court as an Appellate Authority."

(5) in rule 29, the existing explanation shall be numbered as explanation 1 and after explanation 1, so numbered the following explanation shall be inserted, namely:—

EXPLANATION -II

"The powers conferred on the Governor under this rule shall, in the case of Judicial Officers be exercised by the High Court."

(6) in the Schedule under the heading "Law Department" for the entries relating to Class-I and Class-II, the following entries shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

(See Rule 5, 10, 24 and 29)

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties which it may impose with reference to item Numbers in Rule 10		
Class-I District & Sessions Judges (Members of High Judicial Service)	Governor (State Govt.)	1. Administrative Committees of High Court Judges, appointed by the Chief Justice.	(I) to (V) and (vi) to the extent of reduction to lower time scale of pay or grade.	High Court
		2. State Government (Government as per recommendations of the High Court.	(vi) to the extent of reduction to post or service *i. e.* reduction in rank and (vii) to (ix)	Governor in consultation with the High Court (or in accordance with the recommendations of the High Court).
Class-II Civil Judges (Members of Lower Judicial Service)	Governor (State Govt.)	1. Administrative Committees of High Court Judges, appointed by the Chief Justice.	(I) to (V) and (vi) to the extent of reduction to lower time scale of pay or grade.	High Court
			(vi) to the extent of reduction to post or service *i. e.* reduction in rank, and (vii) to (ix)	Governor in consultation with the High Court (or in accordance with the recommendations of the High Court).

PART - II

Description of post	Authority to pass order of suspension	Appellate Authority
All the Judicial Officers (Members of HJS and LJS).	Administrative Committees of High Court, Judge, appointed by the Chief Justice.	High Court

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. M. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

...व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
...द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
...नुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.
... भु./04 भोपाल-2002.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 108/भोपाल/2002.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

...मांक 255] भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 जून 2002—ज्येष्ठ 27, शक 1924

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2002

क्र. सी. 6-5-2002-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों, को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, शब्द "पांच रुपये" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" स्थापित किए जाएं .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम . के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2002

क्र. सी. 6-5-2002-3- एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी. 6-5-2002-3-एक, दिनांक 17 जून, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम . के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 17th June 2002

No. C. 6-5-2002--3-EK.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 11, for the words " Rupees five" wherever they occur, the words " Rupees fifty" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Addl. Secy.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
वि.पू.भु.-04 भोपाल-03-05.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 मार्च 2005—फाल्गुन 26, शक 1926

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2005

क्र. सी-6-1-2004-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 14 में, उपनियम (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि, जहां यौन उत्पीड़न की शिकायत, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 के उपनियम (3) के अभिप्राय के अन्तर्गत आती हो, वहां प्रत्येक विभाग अथवा कार्यालय में ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए गठित की गई शिकायत समिति को, ऐसे नियमों के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया जांच प्राधिकारी समझा जाएगा और यदि, यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत समिति के लिए कोई पृथक् प्रक्रिया विहित नहीं की गई है तो शिकायत समिति जहां तक साध्य हो, इन नियमों में अधिकथित की गई प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष डाफणे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2005

क्र. सी-6-1-2004-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-6-1-2004-3-एक, दिनांक 17 मार्च 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष डाफणे, उपसचिव.

Bhopal, the 17th March 2005

No. C-6-1-2004-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely:—

AMENDMENT

In the said Rules, in Rule 14, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of sub-rule (3) of Rule 22 of the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, the complaints committee established in each Department or Office for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of these rules and the complaints committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the complaints committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as far as practicable in accordance with the procedure laid down in these rules.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SUBHASH DAFNEY, Dy. Secy.

ाक-व्यय की पूर्व-अदायगी डाक
रा भेजे जाने के लिए अनुमत.
नुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
र्व भुगतान भोपाल-06-08.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

ंमांक 67] भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 2007—फाल्गुन 7, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2007

क्र. सी. 6-1-2007-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते , अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-9 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

''परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जाएगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात् उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश अर्गल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2007

क्र. सी. .6-1-2007-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 फरवरी 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अखिलेश अर्गल, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th February 2007

No.-C-6-1-2007-3-EK.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for first proviso to sub-rule (1) of Rule 9, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that a Government Servant shall invariably be placed under suspension when a challan for a criminal offence involving corruption or other moral turpitude is filed after senction of procecution by the Government against him."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

AKHILESH ARGAL, Addl. Secy

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 11/2014/परीक्षा/दिनांक 05/09/2014 **प्रकाशन की तिथि 10/09/2014**

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 10/09/2014 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 09/10/2014 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक **10/09/2014** को मध्यान्ह 12:00 बजे से **09/10/2014** रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 10/10/2014 अपरान्ह 12:00 बजे से 16/10/2014 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
6. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रुप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **उच्च शिक्षा विभाग** के अंतर्गत **"सहायक प्राध्यापक"** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:–

क्र.	पद तथा विभाग का नाम		कुल रिक्तियों की **वर्गवार** संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में **निःशक्तजन** के लिए वर्गवार आरक्षित पद				योग	वेतनमान (₹)
			अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
A	**सहायक प्राध्यापक**	**(उच्च शिक्षा विभाग)**														15600–39100+6000
1	अंग्रेजी	English	26	7	19	9	8	2	6	3	1-OH 1-DH	-	1-OH	1-OH	**61**	
		बैकलॉग	-	11	13	-	-	3	4	-	-	1-OH	1-OH	-	**24**	
2	भौतिकशास्त्र	Physics	10	3	8	3	3	1	2	1	1-OH	-	-	-	**24**	
		बैकलॉग	-	9	9	-	-	3	3	-	-	1-OH	1-OH	-	**18**	
3	राजनीतिशास्त्र	Political Science	26	7	19	9	8	2	6	3	1-OH 1-DH	-	1-OH	1-OH	**61**	
4	हिन्दी	Hindi	31	9	23	10	9	3	7	3	1-OH 1-DH	-	1-OH	1-OH	**73**	
5	संस्कृत	Sanskrit	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	**7**	
		बैकलॉग	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	**4**	
6	माइक्रोबायोलॉजी	Microbiology	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**	
7	गृह विज्ञान	Home Science	5	2	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	**13**	
8	वाणिज्य	Commerce	56	16	42	19	17	5	13	6	2-OH 1-DH 1-BH	1-OH	1-OH 1-DH	1-OH	**133**	
		बैकलॉग	-	2	19	-	-	-	6	-	-	-	1-OH	-	**21**	
9	रसायनशास्त्र	Chemistry	35	10	27	12	11	3	8	4	1-OH 1-DH	1-OH	1-OH	1-OH	**84**	
		बैकलॉग	-	2	14	-	-	-	4	-	-	-	1-OH	-	**16**	
10	गणित	Mathematics	10	3	7	3	3	1	2	1	1-OH	-	-	-	**23**	
		बैकलॉग	-	8	9	-	-	2	3	-	-	-	1-OH	-	**17**	
11	अर्थशास्त्र	Economics	20	6	15	6	6	2	5	2	1-OH 1-DH	-	-	-	**47**	
		बैकलॉग	-	-	9	-	-	-	3	-	-	-	1-OH	-	**9**	
12	इतिहास	History	12	4	9	4	4	1	3	1	1-OH	-	-	-	**29**	
13	वनस्पतिशास्त्र	Botany	33	9	25	11	10	3	8	3	1-OH 1-DH	-	1-OH	1-OH	**78**	
		बैकलॉग	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**	
14	प्राणीशास्त्र	Zoology	31	9	24	10	9	3	7	3	1-OH 1-DH	-	1-OH	1-OH	**74**	
		बैकलॉग	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	
15	भूगोल	Geography	22	6	17	8	7	2	5	2	1-OH 1-DH	-	1-OH	-	**53**	
16	समाजशास्त्र	Sociology	22	6	17	8	7	2	5	2	1-OH 1-DH	-	1-OH	-	**53**	

क्रमशः

क्र.	पद तथा विभाग का नाम		कुल रिक्तियों की **वर्गवार** संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में **निःशक्तजन** के लिए वर्गवार आरक्षित पद				योग	वेतनमान (₹)
			अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
17	टसरटेक्नोलॉजी	Taser Technology	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	
18	सेरिकल्चर	Sericulture	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**3**	
19	भू–गर्भशास्त्र	Geology	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**3**	
		बैकलॉग	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4**	
20	मानवशास्त्र	Anthropology	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	
21	मनोविज्ञान	Psychology	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**	
		बैकलॉग	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	
22	कम्प्यूटर साईंस	Computer Science	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**6**	
23	बायोटेक्नोलॉजी	Biotechnology	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**	
24	संस्कृत साहित्य	Sanskrit Sahitya	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	
25	सूचना प्रौद्योगिकी	Information Technology	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	
26	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	Computer Application	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	**7**	
27	विधि	Law	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**5**	
		बैकलॉग	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**	
														कुल पद :–	**966**	

Abbreviations:- OH = Orthopedic Handicaped (अस्थि बाधित), DH = Deaf Handicaped (श्रवण बाधित) , BH= Blind Handicaped (दृष्टि बाधित)

महत्वपूर्ण टीप :–

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

2. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

3. निःशक्तता का प्रकारः–छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अस्थि बाधित, श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित निःशक्तजन ही मान्य होंगे।

4. रिक्तियों में आरक्षण :–

(i) उपर्युक्त तालिका के कालम नं. 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

5. परीक्षा योजना **परिशिष्ट 'एक'**, पाठ्यक्रम **परिशिष्ट 'दो'** एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी **परिशिष्ट 'तीन'** में उल्लेखित है।

6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) पद का विवरण, शैक्षणिक अर्हता/अनुभवः–

(A) सहायक प्राध्यापकः– (राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी)

(क) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि स्तर में संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक अथवा 7 बिन्दु ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड ''बी'' अथवा किसी भारतीय विश्वविद्यालय या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि।

(ख) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के बाद भी अभ्यर्थी को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित (मान्यता प्राप्त) समतुल्य परीक्षा जैसे कि स्लेट/सेट उत्तीर्ण करना होगा।

(ग) उप–खण्ड (क) तथा (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या जिन्हें प्रदान की गई हो, को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के सहायक प्राध्यापक या उसके समतुल्य स्थिति के पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

(घ) ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए नेट/स्लेट/सेट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, के लिए नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।

नोटः–

(एक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त व्यक्ति तथा दृष्टिहीन व्यक्ति के संवर्ग के व्यक्तियों को शिक्षण संबंधी स्थानों (पदों) पर सीधी भर्ती के दौरान उनके पात्रता एवं अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के निर्धारण के उद्देश्य से, स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकेगी। पात्रता के लिए 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां पर ''पाईंट स्केल'' की समकक्ष श्रेणी में) तथा उपरोक्त उल्लेखित संवर्गों के लिए 5 प्रतिशत की छूट, किसी अनुग्रह अंक के सम्मिलित करने की प्रक्रिया के बिना, केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी।

(दो) ऐसे पी.एच.डी. धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली हो, के अंकों में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी जो कि 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत होगी।

(तीन) जहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहां संबंधित श्रेणी, जो 55 प्रतिशत के यथा समतुल्य मानी गई हो, पात्रता समझी जाएगी।

टीपः– अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड से अभिप्रेत हैः–

1. (एक) उच्चतर माध्यमिक – न्यूनतम 50 प्रतिशत
   (दो) स्नातक (अन्डर ग्रेजुएट) – न्यूनतम 50 प्रतिशत

2.

श्रेणी	**श्रेणी बिन्दु (पाईंट)**	**समतुल्य प्रतिशत**
'O'	5.50 - 6.00	75 - 100
'A'	4.50 - 5.49	65 - 74
'B'	3.50 - 4.49	55 - 64
'C'	2.50 - 3.49	45 - 54
'D'	1.50 - 2.49	35 - 44
'E'	0.50 - 1.49	25 - 34
'F'	0.00 - 0.49	00 - 24

(3) परिवीक्षा अवधि :– चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति **02 वर्ष** की परिवीक्षा पर की जाएगी।

क्रमशः

महत्वपूर्ण नोटः–

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं (स्नातक/स्नातकोत्तर/नेट/स्लेट/सेट/पीएच.डी. आदि) एवं अन्य अर्हताओं का ''प्रमाण–पत्र'' ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं (स्नातक/स्नातकोत्तर/नेट/स्लेट/सेट/पीएच.डी. आदि) एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) निर्धारित आयु सीमाः– अभ्यर्थी की आयु दिनांक **01.01.2014** को **21 वर्ष से कम तथा 32 वर्ष से अधिक न हो,** परन्तु **छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी** अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 32 वर्ष के स्थान पर **40 वर्ष होगी।**

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः–

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके **परिणाम–स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरणः–''छटनी किये गये सरकारी सेवक''** से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु **आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।**

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी **परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।**

(v) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी।

(vii) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की **उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

(viii) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये **उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।**

(ix) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(x) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है। **यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।**

महत्वपूर्ण टीपः–

(i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर **दिनांक 15.06.2010** में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर **दिनांक 27.09.2013** में दिए गए निर्देश के अनुसार **छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु एक बार के लिए 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी,** परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली **सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।**

(ii) आयु की गणना दिनांक – 01.01.2014 के संदर्भ में की जाएगी।

(5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं (स्नातक/स्नातकोत्तर/नेट/स्लेट/सेट/पीएच.डी. आदि) एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन–पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा **चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।**

(6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः– साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण–पत्र यथा–स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं (स्नातक/**

क्रमशः

स्नातकोत्तर/नेट/स्लेट/सेट/पीएच.डी. आदि) एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

(iv) जाति प्रमाण पत्र :–

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

(d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:–

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ii) विज्ञापन की कंडिका – **4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi)**, एवं **4(vii)** के अंर्तगत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – **4(viii)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – **4(ix)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(v) विज्ञापन की कंडिका – **4(x)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए **''**शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार**''** प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – **4(xi)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए **''**सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव**''** का प्रमाण–पत्र।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) आपराधिक अभियोजन :–

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:–

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश–पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी–

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा–

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि–

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) अनर्हता:– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों

और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(vi) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(10) चयन प्रक्रिया :– विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं।

(i) उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) परीक्षा योजना **परिशिष्ट–'एक'** एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–'दो'** में दिया गया है।

(iii) ऑनलाइन परीक्षा हेतु रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/अम्बिकापुर/जगदलपुर परीक्षा केन्द्र होगा।

(11) ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :–

(i) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं, के लिए रूपये **300/–** (रूपये तीन सौ) एवं शेष सभी श्रेणी के लिए तथा छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये **400/–** (रूपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

(12) ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में :–

(i) आयोग द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) अभ्यर्थी आयोग को ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न–पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न–पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर को मय दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन/शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 15 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(13) यात्रा व्यय का भुगतान :–

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

(ii) **साक्षात्कार के लिये** – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार **कंडिका 13(i)** में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(14) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन **(Interpretation)**:–

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/–
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर

क्रमशः

परिशिष्ट - एक
"परीक्षा योजना"

(1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण ऑनलाइन परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।

ऑनलाइन परीक्षा	–	300 अंक
साक्षात्कार	–	30 अंक
कुल	–	**330 अंक**

(2) **ऑनलाइन परीक्षाः–**

(i) ऑनलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगाः–

प्रश्न पत्र–I

प्रश्नों की संख्या 150 3:00 घंटे अंक 300

भाग 1 – छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान – 50 प्रश्न (100 अंक)
भाग 2 – ऐच्छिक विषय – 100 प्रश्न (200 अंक)

कुल – 150 प्रश्न (300 अंक)

(3) ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये पांच संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, द और इ में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स, द या इ में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।

(4) प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक प्राप्त होंगे। अभ्यर्थी केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दें जिनके संबंध में वे आश्वस्त हों कि वह उत्तर सही है, क्योंकि प्रत्येक गलत उत्तर पर एक अंक कम किया जाएगा। (कुल प्राप्त अंक (2R-W) होंगे जहां R = सहीं उत्तरों की संख्या एवं W = गलत उत्तरों की संख्या)

* किसी प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने पर संबंधित प्रश्न के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी।

(5) पाठ्यक्रम की जानकारी **परिशिष्ट–दो** में दी गई है।

(6) ऑनलाइन परीक्षा के अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23 प्रतिशत होंगे।

(7) **साक्षात्कारः–** साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।

(8) **साक्षात्कार** के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

(9) **चयन सूचीः–** उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

□□□□□

परिशिष्ट-दो

"पाठ्यक्रम"

"प्रश्नपत्र–I"

भाग-1

छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशायें।
3. छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढ़ांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं।

Part-1

General Knowledge of Chhattisgarh

1. History of Chhattisgarh and contributions of Chhattisgarh in freedom sruggle.
2. Geography, water, mineral resources, climate and physical conditions.
3. Literature, music, dance, art and culture of Chhattisgarh.
4. Tribals, dialects, teej and festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, forest and agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative structure of Chhattisgarh, local government and Panchayati Raj.
7. Human Resources and energy resources in Chhattisgarh.
8. Education, health and contemporary events in Chhattisgarh.

भाग-2

ऐच्छिक विषय

(01) - ENGLISH

The paper will cover the study of English literature from Shakespeare to 1950. A first hand reading of the prescribed texts and critical ability is required to be tested.

I **Literary Forms**
Poetry : Lyric, Ode, Sonnet, Elegy, Satire, Epic
Drama :Tragedy, Comedy, Farce, Melodrama,
One Act Play, Masque

II **William Shakespeare:** General questions on the writer and a critical study of the following works: Hamlet, The Tempest

III **A critical study of the following poets with reference of the poems shown against each of them:**

Milton	:	Sonnets
Pope	:	Essay of Man
Johnson	:	The Vanity of Human Wishes
Wordsworth	:	Tintern Abbey. Immortality Ode, Milton
Keats	:	Odes
Tennyson	:	Ulysses
Browning Robert:		Andrea Del Sarto, Rabbi Ben Ezro
Arnold	:	Dover Beach

IV **The works of the following novelists with special reference to the novels mentioned against each of them:**

Dickens	:	Oliver Twist
Thomas Hardy	:	Tess of the D'urbervilles
Thackeray	:	The History of Henry Esmond
Aristotle	:	Poetics
Longinus	:	On the Sublime
Dryden	:	Essay on Dramatic Poesie
Coleridge	:	Biographia Literaria
Arnold	:	The Study of Poetry, The Function of Criticism at the present time
Eliot	:	Tradition and Individual Talent, Milton and Il'Penseroso

V(a) **A critical study of the 20th century writers and their works:**

E.M. Forster	:	A Passage to India
D.H. Lawrence:		Sons and Lovers
G.B. Shaw	:	Saint Joan
W.B. Yeats	:	Byzantium, The Second Coming, A Prayer to My Daughter
T.S. Eliot	:	Gerontion, The Waste Land
W.H. Auden	:	In Memory of W.B. Yeats, The Shield of Achilles

(b) American Literature

Emerson	:	The American Scholar
Thoreau	:	Civil Disobedience
Hawthorne	:	The Scarlet Letter
S. Crane	:	The Red Badge of Courage
Eugene O'Neill:		The Hairy Ape.

(02) - भौतिकशास्त्र

1. **यांत्रिकी :–** संरक्षण नियम, जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय निर्देशतन्त्र, आपेक्षिकता का विशिष्ठ सिद्धान्त, लारेंज रूपान्तरण, $E=MC^2$, दृढ पिण्डों की गति, कोणीय संवेग, बरनौली समीकरण एवं स्टोक का नियम, प्रत्यास्थता, दण्डों एवं स्तम्भों का बंकन, ऐंठन के कारण बल युग्म, पॉइसन निष्पत्ति।
2. **गणितीय भौतिक :–** सदिश, प्रवणता (Gradient), अपसरण एवं कर्ल की अभिधारणा, गॉस और स्टोक के प्रमेय, आव्यूह गुणन, विभिन्न प्रकार के आव्यूह, रेखीय समीकरण निकाय, आइगन मान और आइगन फलन।
3. **उष्मीय तथा सांख्यिकीय भौतिकी :–** उष्मा गतिकी के विभिन्न नियम, बिन्दु फलन और मार्ग फलन की अभिधारणा, कार्नों का प्रमेय, ताप का परम मापक्रम, एन्ट्रॉपी, उष्मागतिक विभव, मैक्सवेल संबंध और उसके अनुप्रयोग, मेक्सवेल बौल्ट्समेन वितरण, गिब्स संयोजन की अभिधारणा, चिरसम्मत (कैनोनिकल) समुदाय, एन्ट्रॉपी की सांख्किीय व्याख्या, बोस आइन्स्टीन एवं फर्मी–डिरांक सांख्किीय।
4. **तरंगे एवं दोलन :–** एक विमीय तरंग का समीकरण तथा उसका हल, ठोस में प्रत्यास्थ तरंगे एवं गैस में दाब तरंगे, कला वेग और समूह वेग, मुक्त, प्रेणोदित और स्थापित कम्पन, अनुनाद, विशेषता गुणांक। व्यतिकरण, न्यूटन वलय, बाईप्रिज्म, माइकल्सन व्यतिकरण मापी, विवर्तन, फ्रेनल और फ्राऊनहॉफर विवर्तन, एकल, द्वि एवं n झिरियों द्वारा विवर्तन, जोन प्लेट, वर्ण विक्षेपण क्षमता और विभेदन क्षमता, विभेदन की रैले की कसौटी, ध्रुवण, अर्धतरंग पट्टिका एवं चतुर्थांशं तरंग पटिट्का, समतल ध्रुवित, वृत्तीय ध्रुवित एवं दीर्धवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन एवं विश्लेषण, स्वतः एवं उद्दीपित उत्सर्जन, लेसर का सिद्धांत।
5. **विद्युतचुम्बकीय प्रेरण, स्वप्रेरण एवं इलेक्ट्रानिक्स :–** स्व एवं अन्योन्य प्रेरण, LCR परिपथ, श्रेणी एवं समान्तर परिपथ, स्वीकारक और अस्वीकारक परिपथ, मैक्सवेल समीकरण और विद्युतचुम्बकीय तरंगे, पॉइटिंग सदिश। अन्तर्वर्ती और बहिर्वर्ती अर्धचालक, P-N सन्धि, जेनर डायोड, दृष्टीकरण एवं प्रवर्धन में डायोड एवं ट्रांजिस्टर का उपयोग, रेडियो आवृत्ति तरंगों का मॉडुलेशन एवं संसूचन, लॉजिक द्वार।
6. **प्रकाशीय एवं X किरण वर्तांक्रम :–** परमाणु का वेक्टर मॉडल, वर्णक्रम रेखाओं की सूक्ष्म संरचना, J-J युग्मन और L-S युग्मन, सामान्य और असामान्य जीमन प्रभाव, रमन प्रभाव, रेडियोधर्मिता, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, विखंडन और संलयन, मूल भूत कण और उनका वर्गीकरण, साईक्लोट्रॉन, अतिचालकता की प्रारंभिक

क्रमशः

अभिधारणा।

7. **लेग्रान्जी समीकरण,** हेमिल्टन का सिद्धांत, फर्मेट का न्यूनतम क्रिया नियम, गोलीय संनादी एवं फलन, लेजेन्ड्रे, बैसल और हरमाईट पोलीनामियल, कांची–रिमन अवस्था, कांची समाकलन प्रमेय और सूत्र।

8. **क्वान्टम यांत्रिकी : –** गतिक चरों का संकारक द्वारा निरूपण, आपरेटर का बीज गणित, श्रोडिंजर तरंग समीकरण एवं उसके अनुप्रयोग, बॉक्स में मुक्त कण, विभव प्राचीर, सरल आवर्ती दोलित्र एवं हाइड्रोजन परमाणु, कक्षीय कोणीय संवेग की अभिधारणा, आइगन मान और आइगन फलन L_x, L_y, एवं L_z, क्रम – विनिमेय नियम।

9. **नाभिक के मूल गुण धर्म : –** द्रव – बूँद मॉडल, नाभिकीय कोश मॉडल, अभिक्रिया परिच्छेद, नाभिकीय अभिक्रियाऐं, बोर का नाभिकीय सिद्धांत, नाभिकीय विखंडन एवं इसकी द्रव बूँद मॉडल द्वारा व्याख्या। प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था में संलयन अभिक्रिया, संलयन रियेक्टर, तारकीय ऊर्जा।

10. **ठोस का बैन्ड सिद्धांत,** चालक, धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व, फर्मी ऊर्जा, ऊर्जा बैंड का क्रोनिंग–पैनी माडल, हॉल प्रभाव, अनुचुम्बकत्व का लैन्जेविन सिद्धांत एवं क्यूरी वॉइस नियम।

(02) - PHYSICS

1. **Mechanics :-** Conservation Laws, Inertial and non inertial frame of reference, Special theory of Relativity, Lorentz transformation, $E=MC^2$, Motion of rigid bodies, Angular momentum, Bernoulli's equation and Stoke's law, Elasticity, Bending of beams and cantilever, Couple due to twisting, Poisson's ratio.

2. **Mathematical Physics :-** Vectors, concept of Gradient, Divergence and Curl, Gauss and Stoke's theorem, Matrice Multiplication, different type of Matrices, System of equations, Eigen values and Eigen functions.

3. **Thermal and Statistical Physics :-** Different laws of thermodynamics, Concepts of point function and Path Functions, Carnot's theorem, Absolute scale of temperature, Entropy, Thermodynamic potentials, Maxwell's relation and their applications, Maxwell-Boltzmann distribution, Concepts of Gibb's Ensemble, Canonical ensemble, Statistical interpretation of entropy, Bose-Einstein and Fermi-Dirac Statistics.

4. **Waves and Oscillations :-** One dimensional wave equation and its solution, Elastic Waves in solids and pressure waves in gases, phase velocity and Group velocity, free, forced and maintained vibrations. Resonance, Quality factor, Interference, Newton's ring, Biprism, Michelson interferometer, Diffraction, Fresnel and Fraunhoffer class of diffraction. Diffraction due to single, double and n slits. Zone plate, Dispersive Power and Resolving Power, Rayleigh's criterion for resolution, Polarization, Half wave plate and quarter wave plate, production and analysis of plane circularly and elliptically polarized light, spontaneous and stimulated emission, Principle of LASER.

5. **Electromagnetic Induction and Electronics :-** Self and mutual inductance, LCR circuits, series and parallel circuits, Acceptor and Rejecter circuits, Maxwell's equation and Electromagnetic waves, Poynting vector, Intrinsic and extrinsic semiconductors, P-N junction, Zener diode, Use of diodes and transistors for rectification and amplifications, modulation and detection of radio frequency Waves, Logic gates.

6. **Optical and X-ray spectra:-** Vector model of the atom, fine structure of spectral lines, J-J and L-S couplings, Normal and anomalous Zeeman effect, Raman effect, Radio activity, nuclear binding energy, fission and fusion, Elementary particles and their classification, Cyclotron, Elementary idea of super conductivity.

7. **Lagrange's Equation,** Hamilton's Principles, Fermat's principle of least action, Spherical harmonics and functions, Legendre, Bessel and Hermite Polynomials, Cauchy's Reimann condition, Cauchy's integral theorem and formula.

8. **Quantum Mechanics:-** Representation of dynamic variables by operators, Operators Algebra, Schrodinger wave equation and its application, Free particle in a box, Potential barrier, Simple harmonic oscillator and Hydrogen atom, Concept of orbital angular momentum. Eigen values and Eigen function L_x, L_y, and L_z, Commutative rules.

9. **Basic Properties of nucleus:-** Liquid drop model, nuclear shell model, reaction cross section, nuclear reaction, Bohr's nucleus theory. Nuclear fission and its explanation by liquid drop model, Plasma, fusion reaction in Plasma, fusion reactor, stellar energy.

10. **Band theory of solids,** conductors, free electron model of metal, density of states, fermi energy, Kronig-Penny Model for energy bands. Hall effect. Langevin's theory of paramagnetism and Curie Weiss Law.

(03) - राजनीतिशास्त्र

1. प्राचीन भारतीय राजनैतिक विचार के प्रमुख लक्षण, मनु और कौटिल्य, प्राचीन यूनानी विचारधारा की विशेषताएँ प्लेटो, अरस्तू, मध्यकालीन राजनैतिक विचार की सामान्य विशेषताएं, संत थामस एक्विनास, मार्सिलियों ऑफ पेडुआ, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू रूसो, बेन्थम, जे.एस.मिल, टी.एच. ग्रीन. हीगेल, मार्क्स, लेनिन और माओ–त्से–तुंग, लास्की।

2. राजनीति विज्ञान का स्वरूप और क्षेत्रः– स्वतंत्र विषय के रूप में राजनीति विज्ञान का विकास राजनीति एक विशिष्ट मानव व्यवहार के रूप में परम्परागत बनाम समसामयिक उपागम, व्यवहारवाद व्यवस्था और सिद्धान्त और अन्य आधुनिक उपागम उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण का माक्सर्वादी उपागम।

3. आधुनिक राज्य की उत्पत्ति और स्वरूपः संप्रभुता, संप्रभुता का अद्वैतवादी और बहुल सत्तावादी विचार, शक्ति, सत्ता, वैधता, राष्ट्र राज्य प्रणाली।

4. राजनैतिक बाध्यताएँ – प्रतिरोध, क्रांति, अधिकार, स्वतत्रंता, समानता, न्याय।

5. लोकतंत्र का सिद्धान्त।

6. राजनीतिक विचारधारायें – आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद (लोकतांत्रिक और फैबियन) उदारवाद, फासीवाद, मार्क्सवादी।

7. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागमः पारंपरिक और संरचनात्मक– प्रकार्यात्मक उपागम, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक सम्प्रेषण और राजनीतिक विकास की अवधारणा।

8. दल व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया – दल व्यवस्था, दबाव समूह, प्रतिनिधित्व और निर्वाचन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही।

9. भारतीय शासन व राजनीतिः
   (क) आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद एवं उप निवेशवाद राजा राममोहन राय, दादाभाई नौराजी, गोखले, तिलक, श्री अरविंद, भीमराव अंबेडकर, एम.एन. रॉय गांधी और नेहरू।
   (ख) गठन : भारतीय संविधान सभा का गठन – प्रस्तावना मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धान्त, संघ सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमण्डल, संसद और संसदीय प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय और न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक समीक्षा, भारतीय संघवाद, केन्द्र–राज्य संबंध, राज्य सरकार–राज्यपाल की भूमिका, पंचायती राज।
   (ग) कृत्यकारी – भारतीय राजनीति में वर्ग, जाति, क्षेत्रवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद की राजनीति, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं, राजनैतिक श्रेष्टिवर्ग, परिवर्तनकारी घटक, राजनैतिक दल और राजनैतिक सहभागिता, आयोजना

क्रमशः

और विकासात्मक प्रशासन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और भारतीय लोकतंत्र पर उसका प्रभाव, संविधान संशोधन।

10. भारत की विदेश नीति
   (अ) निर्धारक तत्व और विशेषताएं, पंचशील।
   (ब) भारत का उसके पड़ोसियों से संबंध – पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान।
   (स) भारत का उच्च सत्ताओं से सबंध – संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ/रूस से संबंध।
   (द) भारत और अन्य संगठन – संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रमण्डल, सार्क, अफ्रो–एशियाई एकता, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन।
   (इ) दृष्टिकोण :– भारतीय दृष्टिकोण, अरब–इजरायल संघर्ष, कांगो, कोरिया, निकारागुआ में अमेरिकी हस्तक्षेप।
   (फ) नीतियां :– अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, निरस्त्रीकरण, मानव अधिकार, पर्यावरणीय मुद्दे, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण–दक्षिण संवाद, परमाणविक नीति, वैश्वीकरण।
   (ज) गुटनिरपेक्षता का मूल्यांकन एवं प्रासंगिकता।

(03) - POLITICAL SCIENCE

1. Main features of Ancient Indian political thought, Manu and Kautilya; Characteristics of ancient Greek Thought - Plato, Aristotle, General features of Medieval Political Thought - St. Thomas Acquinas, Marsiglio of Padua, Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Bentham, J.S. Mill, T.H. Green, Hegel, Marx, Lenin and Mao-Tse-Tung, Laski
2. Nature and scope of Political Science: Growth of Political Science as an independent discipline. Politics as a specific human behavior, Traditional Vs. Contemporary approaches to the study. Behaviouralism Systems Theory and other recent approaches, Post-behaviouralism, political analysis: Marxist approach to political analysis.
3. The emergence and nature of the Modern State Sovereignty, The Monistic and Pluralistic thought of Sovereignty: Power, Authority and Legitimacy, Nation- States System.
4. Political Obligation-Resistance, Revolutions, Rights, Liberty, Equality, Justice.
5. Theory of Democracy;
6. Political Ideologies – Idealism, Individualism, Socialism, (Democratic and Fabian) Liberalism, Fascism and Marxism.
7. Comparative Politics- Traditional and Structural Functional approach, concept of Political Socialisation, Political communication, Political Development.
8. Party System and Political Procedure – party system, Pressure Groups, Representation and Election, Executive, Legislature, Judiciary, Bureaucracy.
9. Indian Govt. and Politics
   (a) Nationalism and Colonialism in Modern India, Raja Ram Mohan Roy, Dadabhai Naoroji, Gokhale, Tilak, Sri Aurobindo, B.R. Ambedkar, M.N. Roy, Gandhi, Nehru.
   (b) Constitution of India – formation, Preamble, Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy; Union Government-President, Parliament, Prime Minister and Cabinet; Parliament and Parliamentary Procedure; Supreme Court and Judicial Review and Judicial Activism; Indian Federalism, Centre-State Relations, Role of Governor, Panchayati Raj.
   (c) The Functioning – Role of Class, Caste, Language, Region and Communalism in Indian Politics, Secularism, National Integration, Political Elites, Changing Composition, Political Parties and Political Participation, Planning and Developmental Administration, Socio-Economic changes and their impact on Indian Democracy. Constitutional Amendment.
10. Indian Foreign Policy.
   A. Determinating Elements, Characteristics, Panchsheel .
   B. Relations with Neighbours ; Pakistan, China, Bangla Desh, Nepal, Sri Lanka & Afghanistan.
   C. Relations with Super Powers ; USA, USSR/Russia.
   D. India and other Organisations- United Nations Organisation, Commonwealth, SAARC, Afro-Asian Solidarity, non-alignment movenent
   E. Attitudes-Indian Attitudes on Arab-Israel Conflict, Congo, Korea, US intervention in Nicaragua.
   F. Policies – International Peace and Security, Disarmament, Human Rights, Environmental issues, North-South Dialogue, South-South Dialogue, Nuclear Policy, Globalisation.
   G. Estimation of Non-alignment and Relevance

(04) - हिन्दी

प्राचीनकाल से लेकर आज तक के हिन्दी साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान अपेक्षित होगा। हिन्दी साहित्य के इतिहास के किसी भी काल खण्ड और रचना प्रवृत्ति पर प्रश्न पूछे जा सकेंगे। पाठ्य – सामग्री से व्याख्या के अतिरिक्त कवियों/लेखकों के रचनात्मक अनुदान पर आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

1. **निम्नलिखित प्राचीन कवियों की कविताएँ :–**
कबीर–कबीर ग्रंथावली, नागरी प्रचारिणी सभा, सं.–श्याम सुंदर दास, प्रथम 100 साखियॉ, सूरदास–भ्रमर गीत सार सम्पादक– आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, प्रथम पचास पद, तुलसी दास–विनय पत्रिका, (गीता प्रेस गोरखपुर), प्रथम पचास पद, घनानंद कवित्त (सं. – विश्वनाथ प्रसाद मिश्र) प्रथम पचास कवित्त।

2. **निम्नलिखित आधुनिक कवियों की कविताएँः–**
जयशंकर प्रसाद – कामायनी (श्रद्धा सर्ग), सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला–राम की शक्ति पूजा, बादल राग, कुकुरमुत्ता। सुमित्रानंदन पंत – परिवर्तन, नौकाविहार, संध्या के बाद, ताज। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय – नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, कलगी बाजरे की, हरी घास पर क्षण भर, अंतः सलिला। मुक्तिबोध–भूल–गलती, ब्रम्हराक्षस, अंधेरे में।

3. **निम्नलिखित उपन्यासः–**
प्रेमचंद – गोदान, फणीश्वरनाथ रेणु – मैला ऑचल, भीष्म साहनी – तमस।

4. **निम्नलिखित नाटकः–**
जयशंकर प्रसाद – स्कंदगुप्त, धर्मवीर भारती – अंधायुग, मोहन राकेश – आधे–अधूरे।

5. **निम्नलिखित निबंधः–**
सरदार पूर्ण सिंह – मजदूरी और प्रेम, पं. रामचन्द्र शुक्ल–श्रद्धा–भक्ति, कविता क्या है? डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी – अशोक के फूल।

6. **भारतीय व पाश्चात्य काव्य–सिद्धांतः–**
रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वकोक्ति संप्रदाय, अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद।

7. **आधुनिक हिन्दी कविता के प्रमुख वादः–**
छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद

8. **भाषा विज्ञानः–**
भाषा परिवर्तन के कारण, ध्वनि परिवर्तन के कारण व दिशाएं, अर्थ परिवर्तन के कारण व दिशाएं, हिन्दी भाषा का विकास। देवनागरी लिपि की विशेषताएँ, हिन्दी शब्द समूह।

(05) - संस्कृत

1. **काव्य ग्रंथ :– वैदिक साहित्य का इतिहास :–**
संहिता – ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद का सामान्य परिचय। ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद् ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय। वेदांगसाहित्य का सामान्य ज्ञान। ऋग्वेद संहिता के सूक्त–अग्नि– 1.1, उषस् – 1.18, विष्णु–1.154, इन्द्र – 2.12, रूद्र – 2.33, वरूण –

7.86, मंडूक–7.103, अक्षसूक्त – 10.34, पुरूष सूक्त – 10.90, नासदीय सूक्त – 10.129।

2. **लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास :–**
रामायण, महाभारत, पुराण, महाकाव्य, गद्यकाव्य, चम्पू साहित्य, कथासाहित्य, नाटक, गीतिकाव्य, ऐतिहासिक महाकाव्य।

3. **व्याकरण :–**
सन्धि, कारक एवं समास

4. **काव्यग्रंथ :–**
अभिज्ञान शाकुन्तलम् (सम्पूर्ण) – कालिदास प्रणीतम्।
किरातार्जुनीयम् (प्रथमसर्ग) – भारविकृतम्।
शिशुपालवधम् (प्रथमसर्ग) – माघकृतम्।
कादम्बरी (शुकनासोपदेशः) – बाणभट्टकृतम्।
स्वप्नवासवदत्तम् – भासकृतम्।

5. **काव्यशास्त्र :–**
काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्यलक्षण, काव्य – भेद।
अलंकार – अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थान्तरन्यास, निदर्शना तथा अपह्नुति।

6. संस्कृत से हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद।

(06) - MICROBIOLOGY

I. General Micro biology -
Microbiology, Microscopic measurements, Types of microbes, phase contrast, dark field and fluorescence. Sterilization techniques, preparation of Culture media, culture techniques. Microbial growth measurements, Types of dye staining.

II. Bacteriology -
Morphology and ultra structure of bacteria, nomenclature of bacteria,
Classification of bacteria

III. Virology -
Brief outline on discovery of viruses. nomenclature and classification of viruses, Viral genome, viral related agents, (Virions & Prions) Bacteriophages structure and organization Plant Viruses - classification nomenclature and effect of viruses on Plants, Prevention of crop loss due to virus infection Animal Viruses- Classification and nomenclature of animal and human viruses.

IV. Mycology and Physiology -
Mycology - Micro fungi, general feature of fungi, classification of fungi general life cycle of fungi, fungi and ecosystem.
Phycology - Micro algae, General feature, Classification and general life cycle of algae, Algae & ecosystem.

V. General Biochemistry-
Biochemistry of bacteria, animal and plant cell, Specialized components of microorganisms and their structure and function. Enzymes- their classification and kinetics. Structural features and chemistry of micro molecules. Bioenergetics and strategy of metabolism.

VI. Molecular Biology:-
Nucleic acid as genetic information carriers, Structural feature of DNA and its relation to function, DNA - replication, DNA repair system. Structural feature of RNA and its relation to function. Regulation of gene expression, maturation and processing of RNA. Protein Synthesis

VII. Microbial Genetics-
Gene as a Unit of mutation and recombination. Gene transfer mechanism, plasmids.
Microbial genetics and design of vaccines.

VIII. Microbial physiology and development-
Basic concept of bioenergetics. Brief account of photosynthetic and accessory pigments.
Respiration metabolism. Assimilation of nitrogen. Microbial development , sporulation and morphogenesis.

IX. Environmental Micro biology -
Aero biology
Aquatic micro biology
Soil micro biology
Waste treatment
Positive and negative roles of microbes in environment.

X. Microbial diversity-
Diversity of Microbial world, extremophiles,
Basic ecological principle and microbes

XI. Food Microbiology -
Food as substrate for microorganisms.
Contamination and spoilage of food materials.
Food borne infections and intoxications.
Food fermentation.
Food produced by microbes.

XII. Medical Micro biology -
Early discovery of Pathogenic microorganisms;
Classification and general properties of bacteria and viruses;
Anti microbial therapy;

XIII. Microbial technology -
Biotechnology and microbiology;
Fermentation technology;
Industrial production of citric acid, enzymes, ethanol, acetic acid, antibiotics and steroids;
Bio-fertilizer, Bio-pesticides, Mushroom Production, Biopolymers, Bioremediation;
Scale-up , instrumentation control, physical and chemical environment sensors, downstream process;

XIV. Immunology -
Immune system and immunity;
Antigens and antibodies;
Antigens- antibodies Reactions;
Tumor immunology;
Hyper sensitivity reactions;
Immunity to infections;

XV. Biostatistics -
Introduction- definition of statistics and importance in microbiology, Mean, Median and Mode, Standard deviation, Standard error, Histogram, Tabulation, Normal distribution, Binomial distribution and Poisson distribution, Chi- square test and T-test.

XVI. Bioinformatics & Biophysics -
Over view of bioinformatics, genomics & genome project, phylo-genetics and bioinformatics protein analysis, Scope and methods of biophysics, methods in biophysical analysis.

XVII. Computer in Microbiology-
Computer Basics, Operating systems, windows and Unix, Hardware, Software, Disk Operating System, Multimedia, Network Concepts, C-programming , HTML & XML

XVIII. Recombinant DNA Technology -
Core Techniques and essential enzymes used in RDNA technology, Cloning Vectors, Specialized cloning strategies, PCR methods and application, DNA Sequencing methods.

(07) - HOME SCIENCE

Food Science
- Food Group
- Food Preparation
- Food Preservation
- Food Science & Food Analysis
- Food Processing

Nutrition Science
- Fundamentals of nutrition
- Nutritional Biochemistry
- Food microbiology
- Public nutrition

Food and Nutrition
- Food Science and Quality Control
- Macro and Micro Nutrients

क्रमशः

Human Nutritional Requirements
Assessment of Nutritional Status

Institutional Management
Management of Hospitality Institutes – Hospital/Hotel/ Restaurent/Cafe and Outdoor catering
Management of Social Institutes – family as Institute, child care and Geriatric institutes, Panchayats
Management of Educational Institutes – Preschool, primary & Secondary Schools, (College and Universities) Higher Educational Institutes.
Management of Special Institutes for physically and socially challenged
Challenges and Problems faced by Institutions.

Clothing
Principle of clothing-Socio – Psychological aspects of clothing, selection of fabrics, clothing and family clothing
Clothing construction – basic principle of drafting, flat pattern and draping methods
Textile Design – principles andconcepts
Fashion Design – fashion cycies, business and merchandizing
Care and maintenance of textile materials and garments ;
Laundru agents-methods and equipments

Textiles
General properties and fine structure of all textile fibers
Processinng and manufacture of all natural and man-made fibers
Definition and classification of yaens: identification of yarns and its use in various fabrics
Fabric construction, definition and types of woven, non-woven, knitted and other construction techniques
Testing of fibers, yarns and fabric; Importance of quality control and research institutes

Clothing and Textiles
Textile chemistry- Fibers and dyes
Dyeing, printing and finishing of fibers yarns and fabrics
Textile and Apparel Industry – Fundamental of Business, specifications, quality control agencies and marketing
Historic and Traditional Textile of world with emphasis on India

Family Resource Management
Concept of Home Management
Management of Human Resources: Classification of Resources; Basic Characteristics of Resources.
Decision making in family: Steps in decision making; Methods of resolving conflicts;
Work simplification; Importance of work simplification in home; Mudels classes of change; Simple pen and pencil technique in work simplification
Housing, Interior Design, Principles of Interior design, various colours and colour schemes
Household equipment- Selection and Care
Family resources- management of Resouces like time energy and money; Basic characteristics of Resources; Efficient methods of utilization of Resources
Family life cycle-Demands upon resources like time, energy and money
Concept of Egronomics-its importance and application in home
Consumer Education- Laws protecting consumer; Role of consumer society in protecting consumer; kinds of adulteration; Identification of adulteration

Human Development
Child Development-Principles and Stages
Life Span Development- Theories of Human Development and Behaviour
Child rearing, Socialisation practices and Dynamics
Early Childhood Care and Education- Emerging Trends
Development problems and disabilities during childhood and adolescence, guidance and counseling
Advanced child study methods and assessment
Women's Studies, Family Welfare Programme- Recent Approaches
Children with special needs and children at risk(child labour, street children, child abuse, chronically sick); Intervention programme
Socialisation in various family contexts across different cultures

Non-formal Education and Extension Eduacation
History and Development of Home Science in Formal/Non-formal and Extension Education
Theory and Practices of proramme/curriculum planning and development
Management and Administration of Formal/ Non formal and Extension Education
Monitoring, Supervision and Evaluation of Formal,Non-formal and Extension Education
Vocationalisation of Home Sciences in India
Theories and Principles of Guidance and Counselling in Formal/ Non-formal/ Extension

Developmental and Educational Communication
Concept and cllassification of communication
Traditional Methods and Materials of communication-selection/ preparation/ use
Modern Methods and Materials of communication- selection/ preparation/ use
Strategies for developmental communication
Classroom communications in Home Science trends
Communication for publicity and public relations
Change and challenges in communication in contemporary society

Home Science Extension Education
Curriculum Development for formal education in Home Sciences
General and special methods of teaching Home Science
Media and Materials for promoting Home Science in Formal/ Non-formal/ Adult/ Extension Education
Non-formal and Adult Education in Home Science
Extension Education in Home Science
Women in Changing India and plans for their development
Self-employment and Entrepreneurship through Home Science
Programme of Extension in Home Science
Measurement and Evaluation including monitoring and supervision for Formal/ Non-formal/ Education/ Extension Education

Methods of Research
Trends in Research in Home Science
Research Designs
Types of Rsearch
Sampling Techniques
Selection and Preparation of Tools for data collection
Type of variables and their selection
Data collection and classification/ coding
Analysis of data through parametric non-parametric statistics
Report writing-presentation of data, interpretation and discus sion

(08) - <u>वाणिज्य</u>

1. वाणिज्य का अर्थ एवं क्षेत्र, व्यावसायिक एवं आद्यौगिक संगठन की परिभाषा, संगठन, प्रबंध एवं प्रशासन में भेद, व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूपों के विभेदात्मक लक्षण, सार्वजनिक उपक्रमों के रूप।
2. औद्योगिक संगठनों का विकास, औद्यौगिक संगठन के सिद्धांत एवं प्रबंध, औद्योगिक इकाइयों का पैमाना, अनुकूलन आकार का सिद्धांत, स्थानीयकरण का सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध एवं विवेकीकरण,

क्रमशः

उत्पादकता–अर्थ एवं प्रभावित करने वाले घटक, भारत में उत्पादकता आंदोलन, पूंजी निर्गमन पर नियत्रंण।

3. प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, प्रबंध की आधुनिक अवधारण, प्रबंध के कार्य उद्देश्यों के आधार पर, अपवाद के आधार पर प्रबंध, कार्यालयीन प्रबंध, क्षेत्र सिद्धांत एवं प्रणालियॉ और नैत्यिक कार्य, कार्यालयीन अभिलेखों की व्यवस्थापना और व्यवहार, कार्यालयीन उपकरण एवं मशीनें।

4. कम्पनी सचिव– कार्य नियुक्ति, वैधानिक स्थिति और योग्यताएँ, प्रस्ताव और सभाएँ, कम्पनी सचिव के अधिकार, कर्त्तव्य एवं दायित्व, सूचना का प्रारूप, एजेण्डा तथा सूक्ष्म एवं प्रस्ताव, कम्पनी द्वारा पत्र व्यवहार।

5. वैध अनुबन्ध के आवश्यक तत्व, निक्षेप, गारण्टी (प्रत्याभूति) और हानि रक्षा, एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, उपभोक्ता चेतना।

6. सांख्यिकी प्रबंधकीय युक्ति के रूप में सांख्यिकी, सांख्यिकी–सर्वेक्षण का आयोजन, सांख्यिकी–समंकों का संग्रहण, केन्द्रीय प्रवृत्तियों के माप, अपकिरण, विषमता, सूंचकांक, कालपिर्यन का सह–संबध गुणांक।

7. आयकर महत्वपूर्ण परिभाषाएँ, निवास स्थान और कर दायित्व, वेतन तथा मकान सम्पत्ति से आय की गणना, व्यक्तियों और फर्मो पर कर की गणना।

8. लागत लेखांकन– लागत के तत्व एवं लागतों के निर्धारण की विधियॉ, लागत पत्र की रचना और ठेकालेखे, सीमान्त लागत एवं सम विच्छेद बिन्दु, परिचालन लागत।

9. लेखांकन –द्वि प्रविष्टि प्रणाली के सिद्वांत, समायोजन सहित अंतिम खाते, साझेदारी प्रवेश एवं समापन, अंशो का निर्गमन एवं हरण।

10. अंकेक्षण–परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व, रोकड़ पुस्तक का अंकेक्षण, सम्पत्तियों एव दायित्वों का सत्यापन, अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व, एक शिक्षण संस्था का अंकेक्षण।

(08) - COMMERCE

1. Meaning and scope of commerce, definition of Business and industrial organization, distinction between organization, management and administration, distinctive features of different forms of Business organisation, forms of public enterprises.

2. Evolution of industrial organization, principles and management of industrial organization, scale of industrial units, Theory of optimum size. theories of localisation, scientific management and rationalization productivity, meaning and factors affecting productivity, Productivity movement in India : Control of Capital issue.

3. Nature and importance of management, modern concept of management, management functions, management by objectives and management by exception, office management, scope and principle, systems and routines handling of office records, office equipments Machines.

4. Company Secretary Functions, Appointment legal position and qualifications, resolution and meetings, rights, duties and liabilities of a Company Secretary, drafting of notice. Agenda, Minutes, Resolutions, company correspondence.

5. Essentials of a valid contract, bailment, Guarantee and indemnity. Main provision of M.R.T.P., consumers consciousness.

6. Statistics :- Statistics as a managerial tool, conduct of investigation, collection of statistical data, Measures of Central tendency dispersion; Skew-ness, Index numbers; Karl Pearson's Coefficient of Correlation.

7. Income Tax:-Important definitions, residence and tax liability, computation of income under the heads salary; income from house property, computation of tax on individual and firms.

8. Cost Accounting :- Elements of cost and methods of allocating on cost; Preparation of Cost Sheet and contract accounts; Marginal Costing and Break Even Point, Operating Cost.

9. Accountancy :- Principles of Double Entry System; Final account with adjustment; Partnership-Admission and Dissolution; issue and forfeiture of shares.

10. Auditing :- Definition, Scope and importance, Audit of Cash Book. Verification of Assets and liabilities. Rights, Duties and liabilities of auditor, Audit of an educational institution.

(09) - रसायनशास्त्र

भौतिक रसायन

उष्मागतिकी:

उष्मागतिकी का प्रथम नियम, Cp तथा Cv के मध्य संबंध, भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों की एन्थेलपी, एन्थेलपीं की तापीय निर्भरता, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, एण्ट्रॉपी, गिब्स तथा हेल्मोल्ट्स के फलन, एण्ट्रॉपी तथा गिब्स फलन का निर्धारण, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, मैक्सवेल संबंध, गिब्स फलन की ताप दाब पर निर्भरता, गिब्स–हेल्मोल्ट्स समीकरण।

रासायनिक साम्य:

मिश्रण की मुक्त ऊर्जा तथा एण्ट्रॉपी, आंशिक मोलर गुण, गिब्स ड्यूहेम समीकरण, साम्य नियतांक, साम्य नियतांक की तापीय निर्भरता, प्रावस्था आरेख, प्रावस्था नियम, आदर्श विलयन तथा अणुसंख्य गुणधर्म, वितरण गुणांक, सक्रियता, जलयोजन संख्या की धारणा, विद्युत अपघटनी विलयनों की सक्रियताएं, औसत आयनिक सक्रियता–गुणांक, प्रबल विद्युत उपघट्यों की डिबाई–हकल व्याख्या, विद्युतवाहक बल (EMF) मापन के अनुप्रयोग, विभिन्न प्रकार के सांद्रण सेल।

पृष्ठ घटना:

पृष्ठ तनाव, ठोसों पर अधिशोषण, अतः तल (Interface) पर विद्युतीय घटना, पृष्ठों के अध्ययन की विधियों का प्रारंभिक ज्ञान (उदाहरण प्रकाश – इलेक्ट्रॉनिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी), मिसेल व विलयनीकरण।

अभिक्रिया बल गतिकी:

रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, दर समीकरण (Rate equation) निर्धारित करने की विधियाँ, आरहीनियस समीकरण, अभिक्रिया दर का संघट्ट सिद्धांत (Collision Theory), स्टेरिक कारक (Steric factor), एक–आण्विक अभिक्रियाओं के सिद्धांत, परम–अभिक्रिया (Absolute Reaction) दर सिद्धांत, संघट्ट सिद्धांत एवं परम– अभिक्रिया (Absolute Reaction) दर सिद्धांत की तुलना, द्विआण्विक अभिक्रियाएं, लवण–प्रभाव, समांगी उत्प्रेरण, एन्जाइम बल गतिकी।

प्रकाश रसायन:

द्विपरमाणु प्रकाश रसायनिक अभिक्रियायें, प्रकाश भौतिकी तथा प्रकाश रासायनिक क्रियाएं, श्रृंखला अभिक्रियाएं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की बल गतिकी, वृहदाणुओं (Macromolecules) के संख्या औसत तथा औसत भार, अणुभार का निर्धारण, बहुलीकरण की बलगतिकी, बहुलीकरण का त्रिविम रसायन तथा क्रियाविधि,

ठोस अवस्था:

ब्रेग का समीकरण, ब्रैविस जालक, मिलर सूचकांक तथा तलों का अंकन, एकल घनाकार सेल के आयामों का निर्धारण तथा एकल सेल में परमाणु और अणुओं की संख्या का निर्धारण, आयनिक क्रिस्टलों की जालक ऊर्जाएं, मेडलगं नियतांक, बॉर्न–हैबर चक्र, शॉटकी तथा फ्रेन्केल त्रुटियाँ, स्थान–भ्रंश, ठोसों के विद्युतीय गुण, विद्युतरोधी तथा अर्धचालक।

क्रमशः

नाभिकीय रसायनः

रेडियो सक्रिय क्षय (radio active decay) तथा साम्य, नाभिकीय अभिक्रियाएं, Q-मान, नाभिकीय अनुप्रस्थ परिच्छेद (Nuclear Cross Section), नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार, नाभिकीय रूपान्तरण के रासायनिक प्रभाव, विखण्डन (fission) तथा संलयन (fusion) उत्पाद, रेडियो सक्रिय ट्रेसर तकनीक, सक्रियण विश्लेषण, मोसबायर स्पेक्ट्रोस्कोपी – सिद्धांत तथा रासायनिक अनुप्रयोग, गणन तकनीकी।

आण्विक स्पेक्ट्रोस्कोपीः

द्विपरमाणिवक अणुओं की घूर्णन तथा कम्पन स्पेट्रोस्कोपी का सैद्धांतिक अध्ययन, स्पेट्रोस्कोपी चयन नियमों के लिए समूह–सिद्धांत के अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉन अनुचुम्बकीय अनुनाद तथा नाभिकीय चुम्बकीय अनुनाद (NMR) स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत, परमाणुओं तथा अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, परमाणवीय अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग,

विश्लेषण की भौतिक–रासायनिक विधियाँः

रासायनिक विश्लेषणों में – वितरण तथा अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी, विलायक निष्कर्षण, आयन–विनिमय अवकलनीय उष्मीय विश्लेषण तथा उष्मीय भारात्मक विश्लेषण (TGA), पोलेरोग्राफी तथा चक्रीय वोल्टामिति, औसत, मानक विचलन, त्रुटियों के प्रकार, प्रोपागेषन त्रुटियाँ (Propagation Errors), न्यूनतम वर्गात्मक विश्लेषण (Least Squre Analysis), यथार्थता व परिशुद्धता (Accuracy and Precision)।

अकार्बनिक रसायन

संरचना तथा आबंधनः

परमाण्विक कक्षक, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास (ऑफबाऊ सिद्धांत व L-S युग्मन), तत्वों के आवर्ती गुणः आयनिक–त्रिज्या, आयनन–विभव, इलेक्ट्रॉन–बन्धुता, विद्युत ऋणात्मकता, संकरण की संकल्पना, द्विपरमाण्विक अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुपरमाण्विक अणुओं के आकार, बन्ध दैर्ध्य, बन्धकोण, बन्ध कोटि तथा बन्ध ऊर्जाएं, अनुनाद, रासायनिक बंध के प्रकार (हाइड्रोजन बन्ध सम्मिलित), अंतर–आणिवक बल।

अणु तथा परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाः

श्रोडिन्जर का समीकरण (SE)तथा क्वाण्टम यांत्रिकी की अभिधारणाएं, SE के प्रारंभिक अनुप्रयोग (यथाः बॉक्स में कण, आवर्ती–दोलक, घूणर्क तथा हाइड्रोजन परमाणु), भिन्नता प्रमये (variation theorems), क्षोभ सिद्धातं (pertubation theory) (हीलियम परमाणु पर अनुप्रयोग), इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा युग्मन योजना, LCAO, आण्विक कक्षक तथा संयोजकता–आबंध सिद्धांत द्वारा H_2 तथा H_2^+ की व्याख्या।

अ–संक्रमण तत्वों का रसायनः

s, p, d, तथा f वर्ग के तत्व प्रत्येक वर्ग के तत्वों का सामान्य लक्षण, सामान्य धातुओं के निष्कर्षण एवं शोधन के रासायनिक सिद्धांत।

अ–संक्रमण (Non-Transitional), तत्वों के गुणों का सामान्य विवेचना, भिन्न–भिन्न तत्वों की विशिष्टताएं तथा उनके हैलाइडस् व ऑक्साइड्स का संश्लेषण, गुण तथा संरचनाएं, कार्बन, फॉस्फोरस तथा सल्फर की बहुरूपता, बोरॉन हाइड्राइड, बोरेन, कार्बाइड, सिलिकेट की संरचनाएं, जिओलाइट–मृदायें, सिलिकोन्स, फॉस्फोजीन, गंधक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा हैलोजन के ऑक्साइड तथा ऑक्सीअम्ल, अंतर हेलोजन यौगिक, धातु कार्बोनिल।

संक्रमण तत्वों का रसायनः

धात्विक आयनों का संकुल रसायन, संकुल यौगिकों के स्थायित्व–नियतांक तथा उनका निर्धारण, संकुल यौगिकों का त्रिविम–रसायन, क्रिस्टल–क्षेत्र तथा लिगेण्ड–क्षेत्र सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा तथा चुम्बकीय गुणों का विवेचन।

अम्ल व क्षारः

ब्रांस्टेड तथा लेविस अम्ल, pH, pK_a, pK_b मान, अजलीय विलायक, कठोर तथा मृदु अम्ल तथा क्षारों की संकल्पना, बफर विलयन, लवण जल–अपघटन, ऑक्सीकरण अपचयन (redox) अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण–अपचयन अभिक्रियाओं का संतुलन, ऑक्सीकरण अपचयन विभव।

कार्बनिक रसायन

भौतिक कार्बनिक रसायनः

प्रेरणित तथा अन्य क्षेत्र प्रभाव, माध्यमिक यौगिक, कार्बोकेटायन, कार्बोनियन, मुक्तमूलक, कार्बीन, नाइट्रीन तथा एराईन की संरचना, कार्बनिक अभिक्रियाएं तथा उनकी क्रिया–विधि, नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉनस्नेही विस्थापन तथा योग अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, बेकमान, श्मिट, हॉफमेन, कर्टियस, वेग्नर–मीरविन, फ्राइस, वुल्फ, रिफार्मेट्स्की पुनर्विन्यास की क्रियाविधि।

त्रिविम–रसायन तथा संरूपण विश्लेषण, अभिविन्यास तथा संरूपण, ज्यामितीय एवं प्रकाशकीय समावयवता, R, S तथा E, Z नामकरण की विधियां, असममित संश्लेषण, चक्रीय तथा अचक्रीय निकायों का संरूपणीय विश्लेषण, सायक्लोहक्जेनों की क्रियाशीलता पर संरूपण के प्रभाव, प्रकाशकीय घूर्णक, प्रवकीर्णन (ORD) तथा वृत्तीय द्विवर्णता (CD)।

एलिफैटिक यौगिकः

निम्न वर्गों के यौगिकों के बनाने की विधियाँ, विशिट अभिक्रियाएं (क्रियाविधि सहित), संरचनाएं तथा उपयोग : एल्केन, सायक्लो एल्केन, ऐल्कीन, डाईन तथा एल्काईन, ऐल्किलहेलाइड, अल्कोहल, ईथर, ऐल्डिहाइड, कीटोन, कॉर्बोक्सिलिक अम्ल तथा उनके व्युत्पन्न, नाइट्रो–यौगिक, थायोल कार्बधात्विक तथा सक्रिय मिथिलीन यौगिकों के संश्लेषणात्मक अनुप्रयोग।

एरोमैटिक यौगिकः

ह्यूकल का नियम तथा ऐरोमेटिसिटी की संकल्पना, एन्यूलीन, एज्यूलीन, निम्नलिखित ऐरोमेटिक यौगिकों के बनाने की विधियां तथा रासायनिक अभिक्रियाएं : हेलोजन–व्युत्पन्न, नाइट्रोबेन्जीन, ऐमीन, डाइजोनियम लवण, सल्फोनिक अम्ल, ऐरोमेटिक ऐल्कॉहल, फीनाल, ऐल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बाक्सिलिक अम्ल

विषमचक्रीय यौगिक तथा प्राकृतिक उत्पादः

फ्यूरॉन, पॉयरॉल, थायोफीन, पिरीडीन, पिरीमिडीन, इन्डोल तथा क्विनोलीन के संश्लेषण तथा सामान्य अभिक्रियाएं, एंजाइम, रंजक, टर्पीन्स तथा बहुलक, ऐल्कोलाइड तथा प्यूरीन्स, अमीनोअम्ल, प्रोटीन्स (प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना), कार्बोहाइड्रेट्स (मोनो, डाई तथा पॉलिसेकेराइड) का सामान्य अध्ययन।

कार्बनिक प्रकाश रसायनः

कार्बनिक अणुओं की उत्तेजित अवस्थाएं, क्वाण्टम परिलब्धियॉ, जेब्लांस्की आरेख, नारीस प्रकार I तथा नॉरीस प्रकार II अभिक्रियाएं, पटेर्नो–बुशी अभिक्रिया, प्रकाश–द्विमरीकरण, पेरिसाइक्लिक अभिक्रियाओं का सामान्य अध्ययन।

(09) - CHEMISTRY

Physical Chemistry:

Thermodynamics:

First law of thermodynamics, relation between Cp and Cv, Enthalpy of physical and chemical changes, temperature dependence of enthalpy, Second law of thermodynamics, entropy, Gibbs and Helmholtz functions, evaluation of entropy & Gibbs function, Third law of thermodynamics, Maxwell's relations, temperature and pressure dependence of Gibbs function, Gibbs Helmholtz equation.

Chemical Equilibrium:

Free energy and entropy of mixing, partial molar quantities, Gibbs-Duhem equation, equilibrium constant, temperature dependence of equilibrium constant, Phase diagram, Phase rule, Ideal solutions and colligative properties, Partition coefficient, activities, concept of hydration number, activities in electrolytic solutions, mean ionic activity coefficient, Debye-Huckel treatment of strong electrolytes, Equilibrium in electrochemi-

cal cells, Nernst equation, applications of EMF measurements, Types of concentration cells.

Surface phenomenon:

Surface tension, adsorption on solids, electrical phenomenon at interfaces, elementary knowledge of methods for the study of surfaces e.g. photo electron spectroscopy, Micelles & Solublisation.

Reaction Kinetics:

Rates of chemical reactions, methods of determining rate law, Arrhenius equation, collision theory of reaction rates, steric factor, treatment of unimolecular reactions, theory of absolute reaction rates, comparison of collision theory with theory of absolute reactions rates, salt effect, homogeneous catalysis and enzyme kinetics.

Photochemistry:

Biomolecular photochemical reactions, photophysical & photochemical processes, chain reactions, Kinetics of photochemical reactions, Macromolecules, determination of number average and weight average molecular weights of macromolecules, Kinetics of polymerization, Stereochemistry and mechanism of polymerization.

Solid state:

Bragg's equation, Bravais lattices, Miller indices and labeling of planes, determination of the dimensions of a unit cubic cell, calculations of number of atoms and molecules per unit cell, lattice energy of ionic crystals, Madelung constant, Born-Haber cycle, Schottky and Frenkel defects, dislocation, electrical properties of solids, insulators, semi-conductors

Nuclear Chemistry :

Radioactive decay and equilibrium, nuclear reactions, Q value, nuclear cross section, type of nuclear reactions, chemical effects of nuclear transformation, fission and fusion products, radioactive tracer technique, nuclear activation analysis, Mossbauer spectroscopy, principles and chemical application, counting techniques.

Molecular Spectroscopy:

Principles of the rotational and vibration spectroscopy of diatomic molecules, Applications of group theory to spectroscopic selection rules, Principles of Electron Paramagnetic and Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, Electronic Spectra of atoms and molecules, Raman spectra, application of Atomic Absorption Spectroscopy

Physico-chemical methods of analysis:

Partition and adsorption chromatography, solvent extraction, ion-exchange, Differential Thermal Analysis and Thermogravimetric Analysis, Polarography and Cyclic voltametry in chemical analysis, average, standards deviation, types of errors, propagation errors, least square analysis, Accuracy and precision.

Inorganic Chemistry

Structure and Bonding:

Atomic orbital, electronic configuration of atoms (Aufbau principle, L-S coupling) and the periodic properties of elements, ionic radii, ionization potential, electron affinity, electro negativity, Concept of hybridization, electronic configuration of diatomic molecules, shapes of polyatomic molecules, bond lengths, bond angles, bond order and bond resonance, types of chemical bonds including hydrogen bond, intermolecular forces.

Electronic structure of atoms and molecules:

The Schrodinger equation (SE) and the postulates of quantum mechanics, elementary application of SE (e.g. particle in a box, harmonic oscillator, rigid rotator and the hydrogen atom), the variation theorems and perturbation theory (application to the helium atom), electronic configuration, coupling schemes, the LCAO, Molecular Orbital and the valence bond treatment of H_2 and H_2^+

Chemistry of non transition elements:

Aspects of s, p, d, and F block elements, general characteristics of each block, chemical principles involved in extraction and purification of common metals. General discussion on the properties of the non-transition elements, special features of individual elements, synthesis, properties and structure of their halides and oxides, polymorphism of carbon, phosphorus and sulphur, structure of boron hydrides, boranes, carbides, silicates and zeolitesclays, silicones, phosphazens, sulphur, nitrogen, phosphorus and halogen compounds: oxides and oxy acids, inter halogen compound, metal carbonyls.

Chemistry of Transition Elements:

Coordination chemistry of metal ions, stability constants of complexes and their determination, stereochemistry of coordination compounds, crystal field and legend field theory, interpretation of spectral and magnetic properties,

Acids and Bases:

Bronsted and Lewis acids, pH, pKa and pKb values, nonaqueous solvents, concept of hard and soft acids & bases, buffer solutions, salt hydrolysis, redox reactions, oxidation number, balancing oxidation reduction reactions, oxidationreduction potentials.

Organic Chemistry

Physical Organic Chemistry:

Inductive and other field effects, reaction intermediates, structure of carbocataion, carbanions, free radicals, carbenes, nitrenes and arynes, organic reaction mechanisms, nucleophilic and electrophilic substitutions, additions and elimination reactions, mechanism of Schmidt, Hofmann, Curtius, Wagner-Meerwein, Fries, Wolf and Reformatsky rearrangements. Stereochemistry and conformational analysis: conformation & configuration, geometrical and optical isomers. R & S and E & Z nomenclature, methods of resolution, asymmetric synthesis, conformational analysis of cyclic and acyclic systems, effects of conformation on reactivity in cyclohexanes, optical rotatory dispersion and circular diachroism.

Aliphatic Compounds:

Preparation, typical reactions (including mechanism), structures and uses of the following classes of compounds: alkane, cycloalkane, alkene, diene, alkyne, alkylhalide, alcohol, ether, aldehyde ketone, carboxylic acid and their derivatives, thiols, nitro compounds, synthetic applications of organometalic and active methylene compounds.

Aromatic Compounds:

Huckels' rule and the concept of aromaticity, annulenes, azulenes, methods of preparation and chemistry of the following aromatic compounds, halogen derivatives, nitro benzene, amines, diazonium salts, sulphonic acids, aromatic alcohols, phenols, aldehydes, ketones, carboxylic acids.

Heterocyclic Compounds and Natural Products:

Synthesis and reactions of furan, pyrrole, thiophene, pyridine, pyrimidine, indole and quinoline, a general study of enzymes, dyes, terpenes, polymers, alkaloids and purines, amino acids, proteins (primary and secondary structure) and carbohydrates (mono, di & poly saccharides),

Organic Photochemistry:

Excited states of organic molecules, Jablonski diagram, quantum yields, Norrish type I and Norrish type II reactions, Paterno-Buchi reaction, photo-dimerization, general study of pericyclic reactions

(10) - गणित

1. **बीजगणित** :– बीजगणितीय समीकरण के मूलो की प्रकृति एवं गुण, मूलों के सममित फलनों का अवकलन, रूपांतरण, व्युत्क्रम समीकरण, संश्लेषिक विभाजन, पुनरावृत्त मूल। धनात्मक पदों की श्रेणियों का अभिसरण, तुलनात्मक परीक्षण, अनुपात एवं मूल परीक्षण, कौशी कन्डेनशेसन परीक्षण, निरपेक्ष अभिसरण।

क्रमशः

आव्यूह :– आव्यूह की परिभाषा, आव्यूहों का गुणन, परिवर्त एवं व्युत्क्रम आव्यूह, आव्यूह का सह–खंण्डज, आव्यूह की जाति, रैखिक समीकरण का हल, केली–हेमिल्टन प्रमेय, आइगेन मान एवं आइगेन सदिश।

2. **त्रिकोणमिति** :– सम्मिश्र संख्यायें और उनकी ज्यामितीय व्याख्या, डिमोवियर्स प्रमेय का सरल अनुप्रयोग, चरघातांकीय, लघुगणकीय एवं अतिपरवलयिक फलन, वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों में पृथक्कन।
सदिश बीजगणित एवं सदिश फलन :– अदिश एवं सदिश गुणनफल, सदिशों के त्रिक एवं चतुष्क गुणनफल, सदिशों का अवकलन और समाकलन, अवकलन संकारक, प्रवणता, डाइवर्जेन्स एवं कर्ल।

3. **द्वि–विमीय वैश्लेषिक ज्यामिती** :– समाक्ष वृत्त एवं लम्ब कोणीय वृत निकाय, शांकव काट (परवलय, दीर्घ वृत्त एवं अतिपरवलय) एवं उनके गुणधर्म कार्तीय निर्देशाकों में स्पर्श रेखा, अभिलंब, ध्रुव, ध्रुवीय व्यास, संयुग्मी व्यास, (दीर्घ वृत एवं अतिपरवलय) एवं उनके गुणधर्म। नियामक वृत्त, संयुग्मी अतिपरवलय एवं समकोणिक अतिपरवलय।
त्रिवीमिय वैश्लेषिक ज्यामिती :– दिक्कोज्या, समतल और सरल रेखाएं, लघुत्तम दूरी, गोला, शंकु, व्युत्क्रम शंकु।

4. **अवकलन** :– उत्तरोत्तर अवकलन, आंशिक अवकलन, प्रसार, अनिर्धारित रूप, उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ, वक्रता, अन्नवालोप, अनन्तस्पर्शियॉ, विचिताबिन्द, वक्रो का अनुरेखण, चरों का परिवर्तन, (केवल दो चरों के लिए)।
समाकलन :– समाकलन की विधियां, निश्चित समाकलन, बीटा और गामा फलन, बहु समाकलन।
अवकल समीकरण :– प्रथम कोटी तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण, यथातथ अवकल समीकरण, अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण एवं समघात रैखिक समीकरण।

5. **अमूर्त बीज गणित**:–समुच्चय सिद्धांत, फलन, संबंध, तुल्यता संबंध, समूह, उपसमूह, सह समुच्चय वियोजन, प्रसामान्य उपसमूह, समूहों की समाकारिता एवं तुल्यकारिता, क्रम विनिमेय समूह की समाकारिता एवं तुल्यकारिता, चक्रीय समूह, खण्डसमूह, समूहों की समाकारिता का मूलभूत प्रमेय, वलय, विभाजन वलय, पूर्णांकीय प्रान्त, क्षेत्र, गुणजावली, विभाग वलय, उच्चिष्ठ एवं अभाज्य गुणजावली, बहुपद वलय ।
गणितीय विश्लेषण :– डेडेकिन्ड–कट, गणनीय और अगणनीय समुच्चय, दूरीक समस्टियाँ, सीमा बिन्दु, विवृत्त एवं संवृत समुच्चय, संहत समुच्चय, परिवद्ध एवं पूर्ण समुच्चय, बोल्जानो–वीस्ट्रास प्रमेय, सांतत्य और अवकलनीयता।

6. **सम्मिश्र चर** :– सम्मिश्र चरों के विश्लेषिक फलन, घात श्रेणी, अभिसरण वृत्त, सम्मिश्र समाकलन, कॉशी का प्रमेय, टेलर और लारेन्ट श्रेणियां, विचित्रताएं, शुन्यक एवं ध्रुव, कॉशी का अवशि प्रमेय, कन्टूर समाकलन।
सांस्थितिकी – सांस्थितिक समष्टि की परिभाषा और उदाहरण, आपेक्षिक सांस्थितिकी, संतत प्रतिचित्रण और समाकारिता, सीमा बिन्दु, संवृत्त समुच्चय, सामीप्य एवं व्युत्पन्न समुच्चय, आधार और उप आधार, गणीनीय समष्टि।

(10) - MATHEMATICS

1. **Algebra :-** Nature and properties of roots of an algebraic equation, Differentiation of the Symmetric function of roots, Transformation, Reciprocal equations, Synthetic division, Repeated roots, Convergence of Series of Positive terms, Comparison test, Ratio and Root test, Cauchy's Condensation test, Absolute convergence.
Matrices :- Definition of matrix, Multiplication of Matrices, Transpose and Inverse of a Matrix, Adjoint of a Matrix, Rank of a Matrix, Solution of Linear equations. Caley- Hamilton Theorem, Eigen values and Eigen vectors.

2. **Trigonometry :-** Complex numbers and their geometrical representation, De-Moivre's theorem and its applications, Exponential, Logarithmic and Hyperbolic functions, Separation into Real and Imagingary parts.
Vector Algebra and Vector Calculus:- Scalar and Vector products, Triple and Quadruple products of vectors, Differentiation and Integration of vectors, Differential operators, Gradient, Divergence and Curl.

3. **Analytical Geometry of two dimensions :-** The circle including Co-axial and Orthogonal system of circles, Conic sections and their properties (Parabola, Ellipse and Hyperbola) in Cartesian coordinates, Tangents, Normal, Pole, Polar diameter, Conjugate diameters (Ellipse and Hyperbola) and their properties, Director circle, Conjugate Hyperbola and Rectangular Hyperbola.
Analytical Geometry of Three Dimensions:- Direction cosines, Plane and Straight lines, Shortest distance, Sphere, Cone, Reciprocal cone.

4. **Differential Calculus :-** Successive differentiation, Partial differentiation, Expansions, Indeterminate forms, Maxima and Minima, Curvature, Envelopes. Asymptotes, Singular points, Curve tracing, Change of variable (for two variables only).
Integral Calculus:- Methods of integration, Definite integrals, Beta and Gamma functions, Multiple integrals.
Differential Equation:- Differential equations of the first order and first degree, Exact differential equations. Linear differential equations with constant co-efficients and Homogeneous linear equations.

5. **Abstract Algebra :-** Theory of sets, Functions, Relations, Equivalence relations, Groups, Sub groups, Coset decomposition, Normal Sub groups, Homomorphism and Isomorphism of groups, Homomorphism and Isomorphism of commutative groups, Cyclic groups, Factor groups, Fundamental Theorem of Homomorphism of groups, Rings, Division rings, Integral domain, Fields, Ideals, Quotient rings, Maximal and Prime ideals, Ring of Polynomials.
Mathematical Analysis:- Dedekind cuts, Countable and Uncountable sets, Metric spaces, Limit points, Open and Closed sets, Compact sets, Bounded and Perfect sets, Bolzano-Weirstrass Theorem, Continuity and differentiability.

6. **Complex Variable :-** Analytic functions of complex variables, Power series, Circle of convergence, Complex integration, Cauchy's theorem, Taylor's and Laurent's series, Singularities, Zeros and Poles, Cauchy's theorem of Residues, Contour Integration.
Topology:- Definition and example of Topological spaces, Relative topology, Continuous mapping and Homomorphism, Limit points, Closed sets, Neighbourhoods & Derived sets, Bases and Sub bases, Countable space.

(11) - अर्थशास्त्र

1. व्यष्टि एवं समष्टि विश्लेषण, उपभोक्ता का व्यवहार–उपयोगिता विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण, प्रकट अधिमान विश्लेषण, मांग सिद्धांत की पुनर्व्याख्या, उत्पादक का व्यवहार–उत्पादन फलन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, उत्पादक का साम्य।

2. विभिन्न बाजार स्थितियों में मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण, साधन मूल्य निर्धारण सिद्धान्त–लगान, मजदूरी, ब्याज एवं लाभ।

3. राष्ट्रीय आय लेखांकन – विभिन्न संबंधित योगांक एवं उनका अन्तर्सम्बन्ध, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा मूल्य से संबंधित आधुनिक धारणाएं मिल्टन फ्रिडर्मेन, पेटिंकिन, गुर्ले–शॉ, टोबिन। केन्द्रीय बैंक के उद्देश्य एवं संसाधन तथा साख नियंत्रण की नीतियॉ, केन्सवाद।

4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्वांत, विनिमय दर, प्रशुल्क, संरक्षण, भुगतान संतुलन, व्यापार की शर्ते, अर्न्तराष्ट्रीय तरलता एवं अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंकटाड़,, अनुदान बनाम व्यापार। आर्थिक वृद्धि का अर्थ एवं माप। एडम स्मिथ, रिकार्डो,मार्शल, मार्क्स, कीन्स हिक्स एवं गांधी का आर्थिक विचारों में योगदान एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन।

क्रमशः

5. सांख्यीकी का क्षेत्र एवं उपयोगिता, सांख्यीकी समंकों का संकलन, माध्य, अपकिरण एवं विषमता, निर्देशांक, प्रतीपगमन एवं सह–सबंध।
6. भारतीय अर्थव्यवस्था– भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढ़ांचा, मिश्रित अर्थव्यवस्था की समस्याएँ, नियोजित विकास एवं न्यायोचित वितरण, गरीबी का माप एवं गरीबी दूर करने के उपाय, राष्ट्रीय आय एवं उसका क्षेत्रीय एवं व्यावसायिक वितरण, कृषि नीति, भू–सुधार, तकनीकी परिवर्तन, ग्रामीण साख संरचना, ग्रामीण विकास।
7. औद्योगिक नीति, लाईसेंसिंग नीति एवं एकाधिकार नियंत्रण, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन के लिए मूल्य नीति, संग्रहण एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक एवं बजट प्रवृति, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं मौद्रिक नीति, विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियॉ एवं भुगतान संतुलन, भारत में संघीय वित्त व्यवस्था, भारत में कर ढॉचा, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, भारत में नियोजन–उद्देश्य, व्यूह रचना अनुभव एवं समस्याएँ।

(11) - ECONOMICS

1. Micro and Macro analysis, consumer's behaviour- utility analysis, indifference curve Analysis, revealed preference analysis, revision in demand theory, producer's behaviour-production function, law of variable proportions, producer's equilibrium.
2. Determination of value and output under various market situations, theories of factor pricing-rent, wages, interest and profit.
3. National income accounting various related aggregate and their inter-relation, value of money recent development in theory of value of money friedman, Patinkin, Gurley-Shaw, Tobin. Objectives and instruments of Central Banking and credit policies, Keynesnism.
4. Theories of international trade, exchange rate, tariffs, Protection, balance of payment, terms of trade, international liquidity and I.M.F., UNCTAD, aid Vs trade, meaning and measurement of economic growth, contribution of Adam Smith, Ricardo, Marshall, Marx, Keynes, Hicks and Gandhi in Economic thought and its critical evaluation.
5. Scope and utility of statistics collection of statistical data averages dispersion and skewness, index numbers regression, correlation,
6. Indian Economy, institutional framework of Indian economy, problems of the mixed economy, planned growth and distributive justice, measure of poverty and its eradication, national income its sectoral and regional distribution, agricultural policy, land reforms, technological change, rural credit structure, rural development.
7. Industrial Policy, licensing and control of monopolism, pricing policies of agricultural and industrial output, procurement and public distribution system, budgetary and monetary trends in Indian economy, Reserve Bank Of India and monetary policy. Trends in foreign trade and balance of payments. Indian federal finance, tax structure in India, fiscal policy, monetary policy, planning in India-objectives, strategy, experience and problems.

(12) - इतिहास

1. प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत।
2. सिन्धु घाटी सभ्यता – उत्पत्ति, प्रसार, विशेषताएं, प्रमुख व्यापार तथा संपर्क, पतन के कारण।
3. वैदिक सभ्यता – राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक ढांचा, प्रमुख धार्मिक–विचार तथा कर्मकाण्ड।
4. जैन धर्म, बौद्धधर्म तथा अन्य सम्प्रदाय।
5. मौर्य युग, साम्राज्य विस्तार, प्रशासन, सामाजिक तथा आर्थिक दशा, अशोक की नीति तथा सुधार।
6. भारत – यूनान विजय, संस्थापन तथा पतन।
7. गुप्त युग, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक पहलू।
8. चालुक्य, पल्लव तथा वर्धन साम्राज्य।
9. राजपतू राज्यों का अभ्यदुय, उत्पत्ति, राजनीतिक स्वरूप एवं संस्कृति।
10. दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत – महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय भारतीय समाज, मोहम्मद बिन – तुगलक तथा फीरोज के अधीन राज्य की राज्य नीति तथा प्रशासनिक सिद्धान्तों का नवीन अनुस्थापन, लोदी वंश।
11. सल्तनत के दौरान सांस्कृतिक विकास – भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, कला, वास्तुकला, साहित्य तथा समाज।
12. विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य – राजनीतिक स्वरूप एवं संस्कृति।
13. 1526 में भारत का स्वरूप तथा बाबर का आक्रमण।
14. बाबर, हुमायूं तथा शेरशाह की उपलब्धियां।
15. अकबर के अधीन राष्ट्रीय राजतंत्र–राजतंत्र की नवीन अवधारणा, अकबर का धार्मिक, राजनीतिक दृष्टिकोण, गैर मुसलमानों से उसके सम्बन्ध तथा प्रशासनिक कार्य।
16. जहांगीर तथा शाहजहां का युग।
17. औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष तथा विघटन – औरंगजेब की धार्मिक नीति, दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार, औरंगजेब के विरूद्ध विद्रोह, मराठों से संबंध, साम्राज्य का विघटन।
18. मुगल प्रशासन।
19. मुगल बादशाहों के अधीन कला, वास्तुकला तथा समाज।
20. दक्खन (डेकन) तथा बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का उदय – अंग्रेज–फ्रांसीसी संघर्ष, बंगाल के नवाबों के साथ संबंध।
21. अंग्रेज – मराठा संबंध 1772 ई. से 1818 तक।
22. वेलेजली, लार्ड हेस्टिंग्स, विलियम बैन्टिक तथा डलहौजी के विशेष संदर्भ में 1798 से 1856 तक ब्रिटिश राज्य का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण।
23. 1857 का विद्रोह कारण, स्वरूप तथा परिणाम।
24. ताज के अधीन नई ब्रिटिश नीति की मुख्य विशेषतायें–साम्राज्ञी की घोषणा, मेयो के सुधार, रिपन के अधीन ब्रिटिश उदारवाद, कर्जन के सुधार।
25. सामाजिक – धार्मिक आन्दोलन – ब्रम्ह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन आदि।
26. ब्रिटिश आर्थिक नीतियां – व्यापार, उद्योग तथा कृषि।
27. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन – उत्पत्ति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आन्दोलन के विभिन्न चरण, प्रारंभिक काल (1885 –1919), गांधी का यगु (1919–1939) स्वतत्रंता संग्रम की तीव्रीकरण (1939–1947)
28. आधुनिक भारत के निर्माता – राजा राममोहन राय, रामकृष्ण, दयानंद सरस्वती, विवेकानन्द, तिलक, गोखले, गांधी तथा नेहरू।
29. भारत का संवैधानिक विकास 1858, 1892, 1909, 1919 तथा 1935 के अधिनियम।
30. औद्योगिक क्रांति और इसका यूरोप पर प्रभाव।
31. अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम।
32. फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन युग (1789–1815) विश्व इतिहास में इसका महत्व।
33. इटली का एकीकरण।
34. जर्मनी का एकीकरण।
35. ब्रिटिश उदारवाद। (1830–1910)
36. अमेरिका गृह युद्ध।
37. 19 वीं तथा 20 वीं शताब्दियों में निकट पूर्व की समस्या।
38. यूरोप तथा सुदूर पूर्व (1840–1911)
39. प्रथम विश्व युद्ध।
40. वर्साय की सन्धि तथा लीग आफ नेशन्स (राष्ट्रसंघ)।
41. 1917 की रूसी क्रांति तथा उसका विश्वव्यापी प्रभाव।
42. दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी, इटली और जापान में अधिनायकवादी शासन का उदय।

क्रमशः

43. इण्डोनेशिया, चीन तथा हिन्द – चीन (इन्डो–चायना) में राष्ट्रवादी आन्दोलनों का अभ्युदय।
44. चीन में साम्यवाद का उदय तथा उसकी स्थापना।
45. अरब विश्व में जागृति–स्वतंत्रता के लिये संघर्ष तथा मिस्त्र में सुधार, आधुनिक तुर्की का उदय।
46. द्वितीय विश्व युद्ध तथा उसका प्रभाव।

(12) - HISTORY

1. Sources of Ancient Indian History:
2. Indus valley civilisation-origin, extent, Characteristic, features, main trade and contacts, causes of decline.
3. Vedic civilisation – political, social and economic patterns, major religious ideas and rituals.
4. Jainism, Buddhism and other sects.
5. The age of the Mauryas- extent of administration, social and economic conditions. Ashoka's policy and reforms.
6. The Indo-Greek conquests, consolidation and decline.
7. The Gupta age: political and cultural aspects.
8. Chalukya, Pallava and the Vardhan Empires.
9. Emergence of the Rajput states-origin, polity and culture.
10. India under the Sultans of Delhi: Indian society on the eve of Mahamud, Ghazni's invasions, Establishment of State politics and administrative principles under Mohammad bin Tughlaq and Firoz. The Lodis.
11. Cultural development during the Sultanate- Bhakti Movement, Sufism, art & architecture, literature and the society.
12. The Vijaynagar and the Bahamani Empires: Polity and culture.
13. Profile of India in 1526 and Babar's invasion.
14. Achievements of Babar, Humayun and Shershah Suri.
15. National Monarchy under Akbar : New concept of monarchy. Akbar's religio-political out-look, his relations with the non-Muslims and administrative measures.
16. Age of Jahangir and Shahjahan.
17. Climax and disintegration of the Mughal Empire under Aurangzeb : Aurangzeb's religious policy, expansion of the Mughal Empire in Deccan, revolts against Aurangzeb, relations with the Marathas, disintegration of the Empire.
18. Mughal Administration.
19. Art, architecture and society under the Mughal Emperors.
20. Rise of the British power in Deccan and Bengal; Anglo- French struggle, relations with the Nawabs of Bengal.
21. Anglo-Maratha relations: 1772 A.D. to 1818 A.D.
22. The expansion and consolidation of British rule from 1789 to 1856: With special reference to Wellesley, Lord Hastings, William Bentinck and Dalhousie.
23. Revolt of 1857: Causes, nature and consequences.
24. Salient features of the new British policy under the Crown, Queen's Proclamation. Mayo's reforms, British liberalism under Ripon, Curzon's reforms.
25. Socio-religious Movements- Brahma Samaj, Prarthana Samaj, Arya Samaj, Theosophical Society, Ram Krishna Mission etc.
26. British economic policies: Trade, industry and agriculture.
27. Indian National Movement-Genesis, establishment of the Indian National Congress, different phases of the Movement (1885-1919), 1919-1939 (Gandhian Phases) Intensification of the freedom struggle (1939-1947) .
28. Builders of Modern India: Raja Ram Mohan Roy, Rama Krishna, Dayanand Saraswati, Vivekanand, Tilak, Gokhale, Gandhi and Nehru.
29. Indian constitutional developments- Acts of 1858, 1892, 1909, 1919 and 1935 .
30. Industrial Revolution and its impact on Europe.
31. American war of Independence.
32. The French Revolution and Napoleon Era (1789-1815). Its significance in world history.
33. The unification of Italy.
34. The unification of Germany.
35. British Liberalism (1830-1910).
36. The American Civil War.
37. The Near East problem in the 19th and 20th centuries.
38. Europe and the far East (1840-1911)-
39. The First World War.
40. The peace of Paris and the League of Nations.
41. The Russian Revolution of 1917 and its world impact.
42. Growth of totalitarian regimes in Germany, Italy and Japan between the two World Wars.
43. Rise of Nationalist Movements in Indonesia, China and Indo-China.
44. Rise and establishment of Communism in China.
45. Awakening in the Arab World-struggle for freedom and reform in Egypt, Emergence of Modern Turkey.
46. Second World War and its impact.

(13) - वनस्पतिशास्त्र

1. **कोशिका जीव विज्ञान**– प्रोकैरिओटिक और यूकैरिआटिक कोशिका, गुणसूत्र की संरचना, विभिन्न कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य, समसूत्री एवं अर्द्धसूत्री कोशिका विभाजन।
   आण्विक जीव विज्ञान– नाभिकीय अम्लों की संरचना एवं कार्य, प्रोटीन का संश्लेषण।
   अनुवांशिकी– मेण्डेलिज्म, सहलग्नता, जीन विनिमय एवं गुणसूत्र मानचित्र, नॉन मेण्डेलिअन अनुपात, कोशिका द्रव्यिय वंशागति, मात्रात्मक वंशागति, जीन की अवधारणा, उत्परिवर्तन, जीनामे का नियंत्रण, जीवाणु एवं विषाणु की अनुवांशिकी।
   विकास–विकासवाद का क्लासिकल सिद्धान्त एवं उनकी आधुनिक अवधारणा
   पादप ब्रीडिंग– पादप ब्रीडिंग के सिद्धांत, रोग प्रतिरोधकता के लिए ब्रीडिग, प्रारंभिक जैव सांख्यिकी
2. **जैव रसायन**– प्रोटिन, कोर्बोहाइड्रेट, लिपिड, ऐन्जाइम, एवं विटामिन की संरचना एवं पौधों के जीवन में इनकी भूमिका, पादप शरीर क्रिया विज्ञान– पादप कोशिका में जल संबंध (वाटर रिलेशन) जल एवं खनिज का अवशोषण, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण, पौधों में खनिज पोषण, रन्ध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, नाइट्रोजन मेटोबालिज्म, वृद्धि एवं पादपगति, स्ट्रेस फिजिओलॉजी, बायोरिद्म, प्रतिवाष्पोत्सर्जक फोटोमॉर–फोजेनेसिस एवं वर्नेलाइजेशन, उत्तक संवर्धन एवं इसके अनुप्रयोग।
3. **सूक्ष्म जीवविज्ञान**– सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, उद्योगों में सूक्ष्म जीव, अपशिष्ट जल के निस्तारण में (सीवेज के डिसपोजल) में सूक्ष्म जीव, पौधे और मानवों में सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न बीमारियां, जीवाणु, विषाणु एवं लाइकेन का विस्तृत अध्ययन,
   पादक जैव प्रौद्योगिकी
   निम्नवर्ग के पौधों का अध्ययन– वर्गीकरण, संरचना का विस्तार जनन एवं मुख्य समूहों के मध्य अर्न्त संबंध। शैवाल– फिश्चियला, कोलिओकीट, उडोगोनियम, एसिटाबुलारिया, कारा, वाउकेरिया, क्लोरेला, सारगासम, डिक्टिओटा, बैट्रेकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिआ, मिक्सोफाइसी, का सामान्य विवरण
   कवक– सैप्रोलिग्निया पायथियम, फायटोप्थोरा, ऐल्ब्यूगो, पैरेनोस्पोरा, म्यूकर, सैकेरोमाइसिस, प्रोटोमाइसिस, एस्परजिलस पैनिसिलिअम, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, पैजाइजा, मोरशेल्ला, पकसिनिआ, अस्टिलैगो, मेलमाप्सोरा, ऑल्टरनेरिआ, सर्कोस्पोरा, हेटेरोथैलिज्म, पैरासैक्चुएलिटी, पोषण विधि, कायिक विशिष्ट्रीकरण।
   बायोफाइटा– स्पोरोफाइट का विस्तार एव˙ वर्धी प्रजनन। टेरिडोफाइटा– स्टीलर तंत्र, टीलोम सिद्धांत, गैमीटोफाइट, फॉसिलटेरिडोफाइट, साइलोफाइटा, लाइकोपोडिअम, आइसोइटीस, इक्वीसीटम, ऑफिओग्लोसम, ओसमुण्डा, मार्सिलिया। जिमनोस्पर्म– बीज की उत्पत्ति,

क्रमशः

लाइजिनोपटेरिस, कैटोनिआ, साइकस, विलिअम–सोनिआ, जिन्गो, पाइनस, एफिड्रा।

4. **ऐंजिओस्पर्म पादपों का अध्ययन** : विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियां एवं उसके आधार, आई.सी.बी.एन, निम्न कुलों का अध्ययन– मोरेसी, निम्फिएसी, रैननकुलेसी, ऐनोनेसी, लेग्युमिनोसी (फैबेसी), रूटेसी, मीलिएसी, माल्वेसी, कैक्टेसी, मिर्टेसी, अम्बेलिफेरी, ऐपोसाइनेसी, ऐस्क्लेपिएडेसी, कान्वोल्वुलेसी, लैबिएटी, सोलेनेसी, स्क्रोफुलेरिएसी, बिग्नोनिएएसी, ऐकेन्थेसी, रूबियसी, कुकरबिटेसी, कॉम्पोजिटी, ऐलिस्मेटेसी, ग्रेमिनी, पोमी, म्यूसेसी, ऑर्किडेसी। ऐन्जिओस्पर्म की ऐम्ब्रिओलॉजी एवं ऐनाटॉमी, टिशूकल्चर ऐजिओस्पर्म का उद्‌गम एवं विकास, वानस्पतिक उद्यान एवं पादपालय, स्टेमेन एवं कारपेल की आकारिकी। आर्थिक और इथनोबॉटनी : भारत में इथनोबॉटनी, भैषिजीक महत्व के पादप, रेशे, इमारती लकडी, तेल प्रदान करने वाले एवं खाद्यान्न प्रदान करने वाले पादप।

5. **पादप परिस्थितिकी** :– पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्य, प्रदूषण परिस्थितिकी, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, पादपभूगोल के सिद्धान्त, भारत की वनस्पतियों के प्रकार,

(13) - BOTANY

I. **Cell Biology :-** Prokaryotic and Eukaryotic cell; structure of chromosome; structure and functions of various cell organelles; Mitotic and Meiotic division;
Molecular Biology :- Structure and functions of nucleic acids; synthesis of protein. Genetics:- Mendelism, Linkage and crossing over, chromosomal mapping; Non Mendellian ratios; Cytoplasmic inheritance; Quantitative inheritance; concept of gene, mutation; Regulation of genome; bacterial and viral genetics.
Evolution :- Classical theories of evolution and its modern synthesis Plant Breeding : Principles of plant breeding; Breeding for disease resistance; Elementary Bio-statistics.

II. **Biochemistry:-** Structure of protein carbohydrate, lipid, enzymes and vitamins, their role in plant life. Plant Physiology :- Water relations of a plant cell; Absorption of water and minerals; translocation of organic and inorganic materials; Mineral nutrition in plants; mechanism of stomata opening and closing, Photosynthesis, Respiration; Nitrogen Metabolism; Growth and movements; stress physiology, Biorhythms Anti-transpirants ; Photomorphogenesis and Vernalization; tissue culture and its application.

III. **Microbiology:-** Classification of microorganisms; Microorganisms in industry; Microorganisms in sewage disposal; Plant and human diseases caused by micro-organisms; Detailed study of Bacteria, Viruses and Lichens; Plant Biotechnology.
Study of Lower Plants :- classificat ion, range of structure and reproduction in the following forms with interrelationships in principle groups.
Algae: Fritschiella, Coleochaete, Oedogonium, Acetabularia, Chara, vaucheria, Chlorella, Sargassum, Dictyota, Batrachospermum Polysiphonia.
General Account of Myxophyceae.
Fungi :- Saprolegnia, Pythium, Phytophthora, Albugo, Peronospora, Mucor, Saccharomyces, Protomyces, Aspergillus, Penicillium, Claviceps, Neurospora, Peziza, Morchella, Puccinia, Ustilago, Melampsora Alternaria, Cercospora, Heterothallism, parasexuality, mode of nutrition, Physiological specilization.
Bryophytes- range of sporophyte, vegetative propagation. Pteridophytes- Stelar organization, Telome theory, Gametophytes, Fossil Pteridophytes, Psilophyta, Lycopodium, lsoetes, Equisetum, Ophioglossum, Osmunda, Marsilea Gymnosperms- Origin of seed, Lyginopteris, Caytonia, Cycas, Williamsonia, Ginkgo, Pinus, Ephedra.

IV. **Study of Angiospermic Plants :-** Criteria and various systems of classification, ICBN, Study of following families..
Moraceae, Nymphaeaceae, Ranunculaceae, Annonaceae, Leguminosae (Fabaceae), Rutaceae, Meliaceae Malvaceae, Cactaceae, Myrtaceae Umbelliferae, Apocynaceae, Asclepiadaceae, Convolvulaceae, Labiatae, Solanaceae, Scrophulariaceae, Bignoniaceae, Acanthaceae, Rubiaceae, Cucurbitaceae, Compositae, Alismataceae, Gramineae, Palmae, Musasceae Orchidaceae, Anatomy and Embryology of Angiosperms.
Tissue culture
Origin and evolution of angiosperms, Botanical gardens and Herbaria Morphology of stamen and carpel.
Economic and Ethnobotany :- Ethnobotany in India, Medicinal Plants, fibre, timber, oil-yielding and cereal plants. V Plant Ecology :- Ecosystem structure and function, Pollution ecology conservation of natural resources, Principles of phytogeography, Vegetation types of India.

(14) - प्राणीशास्त्र

I. **अकषेरूकी तथा कषेरूकी प्राणियों का सामान्य अध्ययन** – पेरामीषियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा तथा सायकान की संरचना, परिवर्धन तथा आर्थिक महत्व; सीलेन्टरेटा में बहुरूपता, कोरल रीफ तथा मीसेन्द्री; मानव से संबंधित हेलमिन्थ्स एवं निमेटोड्स, अकषेरूकीयों की लारवल अवस्थाएं, कीट, मोलस्क, मत्स्य, पक्षी तथा स्तनियों का आर्थिक महत्व। विषैले तथा विष हीन सर्प, सर्प–दंश की क्रिया विधि। वर्टीब्रेट प्राणियों में त्वचा, हृदय, महाधमनी चाप, मूत्र जनन तंत्र, मस्तिष्क एवं कपालीय तंत्रिकाओं का तुलनात्मक आकारिकी।

II. **वर्गिकी तथा माइनर फाइला** – वर्गीकरण के सिद्धांत, प्राणिकीय नामांकन, वर्गीकरण समूह, प्राणी साम्राज्य के वर्गीकरण की रूपरेखा (गण तक), रोटीफेरा, ब्रैकियोपोडा, एक्टोप्रोक्टा, फोरोंनिडा तथा इकाइयूरोइडिया की संरचना एवं सहजातिता। पेराजोआ, मीसोजोआ एवं मेटाजोआ की उत्पत्ति।

III. **विकास, कोशिका विज्ञान, कोशिकाआनुवंशिकी** – जीवन एवं जातियों की उत्पत्ति, विकास के प्रमाण तथा सिद्धांत, जीवाश्म, घोड़े तथा मनुष्य की जातिवृत्ति, विलगन, विविधता तथा अनुहरण, मछलियों तथा स्तनियों में अनुकूलित विकिरण, भौगोलिक तथा भूवैज्ञानिक वितरण, प्राणी कोशिका की संरचना; कोशिका कला, कोशिका–द्रव्य, केन्द्रक, माइटोकोन्ड्रिया, गोल्गीकाय, लाइसोसोम, राइबोसोम, गुणसूत्र की संरचना तथा कार्य, डी.एन.ए. तथा आर.एन.ए. की संनरचना तथा वंशानुक्रम में योगदान, सहलग्नता तथा जीन–विनिमय, लिंग निर्धारण, कोशिका द्रव्य वंशानुक्रम, सुजनकी, कर्क रोग का कोशिका विज्ञान तथा सामान्य परिचय।

IV. **कार्यिकी** – कोशिका कार्यिकी के तत्व, एन्जाइम्स तथा विटामिन्स, पाचन, श्वसन तथा उत्सर्जन की कार्यिकी, समस्थापन, ताप एवं परासरण नियमन, रूधिर संरचना, थक्का जमना तथा रूधिर समूह, तंत्रिका आवेग चलन व पेशीय संकुचन के सिद्धान्त, अन्तःस्त्रावी ग्रंथियों की मूल अवधारणायें।

V. **परिस्थितिकी एवं प्राणी व्यवहार** – पर्यावरण, अजीवीय तथा जीवीय कारक, अलवणीय जल, समुद्री तथा स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, समष्टि परिस्थितिकी, वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण, लर्निंग तथा स्टीरियों–टाइप व्यवहार, मधुमक्खी तथा प्राइमेट्स में सामाजिक व्यवहार, तर्क तथा संचार, भारत के वन–प्राणी, तथा उनका संरक्षण एवं प्रबंधन, मरूस्थल, वायवीय, जलीय, स्थलीय अनुकूलन।

VI. **भ्रूणिकी, सामान्य प्राणिकी एवं जीव सांख्यिकी** – अंडो के प्रकार, भ्रूणीय कलाओं का विकास, मेटामार्फोसिस के विभिन्न प्रकार, प्लासेन्टेशन, रेशम उद्योग तथा मधुमक्खी पालन। आंकड़ों का संग्रह, आवृत्ति वितरण तथा उनका प्रस्तुतिकरण, ग्राफ, बार–चित्र, हिस्टोग्राम, रेखा–चित्र तथा आवृत्ति–वक्र, मीन, मीडियन, मोड तथा स्टेण्डर्ड डेवीएशन, काई–वर्ग (x^2) टेस्ट।

क्रमशः

(14) - ZOOLOGY

I. **General study of non-chordate and chordates :-** Structure, development and economic importance of Paramecium, Plasmodium Trypanosoma and Sycon; Polymorphism, coral reefs & mesenteries in coelenterates; Helminthes and nematodes in relation to man, larval forms in invertebrates, Economic importance of insects, molluscs, fish , birds and mammals. Poisonous and non poisonous snakes, biting mechanism, comparative anatomy of skin, heart, aortic arches, urinogenital system, brain and cranial nerves in vertebrates.

II. **Taxonomy and minor Phyla :-** Theories of classification, Zoological nomenclature, taxonomical categories; outline classification of animal kingdom upto orders, structure and affinit ies of Rotifera, Brachiopoda,Ectoprocta, Phoronida and Echiuroidea, origin of parazoa, mesozoa and metazoa.

III. **Evolution, Cytology and cytogenetics :-** Origin of life and origin of species, Evidences and theories of evolution; fossils, phylogeny of horse and man, lsolation, Variation and mimicry; Adaptative radiation in fishes and mammals, Geological and Zoogeographical distribution, structure of animal cell; structure and functions of plasma membrane, cytoplasm, Nucleus, Mitochondria, Golgibodies, Lysosomes, Ribosomes, Chromosomes; structure and functions, structure of DNA and RNA and their role in inheritance, linkage and crossing over, Sex determination, cytoplasmic inheritance, Eugenics, introduction to cancer cytology.

IV. **Physiology :-** Elements of cell physiology; enzymes and vitamins, physiology of digestion, respiration and excretion, Homeostasis, thermo and osmoregulation, blood structure, coagulation, blood groups, theories of nerve conduction and muscles contraction, Basic concepts of endocrine glands.

V. **Ecology and Animal Behaviour :-** Environment, abiotic, biotic, factors; fresh water, marine, terrestrial ecosystem, energy flow in ecosystem, food chain, food web, population ecology, air, water and noise pollution, learning and stereotyped behavior, social behavior in Honey bee and primates, reasoning and communication, wild life in India, its conservation and management, desert, volant, aquatic & terrestrial adaptations.

VI. **Embryology, General Zoology & Biostatistics:-** Types of eggs, development of fetal membranes, various types of metamorphosis, Placentation. Sericulture, Apiculture, Collection of data, Frequency distribution and its presentation, Graphs, bar diagrams, Histograms, line diagrams and frequency curves, Mean, Median mode and standard deviation, Chi-square (x^2) test.

(15) - भूगोल

भाग – एक

1. भू – आकृति विज्ञान

(i) पृथ्वी की उत्पत्ति : पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धान्त।

(ii) भूपृष्ठ : चट्टानों की उत्पत्ति उनके प्रकार, पृथ्वी की आतंरिक संरचना, अनाच्छादन के कारण, अपरदन चक्र, हिमनद, पवन, समुद्री जल तथा कार्स्ट द्वारा निर्मित स्थलाकृतियॉ, भूकम्प ज्वालामुखी तथा उनका विश्व वितरण।

2. जलवायु विज्ञान

(i) वायु मंडल : वायु मंडल की संरचना तथा उसका संगठन, वायु मडंलीय परतों का ऊर्ध्वाधर वितरण तथा उनकी विशेषताएॅ

(ii) तापमान : पृथ्वी पर सूर्य ताप का क्षैतिज वितरण, समताप रेखाएॅ।

(iii) वायुदाब तथा पवन – पृथ्वी पर वायुदाब पेटियॉ, पवनों के प्रकार व उनका वितरण, स्थानीय पवन, चक्रवात तथा प्रति चक्रवात, चक्रवात उत्पत्ति की संकल्पना, वाताग्र, तड़ित झंझा और वायु राशियॉ.

(iv) आर्द्रता तथा वर्षा : आर्द्रता, वर्षा के प्रकार तथा विश्व वितरण।

(v) जलवायु वर्गीकरण : थार्नथ्वेट तथा कोपेन।

3. समुद्र विज्ञान

(i) समुद्र तली के उच्चावच स्वरूप, महाद्वीपीय मग्न तट, महासागरीय गर्त तथा खाईयों की उत्पत्ति सबंधी अवधारणा।

(ii) महासागर का तापमान तथा खारापन : महासागरों के खारेपन के कारण।

(iii) महासागरीय निक्षेप : निक्षेपों के प्रकार, वितरण तथा उनका रासायनिक संरचना, निक्षेप का स्रोत।

(iv) प्रवाल भित्तियॉ : प्रवाल भित्ति–उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत, विश्व की महत्वपूर्ण प्रवाल भित्तियॉ।

(v) महासागर अध्ययन का विकास, महासागरों का आर्थिक राजनैतिक तथा कूटनीतिक महत्व।

4. भौगोलिक विचार धाराओं का विकास :

निश्चयवाद, सभंववाद, नवनिश्चयवाद, 20 वीं शताब्दी में भारत में भूगोल का विकास।

5. मानव भूगोल :

(i) प्रजाति और विश्व में उनका वितरण।

(ii) जनसख्यां: विश्व में जनसंख्या वृद्धि, घनत्व तथा वितरण, विश्वजनसंख्या की समस्याएॅ तथा उनके निदान।

6. राजनीतिक भूगोल :

राजनीतिक भूगोल तथा भू– राजनीति, सीमान्त क्षेत्र तथा सीमाएॅ, हिन्द महासागर तथा विश्व राजनीति।

7. आर्थिक भूगोल :

(i) कृषि : कृषि के प्रकार, प्रमुख खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलें तथा उनका विश्व वितरण।

(ii) खनिज संसाधन : लौह अयस्क, मैगंनीज, तॉबा, सोना, टिन तथा बाक्साइट का विश्व में उत्पादन तथा वितरण।

(iii) ऊर्जा स्रोत : कोयला, पेट्रोल तथा जल विद्युत का विश्व में वितरण।

(iv) उद्योग : उत्तरी अमेरिका में लोहा तथा इस्पात, वस्त्रोद्योग, कागज तथा जहाज निमार्ण उद्योग।

भाग – दो

(भारत का भूगोल छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

भौतिक पहलू :–

भारतीय उपमहाद्वीप का भूगर्भिक इतिहास, प्राकृतिक विभाग तथा प्रवाह प्रणाली।

जलवायु – भारतीय मानसून की उत्पत्ति तथा उसके कारण, वर्षा का वितरण, बाढ़ग्रस्त तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र।

मिट्टी तथा प्राकृतिक वनस्पति – मिट्टी के प्रकार तथा उनका वितरण, वनों के प्रकार तथा उनका वितरण .

मानवीय पहलू :–

भारत की प्रमुख जनजातियां।

कृषि – प्रमुख फसलें, हरित क्रान्ति, भूमि सुधार नीति, फसल प्रतिरूप, मिश्रित कृषि का विकास, सिंचाई के विविध साधन तथा उनका महत्व, भूजल प्रबंध।

उद्योग – औद्योगिक विकास का इतिहास, खनिज आधारित, कृषि आधारित तथा वनों पर आधारित उद्योग का अध्ययन, भारत के औद्योगिक प्रदेश।

क्षेत्रीय विकास तथा नियोजन – क्षेत्रीय विसंगतियॉ, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों का नियोजन, बहुस्तरीय नियोजन तथा नदी घाटी विकास।

(15) - GEOGRAPHY

Part - 1

1. Geomorphology

(i) Origin of the Earth - Theories regarding origin of the earth.

(ii) Earth's Crust - Origin of rocks. their types, Interior of the Earth, Agents of Denudation, Cycle of erosion, Glacial, Arid, Marine and Karst topography, Earth quakes, Volcanoes and their distribution in the world.

2. Climatology :

(i) Atmosphere : Structure and Compositon of atmosphere. Vertical distribution of Atomospheric layers and their characteristics.

(ii) Temperature : Horizontal distribution of Temperature over the globe, Isotherms.

(iii) Pressure and wind : Pressure belts of the globe, Types of winds and their distributions. Local winds, Cyclone and anticyclones, Concept regarding Origin of cyclones, Fronts, Thunder storms and Air masses.

(iv) Humidity and Precipitation : Humidity, types of precipitation, Distribution over the globe.

(v) Climatic Classification : Thornthwaite and Koppen.

3. Oceonography :

(i) Relief features of ocean floors, Concepts regarding origin of continental shelf, oceanic deeps, oceanic canyons.

(ii) Temperature and salinity of oceans, Causes of salinity of ocean water.

(iii) Marine deposits : Types of deposits, distribution and their chemical composition, sources of deposits

(iv) Coral Reefs : Coral reefs - concepts of their origin, important corel reefs of the world.

(v) Development of study of oceanography, Economic, Political and Strategic significance of oceans.

4. Development of Geographical Thought

Determinism, Possibilism, Neo- determinism, Development of geography in India in the 20th Century.

5. Human Geography

(i) Races of mankind and their world distribution.

(ii) Population : Growth, density and distribution in the world, problems of the world population and solutions

6. Political Geography :

Political Geography and Geopolitics, Frontiers and boundaries, Indian ocean and world politics.

7. Economic Geography

(i) Agriculture : Types of agriculture, Major food and commercial crops and their world distribution.

(ii) Mineral Resources : World Production and distribution of Iron-Ore, Manganese, Copper, Gold, Tin and Bauxite.

(iii) Power Resources : World distribution of Coal,Petroleum and Hydroelectricity

(iv) Industries : Iron and Steel , textile, paper and ship building industries of North America,

Part - 2

(Geography of India with special reference to Chhattisgarh)

Physical Aspects -

Geological history of Indian, sub-continent, physiographic divisions and drainage systems.

Climate - Origin and mechanism of Indian monsoon, distribution of rain-fall, flood prone and drought prone areas.

Soil and Natural Vegetation - Soil types and their distribution, forest types and their distribution.

Human Aspects -

Major tribes of India.

Agriculture - Major crops, green revolution; land reform policy, crop patterns, development of mixed farming, different means of irrigation and their significance, ground water management.

Industry - History of industrial development, study of mineral-based, agro-based and forest based industries, Industrial regions of India.

Regional Development and Planning - Regional disparities; planning for hill and tribal areas; multi-level planning and river basin development.

(16) - समाजशास्त्र

समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों की प्रकृति – समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों के विभिन्न स्तर एवं उनके व अनुसंधान (शोध) के मध्य संबंध।

संरचना – सामाजिक संरचना के संदर्भ में संरचनात्मक प्रकार्यवाद (ए. आर रेडक्लिफ ब्राउन)–भूमिका विश्लेषण की समस्या (एस.एफ. नेडल) सामाजिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक मापदण्ड (टी पारसन्स) प्रकार्यात्मक विश्लेषण का वर्गीकरण, आलोचनाएँ, पुनर्रचना (आर.के मर्टन) नव प्रकार्यवाद–जे. अलेक्जेन्डर।

संघर्ष – सिद्धान्त – मार्क्स की आलोचना एवं द्वंद्वात्मक संघर्ष (आए. डहर्न डार्फ) संघर्ष का प्रकार्यात्मक विश्लेषण (एल. क्रोज़र) संघर्ष एवं सामाजिक परिवर्तन – (आर.कोलिन्स)।

नवमार्क्सवाद–संरचनात्मक मार्क्सवाद (एल. एलथ्यूज़र) क्रिया सिद्धान्त–परेटो मैक्स बेवर, पारसन्स।

परिसंवाद वाद – उद्देश्य, सांकेतिक परिसंवाद वाद (जी.एच. मीड एवं एच. ब्लूमर) प्राकघटनात्मक क्रिया विज्ञान का समाजशास्त्र (ए. श्यूज़) सामाजिक संरचना की वास्तविकता (पी.बर्ज़र एवं टी.जी. ल्युकमैन) नृजाति विज्ञान शास्त्र (एच.गरफ़िकल)

तात्कालीन विचारों की सामाजिक सिद्धान्तों की नवधारणाएँ–ऐथोनीगिड्डन, हेबिटस एवं फील्ड–(बोरडयू)–पश्चआधुनिकवाद–(फ़ोकाल्ड एवं बोट्रिलार्ड)। भारतविद्या / वियायक–(जी.एस.घूरिये)–भारतीय समाज के संदर्भ में – अवधारणाएँ, विशेषताएँ तात्कालिक–संरचना के (संदर्भ में), धर्म वर्ण, आश्रम कर्म, ऋण एवं पुरूषार्थ।

दृष्टिकोण की रचना (इरावती कर्वे एवं के.एन. कापड़िया) नेटवर्क का निर्माण एवं संपर्को की स्थापना एवं करण, समूह एवं समुदाय परिवार, विवाह एवं बन्धुत्व (नातेदारी व्यवस्था) तंत्र का अध्ययन, भारतीय सामाजिक संगठन।

संरचनात्मक प्रकार्यवाद – (एम.एन. श्रीनिववास, एस.सी.दुबे) भारतीय समाज के केन्द्र के रूप में ग्राम सामाजिक पदानुक्रम (संस्तरण), जातिव्यवस्था (भारतीय संदर्भ में जाति एवं वर्ग व्यवस्था)

सभ्यतात्मक दृष्टिकोण – एन.के. बोस, संस्कृति की मात्रात्मक पैमाना, धार्मिक, संस्थागत एवं भाषागत, भारत में विविधता, परम्परा एवं आधुनिकता, भूत एवं वर्तमान संस्थाओं की निरंतरता के परिप्रेक्ष्य में। गौण परिप्रेक्ष्य – बी.आर. अम्बेडकर, विशिष्ट, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी समूह अनुसूचित जाति एवं जनजाति की समस्याएँ, भारतीय समाज एवं विधायी, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद एवं राष्ट्रीय एकता।

विज्ञान का अध्ययन और इसका महत्व तथा समाज एवं विज्ञान में संबंध, सामाजिक तंत्र के रूप में विज्ञान, विज्ञान के मानक प्रतिमान तथा विज्ञान एवं तकनीक के मध्य संबंध।

आधुनिक विज्ञान का इतिहास भारत के संदर्भ में – उपनिवेशीय स्वंतत्रता, स्वंतत्रता पश्चात का विज्ञान, विज्ञान और तकनीक की प्रकृति भारत में इसकी शिक्षा एवं गुणवत्ता भारत में शुद्ध बनाम व्यवहारिक विज्ञान, भारतीय सामाजिक संरचना एवं विज्ञान, भारतीय वैज्ञानिकों की सामाजिक पृष्ठभूमि ब्रेनड्रेन एवं ब्रेनगेन।

वैज्ञानिक नीतियाँ – भारतीय सदर्भ में वैज्ञानिक एवं सामाजिक संगठनः वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ एवं तकनीक के विकास में उनका योगदान। समकालीन भारत में वैज्ञानिक शिक्षा : प्राथमिक स्तर से अनुसंधान स्तर तक, तकनीकी विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका, विश्वविद्यालय और उद्योगों के मध्य अंतर्संबंध।

वैश्वीकरण एवं उदारीकरण का भारतीय विज्ञान एवं तकनीक पर प्रभाव, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) एवं बौद्धिक अधिकार से जुड़े मुद्दे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और भारतीय उद्योग (एम.एन.सी.) एवं

क्रमशः

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान एवं तकनीक का राजनैतिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।

(16) - SOCIOLOGY

Nature of Sociological theory - Levels of theorisation in sociology-Relationship between theory and research.

Structural-Functionalism, the idea of social structure : A.R. Radcliffe-Brown- the problems of role analysis, S.F. Nadel - Functional dimensions of social system :

T. Parsons - Codification.critique and reformulation of functional analysis : R.K.

Merton - Neofunctionalism : J. Alexander.

Conflict Theory : Marx critique and dialectics of conflict : R. Dahrendorf - Functional analysis of conflict, L. Coser-Conflict and social change : R Collins .

Neo Marxism : Structuralism Marxism : L. Althusser : Action theory. Pareto. Max Weber and Parsons.

Interactionist perspective : symbolic Interactionism : G.H. Mead and H. Blumer - Phenomenological Sociology : A Schutz - Social Constructuon of reality : P Berger and T.G. Luckmann, Ethnomethodology : H. Garflinkel.

Recent trends in sociological theorising : Structuration : Anthony

Giddens - Habitus and field : Bourdieu - Postmodernism-Focault and Botrilard.

Indological/Textual (G.S.Ghure) Conceptulizing Indian Society in terms of certain characteristics and configuration Dharma Varna, Ashrama, Karma, Rin (Debt) and Purushartha. Synthesis of Textual and Field views (lrawati Karve, K.M. Kapadia) Linkage and Network building reasons group and community family, marriage, kinship system and Indian social organization.

Structural functionalism (M.N. Srinivas, S.C. Dube) The village as a nucleus of Indian Society, Social Hierarchy, Caste System, Caste and class in contemporary India.

Civilizational View (N.K. Bose) The scale of magnitude of Culture:

religions, Institutional and Linguistic diversity in India, Tradition and modernity as a continuity between past and present institutions.

Subaltern perspectives (B.R. Ambedkar) Elites, Backward classes, Minorities and Tribes, Problems of Schedule caste and Scheduled Tribe, Indian society and Legislation, Castism, Untouchability, communalism, Regionalism and National Integration.

The study of Science-its importance, relationship between society and science and vice-versa. Science as a social system. Norms of science. Relationship between science and technology.

History of modern science in India : colonial-independence and post-independence science, Nature of science and technology, education in India and its quality. Pure vs. Applied science in India. Indian social structure and science. Social background of Indian scientists. Brain drain and brain-gain. Science policy, social organization of science in India : Scientific laboratories and their contribution to the development of technology.

Science education in contemporary India : primary level to research level, Performance of universities in the development of technology. Inter-relationship between industry and universities.

Globalization and liberalization and their impact on Indian science and technology, WTO and issues related to intellectual property rights. MNCs and Indian industry, Political economy of science & technology at the national and international levels.

(17) - TASAR TECHNOLOGY

Morphology, Anatomy & Physiology Of Tasar Silkworm & Agronomy

1. History of Non-Mulberry Sericulture.
2. Outline classification of Non-Mulberry silkworm, their distribution in India and Other countries.
3. General organisation and life-cycle of Antherea Mylitta, & Morphology & Anatomy of larva, pupa & moth.
4. Structure of EGG, fertilization, Embryogenesis, Incubation & Hatching.
5. Reproduction-structure of re-productive system, oogenesis, spermatogenesis, development & groth.
6. Moulting and voltinism in tasar silkworm.
7. Role of hormone in development & metamorphosis.
8. silkglands, structure of silk glad, formation and biochemistry of silk.
9. Rearing-rearing equipment, preparation for rearing environment condition for rearing of tasar silk work.
10. Rearing of larae, young age and late age tasar silkworm.
11. Disinfection and disinfectants.
12. Spinning & harvesting of cocoon.
13. Diseases of tasar silkworm-protozoan, viral, Bacterial, Fungal, Symptoms, Causative agents, preventive & control Measures.
14. Primary food plants of Tasar silk worm (Terminalia arjuna, T.tomentosa, shora robusta ets.) and their culture methodes.
15. Out line classification of primary & secondary food plants of tasarworm, their distribution in India. (with the special references to C.G.) and other State. 16. Farm Management : selection of soil & preparation of land for tasar plant cultivation.
17. Propagation of Tasar food plants-seedlings, saplings, Grafting, Layering.
18. Harvesting of Leaf.
19. Diseases of Non-mulberry food plants, Fungal, Bacterial, Viral, Def iciency, Insect pest, control method.

Tasar Silkworm - Genetics And Breeding

1. Moth Emergence : pairing, oviposition, moth examination.
2. Incubation of Univoline, bivoltine and multivoltine eggs.
3. Preparation of loose egges- Advantages of loose eggs, handling of loose eggs.
4. Seed Technology : seed areas and importance of quality seed in tasar industry
5. Seed cocoon : Harvesting of cocoon, gradation and selection consignment for processing.
6. Storage & preservation of cocoon : Types of building, Methods of storing-problems, care in different season.
7. Grainage: Definition, model grainage house, location, orientation and grainage equipment, condition required in grainage work.
8. Hybridization- Interspecific & intra specific with special reference to tasar. its impact & future prospects.
9. Breeding-methods and its application, qualitative and quantative improvement by breeding.
10. Breeding of Tasar silk worm ; Aims, pre-requirements, varialibity selection for breeding.
11. Inbreeding : Advantage and dis - Advantage, exaploitation of inbreeding of non-mulberry silk worms, general and specific combining.
12. Selection : Methods of selection, criteria of selection, Individual and batch selection.
13. Structure of typical animal cell, mitosis & meiosis, chromosome number of different Non-mulberry silkworm.
14. Hereditary traits, in tasar silk worm- Egg, Larvae and pupae.
15. Mutation: Type of mutation, spontaneous and induced, chemical mutagens, effect of radiation.
16. Polyploidy : nature and induction of polyploidy.
17. Genetics of larval and cocoon characters.

क्रमशः

18. Silk worm races: Univoltine, bivoltine and multivoltine races of different tasar silk worm.
19. Maintenance of races and basic seed of different silk worm.

Seed Technology And Reeling

1. Spinning behaviour of non-mulberry cocoons. physical and commercial charactors of cocoons.
2. Pierced cocoons : storage and disposal.
3. Marketing of cocoons : price fixation according to silk content.
4. Selection & transportation of cocoon for reeling.
5. Economics of seed organisation : Equipment for preparation of economically viable unit of grainage, cocoon DFLS- ratio, manpower requirement.
6. Organising a grainage, cost of preparation of DFLS.
7. Maintenance of seed production: salaries, wages, establishment, charges, cold storing of eggs, sale of eggs, cost of chemical equipments, egg sheets, furniture, contingencies & miscellaneous expenditure.
8. Protective measures in seed production.
9. Silk Reeling : Introduction, evolution, Importance & Statistics of silk reeling.
10. Position of reeling Industry in India and other silk producing countries.
11. Raw materials for silk reeling - factor affecting the production of silk yarn, different varieties their characteristics.
12. Reeling : object, detail study of yarn passage, raw silk yarn sige (denier) and importance.
13. Physical, chemical & Microscopical Properties of tasar silk. Uses of tasar silk. different type of silk yarn & their characterstic and uses.
14. Defference between mulberry and non-mulberry silk, Main problem of reeling of tasar silk.
15. Silk testing & quality control : Testing of raw silk, Advantage of testing, silk conditioning and testing house winding test, seriplane and serigraph tests. cohesion and standardisation of raw silk.
16. Reeling Machine: conventional charkha, Improved charkha, cottage basin/ filature basin, multiend silk reeling basin.
17. Automatic & semi-automatic reeling machine, recent advances in reeling.
18. Re-reeling & packing: object, importance of re-reeling yarn, distribution and skein formation, skein finishing, Raw silk hook making and building.
19. Stifling : Definition, Various methods of stifling.

Spinning, Dyeing & Printing Of Tasar Silk

1. Spinning: principles of spinning, charkha spinning, hand spinning, spun silk mills, spun silk Industry.
2. Silk throwing: Introduction, obhective of silk throwing preparation for twisting (Highlight twist-high twist & low Twist).
3. Winding : object of winding, principle of winding, types and methods of winding.
4. Silk processing: Degumming of silk, bleaching, dveing, finishing.
5. Types of water used in processing.
6. Process Involved in spun silk prepration : washing drying opening, filling, combing, drawing, rowing, spinning, doubling, gassing, cleaning, reeling.
7. Introduction of Textile fibre, General properties, classification of textile fibre, physical and chemical properties of different fibrec (Tasar, Wool, cotton, polystor)
8. Establishment of small reeling unit, efficiency, machinary management, production & econamics.
9. By products of silk, pupa, different types pf silk waste.
10. Traditional ghicha preparation of tasar silk, blending of tasar silk with other fibre and its problems.
11. Noil and noil yarns.
12. Bleaching: Introduction of bleaching, purpose of bleaching, bleaching of tasar silk, wool & cotton.
13. Dyeing: Introduction of dyeing of tasar silk, cotton and wool with different class of dystuffs normally used after their treatment.
14. Printing : Introduction of printing, study of different methods and styles of printing.
15. Printing of tasar silk & cotton by block method, with different group of colour normally used.
16. Brief Idea of transfer and foam printing, thicking agents.
17. Finishing: Introduction of finishing, classification of finishing, study of different type of temporary and permanent finishing of tasar silk and cotton.

Textile Design, Fabric Structures & Weaving

1. Different types of winding method.
2. Loom: Definition of loom, types of loom, details about handlooms, parts of loom. simple Idea of motion of the loom.
3. Study of power loom and handloom weaving.
4. Preparation for tasar silk weaving, warp preparation, warping, beaming, drawing, denting, weft preparation.
5. Textile Design : Preparation of design on natural, convention and obstract forms.
6. Planning of design, placement, repeats, transferring designs, jaquard, patterns.
7. Design selection based on different forms of layout in colour for saree border.
8. Design development and its suitability.
9. Traditional and tribal motifs of design.
10. Fabric structure: Different types of fabrics and their uses, fabric defects and grading of silk fabrics.
11. Fabric: classification and weave notations, plain weave its venio and ornamentation, rib & twill weave and their derivarives, satin and their darivatives.
12. Study of coarse structure like whip cord and bodford cord pique wett and quilting fabrics, wadded structure.
13. Tasar technology as a rural Industry, Employment potential. comparision with other cottage Industries.
14. Tasar technology progress through five year plants, targets and achievements, future projections.
15. Prospects and problems of tasar technology.
16. Tasar culture: Its association with forest tribes.
17. Role of women in tasar technology: women participation in farm and rearing management, silk reeling, twisting etc.
18. Prospects of biotechnology to improve tasar silk productior
19. Quality control in tasar silk weaving and its necessity.
20. Tasar technology as a tool for rural development.

Extension, Organization, Planning And Management

1. Extension Education : Definition, meaning, origin and growth. Role of extension in rural development.
2. Tasar Technology extension organization: organization at various level-development, research, training and policy at state and national levels.
3. Tasar Technology service net work: B.S.F. seed area; grainages, nurseries, C.R.C. TSCS, Cocoon markets, silk exchange and cocoon certificacation centre,
4. Farmer Training programme: Departmental training programme/ Demonstration, lectures, symposium, panel and forum as extension methods. field day and field trips. farmer fair.
5. Mass contact methods: T.V., Radio. Farm publications, film shows, merit and limitations.
6. The labour problems, problems of personnel management in tasar Industries.
7. Survey: object. availability of land for plantation in an areas in a district. existence of tasar Industry in village. tahsil and district.
8. Survey of weavers/ reelers enclave excluding their socio Econamics starus measures of drainge of rtadirional weavers/ reelers, step for its restration.

क्रमशः

9. Soil Types: water availability, annual rainfall, socio Economic condition, agricultural crops, profitability, financing agencies, co-operative societies.
10. Project: Infra struture availavility, its role, future programme. preparation of a project, use of survey report econamics, present condition.
11. Planning: Fundamental requirement for planing. project formulation for establishment of small, medium and large scale tasar food plants forms.
12. Budgeting in planning.
13. Inter state tasar project programme, tribal development programme of govt. of India through tasar culture. Bank loan for tasar culture.
14. Government Intervention: Legislation, Implication, Marketing Intitution, Marketing boards.
15. Management: Definition, application and scope of farm management nature and characteristics of farm management, farm management problems.
16. Marketing Management: Tasar Indusrties marketing & organization of seed. cocoon, raw silk fabric.
17. Marketing costs: Defects, regulated markets, traditional and Non traditional markets, co-operative marketing, stabilisation of price. price fixation.

(18) - SERICULTURE

General Sericulture.
History, geographical distribution of various species and economic races of silkworms.
Systematic position and distribution of silkworms in India.
Present status of sericulture industry in India. Morphology of various stages of mulberry silkworm. Morphology of various stages of non-mulberry silkworms. Problems and prospects of Sericulture in India. Silk gland complex in mulberry and non-mulberry silkworms.
Morphological structure.
Histological structure.
Development.
Biosynthesis of Silk
Types of silk protein.
Effect of exogenous and endogenous factors on silk synthesis
Digestive, Circulatory, Excretory and Respiratory systems.
Morphology and histology of digestive system and physiology of digestion.
Morphology of excretory system and mechanism of excretion.
Morphology of respiratory system and physiology of respiration.
Reproductive system, Embryonic development, silkworm Growth and Metamorphosis.
Male reproductive system in mulberry and non-mulberry silkworms. Female reproductive system in mulberry and non-mulberry silkworms.
Mechanism of spermatogenesis and Oogenesis. Embryonic development.
Silkworm growth and metamorphosis.
Parthenogenesis.
Neuroendocrine System.
Structure of the cephalic neuroendocrine system - (a) Neurosecretory cells (b) Corpora cardiaca (c) Corpora allata (d) Ecdycial glands.
Other endocrine components - Mid-gut endocrine cells, gonads, ventral ganglia.
Types of hormones structure and functions.
Hormonal control of moulting and metamorphosis.
Hormonal control of reproduction.
Exocrine glands and pheromones.
Moriculture.
Distribution.
Morphology, Taxonomy and its varieties of mulberry; Morus alba Morus indica, Morus cerata.
Anatomy of root, stem, leaf, flower and bud.
Selection and preparation of land, climate and soil conditions.
Propagation of mulberry, mulberry planting, manuring and irrigation.
Inter-cultivation, weeding, pruning, harvesting and leaf storage.
Arboriculture (Tropical and Temperate Tasar)
Distribution.
Taxonomy of host plants; Arjun, Sal, Oak.
Morphology of host plants; Arjun, Sal, Oak.
Climate, soil conditions and manuring.
Propagation and cultivation.
Intercultivation and pruning.
Arboriculture (Eri)
Distribution.
Morphology of host plants; Castor (Ricinus communis), Kesseru (Heteropanax fragrans)
Taxonomy of host plants; Castor (Ricinus communis), Kesseru (Heteropanax fragrans)
Climate, soil conditions and manuring.
Propagation and cultivation.
Intercultivation and pruning.
Physiology
Mineral nutrition
Photosynthesis
Respiration
Growth regulators
Photoperiodism
Transpiration.
Pests and Diseases of Mulberry Silkworm.
Influence of biotic and abiotic factors on the incidence of diseases.
Pests of silkworm, B. mori - Identification. Classification and life cycle of insects Pests - Tachinid fly (Uzifly), Dermestid beetles, Ants, Praying mantis, Earwig. Other invertebrate pests - Mites and Nematodes. Vertebrate Pests - Lizard, Birds, Rat, Squirrel and Snakes.
Diseases of B. mori. - Etiology, Structure, Symptoms, lesions, pathogenesis and diagnosis of disease - Viral, bacterial, protozoan and fungal.
Viral: Grasserie, CPV, NPV and Infectious flacherie.
Bacterial: Bacterial septicemia, Bacterial gastro enteric disease, Bacterial toxicosis.
Protozoan: Pebrine.
Fungal: Muscardine - White, Green and Yellow, Aspergillosis
Influence of nutrition on the incidence of diseases.
Preventive and control measures of pests of mulberry silkworm.
Preventive and control measures of mulberry silkworm – chemical control, insecticides.
Pests and Diseases of Mulberry
Influence of biotic and abiotic factors on the incidence of diseases Pests of Mulberry - Identification, classification, life cycle and nature of damage of following insect pests.
Lepidoptera: Bihar hairy caterpillar, Cut worm, Morning caterpillar, Leaf roller, Syntomids
Homoptera: Jassids
Hemiptera: Scale insects, Mealy Bugs (sucking).
Thysonoptera: Thrips.
Orthroptera: Grasshoppers.
Isoptera: Termites.
Coleoptera: Stem borers, Weevils.
Diseases of mulberry- Factors, symptoms, disease cycle. Bacterial: Bacterial leaf spot.
Fungal: Leaf spot, Powdery Mildews, Rust of Mulberry, Stem canker, Root rot.
Preventive and control measures of pests of mulberry.

क्रमशः

Preventive and control measures of diseases of mulberry. Integrated pest management.
Pests and Diseases of Tasar Silkworm and Host Plants.
Pests of Antheraea sp: Uziflies, Red ant, Pentatomid bug, Praying Mantis and Lady bird beetle.
Diseases of Antheraea sp: Viral, Bacterial, Protozoan and fungal.
Preventive and control measures of pests and diseases of tasar silkworm, Antheraea sp.
Pests of tasar silkworm host plants.
Diseases of tasar silkworm host plants: Bacterial and fungal.
Preventive and control measures of pests and diseases of tasar silkworm host plants, Terminalia sp.
Pests and Diseases of Muga Sikworm and Host Plants: Pests of muga silkworm, A. assamensis: Uziflies Red ant, Pentatomid bug, Praying Mantis and Lady bird beetle. Diseases of muga silkworm, A. assamensis: Viral, Bacterial, Protozoan and Fungal.
Preventive and control measures of pests and diseases of muga silkworm.
Pests of muga silkworm host plants.
Diseases of muga silkworm host plants: Bacterial and fungal.
Preventive and control measures of pests and diseases of muga silkworm host plants.
Pests and disease of Eri Silkworm and Host Plants:
Pests of Eri silkworm. Philosamia ricini: Invertebrate and vertebrate Pests.
Diseases of Eri silkworm, Philosamia ricini: Viral, bacterial, Protozoan and fungal.
Preventive and control measures of pests and diseases of Eri silkworm.
Pests of Eri silkworm host plants.
Diseases of Eri silkworm host plants: Bacterial and fungal.
Preventive and control measures of pests and diseases of Eri silkworm host plants. Cell Biology.
Ultrastructure of Golgi and Secretory mechanism.
Ultrastructure of lysosomes, synthesis, segregation and transport.
Molecular organisation of ribosomes and endoplasmic reticulum.
Genetic Code.
Protein synthesis,
Mitochondria in energy metabolism.
Molecular cell Biology.
Molecular structure of plasma membrane and mechanism of transport.
DNA replication.
RNA types, structure and function.
Enzyme kinetic - negative and positive co-operativity, regulation of enzyme activity, activators and inhibitors.
Receptor- Ligand interaction and signal transduction.
Lac operon, attenuation, tryptophan operon.
Biochemistry
Primary, secondary, tertiary and quaternary structure of proteins. Protein metabolism.
Structure, Chemistry and metabolism of carbohydrates.
Structure, chemistry and metabolism of lipids.
Nitrogen metabolism.
Biotechnology
Isolation, sequencing of DNA segments, gene amplification, synthesis of gene.
Cloning vectors of recombinant DNA - Plasmids, phages, cosmids, binary and shuttle vectors.
Gene cloning techniques in bacteria and eukaryotes. molecular probes labeling, blotting, dot and slot blots.
Animal cell and tissue culture: Methods, advantages and disadvantages.
Gene transfer, targeted gene transfer and transgenic animals.
Immunotechnology: Hybridoma technology and monoclonal antibodies.
Tools and Techniques.
Principles and Applications of compound, phase contrast and fluorescence microscope.
Principles and Applications of scanning and transmission electron microscope.
Principles and Applications of spectrophotometer and calorimeter.
Techniques of Gel electrophoresis.
Techniques of Thin layer chromatography (TLC and HPLC)
Techniques of Western biot analysis. Silkworm Seed Technology
General principles of seed technology.
Seed organisation.
Seed cocoons.
A plan of grainage.
Management of a grainage.
Management of basic seed farms.
Silkworm Seed Production : Mulberry Silworm.
Grainage and grainage equipment.
Moth emergence, mating egg laying and mother moth examination.
Disinfection and storage of eggs.
Hibernation of bivoltine eggs.
Artificial hatching of uni and bivoltine eggs.
Incubation and transportation of eggs.
Silkworm Seed Production: Non-mulberry Silkworm.
Selection, transport and storage of seed cocoons.
Grainage of tasar silkworm.
Grainage of muga silkworm.
Grainage of eri silkworm.
Artificial hatching.
Storage and transportation of eggs.
Rearing of mulberry silkworms.
Life cycle of mulberry silkworm.
Principles of silkworms rearing.
Prerequisite for mulberry silkworm rearing: Preparation for rearing, model rearing house, environmental conditions, rearing equipment.
Rearing of early age silkworm.
Rearing of late age silkworm.
Mounting, spinning and harvesting of cocoons, precautions for rearing.
Rearing of Non-mulberry silkworms (Tropical and Temperate Tassar, Muga and Eri)
Life cycle of non-mulberry silkworms.
Rearing house.
Rearing appliances.
Larval behavior.
Rearing techniques.
Spinning process and harvesting of cocoons.
Genetics of Mulberry silkworms.
Hereditary traits in B. mori.
Genetics of cocoons colour.
Sex determination in B. mori.
Chromosome polyploidy and parthenogenesis of B. mori.
Mutation, chemical mutagens and their utility.
Breeding of mulberry silkworm.
Silkworm races - Genetics and distribution.
Silkworm breeding methods - Aims, advantages, inbreeding, outbreeding.
Biotechnological approach to improve silk production.
Silkworm races - Maintenance of Silkworm stock and large scale multiplication.
Heterosis.
Silkworm breeding in India - Advantages and disadvantages.
Genetics of Mulberry.

क्रमशः

Mendelian principles of genetics.
Spontaneous and induced mutation, molecular basis of DNA damage and repair.
Biological diversity in mulberry.
Germplasm conservation - methods, center of collection.
Cytogenetics of mulberry.
Genetic control of disease resistance in mulberry.
Cocoon Quality
Types of cocoons.
Assessment and selection of cocoons.
Drying and stifling of cocoons.
Pests of cocoon and their management.
Storage of cocoons.
Transportation of cocoons.
Reeling of Mulberry cocoons.
Evaluation of silk reeling industry.
Reeling appliances.
Cocoon processing for reeling.
Reeling methods.
Rereeling, silk testing and spinning of silk yarn.
Preparation and preservation of silk yarn.
Reeling of Non-mulberry cocoons.
Reeling appliances of tasar and muga cocoons.
Reeling process of tasar and muga cocoons.
Spinning appliances of eri cocoons.
Spinning process of eri cocoons.
Testing and preservation of silk yarn.
Processing of silk yarn.
Winding machine and process of winding.
Doubling machine and process of doubling.
Twisting machine.
Process of twisting.
Stiffing of twisted yarn.
Twist reeling machine and process of reeling.
Weaving
Bleaching and dying of twisted yarn.
Wraping unit and process of wraping.
Bobbin filling machine and process of filling for weft.
Weaving machine.
Process of weaving.
Testing and storage of silk fabric.
Process of weaving.
Testing and storage of silk fabric.

(19) - GEOLOGY

I. **General Geology :-** History and Development of the Science of Geology, Origin and age of the earth epigene and Hypogene changes in the crust of the earth, interior of the earth as reflected by seismic studies. Isostasy, Continental drift, Earth quakes and Volcanoes, Plate tectonics.

II. **Crystallography and Mineralogy including Geochemistry :-** Crystal symmetry and structure, Goniometry, Physical, Chemical and optical Characters of minerals, structural classification of minerals. Systematic study of Olivine, Pyroxene, Amphibole, mica, Feldspar and Quartz group of Minerals. Geochemistry of Minerals.

III. **Petrology :-** Introduction to petrology and classification of rocks and their distinguishing characters. Basic Ideas about composition and constitution of magma. Forms, structures and textures of igneous rocks, classification of igneous rocks, Origin as assimilation and differentiation of igneous rocks. Sedimentation, weathering, transportation and deposition of sediments, lithification and digenesis, structures and texture of sedimentary rocks, Lime stones and Sandstones Different Agents and kinds of Metamorphism. Structure and textures of metamorphic rocks, Regional and Thermal metamorphism, retrograde metamorphism and metasomatism, granitization, classification of metamorphic rocks.

IV. **Paleontology and Stratigraphy :-** Fossils their preservation and uses, systematic study of Brachiopods, Lamellibranchs, Cephalopods, Gastropods, Arthropods, Echinoids with reference to morphology, age and stratigraphic importance. Important plant and vertebrate Fossils.
Srtatigraphic column its divisions, correlation of rocks, physiographic divisions of India and their stratigraphic and structural relationship. Achaeans. Cuddapah, Vindhyan, Gondwanas, Cambrian to Recent formations of India and their economic importance.

V. **Structural and Economic Geology :-** Dip and strike of beds, unconformities, folds, Faults, joints, recognition of folds and faults in the field and on geological maps their classification and mechanics, salt domes, processes of formation of ore deposits, structural controls of mineralization.
Systematic study of non-metallic, Metallic ore deposits of India, fuels, industrial and economic minerals and prospecting for minerals.

(20) - मानव विज्ञान (ऐंथ्रोपोलॉजी)

1. **मानव विज्ञान का परिचयः**– उद्देश्य, क्षेत्र एवं ऐतिहासिक विकास, अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, मानव विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ एवं उनका अर्न्तसम्बन्ध मानवविज्ञान की सभी शाखाओं (शारीरिक/जैविक, प्रागैतिहासिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक) में नव उभरती प्रवृत्तियाँ एवं विकास क्षेत्र कार्यः– विधि एवं प्रविधियाँ –इथनोंग्राफी तुलनात्मक अध्ययन, अवलोकन, साक्षात्कार वैयक्तिक अध्ययन, वंशावली विधि, अनुसूची एवं प्रश्नावली,

2. **उद्विकासः** – उद्विकास के सिद्धांतः–लैमार्कवाद,नव–लैमार्कवाद, डार्विनवाद,नव–डार्विनवाद, संश्लेषणात्मक–सिद्धांत, जीवित प्राइमेट्सः वितरण, वर्गीकरण, विशेषताएँ, स्थिति एवं वर्गिकी। मानव एवं वानरों के शारीरिक एवं आकारिकीय विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन, उर्ध्वसंस्थिति एवं द्विपादिता।

3. **जीवाश्मः** – प्राचीनतम प्राइमेट्स के जीवाष्म अभिलेख (एजीप्टोपिथीकस, प्राप्लिओंपिथीकस, ड्रायोपिथीकस प्रोकॉन्सल), होमीनायड जीवाश्मों काः खोज/वितरण/शारीरिक लक्षण/उद्विकासीय स्थिति–
   (i) ड्रायोपिथीकस,
   (ii) रामापिथेकस,
   (iii) ऑस्ट्रलोपिथेकस रोबस्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आफ्रिकेनस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेन्सिस
   (iv) होमोहेबीलिस
   (v) होमो इरेक्टस
   (vi) होमो सेपिएन्स निएन्डर थलेन्सीस
   (vii) होमो सेपिएन्स सेपिएन्स (क्रो–मैगनन, ग्रिमाल्डी,)

4. **मानव आनुवांशिकीः**– इतिहास, विकास, क्षेत्र एवं शाखाएँ। कोशिका संरचना और विभाजन, मेडंल के नियम, वंशागति के प्रकार –ऑटोसोमल प्रभावी, ऑटोसोमल अप्रभावी, सह–प्रभाविता, लिंगी,–सहलग्नता, लिंगी–सीमित एवं लिंगी–नियंत्रित आनुवांशिक सहलग्नता तथा क्रॉसिंग–ओवर वंशागति पद्वति की अध्ययन विधियाँ– यमज, वंशवृक्ष, ए.बी.ओ. रक्त समूह, प्रजातीय की आवधारणा, प्रजातीय वर्गीकरण के आधार –वितरण एवं विशेषताएं–कॉकेसायड, नीग्रायड, मंगोलॉयड, भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण – रिजले, गुहा एवं सरकार का वर्गीकरण।

5. **पुरातत्विक संस्कृतियां** : कालानुक्रम और पुरा जलवायु के संदर्भ में।
   1. भू–गर्भी ढ़ाचा : चतुर्थ काल।
   2. सापेक्षित काल मापन :– सोपान, स्तरीकरण, फ्लोरिन विधि, प्रारूप विधि,

3. निरपेक्ष कालमापन :– रेडियो कार्बन कालमापन विधि, थर्मोलुमिनेसिस
4. जलवायु चक्र :– हिमावर्तन और अंतर हिमावर्तन,
5. संस्कृति कालानुक्रम :– पुरापाषाणकाल, मध्यपाषाणकाल, नवपाषाणकाल, चाल्कोलिथिक, सिंधु सभ्यता।

6. पुरातात्विक संस्कृतियॉः (भारत/यूरोप)

(a) प्रागैतिहासिक संस्कृतियॉः खोज, उद्भव, वितरण, स्थल, सामाजिक आर्थिकी परम्पराएँ, विकास, न्यूरियल प्रैक्टिसेस, (मृतक संस्कार)
- (i) निम्न पुरापाषाण उपकरण
- (ii) मध्य पाषाण उपकरण
- (iii) नव पाषाण उपकरण
- (iv) लेवालोसियन, मस्तूरियन, दबाव तथा परकसॅन तकनीक
- (v) निम्नपुरापाषाण काल :– पेबल उपकरण परम्पराएँ
- (vi) ऐशुलियन परम्पराएँ

(b) मध्य पुरापाषाण कालः
कला एवं उसके प्रकार्य के विशेष संदर्भ में

(c) उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति

(d) मध्य पाषाण कालीन संस्कृतिः

(e) नव पाषाण कालीन संस्कृतिः

(f) प्रोटो–हिस्टोरिक संस्कृतियॉः
- (i) चाल्कोलिथिक संस्कृति
- (ii) सिंधुघाटी सभ्यताः नगर–योजना, धर्म, व्यावसाय, लिपि, उत्पत्ति तथा पतन

(g) हिस्टोरिकल संस्कृतियॉः
लौह युगः
- (अ) महापाषाणीय प्रकार
- (ब) जीवित महापाषाणीय परंपराएँ

7. उद्विकासः सामाजिक संरचना एवं संगठन :

उद्विकासः एक–रेखीय, बहुरेखीय, नव उद्विकास, नव–प्रर्वतन, पर–संस्कृतिकरण,

संस्कृतिः परिभाषाएँ तथा लक्षण

प्रकार्यवादः मेलिनोस्की,

संरचनावादः रेड क्लीक ब्राउन

संस्कृति तथा व्यक्तित्वः मूल व्यक्तिव, कोनफिगरेशन, कार्डीनर तथा लिन्टनः इनकल्चरेशन स्थिति तथा भूमिका, संस्कृति के प्रतिमान, संस्कृति परिवर्तन, सांस्कृतिक विषय–वस्तु सांस्कृतिक सापेक्षवाद, मूल्य, वृहद एवं लघु परंपरा, सभ्यता,

भारतीय मानव वैज्ञानिकों का योगदान– सिद्धांत तथा विचार धाराः एन.के.बोस., डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्री निवास, एस.सी.दुबे, एल. पी. विद्यार्थी,

संस्कृति की प्रकृति, सांस्कृतिक संगठन एवं संस्थाएँ

सामाजिक संगठनः परिवार अभिविन्यासी परिवार तथा प्रजनन मूलक परिवार, केन्द्रीय, विस्तृत, संयुक्त परिवार

अवासीयःपितृ– स्थानीय , मातृ– स्थानीय, नवस्थानिक, पति स्थानिक पत्नि स्थानिक विवाहः

विवाह नियमः अन्तर्विवाह, बहिर्विवाह

एकविवाह प्रथा,बहुविवाह प्रथा, बहुपत्निक, बहुपतिक, क्रास –कजिन विवाह, देवर विवाह, साली विवाह, वधु–मूल्य/वधु–धन।

नातेदारीः

नातेदारी शब्दः वर्गात्मक तथा वर्णनात्मक व्यवस्था, रक्त संबंधी तथा विवाह संबंधी प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक टर्म्स ऑफ रिफरेंस, वंष, इनहेरीटेन्स (उत्तराधिकार), सक्सेशन/पदाधिकार यूनिलिनियल, पेट्रीलिनियल, दोहरी वंशजता (डबल डिसेन्ट)

समूह : जनजाति, गोत्र, फ्रेटरी, लिनिएज, नातेदारी व्यवहार तथा संबंध :– परिहार तथा परिहास संबंध, निकटाभिगमन निषेध

8. आर्थिक और राजनैतिक संगठनः

आर्थिक संगठनः संपत्ति की अवधारणा

आदिम साम्यवादः

आर्थिक स्तरः संग्रहण, शिकार, मछली मारना, पशुपालन,

कृशिः स्थानांतरित एवं स्थायी

उत्पादन के तरीके, श्रम विभाजन

राजनैतिक संगठनः

नेतृत्व– गोत्र व जनजाति

प्रथागत कानून

जनजातीय समाजों में जुर्म तथा दंड

धर्म तथा जादूः

आदिम धर्मः आत्मावाद (जीवित सत्तावाद), टोटेमिज्म, मानाइज्म, शामन, पुजारी,मेडिसीन मेन।

9. भारतीय मानवविज्ञानः सामान्य अवधारणाएँ तथा प्रश्न सामान्य अवधारणाः

भारतीय ग्राम समाज का एक भाग तथा एक पृथक अंग, जाति एक समूह एवं व्यवस्था के रूप में, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, जाति वर्ण और अन्य पिछड़े वर्ग जाति और वर्ग

संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण व आधुनिकीकरण एवं भारत में धार्मिक संकुल। छत्तीसगढ़ में मुख्य जनजातीय समूह, छत्तीसगढ़ में जनजातीय आंदोलन

संस्कृति का विकास एवं प्रसार

सामाजिक संस्कृति उद्विकास के सिद्धांत –एकरेखीय, सार्वभौमिक, बहुरेखीय नव उद्विकास वाद

<u>वितरण विशेषताएँ तथा वर्गीकरण:</u> प्राणी–जगत का वर्गीकरण, प्राणी–जगत में मानव का स्थान प्राईमेंटउद्विकास –कपाल, जबड़े, पाद, दंत तथा मस्तिष्क के विशेष संदर्भ में, ओलिगोसीन के प्रारंभिक प्रायमेट्स मायोसीन तथा प्लियोसीन काल के प्राचीनतम प्राइमेट्सः प्रोपलियोंपिथेक्स, ड्रायोपिथेकस। जीवित प्राईमेट्स– वितरण, लक्षण एवं वर्गीकरण (जातिवृत) उद्विकासीय स्थिति तथा वर्गिकी–प्रोसिमी, सिबॉयडिया, हामिनॉयडिया। मानव, गोरिल्ला, चिम्पांजी, ओरांग उटॉन तथा गिब्बन के आकृतिक और शारीरिक रचना विषयक विशेषताएँ। उर्ध्व– संस्थिति एवं द्विपादिता व्यवहार का विकास, आरंभिक होमानॉयड में सामाजिक व्यवहार का प्रतिरूप।

होमिनाइजेशन की प्रक्रियॉ तथा होमिनॉयड का प्रादुर्भावः रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स अफ्रिकेनस, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स बाइसी (जिन्जेथ्रोपस), ऑस्ट्रोलोपिथेकस रोबस्टस, मेगान्थ्रोपस, होमो – हेबीलिस का वर्गीकरण तथा आलोचना।

होमो इरेक्ट्सः होमो इरेक्ट्स जावानेसिस, होमो इरेक्ट्स पेकिनेन्सिस, होमो सेपिएन्सनिएन्डर थलेनसिसि– जातिवृत्तीय स्थिति, मुख्य विशेषताएँ। रोडेशियन मानव, स्वान्सकॉम्ब स्टीनहैम, एवं शानिडर। आधुनिक मानव का उद्भव तथा विशेषताएँ :– चांसलेड, क्रो–मैंगनॉन, ग्रिमाल्डी, ऑफनेट, प्रेडमोस्ट,

इतिहास एवं विकास, संकल्पना, विषय क्षेत्र तथ आधुनिक प्रवृत्तियॉ, अन्य विज्ञानों से संबंध तथा औषधि–विज्ञान

मानव आनुवांशिकी तथा आणविक आनुवांशिकी के सिद्धांत, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम तथा उपयोगिता।

रूपान्तरक जीन, बहुजीवि म्यूटेशन, जीन म्यूटेशनः– स्पानटेनियस इन्ड्यूस।

वंशागति, की अध्ययन विधियॉः यमज (युग्म) प्रविधि, वंशवृक्ष, आनुवांशिकता परिमापन

जनसंख्या आनुवंशिकीः

हार्डी–वाइनबर्ग नियमःपरिभाषा एवं उपयोगिता

जनन जनसंख्याःसाथी प्रतिरूप, रेण्डम मेटिंग, एसॉरटेटिव मेटिंग, कॉन्सेगुनिटी एवं अंतः प्रजनन गुणाक
ए.बी.ओ (ABO) रक्त–समूह, डरमेटोगलायफिक्स– पहचान एवं वर्गीकरण
अंगुली चिन्ह प्रतिमान– पहचान एवं आनुवांशिकता
पामर डरमेटोग्लासयफिक्सः कंफीगरेशन एरिया,
मेन–लाईन फार्मूला एवं सूचकांक।
पामर फ्क्लेक्शन क्रीसेस एवं मुख्य प्रकार
डरेटोग्लायफिक्स एवं बीमारियॉ (क्रोमोसोमल एवं अन्य)
मानव संवृद्विः विकास और अनुकूलन
मानव संवृद्विः परिभाषा, विभेदीकरण, परिपक्वता एवं विकास
संवृद्वि के चरण : जन्म–पूर्व, शैशव काल अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढता, वृद्वावस्था।
संवृद्वि को प्रभावित करने वाले कारकः आनुवंशिक, पर्यावरण, हार्मोनल पोषण, सामाजिक
आर्थिक। मानव संवृद्धि एवं विकास की अध्ययन पद्धतियॉं–अनुदैर्ध्य, क्रास सेक्शनॅल,
पोषक– आवश्यकताऍं– शैशवावस्था से वृद्धावस्था तकः
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज – लवण एवं विटामिन, अल्प–पोषण, मोटापा, कुपोषण,
लाल कोशिका – एन्जाइमः
आनुवंशिक विविधता तथा बहुरूपताः रेड सेल एसिड फॉस्फेट G6PD एवं लेक्टेअ डिहाईड्रोजिनेस
हीमोग्लोबिनः सामान्य और असामान्य
सामान्य हीमोग्लोबिन : (HbA, HbF, HbA2)
असामान्य हीमोग्लोबिन : (HbS, HbC, HbD2 HbE)
रक्त–समूह एवं बीमारियॉः एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस, चेचक तथा मलेरिया
जीन मैपिंगः रक्त वर्ग, लिगं सहलग्न विशेशताऍं मानव कोशिकानुवंशिकी मानव गुणसूत्र की पहचान, केरियोटाइप एवं नामकरण। क्रोमोसोमल विपथनः
अनुप्रयोग– अनुवांशिक परामर्श आनुवंशिक यांत्रिकी तथा डी.एन.ए. फिंगर – प्रिंटिग ।
वातावरणीय पुरातत्व विज्ञान
सांस्कृतिक – पारिस्थितिकी नृजाति पुरातत्व विज्ञान
नव – पुरातत्व विज्ञान
पुरातात्विक अध्ययन के सामाजिक एवं आर्थिक उपागम। पर्यावरणीय परिर्वतनों की प्रकृति जलवायु, भूरूपयी, जंतुसमूह, वनस्पति समूह
काल–निर्धारण पद्वतिः
स्तरीकरण (स्ट्रेटीग्राफकीय), पैलियोमैग्नोटिक, फलोरीन, रेडियों – कार्बन, वृक्ष–वलय,
प्राचीनतम संस्कृतियॉ (आदिम शिकारी, संग्राहक)
आस्ट्रेलोपिथेसिंस एवं उपकरण
आखेटक प्रणालियॉ तथा सहयोगः अग्नि के प्रयोग का प्रारंभ तथा इसका जैविक एवं सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव गृह आधारित विकास व प्रवसन, वृंद निर्माण में प्रौद्योगिकी का उद्भव
दक्षिण –पश्चिम यूरोप में एशूलियन संस्कृति –टेरा आमाता, ब्लेड एवं ब्यूरिन तकनीकी का उद्विकास
भारत में उच्च पुरापाषाण काल–रेनिनगुंटा, बिला सुरगाम, पटने, भीमबटेका, सोन एवं बेलानघाटी, विसादी, पुष्पार गुंजन घाटी,
विकसित शिकारी –संग्राहक तथा आरंभिक कृषक (मध्य पाषाण युगीन संस्कृतियॉ)
पर्यावरण में उत्तर अल्पनूतन परिवर्तन
भारत में मध्य–पाषाण संस्कृतियॉ,
गंगा घाटी– सराई नाहर राई, महाडाबा
पश्चिमी भारत –बिरभनपुर
दक्षिणी भारत– पश्चिमीघाट तथा पूर्वीतट
मध्य पाषाण कालीन अर्थव्यवस्था एवं समाज मध्यपाषाण कालीन कला
ग्रामीण खेतीहर जीवन का प्रादुर्भाव (नवपाषाण युगीन क्रांति) खाद्य उत्पादन के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, स्थायी जीवन, जनसंख्या वृद्धि, शिल्प–विशिष्टिकरण, वर्ग निर्माण, राजनीतिक संस्थाऍं। भारत में कृषि का प्रारंभ– गंगा घाटी, मेहरगढ़, कोल्डिहवा
उपकरण प्रकार, वितरण एवं दक्षिण–पूर्वी एशिया से संबंध। सभ्यता का उद्भव (कांस्य युग)
सिंधु सभ्यता
परिपक्व सिंधु संस्कृति – मोहन जोदाड़ो हड़प्पा,
चनहुन्दारो, कालीबंगन, लोथन, सुरकोताडा
नगर योजनाः आर्किटेक्चर, धातु, तकनीक, कला एवं लेखन उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति–कच्छ गुजरात पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोजादि, रंगपुर, रोपड़ मितथाल एवं आलमगीरपुर में विस्तार/प्रसार।
मेगालिथिक बरियल एवं मध्य का भारत की जीवित महापाषाण संस्कृतियॉ,
संस्कृति का अर्थ एवं प्रकृति
मानवीय एवं मानव वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, संस्कृति की मानव वैज्ञानिक अवधारण, लक्षण एवं उपादान, सीखा हुआ और ऐतिहासिक व्युत्पत्ति
बहुलता (प्लुरिटी) व्यवहार प्रतिमान, प्रकार्यत्मक, एकीकरण एवं संपूर्णता का परिप्रेक्ष्य, भाषा संस्कृति के वाहक के रूप में। ई.बी. टायलर, ए. एल. क्रोबर, बी. मेलीन्ग्रेसकी के योगदान उभरते क्षेत्र : औषधी मानविज्ञान परिस्थितिकीय मानवविज्ञान, नगरीय मानव विज्ञान, विकासयी मानव विज्ञान। संस्कृति का उद्विकास एवं प्रसार
सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास का सिद्धांत
एकरेखीय (मार्गन)
सार्वभौमिक (वाइट एवं चाइल्ड)
ब्रिटिश, जर्मन एवं अमेरिकन प्रसादवादी का योगदान
उद्विकासीय अध्ययन में समसामाजिक प्रवृत्तियॉः
नव–उद्विकासीय सिद्धांत पर –संस्कृति ग्रहण, प्रसार, संकृति, संपर्क एवं संस्कृति परिवर्तन
प्रकार्यवादः
मैलिनोवस्की का प्रकार्यवाद में योगदान । सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक व्यवस्था लेवी–स्ट्रॉस एवं लीच
सामाजिक मानव विज्ञान में संरचनावाद :–रेडक्लिफ ब्राउन एवं ईमान्स प्रिचार्ड का योगदान
मनोवैज्ञनिक मानव विज्ञान
संस्कृति एवं व्यक्तित्व– बेनेडिक्ट एवं मूल व्यक्तित्व, लिंटन, कार्डिनर कोरा–डू बोइस राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन के मानव वैज्ञानिक उपागम।
परिवार, विवाह, एवं नातेदारी
परिवार विवाह एवं नातेदारी परिवार के प्रकार एवं कार्य, केन्द्रीय विस्तृत एवं संयुक्त परिवार अधिमान्य विवाह, वंश–समूह के कार्य, लिनिएज एवं गोत्र, नातेदारी – शब्दावली एवं नातेदारी – व्यवहार
सामाजिक –सांस्कृतिक मानव विज्ञान में निम्नलिखित का योगदानः–
फ्रान्ज बोआस
ए.एल. क्रोबर
रॉबर्ट रेडफिल्ड
मानव वैज्ञानिक – शोध की प्रविधियॉ :–
नृजातीय वर्णन एक प्रविधि के रूप में, मानव विज्ञान में क्षेत्र कार्य की परंपरा, क्षेत्र कार्य प्रविधि, की आधारभूत विशेषताऍं
संख्यात्मक एवं गुणात्मक उपकरण एवं तकनीक : सर्वेक्षण, अवलोकन, वैयक्तिक– अध्ययन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, वंशावली, समूह–चर्चा, मानचित्रण ।
सामाजिक–संस्कृति मानव विज्ञान की तुलनात्मक विधियॉ
क्रॉस कल्चरल तुलना ।
नियंत्रित तुलना

क्रमशः

सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए)
शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन (आर.आर.ए.)
हस्तक्षेपी अनुसंधान
प्रक्रिया एवं प्रभाव विश्लेषण
भारतीय जनसंख्या के कमजोर वर्गः अनुसूचित जाति (अ.जा.) अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) एवं छत्तीसगढ़ के आदिम जनजातीय समूह (पी. टी.जी.)
अधिसूचित समूदाय
संविधान के अनुसार अ.जा एवं अ.ज.जा. को संविधान के अनुसार चिंन्हित करने के आधार जन जातीय समस्याऍ एवं निम्नलिखित से जुड़ी कल्याणकारी योजनाऍ :–
विकास योजना :–(प्लान/सब–प्लान)
विशेष योजनाऍ :–
लार्ज–स्केल कृषि बहुउद्देशीय समाज (LAMP)
समेकित जनजाति विकास परियोजना (ITDP)
सामुदयिक विकास योजना (CDP)
समेकित ग्रामीण विकास परियोजना (IRDP)
अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना
जनजातीय युवा – स्वरोजगार योजना (TRYSEM)
पंचायती राज में महिलाओं के लिये आरक्षण। विकास में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका। जनजाति आंदोलन, विकासीय योजना के कारण रिवाइवेलिस्टिक/नेटिविस्टिक
जनसंख्या विस्थापन जैसे –
बांध –निर्माण।
भारतीय समाज एवं संस्कृति
सामाजिक स्तरीकरण एवं एकीकरण में जाति एक समूह और व्यवस्था के रूप में। आधुनिक भारत में जाति। जाति के बदलते स्वरूप। अवधारणाऍः लघु एवं दीर्घ परम्परा, सार्वभौमिकता एवं प्रांतीयता, प्रभु–जाति, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, पवित्र–संकुल।
भारतीय शिक्षण :
एन.के. बोस
डी.एन. मजुमदार
वेरियर एल्विन
एम.एन. श्रीनिवास
एस.सी. दुबे
एल.पी. विद्यार्थी
समुदाय अध्ययन में मानव वैज्ञानिक उपागमः
स्वास्थ्य, प्राकृतिक–स्वास्थ्य
प्रमोशन एवं रोग–नियंत्रण प्रोग्राम जैसे – जनसंख्या नियंत्रण पोषण, मातृ शिशु स्वस्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा, कुष्ठ–रोग, क्षयरोग, (टी.बी.) एड्स आदि शिक्षा एवं प्रसार में मानव विज्ञान
ग्रामीण विकास
लिंग परिप्रेक्ष्य
विस्थापन, पुर्नवास–भूकम्प, बाढ़ और आपदाऍ इत्यादि।

(20) - ANTHROPOLOGY

1. **An Introduction of Anthropology:** Aim, Scope and Historical Development.
Relationship with other sciences.
Different branches of anthropology and their interrelatedness.
Emerging trends and major developments in all branches of Anthropology
(Physical/Biological, Archaeological and Social cultural).
Fieldwork: Methods and Techniques- Ethnography, Comparative method,
Observation, Interview, Case study, Genealogical method, Schedule and
Questionnaire

2. **Evolution :**
Theories of Evolution: Lamarckism, Neo- Lamarckism, Darwinism, Neo-Darwinism, Synthetic theory.
Living Primates: Distribution, Classification, Characteristics, Phylogeny and Taxonomy.
Comparison of morphological and anatomical features of Man and Apes. Erect Posture and Bipedalism.

3. **Fossils:**
Fossil records of Earliest Primates (Aegyptopithecus, Propliopithecus, Dryopithecus, Proconsul). Hominoid Fossils: Discoveries/ Distribution/ Anatomical Features/Phylogenetic Position of
i) Dryopithecus
ii) Ramapithecus
iii) Australopithecus robustus, Australopitheus africanus, Australopitheus afarensis
iv) Homo habilis
v) Homo erectus
vi) Homo sapiens neanderthalensis
vii) Homo sapiens sapiens (Cro-magnon, Grimaldi,)

4. **Human Genetics**
History, Development, Scope and Branches. Cell Structure and Division.
Mendel's Laws.
Patterns of Inheritance- Autosomal Dominant; Autosomal Recessive;
Codominance; Sex linked; Sex limited and Sex controlled.
Linkage and Crossing-over.
Methods of Studying Inheritance- Twins, Pedigree. ABO Blood Groups;
Concept of Race.
Criteria for Racial Classifications.
Distribution and Characteristics- Caucasoid; Negroid; Mangoloid.
Racial classification of Indian Population - Classification of Risley Guha.and sarkar.

5. **Archaeological Cultures: Chronology & Palaeo-Climatic Perspectives**
i) Geological Framework: Quaternary Period
ii) Relative dating: Terraces, Stratigraphy, Fluorine Technique, Typology.
iii) Absolute dating: Radio-carbon dating technique.Thermoluminescence,
iv) Climatic cycles: Glacial and Interglacial,
v) Cultural Chronology :- Palaeolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic, Indus Civilization,

6. **Archaeological Cultures: (India/ Europe)**
a) Prehistorical Cultures: Discovery, Origin, Distribution,Socio-economic, Traditions, Development, Burial Practices.
i) Lower Palaeolithic tools
ii) Mesolithic tools
iii) Neolithic tools
iv) Levalloisian, Mousterian, Pressure, Percussion technique,
v) Lower Palaeolithic: i. Pebble tool Tradition
vi) Acheulian Tradition
b) Middle Palaeolithic : Special emphasis on art & its functions
c) Upper Palaeolithic Culture.
d) Mesolithic Culture
e) Neolithic Culture
f) Proto-Historical Cultures:
i) Chalcolithic Culture
ii) Indusvalley - Civilization: Town Planning, Religion, Trade, Script, Origin & Decay.
g) Historical Cultures: Iron Age: (a) Megalithic Types (b) Living Megalithic Traditions

क्रमशः

7. **Evolution :** Social Structure and Organization Evolution: Unilinear, Multilinear, Neo evaluation, Innovation, Acculturation Culture : definitions and Attributes. Functionalism : Malionwski, Structuralism : Red Cliffe Brown.
Culture and personality : Basic personality, configuration, Kardiner and Linton :-
Enculturation Status and Role, Patterns of Culture, Culture Change,Culture Themes Cultural relativism, Values, Great and little Tradition, Civilization
Contribution of Indian Anthropolosist : theory and Concepts: N.K. Bose, D.N. Majumdar, M.N. Srinivas, S.C. Dube, L.P. Vidyarthi,
Aspects of Culture, Organisation of Culture and Institutions.
Social Organisastion:
Family of Orientation and Family of Procreation : Nuclear, Extended and Joint family
Residence : Patrilocal, Matirlocal, Neolocal, Virilocal, Uxorilocal marriage
Marriage Rules : Endogamy, Exogamy
Monogamy, Polygamy, Polygyny, Polyandry, Cross cousin marriage, Levirate, Sororate Marriage, Bride price/Bride wealth.
Kinship :-
Kinship Terms : Classificatory and descriptive systems
Consangunieal and Affinal
Primary, secondary, tertiary terms of reference
Descent, Inheritance and Succession:
Unilineal, Patrilineal, Double Descent.
Groups: Tribe, Clan, Phratry, Lineage Kinship behaviour and relationship: Avoidance and Joking relationship, Incest Taboos

8. **Economic and Political Organization :**
Economic Organisation: Concept of property, primitive Communism
States of Economy: Collection, Hunting, Fishing, Pastoralism, Cultivation: Shifting and Settled
Mode of Production
Division of Labour
Political Organisation :-
Leadership, Clan and Tribe
Customary Law
Crime and Punishment in Primitive Society
Religion and Magic. :-
Primitive Religion; Animism, Totemism, Manaism, Shaman, Priest. Medicine Men.

9. **Indian Anthropology: Basic Concepts and Issues. Basic Concepts:-**
Indian Village as of part society, as an isolate
Caste as a group and system
Scheduled Caste and Scheduled Tribe
Caste, Varna and Other Backward Classes Castes and Class.
Sanskritisation, Westernization, Modernization and Sacred Complex in India.
Major Tribal groups in Chhattisgarh. ;. Tribal Movements in Chhattisgarh.
Evolution and Diffusion of Culture.
Theories of Socio-cultural Evolution: Unilinear, Universal, Multilinear, Neo-evolution.
Distribution, Characteristics and Classification of Animal Kingdom, Position of Man in
Animal Kingdom.
Primate evolution with reference to Skull, Jaw, Limbs, Dentition and Chin.
Earliest Primates of Oligocene, Miocene and Pliocene: Dryopithecus, Propliopithecus,
Living Primates : Distribution, characteristics and classification, phylogeny and
taxonomy :- Prosimii, Ceboidea, Hominoidea. Morphological and Anatomical characteristics of Man, Gorilla, Chimpanzee, Orangutan and Gibbon. Development of Erect posture and bipedalism.
Patterns of social behaviour in Early Homonoids: Process of Hominisation and Emergence of Hominoids: Ramapithecus, Australopithecus africanus, Australopithecus. boisei(zinjanthropus), A. robustus, Meganthropus; Homo habilis-Classification and Controversy.
Homo erectus : Homo erectus javanesis, Homo erectus pekinensis,
Homo sapiens Neanderthalensis-Phylogenetic position, salient features, Rhodesian Man, Swanscombe, Steinheim, Shenidar.
Emergence and characteristics of Modern man :-
Chancelade; Cro-magnon; Grimaldi; Offnet; Predmost
History and Development, Concept, Scope and Emerging trends-Relation to other sciences and medicine.
Principle of human genetics and molecular genetics. Mendel's Laws of inheritance and its application.
Modifying genes, Polygenic Mutation: Gene mutation : Spontaneous, Induced,
Methods of studying heredity:-
Twin method,
Pedigree, Hereditability estimate, Population Genetics.
Hardy-Weinberg law: Definition and application. Breeding Population: Mating patterns, random mating, assortative mating,
consanguinity and inbreeding coefficient, ABO blood groups, Deriatoglyplics - Identification and Classification. Fingerprints Pattern; Identifications, Inheritance.
Palmar Dermatoglyphics- Configurational areas, Main-line formula and index. Palmar flexion creases and main types.
Dermatoglyphics and Diseases (Chromosomal and others).
Human Growth -Development and Adaptation:
Human Growth: Definition, Concepts Differentiation, Maturation and Development, Phases of
Growth: Prenatal, Infancy, Childhood, Adolescence, Maturity, Senescence. Factors affecting growth: Genetic, Environmental, Hormonal, Nutritional, Socio economic.
Methods of studying human growth and development; Longitudinal, Cross-sectional,
Nutritional requirements- Infancy to old age: Proteins, Carbohydrates, Minerals,Vitamins
Under-nutrition, obesity, Malnutrition
Red cell enzymes:
Genetic variation and Polymorphism-Red cell acid phosphate, G6PD and Lactate
dehydrogenase
Haemoglobin: Normal and variant
Normal Haemoglobin: HbA and HbF, HbA2. Abnormal Haemoglobin: HbS, HbC, HbD, HbE. Blood groups and diseases: Erythroblastosis fetalis. Small pox and Malaria
Gene maping: Blood groups, Sex-linked characters, Human Cytogenetics:-
Identification of human chromosomes, Karyotyping and Nomenclature.
Chromosome Aberrations:
Application-Genetic Counselling, Genetic Engineering and DNA fingerprinting.
Environmental Archaeology
Cultural Ecology
Ethno-archaeology
New Archaeology
Social and Economic approach in Archaeological Studies
Nature of environmental changes-Climatic, Geomorphic, Faunal and Floral
Methods of dating:
Stratigraphic; Paleomagnetic; Fluorine; Radiocarbon; Tree Ring;
Earliest Cultures (Primitive Hunter-Gatherers).

क्रमशः

Australopithecines and tools
Hunting techniques and cooperation; Beginning of the use of fire and its impact in
biological and cultural evolution, Development of home base and migration-implication
in band formation
Acheulian culture in South Western Europe-Terra Amata, Evolution of blade and burin Technique.
Typology and Technology of Middle Palaeolithic tools in India. Blade Tool complex:
Evolution of blade and burin technology
Upper Palaeolithic in India- Reningunta, BillarSurgam, Patne, Bhimbetka, Son and Bellan Valleys,
Visadi, Pushhar, Gunjan Valley
Final Hunter-Gatherer and Incipient Cultivators (Mesolithic Cultures) Post-Pleistocene environmental changes
Mesolithic Cultures of India:-
Ganga Valley-Sarai Nahar Rai, Mahadaba
Western India-Birbhanpur, South India-Western Ghats and East Coast, Mesolithic economy and society, Mesolithic art
Emergence of Village Farming way of life (Neolithic Revolution)
Economic and Social consequences of food production-settled life, population growth, craft specialization, class formation, political institutions
Beginning of agriculture in India-Ganga Valley, Mehergarh, Koldihwa
Tool types, distribution and affinities with S.E. Asia. Birth of Civilization (Bronze Age) Indus Civilization
Mature Indus Culture-Mohenjo-daro, harappa, Chanhundaro, Kalibangan, Lothal, Surkotada, Town Planning, Archtecture, Metal technology, art and, writing. Late Harappan Culture-Expansion into Kutch, Gujarat, Punjab, Haryana, western UP, Rojadi, Rangpur, Ropar, Mitathal and Alamgirpur and Megalithic burials
Living Megalithic cultures of Central India.
The Meaning and Nature of Culture:-
Humanistic and anthropological perspectives, distinguished, attributes of anthropological concept of cultures : Characteristics and attributes.
Learned and historically derived,
Plurality
Behaviourally manifested
Functional integration and holistic perspective
Language as vehicle of culture
The contribution of E.B. Tylor, A.L. Kroeber; B. Malinowaski
Emerging areas :
Medical Anthropology; Ecological Anthropology; urban Anthropology : Development Anthropology . Evolution and Diffusion of Culture
Theories of Socio-cultural evolution
Unilinear (Morgan)
Universal (White and Child)
Contribution of British, German and American Diffusionists
Contemporary trends in evolutionary studies, Neoevolution, Acculturation, Diffusion, culture contact and culture change.
Functionalism:-
Malinowski's contribution to Functionalisam, Social structure social organization and social system:- Levi Strauss and Leach
Structuralism in Social Anthropology : Redcliffe Brown, Evans Pritchard.
Psychological Anthroplogy :-
Culture and personality - Benedict, Basic personality
Linton, Kardiner, Cora Du Bois
Anthropological approaches in national character studies: Mead.
Family, marriage and Kinship
Typology and functions of family
Nuclear, extended and joint family
Preferential marriage, functions of descent groups, lineage and clan
Kinship terminology and kinship behavior. Contribution to social - cultural anthropology by
Franz Boas,
A.L. Kroeber
Robert Redfield
Methodology of Anthropological Research: Ethnography as a method.
Field work tradition in anthropology; Basic characteristics of field work method
Quantitative and qualitative tools and techniques : Survey, observation, Case study,
Interview, Schedule, Questionnaire, Geneology, Group discussion, Mapping
Comparative methods in social-cultural anthropology
Cross-cultural comparison,controlled comparison
Participatory Rural Appraisal (PRA)
Rapid rural appraisal (RRA)
Intervention Research, Process and Impact Analysis
Weaker sections in Indian population : Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and Primitive Tribal groups (PTG) in Chhattisgarh, Denotified communities, Basic of labeling as ST and SC according to Constitution
Tribal problems and welfare measures relating to Development Strategies (Plan /Sub-Plans).
Special Programmes :-
Large-Scale Agricultural Multipurpose Societies (LAMPS)
Integrated Tribal Development Project (ITDP)
Community Development Project (CDP)
Integrated Rural Development Project (IRDP)
Spcial Component Plan for SC; Tribal Youth Self Employment Scheme (TRYSEM) Reservation for women in Panchayati Raj
Role of voluntary organization in development
Tribal movements-Revivalistic/Nativistic population displacement due to development scheme such as dam construction
Indian Society and Culture:-
Caste as a group and as a system of social segmentation.
Caste in modern India, Changing dimensions of caste
Concept : Little and Great tradition, universalisation and parochilisation,
Dominant caste, Sanckritisation and westernization, sacred complex.
Indian Masters
N.K. Bose
D.N. Majumdar
Verrier Elwin
M.N. Srinivas
S.C. Dube
L.P. Vidhyarthi
Anthropological approaches in community, Study, Health Natural health, Promotion and disease control programmes such as population control, Nutrition, Mother and Child health, Health Education, Leprosy, TB, AIDS, etc.
Anthropology in Education and Communication
Rural development
Gender Perspectives
Relocation, Rehabilitation - Earthquakes, Floods, Disasters.

(21) - <u>मनोविज्ञान</u>

<u>प्रायोगिक मनोविज्ञान तथा संबंधित क्षेत्रः</u>– मनोविज्ञान की विषयवस्तु, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। व्यवहार के अध्ययन से सम्बन्धित पद्धतियॉ (विधियॉ), शास्त्रीय मनोभौतिक विधियॉ, संकेत –संज्ञापन सिद्वांत।

1. **अवधान**– प्रकृति, प्रकार, निर्धारक। चयनात्मक, अवधान, अवधान एवं व्यवधान प्रत्यक्षणः प्रकृति, निर्धारक, प्रत्यक्षण का गेस्टॉल्टवादी दृष्टिकोण। प्रत्यक्षणात्मक प्रतिरक्षण।
2. **अधिगम**– प्रत्यय, अधिगम के सिद्धांत, स्किनर, हल, टॉलमेन, गुथरी, पंवलॉवी अनुबंधन के आधारभूत सिद्धांत। वचिक अधिगम, स्मरण की विधियाँ, स्मृति में अर्थात्मक संग्रहण, अल्पकालीन व दीर्धकालीन स्मृति। स्मृति के सिद्धांत, स्मृति चिन्ह सिद्धांत, अवरोध सिद्धांत, दमन सिद्धांत।
3. **मानवीय अभिप्रेरण** – अंतर्नोद आवश्यकता, प्रलोभन तथा उद्दीपन के प्रत्यय। उपलब्धि अभिप्रेरण मानवीय अभिप्रेरण का मापन/संवेग प्रकृति एवं संघटक/जेम्स लॉजे व केनन बार्ड के संवेग सिद्धांत।
4. **बुद्धि के प्रत्यय** – स्थापना हेतु सैद्धांतिक उपागम। बुद्धि का मापन, सृजनात्मकता, प्रत्यय व उसका मापन चिन्तन, तर्कणा, समस्या समाधान प्रत्ययन–निर्माण। ज्ञानात्मक विकास में पियाजे का दृष्टिकोण। व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रति उपागम, व्यक्तित्व के मूल आधार। व्यक्तित्व का मापन निर्धारण – मापनी, प्रेक्षण, परीक्षण तथा व्यक्तित्व प्रश्नावलियाँ तथा प्रक्षेपण प्रविधियों पर व्यापक विस्तारयुक्त महत्व।
5. **व्यक्तित्व के सिद्धांत**– मनोविश्लेषणवादी व सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। सामान्य व असामान्य व्यवहार, प्रत्यय व मापदण्ड। असामान्यता के लक्षण व कारण। असामान्य व्यवहार का वर्गीकरण, मनस्ताप, मनोविकृति, आंगिक मनोविकृति।
6. **मनोचिकित्सा** – प्रकृति मनोचिकित्सा की प्रक्रिया। मनोचिकित्सात्मक पद्धतियाँ। सम्मोहन–चिकित्सा, रोगी केन्द्रित, समूह–चिकित्सा। मानसिक स्वास्थ्य व मानसिंक रोगों की रोकथाम। सामाजीकरण व व्यक्ति प्रत्यक्षण। गुणरोपण सिद्धांत। नेतृत्व तथा अनुनयात्मक सम्प्रेषण। पूर्वाग्रह व रूढ़ियुक्ति। भारत में सामाजिक तनाव राष्ट्रीय एकीकरण के मनोवैज्ञानिक कारक। प्रसामाजिक व्यवहार। मनोविज्ञान के सम्प्रदायः संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टॉल्टावाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद।

उद्योग में कर्मचारी – चयन कार्य की वातावरणात्मक दशाएँ व उनके औद्योगिक कार्यकुशलता से संबंध, व्यवहार, विश्लेषण, दुर्घटनाएँ कारण व रोकथाम आर्थिक व अनार्थिक प्रलोभन, संगठन, संचालन का आधुनिक सिद्धांत।

शैक्षणिक व व्यावसायिक निर्देशन के सिद्धांत व प्रविधियॉ, मनोवैज्ञानिक परीक्षण अपरीक्षण प्रविधियां परामर्श के उपागम परामर्श साक्षात्कार, असाधारण बालकों की शिक्षा, प्रतिभाशाली एवं मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के विषेश संदर्भ में शिक्षा

7. **समस्या, उपकल्पना की प्रकृति तथा महत्व**ः परिवर्त्य (वर) एवं उनका नियंत्रण। प्रायोगिक अभिकल्प, सांख्यिकी का महत्व, केन्द्रीय प्रवृत्ति एवं सहसंबंध। पैरॉमेट्रिक व नान–पेरामेट्रिक प्रविधियों से परिकल्पना परीक्षण।

(21) - PSYCHOLOGY

Experimental Psychology and related fields:- Subject matter of psychology Nature & Scope, Methods related to the study of behaviors, Classical Psychophysical Methods, Signal Detection Theory,

1. **Attention-** Nature, Kind Determinants, Selective attention, Attention & Distraction Perception Nature Determinants Gestalt view of Perception, Perceptual Defence.
2. **Learning-** Concept Theories of Learning, Skinner, Hull, Tolman, Guthrie. Fundamental Principles of Pavlovian Conditioning, verbal learning, Methods of Memorizing. Semantic storage in memory, STM & LTM. Theories of Memory-Memory Trace Theory, Interference theory and repression theory.
3. **Human Motivation :-** Concept of Drive, need, incentive & arousal. Achievement motivation. Measurement of Human Motivation. Emotion nature and Component. James lange Cannon Bard Theories of Emotion.
4. **Intelligence-** Theoretical approaches towards conceptualization of intelligence:- Measurement of intelligence. Creativity concept & its measurement. Thinking reasoning, problem solving, concept formation. Piagetian view on cognitive development. Approaches of the study of personality, basic foundation of personality. Assessment of Personality, Rating scales, Observation, test & personality inventories with detailed emphasis on projective techniques.
5. **Theories of personality:-** psychoanalytic, Social, Psychological theories of personality. Normal and abnormal behavior concept & criteria, symptoms & causes of abnormality. Classification of abnormal behavior psychoneurosis, psychosis, organic psychosis.
6. **Psychotherapy Nature & Process of Psychotherapy:-** Psychotherapeutic Methods. Hypnotherapy, client centered, groups therapy mental Health & Prevention of mental Disorders. Socialization & person perception .

Attribut i on theory Leadership & Persuasive Communication. Prejudice & Stereotypes. Social Tension in India Psychological factors in national integration. Prosocial behavior. Schools of psychology Structuralism, Functionalism, Gestalt, Behaviorism, Psychonalysis. Personnel Selection in industry, working condition, its relation to industrial efficiency. Job analysis, accident causes & prevention. Financial & non financial incentive. Modern theory of organization management.

Principles & techniques of educational & vocational guidance. Psychological tests, non-testing devices. Approaches to Conunselling Conunselling interview, Education of exceptional children with special reference to gifted & mentally retarded children.

7. **Nature & Importance of Problem, Hypothesis:-** Variables & its control. Experimental design. Importance of statistics, central tendency and correlation, Hypothesis testing by Parametric & Non Parametric methods.

(22) - COMPUTER SCIENCE

1. **Discrete Structures**

Sets. Relations, Functions. Pigeonhole Principle, Inclusion-Exclusion Principle. Equivalence and Partial Orderings, Elementary Counting Techniques. Probability. Measure(s) for information and Mutual information. Computability : Models of computation-Finite Automata, Pushdown Automata. Non-determinism and NFA. DPDA and PDAs and Languages accepted by these structures. Grammars. Languages, Noncomputability and Examples of non-computable problems. Graph: Definition, walks, paths, trails, connected graphs, regular and bipartite graphs, cycles and circuits. Tree and rooted tree. Spanning trees. Eccentricity of a vertex radius and diameter of a graph. Central Graphs. Centre (s) of a tree. Hamiltonian and Eulerian graphs. Planar graphs.

Groups : Finite fields and Error correcting/detecting codes.

2. **Computer Arithmetic**

Propositional (Boolean) Logic, Predicate Logic, Well-formed-formulae (WFF), I Satisfiability and Tautology. Logic Families: TTL, RTL and C-MOS gates. Boolean algebra and Minimization of Boolean functions. Flip-flops-types, race condition and comparison. Design of combinational and sequential circuits. Representation of numbers : Octal, Hexa. Decimal, and Binary. 2's complement and l's complement arithmetic. Floating point representation.

3. **Programming in C and C++**

Programming in C: Elements of C-Tokens, identifiers, data types in C. Control structures in C. Sequence, selection and iteration(s). Structured data types in C-arrays, function, union, structure, and pointers. O-O Programming Concepts : Class, Object, Instantiation

क्रमशः

Inheritance, polymorphism and overloading. C++ Programming: Elements of C++-Tokens, identifiers. Variables and constants, Data types, Operators, Control statements. Functions parameter passing. Class and objects. Constructors and destructors. Overloading, Inheritance, Templates, Exception Handling.

4. Relational Database Design and SQL

E-R diagrams and their transformation to relational design, normalization-INF, 2NF, 3NF, BCNF and 4NF. Limitations of 4NF and BCNF. SQL : Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language (DML), Data Control Language (DCL) commands.- Database objects like-Views, indexes, sequences, synonyms, data dictionary.

5. Data and File Structures

Data. Information, Definition of data structure. Arrays, stacks, queues, linked lists, trees, graphs, priority queues and heaps. File Structures : Fields, records and files. Sequential, direct, indexsequential and elactive files. Hashing, inverted lists and multi-lists. B trees and B + trees.

6. Computer Networks

Network fundamentals : Local Area Networks (LAN), Metropolitan Area Networks (MAN), Wide Area Networks (WAN), Wireless Networks, Inter Networks. Reference Models : The OSI Model,: TCP/IP model. Data Communication : Channel capacity. Transmission mediatwisted pair, coaxial cables, fibre-optic cables, wireless transmission radio, microwave, infrared and millimeter waves. Light wave transmission. Telephones-local loops, trunks, multiplexing, switching, narrowband ISDN, broadband ISDN, ATM, High speed LANS. Cellular Radio. Communication satellites-geosynchronous and loworbit. Internet working : Switch/Hub, Bridge, Router, Gateways, Concatenated virtual circuits. Tunnelling, Fragmentation, Firewalls. Routing : Virtual circuits and datagrams. Routing algorithms. Conjestion control. Network Security : Cryptography-public key, secret key. Domain Name System (DNS)-Electronic Mail and Worldwide Web (WWW). The DNS, Resource Records, Name servers. E-mail architecture and Serves.

7. System Software and Compilers

Assembly language fundamentals (8085 based assembly language programming). Assemblers-2-pass and single-pass, Macros and macroprocessors, Loading, linking, relocation, program relocatability, Linkage editing, Text editors, Programming Environments, Debuggers and program generators, Compilation and Interpretation, Bootstrap compilers, Phases of compilation process, Lexical analysis, Lex package on Unix system, Context free grammars, Parsing and parse trees, Representation of parse (derivation) trees as rightmost and leftmost derivations, Bottom up parserss-shift-reduce, operator precedence and LR. YACC package on Unix system, Topdown parsers-left recursion and its removal, Recursive descent parser, Predictive parser, Intermediate codes-Quadruples, Triples, Intermediate code generation, Code generation, Code optimization

8. Operating Systems (with Case Study of Unix) -

Main functions of operating systems. Multiprogramming, multiprocessing and multitasking. Memory Management: Virtual memory, paging, fragmentation. Concurrent Processing : Mutual exclusion. Critical regions, lock and unlock. Scheduling : CPU scheduling, I/O scheduling, Resource scheduling/Deadlock and scheduling algorithms, Banker's algorithm for deadlock handling.

Unix

The Unix System : File system, process management, bourne shell, shell variables, command line programming, Fitters and Commands: Pr, head, tail, cut, paste, sort, uniq, tr, join, etc., grep, egrep, fgrep, etc., sed, awk, etc. System Calls (Like) : Creat, open, close, read, write, iseek, link, unlink, stat. fstat, umask, chmod, exec, fork, wait, system.

9. Software Engineering

System Development Life Cycle (SDLC) : Steps, Water fall model. Prototypes, Spiral model. Software Metrics : Software Project Management. Software Design : System design, detailed design, function oriented design, object oriented design, user interface design. Design level metrics. Coding and Testing : Testing level metrics. Software quality and reliability. Clean room approach, software reengineering.

10. Current Trends and Technologies

Topics of current interest in Computer Science and Computer Applications Parallel Computing, Parallel virtual machine (pvm) and message passing interface (mpi) libraries and calls. Advanced architectures, Today's fastest computers, Mobile Computing, Mobile connectivity-Cells, Framework, wireless delivery technology and switching methods, mobile information access devices, mobile data internetworking standards, cellular data communication protocols, mobile computing applications, Mobile databases-protocols, scope, tools and technology. M-business. E-Technologies Electronic Commerce : Framework, Media Convergence of Applications, Consumer Applications, Organization Applications. Electronic Payment Systems : Digital Token, Smart Cards, Credit Cards. Risks in Electronic Payment System, Designing Electronic payment Systems.Electronic Data Interchange (EDI) : Concepts, Applications, (Legal, Security and Privacy) issues, EDI and Electronic Commerce, Standardization and EDI, EDI Software Implementation, EDI Envelope for Message Transport, Internet-Based EDI.Digital Libraries and Data Warehousing : Concepts, Types of Digital documents, Issues behind document Infrastructure, Corporate Data Warehouses. Software Agents : Characteristics and Properties of Agents, Technology behind Software Agents (Applets, Browsers and Software Agents) Broadband Telecommunications : Concepts, Frame Relay, Cell Relay, Switched Multimegabit Data Service, Asynchronous Transfer Mode. Main concepts in Geographical Information System (GIS), E-cash, E-Business, ERP packages. Data Warehousing : Data. Warehouse environment, architecture of a data warehouse methodology, analysis, design, construction and & administration. Data Mining: Extracting models and patterns from large databases, data mining techniques, classification, regression, clustering, summarization, dependency modeling, link analysis, sequencing analysis, mining scientific and business data. Windows Programming: Introduction to Windows programming—Win32, Microsoft Foundation Classes (MFC), Documents and views, Resources, Message handling in windows. Simple Applications (in windows): Scrolling, splitting views, docking toolbars, status bars, common dialogs. Advanced Windows Programming: Multiple Document Interface (MDI), Multithreading. Object linking and Embedding (OLE). Active X controls. Active Template

Library (ATL). Network programming, Combinational Circuit Design, Sequential Circuit Design, Hardwired and Microprogrammed processor design, Instruction formats. Addressing modes, Memory types and organization, Interfacing peripheral devices. Interrupts. Microprocessor architecture, Instruction set and Programming (8085,P-III/P_IV). Microprocessor applications. Database Concepts, ER diagrams, Data Models, Design of Relational Database, Normalisation. SQL and QBE. Query Processing and Optimisation, Centralised and Distributed Database. Security, Concurrency and Recovery in Centralised and Distributed Database Systems, Object Oriented Database Management Systems (Concepts. Composite objects. Integration with RDBMS applications), ORACLE. Display systems, Input devices, 2D Geometry, Graphic operations, 3D Graphics. Animation, Graphic standard, Applications. Concepts, Storage Devices, Input Tools, Authoring Tools, Application, Files, Programming language concepts, paradigms and models, Data, Data types, Operators, Expressions, Assignment, Flow of Control-Control structures, I/O statements, User-defined and

क्रमशः

builtin functions, Parameter passing, Principles, classes, inheritance, class hierarchies, polymorphism,. dynamic binding, reference semantics and their implementation, Principles, functions, lists, types and polymorphisms, higher order functions, lazy evaluation, equations and pattern matching, Principles, horn clauses and their execution, logical variables, relations, data structures, controlling the search order, program development in prolog, implementation of prolog, example programs in prolog, Principles of parallelism, coroutines, communication and execution, Parallel Virtual Machine (PVM) and Message Passing Interface (MPI) routines and calls, parallel programs in PVM paradigm as well as MPI paradigm for simple problems like matrix multiplication, Preconditions, post-conditions, axiomatic approach for semantics, correctness, denotation semantics. Compiler structure, compiler construction tools, compilation phases. Finite Automata, Pushdown Analog and Digital transmission. Asynchronous and Synchronous transmission, Transmission media, Multiplexing and Concentration. Switching techniques. Polling. Topologies. Networking Devices, OSI Reference Model, Protocols for-(i) Data link layer, (ii) Network layer, and (iii) Transport layer, TCP/IP protocols. Networks security, Network administration.

Definition, Simple and Composite structures, Arrays, Lists. Stacks queues. Priority queues, Binary trees, B-trees, Graphs. Sorting and Searching Algorithms, Analysis of Algorithms, Interpolation and Binary Search. Asymptotic notations-big ohm, omega and theta. Average case analysis of simple programs like finding of a maximum of n elements. Recursion and its systematic removal. Quicksort-Non-recursive implementation with minimal stack storage. Design of Algorithms (Divide and Conquer, Greedy method. Dynamic programming, Back tracking. Branch and Bound). Lower bound theory, Non-deterministic algorithm, Non-deterministic programming constructs. Simple non-deterministic programs. NP hard and NP-complete Problems. Object, messages, classes, encapsulation, inheritance, polymorphism, aggregation, abstract classes, generalization as extension and restriction, Object oriented design, Multiple inheritance, metadata. HTML, DHTML, XML, Scripting, Java, Servelets, Applets. Software development models, Requirement analysis and specifications, Software design, Programming techniques and tools, Software validation and quality assurance techniques, Software maintenance and advanced concepts, Software management. Introduction, Memory management. Support for concurrent process. Scheduling, System deadlock, Multiprogramming system. I/O management, Distributed operating systems, Study of Unix and Windows NT. Definition AI approach for solving problems. Automated Reasoning with Prepositional logic and predicate logic—fundamental proof procedure, refutation, resolution, refinements to resolution (ordering/ pruning/restriction Strategic). State space representation of problems, bounding functions, breadth first, depth first. A, A*. AO*. etc. Performance comparison of various search techniques. Frames, scripts, semantic nets, production systems, procedural representations. Prolog programming. Components of an expert system, Knowledge representation and

Acquisition techniques. Building expert system and Shell. RTNs, ATNs, Parsing of Ambiguous CFGs. Tree Adjoining Grammars (TAGs). Systems approach to planning, Designing, Development, Implementation and Evaluation of MIS. Decision-making processes, evaluation of DSS, Group decision support system and case studies, Adaptive design approach to DSS development, Cognitive style in DSS; Integrating expert and Decision support systems.

(23) - <u>BIO-TECHNOLOGY</u>

Cell and Molecular Biology

Cell Theory, Structure and biodiversity of Prokaryotic and Eukaryotic Cells. Cell motility-cilia, flagella of eukaryotes and prokaryotes.

Cellular organelles- Plasma membrane, cell wall, their structural organization; Mitochondria; Chloroplast, Nucleus and other organelles and their organization.

Cell cycle-molecular events and model systems, DNA Structure and Replication - Prokaryotic and eukaryotic.

Mechanism of DNA replication, Enzymes and accessory proteins involved in DNA replication. DNA Repair and Recombination,

Transcription and Translation - Prokaryotic and Eukaryotic Antisense and Ribozyme technology.

Molecular Mapping of genome - Genetic and Physical maps, physical mapping and map - based cloning, choice of mapping population. Genome Sequencing. Microbial Physiology and Genetics

Microbial Evolution, Systematics and Taxonomy - New approaches to bacterial taxonomy classification including ribotyping; Ribosomal RNA sequencing; Characteristics of primary domains nom enclature and Bergey's Manual.

Microbial Growth - The definition of growth, mathematical expression of growth, growth curve, measurement of growth and growth yields; Synchronous growth; Continuous culture; Growth affected by environment factors like temperature, acidity, alkalinity, water availability and oxygen; Prokaryotic structure and Diversity of Bacteria, Archaea, Viruses, Eukaryotic structure and Diversity of Algae, Fungi, Protozoa.

Microbial diseases - Infectious disease transmission; Virulence and Pathogenesis.

Tuberculosis; Sexually transmitted diseases including AIDS; Diseases transmitted by animals (rabies, plague), insects and ticks (Rickettsias, Lime disease, malaria) food and water borne diseases. Antibiotics, Mendel's laws of genetics; Fine structure of gene, Gene - Types of genes, Prokaryotic, Eukaryotic and Viral genes. Mutation, Types of mutations. Changes in Chromosome number and structure, Genetic disorder and syndromes, Bacterial, Genetic system; Transformation, Conjugation, Transduction, Viruses and their Genetic system. Biomolecules and Enzymology and Instrumentation, Amino acids and peptides. Sugar, Lipids, Protein, Enzyme - classification, chemical reactions and physical properties. Principles and application of Microscopy, Centrifugation, Chromatography, Electrophoresis, Colorimetry, Spectrophotometry and densitometry, Thermocycler, DNA sequencer

RIA and autoradiography in biology, ELISA,

Biotechnology and Bioinformatics, Nanotechnology, Genetic Engineering, Scope of Genetic Engineering, Molecular tools and their application - Restriction enzymes, modification enzymes, DNA and RNA markers.

Gene cloning vectors; Plasmids, bacteriophages, phagemids, cosmids, artificial chromosomes, protein engineering, cDNA synthesis and cloning, T - DNA and transposon tagging, Gene therapy; Vector engineering. Strategies of gene delivery, gene replacement/augmentation, Gene correction, gene editing, gene regulation and silencing.

Biology of Immune System

Introduction - Phylogeny of immune system, innate and acquired immunity, Clonal nature immune response. Organization and structure of lymphoid organs. Nature and biology of antigens and super antigens. Antibody structure and function,

Antigen - antibody interaction, major histocompatibility complex. Cells of immune system - Hematopoiesis and differentiation, Lymphocyte traffic, B - lymphocyte, T - lymphocyte. Macrophages Eosinophils, Neutrophils and Mast cells.

Hypersensitivity, Autoimmunity, Hybridoma Technology and Monoclonal antibodies, Transplantation; Tumor immunology.

क्रमशः

Immunity to infectious agents (intracellular parasites, helminthes and viruses), AIDS and other immuno deficiencies.
Bioprocess Engineering and Technology Fermentation, Types of fermentation process, Measurement and control of bioprocess parameters.
Downstream processing; Intoduction, removal of microbial cell and solid matter, foam separation, precipitation, filtration, centrifugation, cell disruption, liquid extraction chromatography. Membrane process Drying and crystallization, Effluent treatment; D.O.C. and C.O.D. treatment and disposal of effluents.
Food technology; Elementary idea of canning and packing, Sterilization and pasteurization of food products, technology of typical food/food products (bread, cheese), Food preservation.
Environmental Biotechnology Environment; Basic concepts and issues, Environmental Pollution and Types of pollution, pollution and its control through Biotechnology, Microbiology of waste water treatments, Microbiology of degradation of Xenobiotics in Environment, Biopesticides in integrated pest management.
Solid wastes; Sources and management (composting, wormiculture and methane production). Global Environmental Problems; Ozone depletion, UV – B, green house – effect and acid rain, their impact and biotechnological approaches for management. Role of National organization in Biotechnology, IPR.
Plant Biotechnology
Cell, suspension and tissue culture, tissue culture as a technique to produce New plants and hybrids, Tissue culture media (composition and preparation), Organogenesis, somatic embryogenesis.
Shoot - tip culture; Rapid clonal propagation and production of virus free plant, Embryo culture and embryo rescue.
Anther, pollen and ovary culture for production of Haploid plants and homozygous lines protoplast isolation, culture and fusion; selection of hybrid cells and regeneration of hybrid plants; symmetric and asymmetric hybrids, cybrids. Cryopreservation, DNA banking for germplasm, conservation plant transformation technology and application, Molecular marker - RFLP maps, linkage analysis, RAPD markers, STS, microsatellites, SCAR (Sequence characterized amplified regions), SSCP (single strand conformational polymorphism), AFLP, QTL. Map based cloning, molecular marker assisted selection.
Animal Biotechnology, Structure and organization of animal cell, Primary and established cell line cultures, Serum & protein free defined media and their application, Biology and characterization of the cultured cells, measuring parameters of growth, Cell cloning and micromanipulation, Application of animal cell culture, Stem cell cultures, embryonic stem cells and their applications, Organ and histotypic cultures cell culture based vaccines, apoptosis.

(24) - संस्कृत साहित्य

ऋग्वेद सूक्त
इन्द्र 2 –12–15 मंत्र, उषस् 7–77–6, पूषन् 6–53–10 मंत्र।
वरूण 7–86–8 मंत्र, सरमापणि 10–108–11 मंत्र।
शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयी माध्यन्दिन शाखा –
पुरूष सूक्त 31–1–16 मंत्र, शिव संकल्प सूक्त 3.–4–16 मंत्र।
अथर्ववेद सूक्त – मेघाजनन सूक्त 1–1–4, राष्ट्रसभा सूक्त 7–12–4 मंत्र।
उपनिशद्
ईशावास्योपनिषद् सम्पूर्ण
निरूक्त (अध्याय 1 तथा 2)
पाणिनीय शिक्षा (सम्पूर्ण)
रसगङ्गाधरः रस निरूपणांतः पण्डितराज जगन्नाथ विरचितः काव्यशोभा, रसशोभा च गुणप्रकरणमात्रम्
विक्रमाङ्कदेवचरितम्, प्रकाशक–साहित्य भंडार, मेरठ (प्रथमसर्ग)
ध्वन्यालोकः (आनंदवर्धनाचार्यकृत) प्रथम उद्योत, द्वितीय उद्योत तर्क भाषा।
काव्यादर्श (प्रथम परिच्छेद) आचार्य दण्डीकृत
काव्यालंकार प्रथम परिच्छेद (आचार्य भामहकृत)
मेधदूतम् – (सम्पूर्ण) (कालिदासकृत)
उत्तररामचरितम् – सम्पूर्ण (भवभूति)
रघुवंशम् – (प्रथम एवं द्वितीय सर्ग) (कालिदास कृत)

(25) - INFORMATION TECHONOLOGY

I. Object Oriented Programming with 'C++' :-

Introduction to OOP
Advantages of OOP, The Object Oriented Approach, and Characteristics of object oriented languages- Object, Classes, Inheritance, Reusability, and Polymorphism. OMT.
Language Fundamental
Overview of C++: History of C++, Data Types - int, float, char, double, void. Constant and Variables. Operators and Expression: Arithmetic Operators, Relational Operators, Logical Operators, Conditional Operators, Bitwise Operators. Control constructor: if , ifelse, nested if-else, while(), do-while() , for(;;), break, continue, switch, goto. Storage class.
Structure and Function
Structures : A Simple structures ,specify the structures, Defining a structure variable, Accessing structures member. Enumeration data type.
Function: Function Declaration, Calling Function, Function Defintion, Passing Argument to function, Passing Constant, Passing Value, Reference Argument, Passing struct variable, Overloaded Function, Inline Function, Default Argument, return statement, returning by reference.
Array: Defining array, array element , initiation array, multi dimensional array, passing array to function.
Object Classes and Inheritance
Object and Class, Using the class, class construct, class destructors, object as function argument, struct and classes, array as class member, operator overloading. Type of inheritance, Derive class, Base class. Access specifier: protected. Overriding, member function, String, Templates.
Pointers and Virtual Function
Pointers: & and * operator pointer variables, pointer to void, pointer and array, pointer and function, pointer and string, memory management, new and delete, pointer to object, pointer to pointer, link list.Virtual Function: Virtual Function, Virtual member function, accesses with pointer, Late binding, pure virtual function, Friend function, Friend class, static function, this pointer.
File and Stream
C++ streams, Stream class, string I/O, char I/O, Object I/O, I/O with multiple object, File pointer, Disk I/O,

II. Mathematical Foundation :-

Mathematical Logic, Sets Relations and functions Mathematical Logic : Notations, Algebra of Propositions & Propositional functions, logical connectives, Truth values & Truth table, Tautologies & Contradictions, Normal Forms, Predicate Calculus, Quantifiers. Set Theory: Sets, Subsets, Power sets, Complement, Union and Intersection, De-Morgan's law, Cardinality, Relations: Cartesian Products, relational Matrices, properties of relations, equivalence relation, functions: Injection, Surjection, Bijection, Composition, of Functions, Permutations, Cardinality, the characteristic functions recursive definitions, finite induction.
Lattices & Boolean Algebra
Lattices : Lattices as Algebraic System, Sub lattices, some special Lattices (Complement, Distributive, Modular).

क्रमशः

Boolean Algebra : Axiomatic definitions of Boolean algebra as algebraic structures with two operations, Switching Circuits.
Groups Fields & Ring
Groups : Groups, axioms, permutation groups, subgroups, cosets, normal subgroups, free subgroups, grammars, language.
Fields & Rings : Definition , Structure, Minimal Polynomials, Irreducible Polynomials, Polynomial roots & its Applications.
Graphs
Graphs : Simple Graph, Multigraph & Psuedograph, Degree of a Vertex, Types of Graphs, Sub Graphs and Isomorphic Graphs, Operations of Graphs, Path, Cycles and Connectivity, Euler and Hamilton Graph, Shortest Path Problems BFS (Breadth First Search), Dijkastra's Algorithm, Representation of Graphs, Planar Graphs, Applications of Graph Theory.
Trees
Trees : Trees, Properties of trees, pendant vertices in a tree, center of tree, Spanning tree, Binary tree, Tree Traversal, Applications of trees in computer science.
Basics concept of IT, concept of data and information, Data processing, History of computer, Data processing, organization of computers and input and output device, storage device, and file organization.

III. Essentials of Information Technology :-

Introduction -
Basics concept of IT, concept of data and information, History of computer, Data Processing, Generations of Computers, organization of computers, Input and Output devices, storage devices and file organization.
Software concept -
System software, application software, utility package, compilers, and interpreters, operating system, elementary command of DOS, UNIX and WINDOWS (file handling directory, management and general purpose user interfacing command).
Computer languages -
Machine languages, assembly languages, high level languages, 4th generation languages, general purpose, concept of oops and SQL
Communication and network technology -
Communication and system elements, communication mode (Analog and Digital, Synchronous and Asynchronous, Simplex, Half duplex, Full duplex, circuit switching), communication media (Speed and capacity, twisted pair, coaxial cable, optics, wireless), common network, protocols (ISO/OS, reference model, TCP/IP).
Internet
Technical foundation of Internet- Client server computing, Distributed Computing, Domain naming system, DNS Server, Internet Security - Fire walls, Encryptions etc.
Internet Applications - E-mail, WWW, E-commerce, Teleconferencing,
Application of Information Technology - State of Art, Application of IT, Application of IT in business, Industry, home, education and training entertainment, science and engineering and medicine.

IV. Data Structure through Algorithms :-

Introduction and Preliminaries -
Introduction, Basic terminology, Elementary data organization, Data structure, Data structure operation, Algorithms : complexity, time-space Tradeoff, Mathematical Notation and functions, Algorithmic Notation, Control Structures, Complexity of Algorithms, Sub algorithms, Variables, Data Type.
String Processing, Arrays, Records And Pointers - Basic Terminology, Storing String, Character Data Type, String Operations, Word Processing, Pattern Matching Algorithms. Linear Array, Representation of linear Array in Memory, Traversing Linear Arrays, Inserting And Deleting, Sorting: Bubble Sort, Searching: Liner Search, Binary Search, Multidimensional Array, Pointers: Pointer Array, Records: Record Structures, Representation of Records in Memory; Parallel Arrays, Matrices, Sparse Matrices.
Linked Lists, Stacks, Queues, Recursion -
Linked list, Representation of linked lists in memory, Traversing a linked list, Searching a linked list, Memory Allocation; Garbage Collection, Insertion into a linked List, Deletion from a Linked List, Header Linked List, Two- Way Linked Lists. Stacks, Array Representation of Stack, Arithmetic Expressions; Polish Notation, Quicksort, an application of Stacks, Recursion, Tower of Hanoi, Implementation of Recursive Procedures by Stacks, Queues, Deques, Priority Queues.
Trees & Graphs -
Binary Trees, Representing Binary Trees in Memory, Traversing binary tree, Traversal Algorithms using stacks, header nodes; threads, Binary Search Tree, Searching and Inserting in Binary Search Tree, Deleting in Binary Search tree, Heap; Heap sort, Path Lengths; Huffmans Algorithms, General Tree. Graph Theory Terminology, Sequential Representation of Graph; Adjacency Matrix, Path Matrix, Linked Representation of Graph.
Sorting And Searching -
Sorting, Insertion Sort, Selection Sort, Merging, Merge Sort, Radix Sort, Searching and data modification, hashing.

V. Operating System (with Linux as case Study) :-

Introduction:
Operating system, basic concept, terminology, batch processing, spooling, multiprogramming, time sharing, real time systems, protection, multiprocessor system, operating system as resource manager, process view point, memory management, process management, device management and information management, other views of operating system, historical, functional job control language and supervisor service control.
Memory Management:
Preliminaries of memory management, memory handling in M/C, relocation, swapping and swap time calculation, multiple partitions, partitioned allocation MFT, fragmentation, MVT, compaction, paging, job scheduling implementation of page tables, shared page, virtual memory-overlays, concepts of virtual memory demand page, memory management and performance, page replacement and page replacement algorithms. Allocation algorithms. Storage hierarchy disk and drum scheduling - physical characteristics fcfs scheduling SCAN, short of seek time first disk scheduling algorithms sector queuing.
Information Management (File System) :
File concept, file type, typed based system, disk based system, general model of file system, file directory maintenance, symbolic file system, basic file system, physical file system, file support device directory, access methods free space management contiguous, linked allocation and indexed allocation performances.
Processor Management (CPU Scheduling) :
Reviewing of multiprogramming concept, scheduling concept, basic concept, CPU I/O burst cycle process state, PCB (Programme Control Block) scheduling queries, schedulers, scheduling algorithms – performance criteria, first-come - first served shortest job - first priority, preemptive algorithm, round robin, multilevel queues and multilevel feedback queues, algorithm evolution, multiprocessor scheduling , separate system, coordinated job scheduling, master / slave scheduling.
Dead Locks :
The dead lock problem - dead lock definition, dead lock detection, detection algorithm usage, dead lock characterization, resource allocation graph, dead lock prevention, mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait, dead lock avoidance-bankers algorithm. Recovery from deadlock process termination, resource preemption, combined approach to deadlock handling.
Unix (Operating System) :

क्रमशः

History, design principle, programmer interface, user interface, file system, process management, I/O system, interprocess communication.

Device Management :

Dedicated, shared and virtual devices, sequential access and direct access device, channel and control units, I/O schedulers. Introduction to assembly language programming, introduction to I/O programming, introduction to interrupts and their programming.

VI. Programming in Java & HTML :-

Introduction to java programming

An overview of Java: Object Oriented Programming, Features of Java, Java Virtual Machine, Java Environment: Java Development Kit, Java Standard Library, Data Types, Variables: Declaring a variable, Dynamic Initialization, The scope and life time of variable, Type conversion and Casting: Narrowing and Widening Conversions, Numeric Promotions, Type Conversion Contexts; Operators: Arithmetic Operators, Relational Operators, Logical Operators, Bit wise Operators, Conditional Operators, new operator, [ ] and instance of operator. Control Statements: Java's Selection statement, Iteration Statement, Jump Statement, Array: Declaring Array variables, Constructing an Array, Initializing an Array, Multidimensional Arrays, Anonymous Arrays.

Define the Class and interface

Introducing Classes: Class Fundamentals, Declaring Object, Assigning Object Reference Variables, Defining Methods, method overloading, Using objects as parameter, Constructors, Garbage collection, finalize () method. Inheritance: Inheritance basic, method overloading, object reference this and super, Chaining constructor using this () and super (), Member accessibility modifier: public, protected, default accessibility of member, private protected, private, Package: Define package, CLASSPATH, importing package, Interface: Define an interface, implementing interface, extending interface, variable in interface, Overview of nested class: Top level nested class and interface, Non static inner class, Local class, Anonymous class.

Exception handling and Multithreading

Exception Handling: Exception types, Uncaught Exception, Using try and catch, multiple catch, nested try block, throw, and throws, finally.

Multithreading: creating thread, Thread priority, synchronization, thread Scheduler, Running & yielding, sleeping and waking up, waiting and notifying, suspend and resume, miscellaneous method in thread class.

Input output, Networking and Fundamental class of java

Object class, String class, StringBuffer class, Wrapper class, Math class, Collection: Collection interface, List interface, Set interface sorted interface, ArrayList class, LikedList class, TreeSet, Comparator, Vector, Stack.

Input output classes and interface: File, BufferStream, CharacterStream, and Random Access for files, Object Sterilization.

Networking: Socket overview, Client/Server, Proxy Server, Network class and interface, TCP/IP client socket, TCP/IP Server socket, URL Connection, Datagrams, DatagramPackets.

Applet programming and AWT

Applet: Applet and Application program, Creating Applets, Applet Life Cycle, Applet and Thread, Supplying Applet parameter, Using Images and Sound in Applets, JAR files, Applet Security.

Introducing the AWT: Overview of the java.awt package, Component and Containers: Component, Container, Panel, Applet, Window, Frame, and Dialog classes. Working with Graphics, Working with Fonts, Working with Colors, GUI Control Components: Button, Canvas, Checkbox and CheckboxGroup, Choice, List, Label, Scrollbar, TextField and TextArea, Frame, Menu Bars and Menu

Layout Management: Layout Management Policies, FlowLayout, GridLayout, BorderLayout, CardLayout, GridBagLayout, Customized Layout.

Event Handling: Overview of Event Handling, Event Hierarchy, Event Delegation Model, Event Adapters, Low Level Event Processing.

Advance features of java

JDBC: JDBC/ODBC Bridge, The Driver manage class, the java.sql package, data manipulation: Insert, Update, Delete Record, Data navigation: ResultSet BDK: What is java Beans, Advantages of java Beans, the Bean Developer Kit, Jar Files, Introspection, Developing a New Bean, Using Bound Properties, Using BeanInfo interface, The java Beans API.

HTML Basics & Web Site Design Principles -

Concept of a Web Site, Web Standards, What is HTML? HTML Versions, Naming Scheme for HTML Documents, HTML document/file, HTML Editor, Explanation of the Structure of the homepage, Elements in HTML Documents, HTML Tags, Basic HTML Tags, Comment tag in HTML, Viewing the Source of a web page, How to download the web page source? XHTML, CSS, Extensible Markup Language (XML), Extensible Style sheet language (XSL), Some tips for designing web pages, HTML Document Structure. HTML Document Structure-Head Section, Illustration of Document Structure,<BASE> Element,<ISINDEX>Element,<LINK>Element, META,<TITLE> Element,<SCRIPT> Element, Practical Applications, HTML Document Structure-Body Section:-Body elements and its attributes: Background; Background Color; Text; Link; Active Link (ALINK); Visited Link (VLINK); Left margin; Top margin ,Organization of Elements in the BODY of the document: Text Block Elements; Text Emphasis Elements; Special Elements — Hypertext Anchors; Character-Level Elements; Character References ,Text Block Elements: HR (Horizontal Line); Hn (Headings) ; P (Paragraph); Lists; ADDRESS ; BLOCKQUOTE; TABLE; DIV (HTML 3.2 and up) ; PRE (Preformatted); FORM ,Text Emphasis Elements, Special Elements — Hypertext Anchors ,Character-Level Elements: line breaks (BR) and Images (IMG),Lists ,ADDRESS Element, BLOCKQUOTE Element, TABLE Element ,COMMENTS in HTML ,CHARACTER Emphasis Modes, Logical & Physical Styles ,Netscape, Microsoft and Advanced Standard Elements List, FONT, BASEFONT and CENTER.

Image, Internal and External Linking between WebPages

Netscape, Microsoft and Advanced Standard Elements List, FONT, BASEFONT and CENTER Insertion of images using the element IMG (Attributes: SRC (Source), WIDTH, HEIGHT, ALT (Alternative), ALIGN),IMG (In-line Images) Element and Attributes; Illustrations of IMG Alignment, Image as Hypertext Anchor, Internal and External Linking between Web Pages

Hypertext Anchors, HREF in Anchors, Links to a Particular Place in a Document, NAME attribute in an Anchor, Targeting NAME Anchors, TITLE attribute, Practical IT Application Designing web pages links with each other, Designing Frames in HTML. Practical examples. Creating Business Websites with Dynamic Web Pages –

Concept of static web pages and dynamic web pages, Introduction to scripting, Types of Scripting languages, Scripting Files, Client Side Scripting with VB/Jscript/ JavaScript, Practical examples of Client side scripting. Identifying Objects & Events, and Creating & Implementing Common Methods,. Hosting & promotion of the web site, Domain Name Registration, Web Space al location, Uploading / Downloading the website- FTP, cute FTP. Web Site Promotion Search Engines, Banner Advertisements.

VII. Computer System Architecture :-

Representation of Information

क्रमशः

Number system, Integer & Floating point representation Character code (ASCII, EBCDIC), Error Detect and Correct code, Basic Building Blocks, Boolean Algebra, MAP Simplification, Combination Blocks, Gates, Multiplexers, Decoders, etc Sequential building block, flip-flop, registers, counters, ALU, RAM etc.

Register transfer language and micro operations

Concepts of bus, data movement along registers, a language to represent conditional data transfer, data movement from its memory, arithmetic and logical operations along with register transfer timing in register transfer

Basic Computer Organization and Design

Instruction code, Computer Instructions, Timing and Control, Execution of Instruction, Input and Output Interrupt, Design of Computer.

Computer Software

Programming Language, Assembly Language, Assembler, Program Loops, Input/Output Programming, System Software. Central Processor Organization: - Processor Bus Organization, Arithmetic Logic Unit, Stack Organization, Instruction Formats, Addressing modes, Data transfer and Manipulation, Program Control, Microprocessor Organization, Parallel Processing,.

Input -Output Organization

Peripheral Devices, Input/Output Interface, Asynchronous Data Transfer, Direct Memory Access (DMA), Priority Interrupt, Input-Output Processor, Multiprocessor System Organization, and Data Communication Processor.

Memory Organization

Auxiliary Memory, Micro Computer Memory, Memory Hierarchy, Associative Memory, Virtual Memory, Cache Memory, Memory Management Hardware.

VIII. RDBMS & ORACLE :-

Overview of Database Management -

Data, Information and knowledge, Increasing use of data as a corporate resource, data processing verses data management, file oriented approach verses database oriented approach to data management; data independence, database administration roles, DBMS architecture, different kinds of DBMS users, importance of data dictionary, contents of data dictionary, types of database languages. Data models: network, hierarchical, relational. Introduction to distributed databases, Client/Server databases, Object-oriented databases, Object-relational databases, Introduction to ODBC concept.

Relational Model -

Entity - Relationship model as a tool for conceptual design-entities attributes and relationships. ER diagrams; Concept of keys: candidate key, primary key, alternate key, foreign key; Strong and weak entities, Case studies of ER modeling Generalization; specialization and aggregation. Converting an ER model into relational Schema. Extended ER features, Introduction to UML, Representation in UML diagram (Class Diagram etc.).

Structured Query Language

Relational Algebra: select, project, cross product different types of joins (inner join, outer joins, self join); set operations, Tuple relational calculus, Domain relational calculus, Simple and complex queries using relational algebra, stand alone and embedded query languages, Introduction to SQL constructs (SELECT…FROM, WHERE… GROUP BY… HAVING… ORDERBY….), INSERT, DELETE, UPDATE, VIEW definition and use, Temporary tables, Nested queries, and correlated nested queries, Integrity constraints: Not null, unique, check, primary key, foreign key, references, triggers. Embedded SQL and Application Programming Interfaces.

Relational Database Design-

Normalization concept in logical model; Pitfalls in database design, update anomalies: Functional dependencies, Join dependencies, Normal forms (1NF, 2NF, 3NF). Boyce Codd Normal form, Decomposition, Multi-Valued Dependencies, 4NF, 5NF. Issues in physical design; Concepts of indexes, File organization for relational tables, De-normalization, Clustering of tables, Clustering indexes.

Introduction to Query Processing and Protecting the Database

Parsing, translation, optimization, evaluation and overview of Query Processing. Protecting the Data Base - Integrity, Security and Recovery. Domain Constraints, Referential Integrity, Assertion, Triggers, Security & Authorization in SQL.

Data Organization -

File Organization: -Fixed length records, variable length records, Organization of records in files, Indexing: - indexed files -B-tree, B+-tree, and Hashing Techniques.

IX. Program Based Numerical Analysis :-

Solution of Polynomial and Transcendental Algebraic Equations

Bisection method, Regulafalsi method & Newton's method, Solution of Cubic & Biquadratic Equation, Complex roots of polynomial equations.

Simultaneous Equations and Matrix

Gauss-Jordan method, Cholesky's method, Reduction to lower or upper Traingular forms, Inversion of matrix, method of partitioning, Characteristics equation of matrix, Power methods, Eigen values of matrix, Transformation to diagonal forms.

Curve-Fitting from Observed Data

Divided difference table for evenly or unevenly spaced data, polynomial curve-fitting - Newton's, Gauss and Langranges form of interpolation and Divided Differences, method of least square for polynomials,.

Numerical Differentiation and Integration

Forward and Backword differential operators, Newton - cotes integration formula: Trapezoidal Rule, Simpson's Rule, Boole's Rule, Weddle Rule, Legendre's rule, method of weighted coefficients.

Solution of Differential Equations

Numerical Solution of ordinary differential equations, one step method, Taylor's Series, Predictor-Corrector Method, Euler's Method, Runga-Kutta Method, Milne's method.

X. Computer Networking and Data Communication :-

Introduction to Computer Networking

The Concept of Networking, Data Communication, Required network elements, The role of Standards Organization. Line Configuration, Various Topologies, Transmission Mode, Categories of Networks- LAN, MAN, WAN. The benefits of a Computer Networks.

The OSI and TCP/IP Reference Model

The Concept of Layered Architecture, Design Issues for the Layers. Interfaces and services, Detailed Functions of the Layers. Comparison between OSI and TCP/IP Reference model. Transmission of Digital Data Shannon's and Nyquist theorems for maximum data rate of a channel. Transmission media- Coaxial, UTP, Fiber optic and wireless. Analog and digital data Transmission- parallel and serial transmission. DTE-DCE interface using RS-232C. Study of modems- 56k and Cable Modem. Modem standards.

Multiplexing and Switching

The Concept of Multiplexing- FDM, TDM, WDM. The Concept of Switching- Circuiting, Message switching, Packet switching.

Data Link Layer and Routing Algorithms

Line Discipline, Flow Control- stop and wait, sliding window, Go back N, Error Control- ARQ stop and wait, sliding window ARQ. HDLC, SLIP, PPP. Multiple access protocols- ALOHA, Slotted ALOHA, CSMA/CD. IEEE standards for LAN's and MAN's. The IP protocol, and its header. IP address classes and subnet mask. The concept of ICMP, ARP, RARP, RSVP, CIDR and Ipv6.

क्रमशः

Routing algorithms- shorted path first, Distance Vector, Link State. Congestion Control-The leaky bucket and Token bucket Algorithms.

Transport Layer

The Concept of client and Server in terms of Socket addressing in Transport layer. Two way and three-way handshaking. TCP header. Network Performance Issues. The Concept of Domain Name System, Various Resource Records. Architecture and services of E-mail (RFC-822 and MIME). The Concept of World Wide Web- server side and client side.

ATM

The concept of ATM, ATM Adoption layers- AAL1, AAL2, AAL3/4, AAL5, Comparison of AAL protocols. Cell formats for UNI and NNI. Service Categories, Quality of service, Congestion Control in ATM.

Comparative study of Networking Technologies X.25, Frame Relay, ATM, SONET, SMDS, ISDN.

Network Security

The Importance of Security in Networking. Traditional Cryptography, Data Encryption Standards, RSA algorithm.

XI. Programming in Visual Basic :-

Introduction to visual Basic

Editions of Visual Basic, Event Driven Programming, Terminology, Working environment, project and executable files, Understanding modules, Using the code editor window, Other code navigation features, Code documentation and formatting, environment options, code formatting option, Automatic code completion features.

Creating Programs

Introduction to objects, Controlling objects, Properties, methods and events, Working with forms, Interacting with the user: MsgBox function, InputBox function, Code statements, Managing forms, Creating a program in Visual Basic, Printing.

Variable and Procedures

Overview of variables, Declaring, Scope, arrays, Userdefined data types, constants working with procedures, Working with dates and times, Using the Format function, Manipulating text strings. Controlling Program Execution Comparison and logical operators, If…Then statements, Select Case Statements looping structures, Using Do…Loop structures, For…Next statement, Exiting a loop.

Working with Controls

Types of controls, Overview of standard controls, Combo Box and List Box, Option Button and Frame controls Menu, Status bars, Toolbars, Advanced standard controls, ActiveX controls, Insertable objects, Validation.

Error Trapping & Debugging

Overview of run-time errors, error handling process, The Err object, Errors and calling chain, Errors in an error-handling routine, Inline error handling, Error-handling styles, General error-trapping options Type of errors, Break mode Debug toolbar, Watch window, Immediate window, Local window, Tracing program flow with the Call Stack.

Sequential and Random Files:

Saving data to file, basic filling, data analysis and file, the extended text editor, Random access file, the design and coding.

Data Access Using the ADO Data Control

Overview of ActiveX data Objects, Visual Basic data access features, Relational database concepts Using the ADO Data control to access data, Overview of DAO, RDO, Data Control, structured query language (SQL), Manipulating data Using Data Form Wizard.

Report Generation:

Overview of Report, Data Report, and Add groups, Data Environment, Connection to database Introduction to Crystal Report Generator.

Advances Tools:

Overview of drag and drop, Mouse events, Drag and drop basics, Date Time Control, Calendar, Print Dialog, MDI (Multiple Document Interface).

XII. Artificial Intelligence and Expert Systems :-

General Issues and overview of AI :

The AI problems; What is an AI technique; Characteristics of AI applications

Problem solving, search and control strategies :

General problem solving; production systems; control strategies: forward and backward and backward chaining Exhaustive searches: Depth first Breadth first search.

Heuristic Search techniques :

Hill climbing; Branch and Bound technique; Best first search and A* algorithm; AND/Or Graphs; problem reduction and AO* algorithm; constraint satisfaction problems.

Game playing :

Minimax search procedure; Alpha-Beta cutoffs; Additional Refinements.

Knowledge Representation :

First order predicate calculus; Skolemization Resolution principle and unification; Inference Mechanisms; Horn's clauses; semantic Networks; frame systems and value inheritance. Scripts; conceptual dependency;

AI Programmiing Languages :

Introduction to Lisp, Syntax and Numeric functions; List manipulation functions; Iteration and Recursion; Property list and Arrays, Introduction to PROLOG.

Natural language processing :

Parsing technique; context-context- free grammar; Recursive Transition Nets (RTN); Augmented Transition Nets ((ATN); case and logic grammars; semantic analysis.

Planning :

Overview- An example Domain: The Blocks Word; Component of planning systems: Goal Stack Planning (linear planning); Non-linear planning using goal sets; probabilistic reasoning and Uncertainty; probability theory; Bayes Theorem and Bayesian networks; certainty factor.

Expert Systems :

Introduction to expert systems and Applications of expert systems; various expert system shells: vidwan; frame work; knowledge acquisition; case studies; MYCIN.

Learning :

Role learning; learning by induction; Explanation based learning.

XIII. Introduction to .NET Technology :-

Inside the .NET framework :

Overview of .net framework, Managed Execution process, CLR,JIT Compilation, MSIL, Assemblies, Common Type System , cross language, interoperability.

Programming with .NET Framework

XML, Accessing data , ADO.Net, Accessing Internet, Component Programming essentials and Throwing exceptions, Processing Transactions, Garbage Collection,Base types, working with I/O, Basic files.

Building .NET framework applications :

ASP.net Web Application, Web forms, Server controls, Introduction to windows forms, Design –Time Support.

Debugging Optimizing and Profiling :

Performance and optimization concept, monitoring and managing Windows Process, Managing process, Retrieving Information about Process.

.NET Framework common classes & tools: Microsof t.Csharp, Microsof t.Jscript,

Microsoft.VisualBasic,Microsoft. Win 32 System, System Data, System security, System Web, System XML.qms, tools-AL.exe, Aximp.exe, Ilasm.exe, LC.exe, .NET Framework Configuration Tools, Wincv.exe

XIV. Software Engineering Fundamentals :-

क्रमशः

Software Engineering Fundamentals :
Definition of software product; software development paradigms; software engineering; knowledge engineering and end user development approaches.
Software Analysis :
Abstraction; partitioning and projection; system specification; software requirements specification (SRS) standards; formal specification method; specification tools; flow based, data based and object orientated analysis.
Systems Design ;
Idealised and constrained design; process oriented design (Gane and Sarson and Yourdon notations); data oriented design (Warnier - (Orr, E-r modeling); Object oriented design (Booch approach); Cohesion and coupling; Design metrics; design documentation standards.
Role of Case Tools :
Relevance of case tools; High-end and low-end case tools; Automated support for data dictionaries, data flow diagrams, entity relationship diagrams.
Coding And Programming :
Choice of programming languages; mixed language programming and call semantics; Re-engineering legacy systems; coding standard.
Software Quality And Testing :
Software quality assurance; types of software testing (white box, black box, unit, integration, validation, system etc); debugging and reliability analysis; program complexity analysis; software quality and metrics; software maturity model and extensions. Software cost and Time estimation. Functions points; issues in software cost estimation; introduction to the Rayleigh curve3; alglorithmic cost model (COCOM0, Putnamslim, Watson and feliix); Other approaches to software cost and size estimation (software complexity, Delphi, costing by analolgy)
Software Project Management :
Planning software projects; work background structures; integrating software, software design and project planning; software project teams; project monitoring and controls.

XV. Data Mining & Data Warehousing :-

Introduction & Data Warehousing and OLAP Technology for Data Mining - What is data mining?, Data Mining: On what kind of data?, Data mining functionality, Are all the patterns interesting?, Classification of data mining systems, What is a data warehouse?, A multi-dimensional data model, Data warehouse architecture, Data warehouse implementation, Further development of data cube technology, From data warehousing to data mining. Concept of Transaction, Transactional database, Distributed Database, Commit Protocols.
Data Preprocessing ,Data Mining Primitive , Languages and System Architecture - Why preprocess the data?, Data cleaning ,Data integration and transformation, Data reduction, Discrimination and concept hierarchy generation, Data Mining Primitive, Data Mining Query Language, Architecture of data mining system.
Mining Association Rules in Large Databases -
Association rule mining, Mining single-dimensional Boolean association rules from transactional databases, Mining multilevel association rules from transactional databases, Mining multidimensional association rules from transactional databases and data warehouse, From association mining to correlation analysis, Constraint-based association mining.
Classification and Prediction & Cluster Analysis -
What is classification? What is prediction?, Issues regarding classification and prediction, Classification by decision tree induction, Bayesian Classification, Classification by back propagation, Classification based on concepts from association rule mining, Other Classification Methods ,Prediction, Classification accuracy, What is Cluster Analysis?, Types of Data in Cluster Analysis, A Categorization of Major Clustering Methods, Partitioning Methods, Hierarchical Methods, Density-Based Methods, Grid-Based Methods, Model- Based Clustering Methods, Outlier Analysis.
Mining Complex Types of Data & Applications and Trends in Data Mining -
Multidimensional analysis and descriptive mining of complex data objects, Mining spatial databases, Mining multimedia databases, Mining time-series and sequence data, Mining text databases, Mining the World- Wide Web, Data mining applications, Data mining system products and research prototypes, Additional themes on data mining, Social impact of data mining, Trends in data mining

XVI. Satellite Mobile Communication :-

Introduction.
Introduction to Mobile Communication, Short history of wireless communication, Applications, Vehicles, Emergency, Business, Replacement of wired network, Location dependent services, infotainment, Mobile and Wireless devices, A Simplified reference model, some open research topics in mobile communication.
Satellite Systems
History of satellite system, Applications of satellite systems, Type of satellite systems, characteristics of satellite systems, satellite system infrastructure, satellite system architecture, Global Positioning system (GPS), Limitations of GPS. Beneficiaries of GPS, Applications of GPS.
Mobile Communication Systems
Introduction, Cellular System Infrastructure,, Registration, Handoff Parameters and Underlying support, Roaming Support Using System Backbone, to Mobile IP, Functions of Mobile IP, Mobile Node, Corresponding Node, Home Network, Foreign Network, Home Agent , Foreign Agent, Care-of Address, IP Packet Delivery, Agent Discovery, Agent Solicitation , Registration, Tunneling , Dynamic host configuration protocol.
Wireless LANs and PANs
Introduction to IEEE 802.11, Ricochet, Ricochet Wireless Modem, Services Provided by Ricochet , Home RF, Home RF Technology, Hiper LAN, Blue tooth , Advantages and disadvantages of Wireless LAN, Infra red vs radio transmission , introduction to MAC. Technologies influence WLANs / WPANs in future.
Mobile Adhoc Network
Introduction to Mobile Adhoc Network(MANET), Characteristics of MANET, Applications of MANET, Routing, Need for Routing, Routing Classification, Table- Driven Routing Protocol - Destination Sequenced Distance Vector Routing Protocol, Cluster-Head Gateway Switch Routing, Wireless Routing Protocol. Source initiated On-demand Routing- Adhoc On Demand Distance Vector Routing, Dynamic Source Routing, Temporarily Ordered Routing Algorithms, Hybrib Protocol -Zone Routing Protocol.

(26) - COMPUTER APPLICATION

I. Object Oriented Programming with 'C++' :-

Introduction to OOP
Advantages of OOP, The Object Oriented Approach,and Characteristics of object oriented languages- Object, Classes, Inheritance, Reusability, and Polymorphism. OMT.
Language Fundamental
Overview of C++: History of C++, Data Types - int, float, char, double, void. Constant and Variables. Operators and Expression: Arithmetic Operators, Relational Operators, Logical Operators, Conditional Operators, Bitwise Operators. Control constructor: if , if-else, nested if-else, while(), do-while() , for(;;), break, continue, switch, goto. Storage class.
Structure and Function
Structures : A Simple structures ,specify the structures, Defining a structure variable, Accessing structures member, Enumera-

क्रमशः

tion data type. Function: Function Declaration, Calling Function, Function Defines, Passing Argument to function, Passing Constant, Passing Value, Reference Argument, Passing struct variable, Overloaded Function, Inline Function, Default Argument, return statement, returning by reference.

Array: Defining array, array element, initiation array, multi dimensional array, passing array to function.

Object Classes and Inheritance

Object and Class, Using the class, class construct, class destructors, object as function argument, struct and classes , array as class member, operator overloading. Type of inheritance, Derive class, Base class. Access specifier: protected. Overriding, member function,String, Templates.

Pointers and Virtual Function

pointers: & and * operator pointer variables, pointer to void, pointer and array, pointer and function, pointer and string, memory management, new and delete, pointer to object, pointer to pointer, link list. Virtual Function: Virtual Function, Virtual member function, accesses with pointer, Late binding, pure virtual function, Friend function, Friend class, static function, this pointer.

File and Stream

C++ streams, Stream class, string I/O, char I/O, Object I/O, I/O with multiple object, File pointer, Disk I/ O,

II. Mathematical Foundation :-

Mathematical Logic, Sets Relations and functions Mathematical Logic : Notations, Algebra of Propositions & Propositional functions, logical connectives, Truth values & Truth table Tautologies & Contradictions, Normal Forms, Predicate Calculus, Quantifiers.

Set Theory: Sets, Subsets, Power sets, Complement, Union and Intersection, De-Morgan's law Cardinality, relations: Cartesian Products, relational Matrices, properties of relations equivalence relation functions: Injection, Surjection, Bijection, Composition, of Functions, Permutations, Cardinality, the characteristic functions recursive definitions, finite induction.

Lattices & Boolean Algebra

Lattices : Lattices as Algebric System, Sub lattices, some special Lattices (Complement, Distributive, Modular).

Boolean Algebra : Axiomatic definitions of Boolean algebra as algebric structures with two operations, Switching Circuits.

Groups, Fields & Ring

Groups : Groups, axioms, permutation groups, subgroups, cosets, normal subgroups, free subgroups, grammars, language.

Fields & Rings : Definition , Structure, Minimal Polynomials, Irreducible Polynomials, Polynomial roots & its Applications.

Graphs

Graphs : Simple Graph, Multigraph & Psuedograph, Degree of a Vertex, Types of Graphs, Sub Graphs and Isomorphic Graphs, Operations of Graphs, Path, Cycles and Connectivity, Euler and Hamilton Graph, Shortest Path Problems BFS (Breadth First Search), Dijkastra's Algorithm, Representation of Graphs, Planar Graphs, Applications of Graph Theory.

Trees

Trees : Trees, Properties of trees, pendant vertices in a tree, center of tree, Spanning tree, Binary tree, Tree Traversal, Applications of trees in computer science.

III. Essential of Information Technology :-

Introduction -

Basics concept of IT, concept of data and information, History of computer, Data Processing, Generations of Computers, organization of computers, Input and Output devices, storage devices and file organization.

Software concept -

Software and its need, Types of Software- System software, application software; Utility Programs; compilers, interpreters and Assemblers; Linker and Loader; Debugger; Operating system, elementary command of DOS, UNIX and WINDOWS (file handling directory, management and general purpose user interfacing command).

Computer languages -

Introduction of Programming Languages, Types of Programming Languages, Generations of Programming Languages, Programming Paradigms, ,general purpose and concept of oop and SQL, Functional Programming; Process oriented Programming.

Communication and network technology -

Communication process, Communication and system elements, communication mode (Analog and Digital, Synchronous and Asynchronous, Simplex, Half duplex, Full duplex, circuit switching), communication media (Speed and capacity, twisted pair, coaxial cable, optics, wireless), communication protocols, Computer Network, Types of Network, Topology, protocols (ISO/OS, reference model, TCP/IP), Medias- NIC,NOS, Bridges, HUB, Routers, Gateways.

Internet

Technical foundation of Internet, Internet Service Provider, Anatomy of Internet, ARPANET and Internet History of World Wide Web, Services Available on Internet; Basic Internet Terminologies, Net Etiquette, Applications of Internet. Client server computing, Distributed Computing, Domain naming system, DNS Server, Internet Security - Fire walls, Encryptions etc. Internet Applications - E-mail, WWW, E-commerce, Teleconferencing,

Application of Information Technology – State of Art Application of IT, Application of IT in business, Industry, home, education and training entertainment, science and engineering and medicine.

IV. Data Structure Through Algorithms :-

Introduction and Preliminaries -

Introduction, Basic terminology, Elementary data organization, Data structure, Data structure operation, Algorithms: complexity, time-space Tradeoff.. Mathematical Notation and functions, Algorithmic Notation, Control Structures, Complexity of Algorithms, Sub algorithms, Variables, Data Type.

String Processing, Arrays, Records And Pointers -

Basic Terminology, Storing String, Character Data Type, String Operations, Word Processing, Pattern Matching Algorithms. Linear Array, Representation of linear Array in Memory, Traversing Linear Arrays, Inserting And Deleting, Sorting; Bubble Sort, Searching; Liner Search, Binary Search, Multidimensional Array, Pointers; Pointer Array, Records; Record Structures, Representation of Records in Memory; Parallel Arrays, Matrices, Sparse Matrices.

Linked Lists, Stacks, Queues, Recursion -

Linked list, Representation of linked lists in memory, Traversing a linked list, Searching a linked list, Memory Allocation; Garbage Collection, Insertion into a linked List, Deletion from a Linked List, Header Linked List, Two- Way Linked Lists. Stacks, Array Representation of Stack, Arithmetic Expressions; Polish Notation, Quick sort, an application of Stacks, Recursion, Tower of Hanoi, Implementation of Recursive Procedures by Stacks, Queues, Deques, Priority Queues.

Trees & Graphs -

Binary Trees, Representing Binary Trees in Memory, Traversing binary tree, Traversal Algorithms using stacks, header nodes; threads, Binary Search Tree, Searching and Inserting in Binary Search Tree, Deleting in Binary Search tree, Heap; Heap sort, Path

Lengths; Huffmans Algorithms, General Tree. Graph Theory Terminology, Sequential Representation of Graph; Adjacency Matrix, Path Matrix, Linked Representation of Graph.

Sorting And Searching -

Sorting, Insertion Sort, Selection Sort, Merging, Merge Sort, Radix Sort, Searching and data modification, hashing.

V. Communication Skills :-

क्रमशः

Meaning and Process of communication, importance of effective communication, communication situation and communication skills, barriers to communicate, objective of communication, types of communication, principles of communication, essentials of effective communication, media of communication - written, oral, face to face, visual, audio visual, merits and demerits of written and oral communication prepared for oral presentation, conditional presentation, developing communication skill.

Interview - how to face and how to conduct, preparation of bio-data, seminars, pair, bibliography, graph discussion, official correspondence. Mechanics of writing, paragraphing precise, report writing, technical reports, length of written report, organizing report, writing technical report.

VI. Program Based Numerical Analysis :-

Solution of Polynomial and Transcendental Algebraic Equations

Bisection method, Regulafalsi method & Newton's method, Solution of Cubic & Biquadrate Equation, Complex roots of polynomial equations. Simultaneous Equations and Matrix Gauss-Jordan method, Cholesky's method, Reduction to lower or upper Triangular forms, Inversion of matrix, method of partitioning, Characteristics equation of matrix, Power methods, Eigen values of matrix, Transformation to diagonal forms.

Curve-Fitting from Observed Data

Divided difference table for evenly or unevenly spaced data, polynomial curve-fitting - Newton's, Gauss and Langranges form of interpolation and Divided Differences, method of least square for polynomials,.

Numerical Differentiation and Integration

Forward and Backword differential operators, Newton - cotes integration formula: Trapezoidal Rule, Simpson's Rule, Boole's Rule, Weddle Rule, Legendre's rule, method of weighted coefficients.

Solution of Differential Equations

Numerical Solution of ordinary differential equations, one step method, Taylor's Series, Predictor-Corrector Method, Euler's Method, Runga-Kutta Method, Milne's method.

VII. Computer System Architecture :-

Representation of Information

Number system, Integer & Floating point representation Character code (ASCII, EBCDIC), Error Detectand Correct code, Basic Building Blocks, Boolean Algebra, MAP Simplification, Combination Blocks, Gates, Multiplexers, Decoders, etc Sequential buildingblock, flip-flop, registers, counters, ALU, RAM etc.

Register transfer language and micro operations

Concepts of bus, data movement along registers, a language to represent conditional data transfer, data movement from its memory, arithmetic and logical operations along with register transfer timing in registertransfer.

Basic Computer Organization and Design

Instruction code, Computer Instructions, Timing and Control, Execution of Instruction, Input and Output Interrupt, Design of Computer.

Computer Software

Programming Language, Assembly Language, Assembler, Program Loops, Input /Output Programming,

System Software. Central Processor Organization: -

Processor Bus Organization, Arithmetic Logic Unit, Stack Organization, Instruction Formats, Addressing modes, Data transfer and Manipulation, Program Control, Microprocessor Organization, Parallel Processing,.

Input -Output Organization

Peripheral Devices, Input/Output Interface, Asynchronous Data Transfer, Direct Memory Access (DMA), Priority Interrupt, Input-Output Processor, Multiprocessor System Organization, and Data Communication Processor.

Memory Organization

Auxiliary Memory, Micro Computer Memory, Memory Hierarchy, Associative Memory, Virtual Memory, Cache Memory, Memory Management Hardware.

VIII. RDBMS ORACLE :-

Overview of Database Management -

Data, Information and knowledge, Increasing use of data as a corporate resource, data processing verses data management, file oriented approach verses database oriented approach to data management; data independence, database administration roles, DBMS architecture, different kinds of DBMS users, importance of data dictionary, contents of data dictionary, types of database languages. Data models: network, hierarchical, relational. Introduction to distributed databases, Client/Server databases, Object-oriented databases, Object-relational databases, Introduction to ODBC concept.

Relational Model -

Entity - Relationship model as a tool for conceptual design-entities attributes and relationships. ER diagrams; Concept of keys: candidate key, primary key, alternate key, foreign key; Strong and weak entities, Case studies of ER modeling Generalization; specialization and aggregation. Converting an ER model into relational Schema. Extended ER features, Introduction to UML, Representation in UML diagram (Class Diagram etc.).

Structured Query Language

Relational Algebra: select, project, cross product different types of joins (inner join, outer joins, self join); Set operations, Tuple relational calculus, Domain relational calculus, Simple and complex queries using relational algebra, stand alone and embedded query languages, Int roduct ion to SQL constructs (SELECT…FROM, WHERE… GROUP BY… HAVING… ORDERBY….), INSERT, DELETE, UPDATE, VIEW definition and use, Temporary tables, Nested queries, and correlated nested queries, Integrity constraints: Not null, unique, check, primary key, foreign key, references, triggers. Embedded SQL and Application Programming Interfaces.

Relational Database Design-

Normalization concept in logical model; Pitfalls in database design, update anomalies: Functional dependencies, Join dependencies, Normal forms (1NF, 2NF, 3NF). Boyce Codd Normal form, Decomposition, Multi-Valued Dependencies, 4NF, 5NF. Issues in physical design; Concepts of indexes, File organization for relational tables, De-normalization, Clustering of tables, Clustering indexes.

Introduction to Query Processing and Protecting the Database

Parsing, translation, optimization, evaluation and overview of Query Processing. Protecting the Data Base - Integrity, Security and Recovery. Domain Constraints, Referential Integrity, Assertion, Triggers, Security & Authorization in SQL.

Data Organization -

File Organization: -Fixed length records, variable length records, Organization of records in files, Indexing: - indexed files -B-tree, B+-tree, and Hashing Techniques.

IX. Operating System with Linux as Case Study :-

Introduction:

What is operating system, basic concept, terminology, batch processing, spooling, multiprogramming, time sharing, real time systems, protection, multiprocessor system, operating system as resource manager, process view point, memory management, process management, device management and information management, other views of operating system, historical, functional job control language and supervisor service control.

Memory Management:

Preliminaries of memory management, memory handling in M/C, relocation, swapping and swap time calculation, multiple partitions, partitioned allocation MFT, fragmentation, MVT, compaction, paging, job scheduling implementation of page

क्रमशः

tables, shared page, virtual memory-overlays, concepts of virtual memory demand page, memory management and performance, page replacement and page replacement algorithms. Allocation algorithms. Storage hierarchy disk and drum scheduling - physical characteristics fcfs scheduling SCAN, short of seek time first disk scheduling algorithms sector queuing.

Information Management (File System) :

File concept, file type, typed based system, disk based system, general model of file system, file directory maintenance, symbolic file system, basic file system, physical file system, file support device directory, access methods free space management contiguous, linked allocation and indexed allocation performances. Processor Management (CPU Scheduling) : Reviewing of multiprogramming concept, scheduling concept, basic concept, CPU I/O burst cycle process state, PCB (Programme Control Block) scheduling queries, schedulers, scheduling algorithms – performance criteria, first-come - first served shortest job - first priority, preemptive algorithm, round robin, multilevel queues and multilevel feedback queues, algo rithm evolution, multiprocessor scheduling, separate system, coordinated job scheduling, master / slave scheduling.

Dead Locks :

The dead lock problem - dead lock definition, dead lock detection, detection algorithm usage, dead lock characterization, resource allocation graph, dead lock prevention, mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait, dead lock avoidance-bankers algorithm. Recovery from deadlock process termination, resource preemption, combined approach to deadlock handling.

Unix (Operating System) :

History, design principle, programmer interface, user interface, file system, process management, I/O system, inter process communication.

Device Management :

Dedicated, shared and virtual devices, sequential access and direct access device, channel and control units, I/O schedulars. Introduction to assembly language programming, introduction to I/O programming. Introduction to interrupts and their programming.

X. Programming Languages VB & VC++ :-

GUI - Programming Visual Basic

Introduction to Visual Basic :

Windows and DOS; hardware; windows, icons and menus; Event Driven Programming; terminology; the working screen; controls and events; the menu systems; the programming language.

Designing and Creating Programs :

Program Design; the launch program; the form and the controls; writing the code; save your work; running and testing; making an EXE file; printouts. Program Flow :

Logical testing; branching with if; Select Case; Go To; For…Next; Do Loops; While… Wend.

Interacting with user :

Msg boxes, the input box function, scroll bars, frames, options, check boxes, menus and various components. (Like timer, dbgrid, dbcombo, msflex Grid, etc)

Testing and Debugging :

Errors and error spotting, debugging tools, break points and watches, keeping watch, stapping through, error trapping.

Graphics :

Objects and properties for drawing, the drawing methods, working with imported graphics, animation. Procedures, Functions and Forms : Procedures and Functions, creating a procedures, creating a function, recursive functions, multiple forms (MDI), startup forms, starting from sub main, transferring between forms, procedures and modules.

Arrays :

Dimensions, elements and subscripts, arrays and loops, control arrays, creating a control arrays. Sequential Files :

Saving data to files, basic filing, data analysis and file, the extended text editor.

Records and Random Access Files :

Record structures, random access files, the staff database, design and coding, MDI Forms - parent and child. Accessing Data - Data Manager and Data Control : Creating database, what is database, planning your database, using the data manager, adding an index, using the data manager to enter data, creating a form with data aware controls, what is data control, what are data aware controls, creating a menu bar.

ADO & RDO controls and introduction to ActiveX control

Visual C++

Introduction to VC++- C under windows, Overview of VC++, VC++ workspace & projects, creating source code file, adding C++ code to a program.

Introduction to MFC - The part of VC++ programs, the application object, the main window object, the view object, the document object, Windows event oriented programming, What is device context., Windows Application using MFC.

OLE (object linking and embedding technique), Features of OLE, introduction to ActiveX controls, introduction to COM and DLL.

XI. Computer Networks and Data Communication :-

Introduction to Computer Networking

The Concept of Networking, Data Communication, Required network elements, The role of Standards Organization. Line Configuration, Various Topologies, Transmission Mode, Categories of Networks- LAN, MAN, WAN. The benefits of a Computer Networks.

The OSI and TCP/IP Reference Model

The Concept of Layered Architecture, Design Issues for the Layers. Interfaces and services, Detailed Functions of the Layers. Comparison between OSI and TCP/ IP Reference model.

Transmission of Digital Data

Shannon's and Nyquist theorems for maximum data rate of a channel. Transmission media- Co-axial, UTP, Fiber optic and wireless. Analog and digital data Transmission-

parallel and serial transmission. DTE-DCE interface using RS-232C. Study of modems- 56k and Cable Modem. Modem standards. Multiplexing and Switching The Concept of Multiplexing- FDM, TDM, WDM. The Concept of Switching- Circuiting, Message switching, Packet switching.

Data Link Layer and Routing Algorithms

Line Discipline, Flow Control- stop and wait, sliding window, Go back N, Error Control- ARQ stop and wait, sliding window ARQ. HDLC, SLIP, PPP. Multiple access protocols- ALOHA, Slotted ALOHA, CSMA/CD. IEEE standards for LAN's and MAN's. The IP protocol, and its header. IP address classes and subnet mask. The concept of ICMP, ARP, RARP, RSVP, CIDR and Ipv6.

Routing algorithms- shorted path first, Distance Vec(

tor, Link State. Congestion Control-The leaky bucket and Token bucket Algorithms.

Transport Layer

The Concept of client and Server in terms of Socket addressing in Transport layer. Two way and three-way handshaking. TCP header.

Network Performance Issues. The Concept of Domain Name System, Various Resource Records. Architecture and services of E-mail (RFC-822 and MIME). The Concept of World Wide Web- server side and client side.

ATM

The concept of ATM, ATM Adoption layers- AAL1, AAL2, AAL3/4, AAL5, Comparison of AAL protocols. Cell formats for UNI and NNI. Service Categories, Quality of service, Congestion Control in ATM.

क्रमशः

Comparative study of Networking Technologies X.25, Frame Relay, ATM, SONET, SMDS, ISDN.
Network Security
The Importance of Security in Networking. Traditional Cryptography, Data Encryption Standards, RSA algorithm

XII. Operation Research :-

Linear Programming -
L P formulations, Graphical method for solving LP's with 2 variables, Simplex method, Duality theory in linear programming and applications, Special Linear Programming Problems, Transportation Problem (Stepping Stone Method), Assignment problem (Hungarian Method)
Network Analysis -
Examples of network flow problems, Shortest –route problems, Dijkstras Algorithm, Applications of shortest - route problems, Max flow problem, Flow network, Labeling routine, Labeling algorithm for the max flow problems, Min-cut and max -cut theorem.
Project Scheduling by PERT/CPM - Project management origin and the use of PERT origin and use of CPM, Application of PERT and CPM; Project network - Diagram representation, Critical path calculations by linear programs, Critical path calculations
by network analysis and critical path method (CPM), Determinations of floats, Constructions of time chart and resource labeling, Project cost curve and crashing in project management, Program evaluation and Review technique (pert).
Dynamic Programming -
Basic concepts - Bellman's optimality principles, Examples of D.P. models and computations. Examples to be taken from Different areas of allocations, replacement,
sequencing and scheduling, networks and other related O>R areas.
Queuing Models -
Notations and assumptions, Queuing models with Poisson input and exponential service.
Sequencing Models -
Sequencing Problem, Johnson's algorithm for processing n jobs through 2 machines, Johnson's Algorithm for processing n jobs through 3 machines, Processing 2 jobs through n machines, graphical solution.
Inventory Models -
Introduction to the inventory problem, Deterministic models - The classical EOQ (Economic Order Quantity) model, Non-zero lead time, The EOQ with shortages allowed.

XIII. Artificial Intelligence and Expert Systems :-

General Issues and overview of AI :
The AI problems; what is an AI technique; Characteristics of AI applications
Problem solving, search and control strategies :
General problem solving; production systems; control strategies: forward and backward and backward chaining Exhaustive searches: Depth first Breadth first search.
Heuristic Search techniques :
Hill climbing; Branch and Bound technique; Best first search and A* algorithm; AND/Or Graphs; problem reduction and AO* algorithm; constraint satisfaction problems
Game playing :
Minimax search procedure; Alpha-Beta cutoffs; Additional Refinements.
Knowledge Representation :
First order predicate calculus; Skolemization Resolution principle and unification; Inference Mechanisms; Horn's clauses; semantic Networks; frame systems and value inheritance. Scripts; conceptual dependency;
AI Programming Languages :
Introduction to Lisp, Syntax and Numeric functions; List manipulation functions; Iteration and Recursion; Property list and Arrays, Introduction to PROLOG.
Natural language processing :
Parsing technique; context-context- free grammar; Recursive Transition Nets (RTN); Augmented Transition Nets (ATN); case and logic grammars; semantic analysis.
Planning :
Overview- An example Domain: The Blocks Word;
Component of planning systems: Goal Stack Planning (linear planning); Non-linear planning using goal sets; probabilistic reasoning and Uncertainty; probability theory; Bayes Theorem and Bayesian networks; certainty factor.
Expert Systems :
Introduction to expert systems and Applications of expert systems; various expert system shells: vidwan; frame work; knowledge acquisition; case studies; MYCIN.
Learning :
Role learning; learning by induction; Explanation based learning.

XIV. System Analysis Design and MIS :-

Introduction -
Systems Concepts and the information systems environment: Definition of system, Characteristics of system, elements of system, types of system. The system Development life cycle: consideration of candidates system. The Role of system Analyst: Introduction, the multiphase role of the analyst, the analyst / user interface, the place of the analyst in the MIS Organization.
System Analysis and its Tools -
System Planning and initial investigation : basis for planning in systems analysis, fact finding, fact analysis, Feasibility study. Determination of feasibility.
Information Gathering: Information Gathering Tools & technique.
Tools of Structured Analysis, Feasibility Study & Cost- Benefit Analysis -
Structured Analysis, DFD, Data Dictionary, Decision Tree, Decision Table. System performance and feasible study, Data analysis & Cost-benefit Analysis.
System Design -
The process of Design Methodologies, Audit Consideration. Input Design, Output Design, Form Design, File Structure, File organisation, Database structure, Database design.
System Implementation -
System Testing, the test plan, quality assurance, data processing auditor. Conversion, Post Implementation review, Software Maintenance. Computer Industry, the software Industry, A procedure for Hardware Software Selection, Financial consideration in selection, Computer contract, Project scheduling & Software. System Security, disaster/recovery planning, ethics in system development.
Introduction to MIS
Definition of MIS, Benefits of MIS, Function of MIS, Characteristics of MIS, Operating Elements of Information System, Components of Information System, Three Dimension of Information System; MIS and Other Subsystems - Information Generator, Information System Levels, Open and Closed Loop System, MIS Organizations, Types of Information System, Establishing MIS. Introduction of Transaction Processing Systems.
The strategic impact of the internet and E-commerce :
About internet, an overview of internet Application. Business uses of Internet, Electronic marketing and on-line communities of worldwide web.
Information Technology Assets :
Managing Hardware Assets, Managing Software Assets, Managing Data Resources, MIS and Decision Support System, Strategic Information System.

क्रमशः

XV. Programming In Java :-

Introduction to java programming

An overview of Java: Object Oriented Programming, Features of Java, Java Virtual Machine, Java Environment: Java Development Kit, Java Standard Library, Data Types, Variables: Declaring a variable, Dynamic Initialization, The scope and life time of variable, Type conversion and Casting: Narrowing and Widening Conversions, Numeric Promotions, Type Conversion Contexts; Operators: Arithmetic Operators, Relational Operators, Logical Operators, Bit wise Operators, Conditional Operators, new operator, [ ] and instance of operator. Control Statements: Java's Selection statement, Iteration Statement, Jump Statement, Array: Declaring Array variables, Constructing an Array, Initializing an Array, Multidimensional Arrays, Anonymous Arrays.

Define the Class and interface

Introducing Classes: Class Fundamentals, Declaring Object, Assigning Object Reference Variables, Defining Methods, method overloading, Using objects as parameter, Constructors, Garbage collection, finalize () method. Inheritance: Inheritance basic, method overloading, object reference this and super, Chaining constructor using this () and super (), Member accessibility modifier: public, protected, default accessibility of member, private protected, private, Package: Define package, CLASSPATH, importing package, Interface: Define an interface, implementing interface, extending interface, variable in interface, Overview of nested class: Top level nested class and interface, Non static inner class, Local class, Anonymous class.

Exception handling and Multithreading

Exception Handling: Exception types, Uncaught Exception, Using try and catch, multiple catch, nested try block, throw, and throws, finally. Multithreading: creating thread, Thread priority, synchronization, thread Scheduler, Running & yielding, sleeping and waking up, waiting and notifying, suspend and resume, miscellaneous method in thread class.

Input output, Networking and Fundamental class of java

Object class, String class, String Buffer class, Wrapper class, Math class, Collection: Collection interface, List interface, Set interface sorted interface, Array List class, Liked List class, Tree Set, Comparator, Vector, Stack.

Input output classes and interface: File, Buffer Stream, Character Stream, and Random Access for files, Object Sterilization.

Networking: Socket overview, Client/Server, Proxy Server, Network class and interface, TCP/IP client socket, TCP/IP Server socket, URL Connection, Datagrams, Datagram Packets.

Applet programming and AWT

Applet: Applet and Application program, Creating Applets, Applet Life Cycle, Applet and Thread, Supplying Applet parameter, Using Images and Sound in Applets, JAR files, Applet Security.

Introducing the AWT: Overview of the java.awt package, Component and Containers: Component, Container, Panel, Applet, Window, Frame, and Dialog classes. Working with Graphics, Working with Fonts, Working with Colors, GUI Control Components: Button, Canvas, Checkbox and Checkbox Group, Choice, List, Label, Scrollbar, Text Field and Text Area, Frame, Menu Bars and Menu

Layout Management: Layout Management Policies, Flow Layout, Grid Layout, Border Layout, Card Layout, Grid Bag Layout, Customized Layout. Event Handling: Overview of Event Handling, Event Hierarchy, Event Delegation Model, Event Adapters, Low Level Event Processing.

Advance features of java

JDBC: JDBC/ODBC Bridge, The Driver manage class, the java.sql package, data manipulation: Insert, Update, Delete Record, Data navigation: Result Set BDK: What is java Beans, Advantages of java Beans, the Bean Developer Kit, Jar Files, Introspection, Developing a New Bean, Using Bound Properties, Using BeanInfo interface, The java Beans API. Servlets : Movement to Server Side JAVA, Overview of Servlets, Common Gateway Interface (CGI), The JAVA Servlet Architecture, Generic Servlet and HTTP Servlet, The Servlet Interface, Requests and Responses, The Life Cycle of a Servlet, Retrieving Form Data in a Servlet, Session Tracking, Cookies.

XVI. Software Engineering :-

Software Engineering Fundamentals :

Definition of software product; software development paradigms; software engineering; knowledge engineering and end user development approaches.

Software Analysis :

Abstraction; partitioning and projection; system specification; software requirements specification (SRS) standards; formal specification method; specification tools; flow based, data based and object orientated analysis.

Systems Design ;

Idealised and constrained design; process oriented design (Gane and Sarson and Yourdon notations); data oriented design (Warnier - (Orr, E-r modeling); Object oriented design (Booch approach); Cohesion and coupling; Design metrics; design documentation standards.

Role of Case Tools :

Relevance of case tools; High-end and low-end case tools; Automated support for data dictionaries, data flow diagrams, entity relationship diagrams.

Coding And Programming :

Choice of programming languages; mixed language programming and call semantics; Re-engineering legacy systems; coding standard.

Software Quality And Testing :

Software quality assurance; types of software testing (white box, black box, unit, integration, validation, system etc); debugging and reliability analysis; program complexity analysis; software quality and metrics; software maturity model and extensions. Software cost and Time estimation. Functions points; issues in software

cost estimation; introduction to the Rayleigh curve3; alglorithmic cost model (COCOM0, Putnam-slim, Watson and feliix); Other approaches to software cost and size estimation (software complexity, Delphi, costing by analolgy)

Software Project Management :

Planning software projects; work background structures; integrating software, software design and project planning; software project teams; project monitoring and controls.

XVII. Interactive Computer Graphics :-

Display Devices

Refresh Cathode ray tubes, Random Scan and raster Scan Monitors, Direct view storage tubes, continual refresh and storage display, plasma panel displays, LED & LCD devices, color display techniques, shadow marking and penetration, hard copy devices-printer and plotters.

Output Primitives

Points and Lines, Line drawing algorithms – vecgen and Bresenham Antialiasing. Circle generating Algorithms, Bresenham Circle Algorithms Ellipse, Character generating and text display. Matrix and Stork fonts, output command for various geometrical shapes, fill areas horizontal scan for Polygons. Attribute of outputs primitives, line style, text style, bundled attributes, fill colors and patterns.

Display Description

Word/user coordinates, device coordinate, normalized device coordinates, two dimensional viewing. Transformation - Translation, scaling rotation, reflection, shearing. Matrix representation of transformation and homogenous coordinates, Concat-

क्रमशः

enation of transformation. Viewing algorithms- windows and viewpoints, windowing and clipping, line, area text clipping, blanking windows to view point transformation zooming and planning. Segment, concepts and file, segment attributes.

Interactive Graphics

Physical Input devices, logical classification, interactive picture construction techniques, input function.

3-D Transformation Translation, Scaling, Rotation about standard and arbitrary axis, transformation commands.

3-D Projection

Viewing Pipeline, Viewing transformation and clipping, Normalized view volume, viewing Pipeline, hidden line and surface elimination algorithms backface removal, depth buffer method, scan line method, depth sor5ting method, area subdivision and octree method.

Design for User Interface

Components and user model, command language, memorization user help, backup and error handling, response time, command language style, menu design, feed back, output formats.

XVIII. Unix/Linux :-

Introduction

Introduction to Multi-user System, Emergency and history of Unix, Feature and benefits, Versions of Unix. System Structure:-Hardware requirements, Kernel and its function, introduction to System calls and Shell.

File System

Feature of Unix File System, Concept of i-node table, links, commonly used commands like who, pwd, cd, mkdir, rm, ls, mv, lp, chmod, cp, grep, sed, awk, pr, lex, yacc, make, etc. Getting started (login / logout), File system management, file operation, system calls, buffer cache .Vi Editor:-Intro to text processing, command and edit mode, invoking vi, command structure, deleting and inserting line, deleting and replacing character, searching strings, yanking, running shell command, command macros, set windows, set auto indent, set number, intro to exrc file.

Shell Programming

Introduction to shell feature, wild card characters, i/out redirections, standard error redirection, system and user created shell variables, profile files, pipes/tee, background processing, command line arguments, command substitution, read statement, conditional execution of commands, special shell variables $ #, #?, $* etc. Shift commands, loops and decision making- for, while and until, choice making using case…esac, decision making if ….fi, using test, string comparison, numerical comparison, logical operation, using expr.

Introduction to Shell

Features, changing the login shell, cshrc, login, logout files, setting environment, variables, history and alias mechanism, command line arguments, redirection/appending safely, noclobber, noglob, ignore eof, directory stacks (pushd, popd), feature of other shell (rsh, vsh).

Process Control

Process management, process states and transition, regions and control of process, sleep and waking, process creation, process killing, signals, system boot and init process, traps, sitting process priorities.

Inter-process Communication

I/O Sub system, terminal drives, disk drives, messages, shared memory, semaphores, memory management, swapping, demand paging.

System Calls and Unix -C Interface

File handling calls like - access (), open(), create(), read(), write(), close(), fseek(), process control system calls like kill(), exec(), fork(), wait(), signal(), exit(), comparing stdio library and calls.

System Administration:-

Process and Scheduling, Security, Basic System Administration:- Adding a User, User Passwords, Delete of a User, Adding a Group, Deleting a Group, Super User, Startup and Shutdown. Advanced System Administration:- Managing Disk Space, Backup and Restore, Managing System Services. Xwindows:- Introduction to Xwindows concept

Intorduction to Linux:- Evolution of Linux, Red Hat Linux, Linux Installation and LILO, System Configuration. Gnome Desktop and the K Desktop. Xconfigurator, The X window system and window managers, Shell Operations,Linux File Structure.

XIX. Compiler Design :-

Introduction to Compiling and one pass compiler :

Compilers & translators, Phases of compilers, Compiler writing tools, Bootstrapping; overview of one pass compiler.

Finite Automata and Lexical Analysis -

Role of Lexical Analyzer; specification of tokens, Recognition of tokens, Regular expression, Finite automata, from regular expression to finite automata, DFA and NFA, Implementation of lexical analyzer; tools for lexical analyzer -LEX.

Syntax analysis & Parsing Technique -

Context free grammars; Bottom up parsing, Shift reduce parsing, Operator Precedence parsing, Top down parsing, elimination of left recursion; recursive descent
parsing, Predictive parsing.

Automatic Construction of Efficient parsers -

LR parser, construction of SLR and canonical LR parser table, Using ambiguous grammar, An automatic parser the generator, YACC, Using YACC with ambiguous grammar, creating YACC lexical analyzer with LEX, Error recovery in YACC.

Syntax Directed Translation -

Syntax directed schema, Construction of syntax tree, Translation with top down parser.

Run Time Environment -

Source Language issues, Storage organization and allocation strategies, Parameter passing, Implementation of block-structured language.

Intermediate Code Generation -

Intermediate languages, Postfix notation, Three-address code, Quadruples and triples, Translation of assignment statements, Boolean expression, and Procedure call.

Error Detection & recovery -

Lexical & syntactic phase error, semantics error.

Code Optimization -

Optimization of basic block, Loop optimization global data flow analysis, Loop in variant computation.

Code Generation -

Issue and design of code generator, the target machine, a simple code generator.

XX. Advanced Programming Tools - Java :-

JDBC

Introduction to JDBC, JDBC Drivers Type, Connection, JDBC URLs, Driver Manager, Statement - Creating, Executing, Closing, Result Set - Data Types and Conversions. Prepared Statement, Callable Statement, Mapping SQL and Java Types, JDBC-ODBC Bridge Driver

RMI

Distributed Applications, Introduction to RMI, Java RMI Architecture, Writing an RMI Server, Designing a Remote Interface, Implementing a Remote Interface, Creating a Client Program, Compiling the Programs, Running the Programs.

Servlets

Movement to Server Side JAVA, Overview of Servlets, Common Gateway Interface (CGI), The JAVA Servlet Architecture, Generic Servlet and HTTP Servlet, The Servlet Interface, Requests and Responses, The Life Cycle of a Servlet, Retrieving Form Data in a Servlet, Session Tracking, Cookies.

Java Beans

क्रमशः

Java Beans Concepts and the Beans Development Kit, Using the Bean Box, Writing a Simple Bean, Properties, Manipulating Events in the BeanBox, The BeanInfo Interface, Bean Customization, Bean Persistence.
Java Server Pages (JSP)
Overview of JSP, JSP Scripting elements, Compare and Contrast JSP with CGI and Servlet Technologies, List JSP directives, Integrate JSP with Java Beans Components, Handle JSP exceptions, Develop a basic Java Server Pages, Deploy Java Server Pages, Compare twotier and multi-tier web application architectures, Database Connectivity.

XXI. Introduction to .NET Technology :-

Inside the .NET framework :
Overview of .net framework, Managed Execution process, CLR,JIT Compilation , MSIL, Assemblies, Common Type System , cross language, interoperability.
Programming with .NET Framework
XML, Accessing data, ADO.Net, Accessing Internet, Component Programming essentials and Throwing exceptions, Processing Transactions, Garbage Collection, Base types, working with I/O, Basic files.
Building .NET framework applications :
ASP.net Web Application, Web forms, Server controls, Introduction to windows forms, Design –Time Support.
Debugging Optimizing and Profiling :
Performance and optimization concept, monitoring and managing Windows Process, Managing process, Retrieving Information about Process.
.NET Framework common classes & tools: Microsoft .Csharp, Microsoft .Jscript ,
Microsoft.VisualBasic,Microsoft. Win 32 System, System Data, System security, System Web, System XML.qms, tools-AL.exe, Aximp.exe, Ilasm.exe, LC.exe, .NET Framework Configuration Tools, Wincv.exe

XXII. Data Mining & Data Warehousing :-

Introduction & Data Warehousing and OLAP Technology for Data Mining -
What is data mining?, Data Mining: On what kind of data?, Data mining functionality, Are all the patterns interesting?, Classification of data mining systems, What is a data warehouse?, A multi-dimensional data model, Data warehouse architecture, Data warehouse implementation, Further development of data cube technology, From data warehousing to data mining. Concept of Transaction, Transactional database, Distributed Database, Commit Protocols.
Data Preprocessing, Data Mining Primitive, Languages and System Architecture -
Need for Data processing, Data cleaning ,Data integration and transformation, Data reduction, Discrimination and concept hierarchy generation, Data Mining Primitive, Data Mining Query Language, Architecture of data mining system.
Mining Association Rules in Large Databases-
Association rule mining, Mining single-dimensional Boolean association rules from transactional databases, Mining multilevel association rules from transactional databases, Mining multidimensional association rules from transactional databases and data warehouse, From association mining to correlation analysis, Constraintbased
association mining.
Classification and Prediction & Cluster Analysis -
What is classification? What is prediction? Issues regarding classification and prediction, Classification by decision tree induction, Bayesian Classification, Classification by back propagation, Classification based on concepts from association rule mining, Other Classification Methods ,Prediction, Classification accuracy, What is Cluster Analysis?, Types of Data in Cluster Analysis, A Categorization of Major Clustering Methods, Partitioning Methods, Hierarchical Methods, Density-Based Methods, Grid-Based Methods, Model- Based Clustering Methods, Outlier Analysis. Mining Complex Types of Data & Applications and Trends in Data Mining- Multidimensional analysis and descriptive mining of complex data objects, Mining spatial databases, Mining multimedia databases, Mining time-series and sequence data, Mining text databases, Mining the World- Wide Web, Data mining applications, Data mining system products and research prototypes, Additional themes on datamining, Social impact of data mining, Trends in data mining

XXIII. Soft Computing :-

Introduction to Fuzzy Logic System
Fuzzy Sets Operation Of Fuzzy Sets, Properties Of Fuzzy Sets, Fuzzy Relations, Fuzzy Arithmetic, Membership Functions, Fuzzy To Crisp Conversion. Fuzzy Logic, Fuzzy Rule Based Systems, Fuzzy Decision Making, Fuzzy Database, Fuzzy Intelligent System. Introduction to Artificial Neural Networks Introduction to Artificial Neural Network, Artificial Neuron, Classification of Artificial Neural Network, Architecture of a Artificial Neural Network, Activation Function, Training an Artificial Neural Network, Application of Artificial Neural Network.
Perceptron and Associative Memories
Amari General Learning Rule, HEBB Learning Rule, ADLINE, Perceptron Layer Network, Associative memory: Auto associative Memory, Bi-directional memory, Back-propagation Network: Architecture, Training Algorithm Application of Back-propagation algorithm.
Machine Learning
Regression And Classification, Decision Tree, SPRINT, Gini Index, Entropy, Pruning, C4.5, Active Learning - Feature Selection, Clustering, Models And Methods, Neural Networks, Markov Chain/Processes, Hidden Markov Models (HMM).
Soft Computing Tools
Introduction to MATLAB, Features, Matrix Operations, Curve Plotting, Toolbox Introduction, Introductionto Simulink.

(27) - विधि

1. **संवैधानिक विधि**:– भारत की संवैधानिक विधि, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, राश्ट्रपति व राष्ट्रपति की शक्तियॉं, न्यायपालिका, संघ और केन्द्र राज्य संबंध, विधायी शक्तियों का वितरण, अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, राज्य एवं संघ के अधीन सेवाऐं, संविधान में संशोधन।

2. **आपराधिक विधि** :–
   (अ) भारतीय दंड संहिता–क्षेत्राधिकार, परिभाषा, आपराधिक दायित्व के सामान्य अपवाद, संयुक्त एवं आन्वयिक दायित्व (धारा 34,114,149), लोक–प्रशान्ति के विरूद्व अपराध, मानव शरीर के विरूद्ध अपराध, सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध।
   (ब) भारतीय साक्ष्य अधिनियम – परिभाषा, धारा 6 से 35, धारा 59 से 63, धारा 74 से 78, धारा 101 से 114, धारा 118 से 155 केवल।

3. **दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973**:– धारा 1 से 265, धारा 300 से 327, धारा 353, धारा 354 से धारा 405 और धारा 436 से धारा 473 केवल।

4. **व्यक्तिगत कानून** :–
   हिन्दु विधिः (अ) अवर्गीकृत हिन्दू विधि के स्रोत, संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता और सहदायिक के अधिकार व कर्तव्य, स्त्रीधन, पिता के ऋण चुकाने में पुत्र का दायित्व, धार्मिक विन्यास।
   (ब) वर्गीकृत हिन्दू विधि–हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, हिन्दु अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956.

क्रमशः

(स) मुस्लिम विधिः स्रोत, विवाह, तलाक, मेहर, दान (हिबा), वसीयत।

5. **प्रशासनिक विधिः**– प्रशासनिक विधि की प्रकृति व क्षेत्र, प्रत्यायोजित विधान, नियंत्रण– न्यायिक एवं विधायी नियत्रंण, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, लोकपाल एवं केन्द्रीय सर्तकता आयोग, लोक निगम, प्रशासनिक अभिकरण एवं न्यायाधिकरण।

6. **सामाजिक आर्थिक अपराध** :– औषधी अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA)।

7. **विधिशास्त्र** :– विधिशास्त्र की क्षेत्र व प्रकृति, न्याय प्रशासन, विधि के स्रोत, विधि की संकल्पना, विधि के सिद्धान्त, प्राकृतिक विधि, विश्लेषणात्मक विचारधारा, शुद्ध विधि का सिद्धान्त, ऐतिहासिक विचार धारा, समाजशास्त्रीय विचारधारा, यथार्थवादी विचारधारा, दण्ड के सिद्धान्त, परिवीक्षा।

8. **वाणिज्यिक विधिः**– संविदा विधि के सामान्य सिद्धान्त, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 (धारा 1 से धारा 75), क्षतिपूर्ति व प्रत्याभूति तथा उपनिधान व गिरवी की विधि, एजेंसी (अभिकरण) विधि, माल विक्रय विधि तथा साझेदारी विधि, परक्राम्य उपकरण संबधित विधि।

(21) - LAW

1. **Constitutional Law :-** Constitutional Law of India, Preamble, Directive Principles of State Policy, Fundamental Rights and Duties, President and his powers, Judiciary, Union and Centre State relations, Inter- State relations, Distribution of Legislative Powers, Inter-state Trade & Commerce, Services under the Union and the States, Amendment in the Constitution.

2. **Law of Crimes :-**
   (a) Indian Penal Code-Jurisdiction, Definition, General Exception to Criminal Liability, Joint & Constructive Liability (Sec. 34, 114, 149), Offences against Public Tranquility, Offences against Human body, Offences against Property.
   (b) Indian Evidence Act - Definition, Section 6 to 35, Section 59 to 63, Section 74 to 78, Section 101 to 114, Section 118 to 155 only.

3. **Criminal Procedure Code 1973 -** Section 1 to 265, Section 300 to 327, Section 353, Section 354 to 405 and Section 436 to 473 only.

4. **Personal Laws :-**
   Hindu Law: (A) Unclassified Sources of Hindu Law, Rights and Duties of Karta and Coparcener of Joint Hindu Family, Stridhan, Liability of son to pay the debt of Father, Religious Endowments
   (B) Classified Hindu Law- Hindu Marriage Act 1955, Hindu Succession Act 1956, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, Hindu Minority and Guardianship act 1956,
   (C) Muslim Law: Sources, Marriage, Divorce, Mehar, Gift, Wills.

5. **Administrative Law -** Nature and Scope of Administrative law, Delegated Legislation, Controls - Judicial and Legislative control, Principle of Natural Justice, Ombudsmen and Central Vigilance Commission, Public Corporation, Administrative Agencies and Tribunals.

6. **Socio Economic Offence:-** Drugs Act, Prevention of Corruption Act, Prevention of Food Adulteration Act, Foreign Exchange Regulation Act (FERA)

7. **Jurisprudence :-** Scope & Nature of jurisprudence, Administration of justices, Sources of Law, Concepts of Law, Theories of Law, Natural Law, Analytical school, Pure Theory of Law, Historical School, Sociological School, Realistic School, Theories of Punishment, Probation.

8. **Mercantile Law :-** General Principles of Law of Contract, Indian Contract Act 1872 (Section 1 to 75), Law of Indemnity & Guarantee, Law of Bailment & Pledge, Law of Agency, Law of Sale of Goods, Law of Partnership and Law relating to Negotiable Instruments.

□□□□□

परिशिष्ट 'तीन'

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:–

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

ऑनलाईन आवेदन में उस अंकसूची का रोल नंबर जिसे आवेदक द्वारा जन्मतिथि के प्रमाण स्वरुप आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, आवेदक द्वारा स्वयं प्रविष्टि किया जाए। यह रोल नंबर किसी भी व्यक्ति को न बताएं, Edit की सुविधा हेतु यह रोल नंबर पासवर्ड की तरह प्रयुक्त होगा।

(1) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।

(2) **Help Desk Number - 9981996587, 9981996597**
ऑनलाइन आवेदन से संबंधित अन्य किसी सहायता के लिए उक्त नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

(3) **ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले आवेदक के फोटोग्राफ संबंधी निर्देशः**– आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु **विज्ञापन जारी होने की तिथि** या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(4) आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन के इस परिशिष्ट के पृष्ठ क्रमांक 3 पर निर्धारित बॉक्स के अंदर अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाकर फोटो के नीचे हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स के अंदर काले बॉल पॉइन्ट पेन से इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि वह स्पष्ट हो तथा हस्ताक्षर का कोई हिस्सा बॉक्स के बाहर न जाए। फोटो व हस्ताक्षरयुक्त उक्त पेज को इस प्रकार स्केन करें कि स्केन की हुई इमेज में फोटो तथा हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स को कन्टेन/समाहित करने वाले बॉक्स के बाहर का हिस्सा स्केन न हो। उक्त प्रकार से स्केन की हुई इमेज को **jpg** फारमेट में **save** करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन की हुई इमेज का साईज 100Kb से अधिक न हो।

(5) आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय ऑनलाइन आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को पूरा करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन के निचले हिस्से में स्थित **Browse** बटन को क्लिक कर फोटो व हस्ताक्षर अटैच करना होगा। **Browse** बटन दबाने पर आवेदक को स्केन कर **save** की हुई **jpg** इमेज का **address** सेलेक्ट कर **Ok** बटन दबाना होगा।

(6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सहीं–सहीं प्रविष्टि की जाए।

(7) **आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।**

(8) ऑनलाइन आवेदन **Submit** करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद स्वतः खुलने वाले **Page** पर आवेदक द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर के साथ–साथ भुगतान की स्थिति व आवेदन क्रमांक की सूचना मिलेगी। यही ऑनलाइन आवेदन की रसीद होगी। आवेदक उक्त **Page** पर उपलब्ध **Print** बटन को क्लिक कर आवेदन की रसीद का प्रिंटआउट प्राप्त कर अपने पास अवश्य रखें। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आवेदन की रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आपके ऑनलाइन आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार शुल्क के रुप में अभ्यर्थी को रुपये 30/– का भुगतान करना होगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। **अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।** आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि त्रुटि सुधार पश्चात् प्राप्त आवेदन की रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आवेदक द्वारा किया गया त्रुटि सुधार मान्य नहीं होगा।

आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(10) ऑनलाईन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :–

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क **35/–** रुपये देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा 30/– रुपये का त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। एक आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क रुपये 30/– के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(iv) परीक्षा शुल्क, त्रुटि सुधार शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन संबंधी शुल्क जमा करने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी

ऑनलाइन आवेदन करने की स्थिति में आवेदन तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान आवेदक स्वयं क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग के माध्यम से कर सकता है।

(1) आवेदन व परीक्षा शुल्क भरने की विधि :–

आवेदक **www.psc.cg.gov.in** वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए **आवेदित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन से संबंधित लिंक को क्लिक कर** विशेष वेब पेज पर जा सकते हैं जिस पर ऑनलाइन प्रक्रिया से सम्बंधित निम्न **Links** उपलब्ध होंगे–

Click here to View/Print Advertisement
Click here to Apply Online
Click here to know your Application No.
Click here to Edit Unpaid Application
Click here to Pay for Unpaid Application
Click here to View/Print Dupplicate Reciept

क्रमशः

Click here for Editing in Online Application
Click here to View/Print List of Rejected Applications
Click here to View/Print Online Admit Card

आवेदक आवेदन भरने से पहले **Click here to View/ Print Advertisement** को क्लिक कर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें, इसके उपरांत ही आवेदक **Click here to Apply Online** को क्लिक करें। इसके बाद आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को आवेदन में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है।

आवेदक को फार्म पर नीचे की ओर एक बटन **Browse** दिखाई देगा। इसके माध्यम से आवेदक को अपना नवीनतम फोटो, हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। अटैचमेंट के संबंध में विस्तृत जानकारी इस परिशिष्ट के पृष्ठ क्रमांक 3 पर दी गई है।

आवेदक आवेदन पूर्ण रुप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी दी गई है वह सही है। यदि आवेदन में कोई गलत जानकारी दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही **Submit** बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन नंबर प्राप्त होगा। आवेदक आवेदन क्रमांक को नोट कर लेवें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद भी यदि आवेदक ने शुल्क का भुगतान न किया हो तो वे **Click here to Edit Unpaid Application** लिंक को **Click** कर अपनी प्रविष्टियों में सुधार कर सकते हैं। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगेः–

i. क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड
ii. इंटरनेट बैंकिंग

(i) क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतानः– आवेदन भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान सूची में शामिल किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर **Citizen Option** को **Click** करना है जिससे एक **Window Open** होगा उसमें **Guest User** को **Select** कर **Process Button Click** करना है। इसके बाद बैंक का नाम तथा कार्ड का प्रकार चुनने का विकल्प दिखाई देगा उचित चयन के पश्चात बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत **Confirm** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी। रसीद पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी का उल्लेख होगा। आवेदक इस रसीद का प्रिंट लेकर अपने पास संभालकर रखें। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो अन्यथा आपका आवेदन आयोग को प्राप्त नहीं होकर स्वयमेव निरस्त हो जाएगा।

(ii) इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतानः– परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से भी किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक के पास नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक अपना आवेदन भरने के उपरांत **Proceed to Payment** बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर **Citizen Option** को **Click** करना है जिससे एक **Window Open** होगा उसमें **Guest User** को **Select** कर **Process Button Click** करना है। इसके बाद यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी, पासवर्ड डालकर लॉगिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर रसीद दिखाई देगी। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो अन्यथा आपका आवेदन आयोग को प्राप्त नहीं होकर स्वयमेव निरस्त हो जाएगा। आवेदक इस रसीद का प्रिंट लेकर अपने पास संभालकर रखें।

(कार्ड/नेटबैंकिंग के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा । आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैंकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।)

(2) नोटः–

(i) आवेदक रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्था के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्था अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(3) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

<u>प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः</u>–

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 21 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु *मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे–पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित* में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

क्रमशः

फोटो सह हस्ताक्षर अटैचमेंट हेतु आवश्यक निर्देश

आवेदक निम्न बॉक्स का प्रयोग फोटो चिपकाकर तथा हस्ताक्षर कर स्कैन करने हेतु कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आवेदक पूरे पेज की स्कैनिंग न करें। केवल फोटो तथा हस्ताक्षर युक्त बॉक्स की ही स्कैनिंग की जाए।

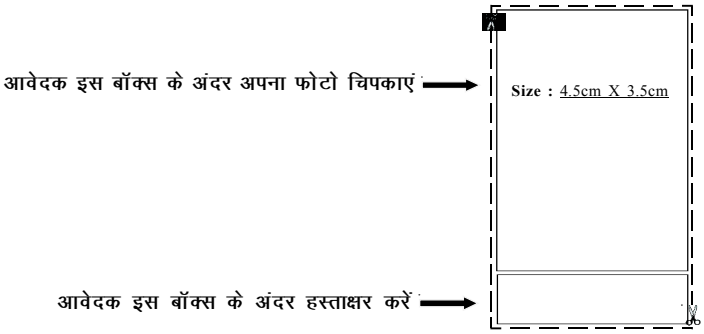

टीपः–

(1) ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले आवेदक के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश :– आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु **विज्ञापन जारी होने की तिथि** या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद /हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि फोटोग्राफर द्वारा प्रिंट की हुई होनी चाहिए।

(2) आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व उक्त बॉक्स में निर्धारित बाक्स के अंदर अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाकर फोटो के नीचे हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स के अंदर काले बॉल पॉइन्ट पेन से इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि वह स्पष्ट हो तथा हस्ताक्षर का कोई हिस्सा बॉक्स के बाहर न जाए। आवेदक फोटो व हस्ताक्षरयुक्त उक्त पेज को इस प्रकार स्केन करें कि स्केन की हुई इमेज में फोटो तथा हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स को कन्टेन/समाहित करने वाले बॉक्स के बाहर का हिस्सा स्केन न हो। उक्त प्रकार से स्केन की हुई इमेज को **jpg** फॉरमेट में **save** करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन की हुई इमेज का साईज 100Kb से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 02/2013/**परीक्षा**/**दिनांक** 23/05/2013 **प्रकाशन की तिथि** 29/05/2013

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 29/05/2013 **अपरान्ह** 12:00 **बजे से दिनांक** 27/06/2013 **रात्रि** 11:59 **बजे तक**

लिखित परीक्षा तिथि - 29/09/2013, **दिन रविवार**

महत्वपूर्ण

1. **ग्रंथपाल** हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) के माध्यम से करेंगे उन्हें परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) को नगद में देना होगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक **29/05/2013** को दोपहर 12:00 बजे से **27/06/2013** रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक **28/06/2013** अपरान्ह 12:00 बजे से **04/07/2013** रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
6. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रुप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **उच्च शिक्षा विभाग** के अंतर्गत **''ग्रंथपाल''** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:–

सरल क्रमांक	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में विकलांग के लिए वर्गवार आरक्षित पद				योग
		अना–रक्षित	अनु–सूचित जाति	अनु–सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना–रक्षित	अनु–सूचित जाति	अनु–सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना–रक्षित	अनु–सूचित जाति	अनु–सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
01	ग्रंथपाल	**20**	**06**	**16**	**07**	**06**	**02**	**05**	**02**	**02**	**00**	**01**	**00**	**49**
	उच्च शिक्षा विभाग	–	02 (बैकलॉग)	10 (बैकलॉग)	–	–	01 (बैकलॉग)	03 (बैकलॉग)	–	–	01 (बैकलॉग)	–	–	**12**
													कुल योग :–	**61**

<u>महत्वपूर्ण टीप</u> :–

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

2. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

3. विकलांगता का प्रकार:–छत्तीसगढ़ के मूल निवासी दृष्टि बाधित/अस्थि बाधित/श्रवण बाधित विकलांग मान्य होंगे।

4. रिक्तियों में आरक्षण :–

(i) उपर्युक्त तालिका के कालम नं. 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

5. परीक्षा योजना <u>**परिशिष्ट 'एक'**</u>, पाठ्यक्रम <u>**परिशिष्ट 'दो'**</u>, ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी <u>**परिशिष्ट 'तीन'**</u> एवं सुविधा केन्द्रों की सूची <u>**परिशिष्ट 'चार'**</u> में उल्लेखित है।

6. <u>**ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।**</u>

(2) पद का विवरण एवं वेतनमान :–

(i) पद का नाम :– <u>**ग्रंथपाल**</u>

(ii) सेवा श्रेणी :– **राजपत्रित–द्वितीय श्रेणी**

(iii) वेतनमान रूपये :– **15600–39100 + ग्रेड पे 6000/–**

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

क्रमशः

(iv) परिवीक्षा अवधि :– चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति **02** वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(3) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :–

(i) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेंटेशन विज्ञान में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ऐसी समतुल्य व्यायवसायिक उपाधि जो कि यू.जी.सी. अथवा राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अथवा जहां ग्रेडिंग पद्धति लागू है वहां 55% अंकों के समतुल्य ग्रेड (श्रेणी) तथा पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का ज्ञान एवं बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड हो।

टीप– (i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/विकलांग व्यक्तियों (शारीरिक एवं दृष्टिबाधित विकलांग) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 5% छूट की पात्रता होगी। 55% या 50% अंकों को पूर्णांकित किया जाना मान्य नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए कृपांक भी छूट हेतु मान्य नहीं किए जायेंगे।

(ii) यू.जी.सी. द्वारा अथवा यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था (एजेंसी) द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा **(NET)** अथवा अन्य परीक्षा जैसे राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा **(SLET)**/ राज्य पात्रता परीक्षा **(SET)** पुस्तकालय विज्ञान में उत्तीर्ण हो।

(iii) यू.जी.सी. विनियमन, 2009 के अधिसूचित/अनुकूलित होने की तारीख को पी.एच.डी. उपाधि धारक एवं ऐसे अभ्यर्थी जो यू.जी.सी. (एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधि अवार्ड के लिए न्यूनतम प्रमाप एवं प्रक्रिया) विनियमन, 2009 एवं जिस विश्वविद्यालय द्वारा इसे अंगीकृत किया गया हो, में दिये गये अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया, पंजीयन, पाठ्यक्रम–कार्य एवं वाह्य मूल्यांकन के माध्यम से पी.एच.डी. उपाधि धारक हो, उन्हें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा **(NET),** राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा **(SLET),** राज्य पात्रता परीक्षा **(SET)** से छूट प्राप्त होगी।

<u>महत्वपूर्ण नोटः–</u>

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का ''प्रमाण–पत्र'' ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। <u>ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।</u>

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) निर्धारित आयु सीमा :– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01/01/2014 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः–

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके **परिणाम– स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरणः–''छटनी किये गये सरकारी सेवक''** से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु **आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।**

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी **परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।**

(v) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–1–2–/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी **तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।**

(vii) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की **उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

(viii) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये **उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।**

(ix) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर **''ग्रीनकार्ड'' धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।**

(x) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xi) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xii) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 के नियम–5 के तहत संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

<u>महत्वपूर्ण टीपः–</u>

(i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–3–2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 के द्वारा जारी किए गए निर्देश के पैरा (3) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, परन्तु उक्त परिपत्र के पैरा (5) के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) आयु की गणना दिनांक – 01.01.2014 के संदर्भ में की

क्रमशः

जाएगी।

(5) **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन–पत्र भरें।** लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा **चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।**

(6) **साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः–** साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण–पत्र यथा– स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ। **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।**

(iv) **जाति प्रमाण पत्र :–**

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो **छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

(d) **यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:–**

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ii) विज्ञापन की कंडिका – **4(i)**, **4(ii)**, **4(iii)**, **4(iv)**, **4(vi)**, एवं **4(vii)** के अंर्तगत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – **4(viii)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – **4(ix)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ग्रीनकार्ड।

(v) विज्ञापन की कंडिका – **4(x)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – **4(xi)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार'' प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

(vii) विज्ञापन की कंडिका – **4(xii)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए ''सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव'' का प्रमाण–पत्र।

(7) **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–**

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) **आपराधिक अभियोजन :–**

(A) **ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया होः–**

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(vii) **परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या**

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश–पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) **छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन**

क्रमशः

किया हो।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी–

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा–

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि–

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) पहचान चिन्ह :–

उत्तर–पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। उत्तर–पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही अन्य कोई ऐसा चिन्ह अंकित करें, जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके। उत्तर–पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना भी वर्जित है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर–पुस्तिका में किसी भी लाईन को या उत्तर के किसी भी भाग को हाईलाइट नहीं करेगा। **<u>लिखने के लिए केवल काली स्याही का प्रयोग करें।</u>** उत्तर पुस्तिका में संबंधित विषय से हटकर कोई चित्र, संकेत चिन्ह, धार्मिक चित्र बनाने अथवा शब्द लिखने पर यह पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा। पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को सूचना देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जाएगी।

(10) अनर्हता:– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(vi) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(11) चयन प्रक्रिया :– विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं।

(i) उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) **<u>परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक' एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट 'दो'</u>** में दिया गया है।

(iii) लिखित परीक्षा हेतु रायपुर एवं बिलासपुर परीक्षा केन्द्र होगा। लिखित परीक्षा **दिनांक 29/09/2013** को दो पालियों में (प्रथम प्रश्न पत्र प्रातः 10:00 बजे से 12:30 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र अपरान्ह 2:00 बजे से 4:30 बजे तक) होगा।

(12) ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :–

(i) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं, के लिए रूपये **300/–** (रूपये तीन सौ) एवं शेष सभी श्रेणी के लिए तथा छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये **400/–** (रूपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

(13) लिखित परीक्षा के संबंध में :–

(i) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) अभ्यर्थी आयोग को लिखित परीक्षा के प्रश्न–पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न–पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर को मय दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन/शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 15 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(14) यात्रा व्यय का भुगतान :–

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र की स्वयं के द्वारा

अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

(ii) **साक्षात्कार के लिये** – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार **कंडिका 14(i)** में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(15) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें / महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):–

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही / –
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर

परिशिष्ट 'एक'

"परीक्षा योजना"

(1) परीक्षा दो चरणों में होगी, प्रथम चरण लिखित परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।

लिखित परीक्षा	–	600 अंक
साक्षात्कार	–	75 अंक
कुल	–	**675 अंक**

(2) **लिखित परीक्षाः–**

(i) लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्न पत्र निम्नानुसार होंगेः–

प्रश्न पत्र–I सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या 150	**2:30 घंटे**		**अंक 300**
भाग 1 – सामान्य अध्ययन		–	50 प्रश्न (लगभग)
भाग 2 – छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान		–	75 प्रश्न (लगभग)
भाग 3 – बुद्धिमता परीक्षण		–	25 प्रश्न (लगभग)
	कुल	–	**150 प्रश्न**

प्रश्न पत्र–II Library and Information Science

प्रश्नों की संख्या 150 **2:30 घंटे** **अंक 300**

(ii) लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये पांच संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ,ब,स,द और इ में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ,ब,स,द या इ में से केवल एक पर चिन्ह लगाना होगा।

(iii) प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक प्राप्त होंगे। अभ्यर्थी केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दें जिनके संबंध में वे आश्वस्त हों कि वह उत्तर सही है। क्योंकि प्रत्येक गलत उत्तर पर एक अंक कम किया जाएगा। (कुल प्राप्त अंक (2R-W) होंगे जहां R = सहीं उत्तरों की संख्या एवं W = गलत उत्तरों की संख्या)

* यदि परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से एक से अधिक विकल्पों से संबंधित गोलों को पूर्णतः अथवा आंशिक रुप से काला किया जाता है तो संबंधित प्रश्न के उत्तर को गलत मानते हुए उसके लिए 01 अंक कम किया जाएगा।

* किसी प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से किसी भी विकल्प से संबंधित गोले को काला नहीं करने पर संबंधित प्रश्न के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी।

(iv) प्रथम प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होगा।

(v) पाठ्यक्रम की जानकारी **परिशिष्ट–दो** में दी गई है।

(vi) लिखित परीक्षा के अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23 प्रतिशत होंगे।

(3) **साक्षात्कार** के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

(4) **साक्षात्कारः–** साक्षात्कार के लिए **75 अंक** होंगे (इसके लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं होंगे)।

(5) **चयन सूचीः–** उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

□□□□□

परिशिष्ट 'दो'

''पाठ्यक्रम''

"प्रश्नपत्र–I"

सामान्य अध्ययन

भाग–1 सामान्य अध्ययनः–

1. भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारत का भूगोल।
2. भारत का संविधान, लोक प्रशासन एवं विधि।
3. भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जल, खनिज एवं वन संसाधन।
4. समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद।
5. सामान्य विज्ञान एवं कम्प्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान।

भाग–2 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञानः–

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशायें।
3. छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढ़ांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं।

भाग–3 बुद्धिमता परीक्षणः–

1. गणितीय योग्यता, बुद्धिमता परीक्षण एवं आंकड़ों का विश्लेषण।

प्रश्न पत्र–II

Library and Information Science

Ranganathan's five laws of library science and their applications. Role of Libraries in academic & Social Institutions. Library Committee: Types and Functions. Library movement and Library legislation in India. Library Association/ Professional Organization: their objective and functions – UNESCO, IFLA, ALA, ILA, IASLIC.

Information, Information science, Information society : Definition, Scope, Objectives, Genesis and Development. Information as resource. Communication channels and barriers. Role of Information in Planning, Management, Socio Economic development and technology transfer. Information Technology and Library. Intellectual Property Rights - Concept, Copyright, Censorship-print and non print Media. Information needs and Information seeking behaviors. Information Products: Nature, Concept, Type, Development and Marketing. Economics of Information. Information Management and Knowledge Management.

Sources of Information- Primary, Secondary, Tertiary-Documentary and non documentary. Reference Service: Concept, Definitions, Importance, Kinds and Nature Reference sources - scope, Purpose, Type, Importance and Evaluation with suitable examples of Encyclopedias, Dictionary, Year books and Almanacs, Directories, Current Reference, Geographical and Biographical Sources.

Bibliographic Service, Indexing and Abstracting Service. Current Awareness Service and Selective Dissemination on Information. Documentation : Meaning, Definition, Objectives, Scope and Development. Reprographic Service. Translation Service. Databases, Bibliographic and Full text-Evaluation. e-documents, e-books, e-journals.

Organization of Knowledge/Information. Modes of formation of subjects. Library Classification - Canons and Principles. Library Classification Schemes – DDC, UDC and CC. Notations: type, structure and qualities.

Library Cataloguing - Canons and Principles. Library Cataloguing Codes - CCC and AACR-II. Bibliographic Records - International standards ISBDs, MARC and CCF. Indexing – Pre-coordinate, Post-coordinate. Vocabulary Control -Thesaurus, Lists of Subject Heading. Database-Search Strategies, Boolean Operators.

Management-principles, functions, School of thoughts. Collection Development - book, Serial, non book material - Selection, Acquisition and Maintenance. Basic consideration in planning of Library building, furnitures, fittings and equipments. Routine Procedures: Circulation, Serial Control, Stock verification/stock rectification. Public relation and Extension Activities. Maintenance of Library records, statistics and annual reports. Resource Sharing. Library Finance and Budget. Budgeting: concepts, types and methods. Human Resource Management – Manpower Planning, Job analysis, Job description, Selection, Recruitment, Motivation, Training and Development, Staff Manual, Leadership and Performance Evaluation.

Information Technology – Components. Impact of IT on Society. Computers – Hardware, Software, Storage Devices, Input/Output Devices. Telecommunication – Transmission media, Switching systems, Bandwidth, Multiplexing, Modulation, Protocols, Wireless Communication. Fax, E-mail, Tele-conferencing/ Video-conferencing. Networking – concepts, Topologies, Types – LAN, MAN and WAN. Hypertext, Hypermedia, Multimedia.

Library Automation – Areas of automation, Planning, Hardware and Software Selection, OPAC. Networks – ERNET, NICNET, DELNET, OCLC, INFLIBNET. INTERNET – Components, Service, Browsing – Web Browsers, Search Engines. National and International Information Systems – NISSAT, NASSDOC, NISCAIR, DESIDOC, INIS,AGRIS, MEDLARS, INSPEC.

Types of Research- Basic, Applied and Interdisciplinary. Research Design. Methods of Research. Report Writing. Research Methods in Library and Information Science and Services Bibliometrics, Informetrics, Scientometrics – concepts, definition and their scope.

Types of Libraries – National, Public, Academic and Special- Objectives, Structure and Functions. Digital Libraries – Concepts. Virtual Libraries – Concepts. Types of users. User Education: need, objective, methods and evaluation. Users Study: concepts, objective, scope, types, designing and planning. Role of Raja Rammohan Roy Library Foundation. (RRLF) Management Information System- concept, nature, scope and functions.

□□□□□

ifjf'k"V 'rhu'

vkuykbu vkosnu djus ds lac/k esa funs'k ,oa vU; tkudkjh

vkuykbu vkosnu djus ds lac/k esa vko';d funs'k fuEukuqlkj gS&

¼d½ i;k vkosnu Hkjus ls igys foKkiu esa nh xbZ leLr tkudkjh vkj 'krksZa dks vPNh rjg i<+ ysaA

vkuykbu vkosnu gsrq lfØ; fyad osclkbV www.psc.cg.gov.in ij fu/kkZfjr frfFk;ksa esa miyC/k jgsxkA

vkuykbu vkosnu esa mlh vad lwph dks jksy uacj ftlls vkosnd }kjk tUefrfFk ds iek.k Lo#i vk;ksx ds le{k iLrqr fd;k tk,xk] vkosnd }kjk Lo;a ifof"V fd;k tk,A ;g jksy uacj fdlh Hkh 0;fDr dks u crk,] Edit dh lqfo/kk gsrq ;g jksy uacj iklOkMZ dh rjg iz;qDr gksxkA

¼1½ vkosnd Lo; viu ?kj ls ;k bVjuV dQs ds ek/;e ls vkuykbu vkosnu Hkjdj ijh{kk 'kqYd dks Hkqxrku ØsfMV dkMZ ;k MsfcV dkMZ ;k bVjuV cSafdx ds ek/;e ls dj ldrs gSaA

¼2½ vkosnd vkuykbu vkosnu djus ds fy, lqfo/kk dsUnzks dk mi;ksx Hkh dj ldrs gSaA vkuykbu vkosnu djus ds fy, vkosndksa dh lqfo/kk gsrq lqfo/kk dsUnzksa dh lwph vk;ksx dh oscklkbV www.psc.cg.gov.in ij rFkk bl foKkiu ds lkFk ist ,oa QkeZ uacj lfgr miyC/k gSA lqfo/kk dsUnz ds ek/;e ls vkosnu djus ij vkosnd lqfo/kk dsUnz lapkyd dks 'kqYd ¼ijh{kk 'kqYd$iksVy 'kqYd½ dk uxn Hkqxrku dj vkosnu dh doy ,d jlhn izkIr djsxsaA mDr jlhn esa vkosnd }kjk vkuykbu vkosnu esa dh xbZ leLr ifof"V;ksa dk mYys[k gksxkA vkuykbu vkosnu tek djus rFkk vkosnu dh ,d jlhn dks fiaV iznku djus gsrq ijh{kk 'kqYd ,oa iksVy 'kqYd ds vfrfjDr fdlh Hkh #i esa vU; dksbZ jkf'k dk Hkqxrku lqfo/kk dsUnz dks ugha djuk gSA ;fn vkosnd }kjk lqfo/kk dsUnz ls vU; dksbZ lsok yh tkrh gS] tSls&QksVks f[kapokuk] QksVks ,fMV djokuk] nLrkost dh QksVks dkih djokuk] vkuykbu vkosnu ds jlhn dh vfrfjDr dkih izkIr djuk] rks vkosnd dks lcaf/kr lsok gsrq lqfo/kk dsUnz }kjk fu/kkZfjr 'kqYd vyx ls nsa; gksxkA ;fn vkosnd dks vU; lsok ds 'kqYd vf/kd yxrs gS rks os lcaf/kr lsok inkrk lLFkkuksa ls lsok, ydj doy vkuykbu vkosnu gsrq lqfo/kk dsUnzksa dk mi;ksx dj ldrs gSaA ;fn vkuykbu vkosnu tek djus rFkk vkosnu dh ,d jlhn iznku djus gsrq lqfo/kk dsUnz lapkyd }kjk vk;ksx }kjk fu/kkZfjr jkf'k ds vfrfjDr jkf'k dh ekax dh tkrh gS rks fuEu eksckbZy uacjksa ij lhi dj f'kdk;r nt djk ldrs gSaA

Help Desk Number - 9981996587, 9981996597

vkuykbu vkosnu ls lacaf/kr vU; fdlh lgk;rk ds fy, Hkh mDr uacjksa ij lEidZ fd;k tk ldrk gSA

¼3½ **vkuykbu vkosnu gsrq iz;qDr fd, tkus okys vkosnd ds QksVksxzkQ lac/kh funsZ'k&** vkosnd vkuykbu vkosnu gsrq **foKkiu tkjh gksus dh frfFk** ;k mlds ckn dh frfFk esa f[kapok;k gvk ikliksVZ lkbt dk QksVks viuk ikl j[ksaA QksVks dk cdxzkmUM lQsn@gYdk jax dk gksuk pkfg, rFkk QksVks esa vH;FkhZ dh nkuksa vk[ks Li"V fn[kkbZ nsuh pkfg,A QksVks ds fupys fgLls ij vH;FkhZ dk uke rFkk QksVks f[kapokus dh frfFk fiaV dh gqbZ gksuh pkfg,A vH;FkhZ mDr QksVks dh 3 ifr;ka viuk ikl vo'; j[ksaA Hkfo"; esa vk;ksx }kjk funs'kr fd, tkus ij vH;FkhZ dks mDr QksVks iLrqr@izsf"kr djuk vfuok;Z gksxkA

¼4½ vkosnd vkuykbu vkosnu djus ds iwoZ foKkiu ds blh ifjf'k"V ds i"B Øekad 3 ij fu/kkZfjr ckDl ds vnj viuk uohure ikliksVZ lkbt dk QksVks fpidkdj QksVks ds uhps gLrk{kj gsrq fu/kkZfjr ckDl ds vnj dkys cky isu ls blh idkj gLrk{kj djs fd og Li"V gks rFkk gLrk{kj dk dksbZ fgLlk ckDl ds ckgj u tk,A ;fn vkosnd lfo/kk dsUnz ds ek/;e ls vkosnu djuk pkgrk rks QksVks o gLrk{kj ;qDr mDr i"B lqfo/kk dsUnz lapkyd dks Ldsu gsrq inku djs Ldsu i'pkr okil y ysaA ;fn vkosnd Lo; Ldsu djuk pkgrk rks QksVks o gLrk{kj ;qDr mDr i"B dks bl idkj Ldsu djs fd Ldsu dh gbZ besat esa QksVks rFkk gLrk{kj gsrq fu/kkZfjr ckDl dk dUVw@lhekfgr djus oky ckDl ds ckgj dk fgLlk Ldsu u gksA mDr idkj ls Ldsu dh gbZ besat dks **jpg** QkjeV esa **save** djsA blds ckn dk fo'ks"k /;ku j[ksa tks ,d Ldsu dh gbZ besat dk lkbt 100Kb ls vf/kd u gksA

¼5½ vkosnd dks Lo; vkuykbu vkosnu tek djrs le; vkuykbu vkosnu dh leLr ifof"V;k dk ijk djus ds i'pkr vkuykbu vkosnu ds fupys fgLls esa fLFkr **Browse** cVu dks fDyd dj QksVks o gLrk{kj vVp djuk gksxkA **Browse** cVu ncku ij vkosnd dks Ldsu djs **save** dh gbZ **jpg** besat dk **address** lysDV dj **Ok** cVu ncuk gksxkA

¼6½ vkuykbu vkosnu djrs le; /;ku j[kuk pkfg, fd tkudkjh tks vkuykbu vkosnu esa pkgh xbZ gS dh lgh&lgh ifof"V dh tk,A

¼7½ **vk;ksx }kjk vkuykbu vkosnu djus dh ifØ;k esa ;g le> fy;k x;k gS fd] vkosnd }kjk tks tkudkjh vkuykbu vkosnu esa vafdr dh tk jgh gS og iekf.kr tkudkjh gSA vr% vkuykbu vkosnu Submit djus ds iwoZ vkosnd viuk vkosnu dh leLr ifof"V;ksa dks lko/kkuhiwoZd HkyhHkkafr i<+ ,oa le> ysaA vkosnd viuk }kjk nh xbZ tkudkjh ls larq"V gksus ds i'pkr gh vkuykbu vkosnu dks Submit cVu fDyd dj tek djsa rFkk vkosnu 'kqYd vnk djsaA**

¼8½ vkuykbu vkosnu **Submit** djus ds rFkk 'kqYd vnk djus ds ckn Lor% [kyus okys **Page** ij vkosnd }kjk dh xbZ leLr ifof"V;k] QksVksxkQ] gLrk{kj ds lkFk&lkFk Hkqxrku dh fLFkfr o vkosnu Øekad dh lpuk feyxhA ;gh vkuykbu vkosnu dh jlhn gksxhA vkosnd mDr **Page** ij miyC/k **Print** cVu dks fDyd dj vkosnu dh jlhn dk fiVvkmV izkIr dj viu ikl vo'; j[ksaA vkosnd ;g vo'; lqfuf'pr dj fd vkosnu dh jlhn ij **Payment Status** ds lkeus **Payment Done** vo'; fy[kk gks] ,lk ugha gksu ij vkid vkuykbu vkosnu ij vk;ksx }kjk fopkj ugha fd;k tk,xkA

¼9½ vkuykbu vkosnu esa =fV lq/kkj dk dk;Z fu/kkZfjr frfFk;ksa esa vkuykbu fd;k tk ldxkA =fV lq/kkj 'kqYd ds #i esa vH;FkhZ dks #i; 30@& dk Hkqxrku djuk gksxkA =fV lq/kkj doy ,d ckj gh fd;k tk ldxkA vkosnd =fV lq/kkj gsrq lqfo/kk dsUnz dh lsokvksa dk Hkh mi;ksx dj ldrs gSaA **vfre frfFk ds i'pkr vkuykbu vkosnu dh ifof"V esa fdlh Hkh idkj dk lq'kks/ku ugha fd;k tk,xk rFkk blls lac/k esa vk;ksx fdlh Hkh vH;kosnu ij fopkj ugha djsxkA** vkosnd blds ckn dk fo'ks"k /;ku j[ks fd =fV lq/kkj i'pkr izkIr vkosnu dh jlhn ij **Payment Status** ds lkeus **Payment Done** vo'; fy[kk gks] ,lk ugha gksu ij vkosnd }kjk fd;k x;k =fV lq/kkj ekU; ugha gksxkA

vkosnd ;g /;ku j[ks fd foKkfir in ds vkosnu i= esa gbZ fdlh Hkh =fV dk lq/kkj p;u ds fdlh Hkh Lrj ij ugha fd;k tk ldsxkA vr% vH;FkhZ viuk vkosnu vR;r lko/kkuh iwoZd Hkjsa ;fn fQj Hkh dksbZ =fV gks tkrh gS rks =fV lq/kkj vof/k esa okfNr lq/kkj dj ysaA

¼10½ **vkuykbu vkosnu@=fV lq/kkj gsrq iksVy 'kqYd %&**

¼i½ iR;d vkuykbu vkosnd ds fy, fu/kkZfjr ijh{kk 'kqYd ds vfrfjDr iksVy 'kqYd **35@&** #i; ns; gksxkA

¼ii½ vkuykbu vkosnu dh ifof"V;k esa fdlh idkj dh =fV gksu ij vkosnd }kjk 30@& #i; dk =fV lq/kkj 'kqYd ns; gksxkA ,d vkosnd }kjk =fV lq/kkj fu/kkZfjr frfFk;ksa esa doy ,d ckj fd;k tk ldrk gSA

¼iii½ iox lq/kkj ds ekeyks esa ;fn fdlh vkosnd }kjk vkjf{kr oxZ ds #i esa Hkjk x;k] viuk vkuykbu vkosnu esa lq/kkj dj mls vukjf{kr oxZ

Øe'k%

fd;k tkrk g rk ml 'kYd d vrj dh jkf'k dk Hkxrku =fV l/kkj 'kYd #i; 30@& d vfrfjDr djuk gkxk fdUr vukjf{kr ox e ifjoru dh fLFkfr e 'kYd vrj dh jkf'k okil ugh dh tk,xhA

¼iv½ ijh{kk 'kYd]=fV l/kkj 'kYd rFkk ikVy pkt fdlh Hkh ifjfLFkfr e okilh ;kX; ugh gA

vkuykbu vkonu lc/kh 'kYd tek dju d lc/k e egRoi.k tkudkjh

Lo; vkuykbu vkonu dju dh fLFkfr e vkonu rFkk ikVy 'kYd dk Hkxrku vkond Lo; ØfMV@MfcV dkM ;k uVcfdx d ek/;e l dj ldrk gA lfo/kk dUn d ek/;e l vkonu dju dh fLFkfr e vkonu rFkk ikVy 'kYd dk Hkxrku vkond dk lfo/kk dUn dk uxn e djuk gkxkA

¼1½ **bVjuV dQ ;k Lo; ?kj cB dEl;Vj }kjk bVjuV d ek/;e l vkonu o ijh{kk 'kYd Hkju dh fof/k %&**

vkond **www.psc.cg.gov.in** oclkbV d gke it ij fn, x, **vkofnr in gr vkuykbu vkonu l lcf/kr fyd dk fDyd dj** fo'k"k oc it ij tk ldr gftl ij vkuykbu ifØ;k l lEcf/kr fuEu **Links** miyC/k gkx&

Click here to View/Print Advertisement
Click here to Apply Online
Click here to know your Application No.
Click here to Edit Unpaid Application
Click here to Pay for Unpaid Application
Click here to View/Print Dupplicate Reciept
Click here for Editing in Online Application
Click here to View/Print List of Rejected Applications
Click here to View/Print Online Admit Card

vkond bVjuV dQ d ek/;e l ;k ?kj cB Lo; Hkh viuk vkonu Hkj ldrk gA vkond vkonu Hkju l igy **Click here to View/Print Advertisement** dk fDyd dj NRrhlx< ykd lok vk;kx }kjk idkf'kr foKkiu e nh xb leLr tkudkjh vkj 'krk dk vPNh rjg i< y] bld mijkr gh vkond **Click here to Apply Online** dk fDyd djA bld ckn vkond dk LØhu ij Qke fn[kkb nxkA vkond dk vkonu e ekxh xb leLr tkudkfj;k dk lgh&lgh Hkjuk vfuok; gA

vkond dk Qke ij uhp dh vkj ,d cVu **Browse** fn[kkb nxkA bld ek/;e l vkond dk viuk uohure QkVk] gLrk{kj lfgr vVp djuk gA vVpeV d lc/k e foLrr tkudkjh bl ifjf'k"V d i"B Øekd 3 ij nh xb gA

vkond vkonu i.k #i l Hkju d ckn ml vPNh rjg i< y vkj ;g lfuf'pr dj y fd Qke e tk Hkh tkudkjh nh xb g og lgh gA ;fn vkonu e dkb xyr tkudkjh nh xb g rk iuh ml Bhd dj yA bld mijkr gh **Submit** cVu nck;A bl l vkond dk ,d vkonu ucj ikIr gkxkA vkond vkonu Øekd dk ukV dj yoA vkuykbu vkonu tek dju d ckn Hkh ;fn vkond u 'kYd dk Hkxrku u fd;k gk rk o **Click here to Edit Unpaid Application** fyd dk **Click** dj viuh ifof"V;k e l/kkj dj ldr gA bld mijkr vkond ijh{kk 'kYd d Hkxrku d fy, **Proceed to Payment** cVu nck;xk rk ml ijh{kk 'kYd Hkxrku gr nk vkl'ku fn[kkb nx&

i- ØfMV dkM@MfcV dkM
ii- bVjuV cfdx

¼i½ **ØfMV dkM@MfcV dkM d ek/;e l ijh{kk 'kYd dk Hkxrku%&** vkond fdlh Hkh bVjuV dQ ;k ?kj cB Hkh Lo; bVjuV d ek/;e l dEl;Vj }kjk viuk vkonu Hkj ldrk gA vkonu Hkju d mijkr ijh{kk 'kYd dk Hkxrku lph e 'kkfey fdlh Hkh cd d ØfMV@MfcV dkM d ek/;e l fd;k tk ldrk gA vkond }kjk Qke Hkju d mijkr ijh{kk 'kYd dk Hkxrku dju d fy, **Proceed to Payment** cVu ncku ij dEl;Vj LØhu ij **Citizen Option** dk **Click** djuk g ftll ,d **Window Open** gkxk mle **Guest User** dk **Select** dj **Process Button Click** djuk gA bld ckn cd dk uke rFkk dkM dk idkj puu dk fodYi fn[kkb nxk mfpr p;u d i'pkr cd dk ieV xVo fn[kkb nxkA ble ØfMV@MfcV dkM dk fooj.k Hkju d mijkr **Confirm** cVu nckdj ijh{kk 'kYd dk Hkxrku fd;k tk ldrk gA vkond dk ijh{kk 'kYd Hkxrku ifØ;k lQyrk iod i.k gku d ckn dEl;VjkbTM jlhn ikIr gkxhA jlhn ij Vkt D'ku lc/kh tkudkjh dk mYy[k gkxkA vkond bl jlhn dk fiV ydj viu ikl lHkkydj j[kA vH;Fkh bl ckr dk fo'k"k /;ku j[k fd jlhn ij **Payment Status** d lkeu **Payment Done** vo'; fy[kk gk vU;Fkk vkidk vkonu vk;kx dk ikIr ugh gkdj Lo;eo fujLr gk tk,xkA

¼ii½ **bVjuV cfdx d ek/;e l ijh{kk 'kYd dk Hkxrku%&** vkond pkg rk Lo; ?kj cB bVjuV ;k bVjuV dQ d ek/;e l Qke Hkjdj ijh{kk 'kYd dk Hkxrku bVjuV cfdx lfo/kk l dj ldrk gA bld fy, vkond d ikl uV cfdx lfo/kk gkuk vfuok; gA vkond viuk vkonu Hkju d mijkr **Proceed to Payment** cVu ncku ij dEl;Vj LØhu ij **Citizen Option** dk **Click** djuk g ftll ,d **Window Open** gkxk mle **Guest User** dk **Select** dj **Process Button Click** djuk gA bld ckn ;gk ij ml bVjuV cfdx vkl'ku fn[kkb nxkA bl fDyd dju ij og viu cd }kjk inku ;tj vkb Mh] ikloM Mkydj ykfxu gkxkA bl ifØ;k l vkond viu cd vdkmV l 'kYd dk Hkxrku dj ldrk gA lQyrk iod Hkxrku ifØ;k i.k gku d ckn vkond dk LØhu ij jlhn fn[kkb nxhA vH;Fkh bl ckr dk fo'k"k /;ku j[k fd jlhn ij **Payment Status** d lkeu **Payment Done** vo'; fy[kk gk vU;Fkk vkidk vkonu vk;kx dk ikIr ugh gkdj Lo;eo fujLr gk tk,xkA vkond bl jlhn dk fiV ydj viu ikl lHkkydj j[kA

¼dkM@uVcfdx d ek/;e l fdlh Hkh 'kYd d Hkxrku dh ifØ;k e ;fn lcf/kr cd }kjk fdlh idkj dk lok 'kYd fy;k tkrk g rk ml d Hkxrku dk nkf;Ro vkond dk gkxk A vkond vkuykbu cfdx d nkjku fQf'kx@gfdx vFkok vU; lkbcj xfrfof/k l cpu d fy, Lo; ftEenkj gkxA ½

¼2½ **lfo/kk dUn d ek/;e l vkonu @ijh{kk 'kYd Hkju dh fof/k%&**

vkond vkonu dju d fy, viu utnhdh lfo/kk dUn ij tk ldrk gA ¼**lfo/kk dUn dh lph vk;kx dh oc lkbV www.psc.cg.gov.in ij miyC/k g**½ lfo/kk dUn lpkyd loiFke **www.psc.cg.gov.in** ij miyC/k vkuykbu vkonu Hkju lc/kh fun'k vkj tkudkfj;k vkond dk miyC/k djk;xkA vkond bUg lko/kkuh iod i< y rkfd ekxh leLr tkudkfj;k vkonu e lgh Hkjh tk ldA bld mijkr vkond lfo/kk dUn lpkyd dh enn l vkuykbu vkonu e leLr tkudkfj;k Hkj y] vkond vkuykbu vkonu dju d io bl **ifjf'k"V** d i"B Øekd 3 ij fu/kkfjr ckDl d vnj viuk uohure ikIr ikV lkbt dk QkVk fpidkdj QkVk d uhp gLrk{kj gr fu/kkfjr ckDl d vnj dky cky ikbUV iu l bl idkj gLrk{kj dj fd og Li"V gk rFkk gLrk{kj dk dkb fgLlk ckDl d ckgj u tk,A vkond QkVk o gLrk{kj;Dr mDr it lfo/kk dUn lpkyd dk Ldu gr inku dj Ldu i'pkr okil y yA

lfo/kk dUn lpkyd dh enn l vkond QkVk gLrk{kj Ldu dj mfpr LFkku ij vVp djxkA Qke Hkju d mijkr vkond

vkonu e Hkjh xb leLr tkudkfj;k vPNh rjg i<+ yA vkond lHkh tkudkfj;k lgh lgh Hkjh gku d mijkr gh lfo/kk dUnz lpkyd dk **Proceed to Payment** cVu nckdj ijh{kk 'kYd dk Hkxrku dju dk dgA lfo/kk dUnz lpkyd Hkxrku ifØ;k i.k gku ij dEI;VjkbTM jlhn dh ,d ifr vkond dk inku djxkA jlhn e ijh{kk 'kYd vkj ikVy 'kYd dh ijh tkudkjh vfdr jgxhA vkond bl jlhn dk fiV ydj viu ikl lHkkydj j[kA vkond bl ckr dk fo'k"k /;ku j[k fd vkuykbu vkonu dh jlhn ij **Payment Status** d lkeu **Payment Done** vo'; fy[kk gk] ,lk ugh gku ij vkond d vkuykbu vkonu ij vk;kx }kjk fopkj ugh fd;k tk,xkA

ukV%&

¼i½ vkond jlhn e nh xb tkudkfj;k dk /;kuiod i<+ y vkj viu ikl lHkkydj j[kA

¼ii½ tkudkjh dh 'k)rk ,o lR;rk rFkk vkonu ifØ;k i.k dju dk ijk mRrjnkf;Ro vkond dk gkxkA

¼iii½ lfo/kk dUnz d ek/;e l vkonu djr le; vkond vkuykbu vkonu dh ifØ;k viuh fuxjkuh e gh djok,A vkuykbu vkonu e gbZ fdlh Hkh idkj dh =fV d fy, vkond lfo/kk dUnz vFkok vk;kx dk mRrjnk;h ugh Bgjk ldxkA lfo/kk dUnz vkonu d nkjku vkond dh lgk;rk d fy, cuk, x, g u fd vkond dh vkj l vkuykbu vkonu tek dju d fy,A

¼3½ **;fn vkond Lo;a viu ?kj vFkok lkbcj dQ l vkuykbu vkonu djuk pkgrk rFkk mld ikl ØfMV dkMZ@MfcV dkMZ ;k uVcfdx lfo/kk miyC/k ugh g rk Hkh j x;s Qke dk lfo/kk dUnz d ek/;e l Click here to Pay for Unpaid Application fyd }kjk ijh{kk 'kYd dk uxn Hkxrku dj ldrk gA** bl d fy, vkond dk mijkDr crk; x; fcUn e n'kkb xb fof/k vuLkj vkonu dju d mijkr viu utnhdh lfo/kk dUnz ij tkdj Hkj x; vkonu dk vkonu Øekd ,o viuh tUefrfFk lfo/kk dUnz lpkyd dk crkuk gkxkA bl d mijkr lfo/kk dUnz lpkyd **Pay for unpaid Application** e mDr tkudkfj;k Hkjdj vkonu **Open** dj yxkA bl d ckn **Proceed to Payment** cVu nckdj ijh{kk 'kYd dk Hkxrku dj nxkA 'kYd Hkxrku ifØ;k i.k gku ij lfo/kk dUnz lpkyd vkond dk dEI;VjkbTM jlhn inku djxkA jlhn e ijh{kk 'kYd vkj ikVy 'kYd dh tkudkjh d lkFk vkond l lcf/kr leLr tkudkjh vfdr gkxhA

★ **,sl vkonu Lohdkj ugh fd, tk,x ftUgs vkuykbu Hkjus d ckn fiV ydj NRrhlx<+ ykd lok vk;kx dk Mkd ;k fdlh vU; ek/;e ls Hkst tk,xA ijh{kk 'kYd d fy, fdlh Hkh idkj dk MkQ¶V Hkh Lohdkj ugh gkxkA ,lk dju ij vkonuk dk ekU; u djrs g, fujLr dj fn;k tk,xk] vkj mldh ftEenkjh vkond dh gh ekuh tk,xhA**

io'k i= o lk{kkRdkj gr cykok i=%&

¼1½ io'k i=@lk{kkRdkj gr cykok i= fyf[kr ijh{kk@lk{kkRdkj d yxHkx 21 fnu io viykM fd, tk,x ,o bldh lpuk iFkd l ugh nh tk,xhA

¼2½ io'k i=@lk{kkRdkj gr cykok i= 0;fDrxr #i l ugh Hkt tk,x vfir doy vk;kx dh oclkbV **www.psc.cg.gov.in** ij miyC/k gkxA bl lc/k e fd;k x;k dkb Hkh i=kpkj ekU; ugh gkxkA **io'k i=@lk{kkRdkj gr cykok i= lfo/kk dUnz d ek/;e l MkmuykM dju ij 5@& #i;s ikVy 'kYd n; gkxkA**

¼3½ fdlh Hkh vH;Fkh dk fyf[kr ijh{kk@lk{kkRdkj e rc rd io'k ugh fn;k tk,xk tc rd fd mld ikl vk;kx }kjk tkjh fd;k x;k io'k i=@lk{kkRdkj gr cykok i= u gkA

¼4½ vH;Fkh dk fyf[kr ijh{kk@lk{kkRdkj e io'k i= d lkFk **ID Proof** gr <u>ernkrk igpku i=@ikliklV@Mkbfox ykblsl@iu dkM@vk/kkj dkM@LekV dkM ¼jk"Vh; tul[;k jftLVj dh ;kstuk d rgr vkjthvkb }kjk tkjh½@LokLF; chek ;kstuk LekV dkM QkVk lfgr ¼Je e=ky; dh ;kstuk d rgr tkjh½@tkc dkM QkVk lfgr ¼,uvkjbth, ;kstuk d rgr½@lksk igpku i= QkVk lfgr ¼jkT;@dUnz ljdkj] lkotfud {k= d miØe] LFkkuh; fudk;] ifCyd fyfeVM difu;k }kjk viu depkfj;k dk tkjh½@ikLcd ,o fdlku ikLcd QkVk lfgr ¼lkotfud {k= d cd@Mkd?kj }kjk tkjh½@Nk= igpku i= ¼Ldyk@dkyt }kjk tkjh½@chih,y ifjokj dk tkjh jk'ku dkM@lifRr d nLrkot QkVk lfgr tl&iVVk] ithdr fMM l@,l-Vh-] ,l-Vh-] vks-ch-lh- iek.k i= QkVk lfgr ¼l{ke ikf/kdkjh }kjk tkjh½@QkVk lfgr i'ku nLrkot] Hkrio lfudk dh i'ku fdrkc] Hkrio lfudk dh fo/kok ;k vkfJr iek.k i=] o)koLFkk i'ku vkn'k] fo/kok i'ku vkn'k@'kkjhfjd fodykx iek.k i= QkVk lfgr</u> e l ,d nLrkot ykuk vko';d gkxk] bld vHkko e io'k ugh fn;k tk;xkA

¼5½ ;fn io'k i=@lk{kkRdkj gr cykok i= ij efnr QkVk o gLrk{kj vFkok nkuk vLi"V ;k vo/k gk rk io'k i= ij fun'kkuqlkj dk;okgh u dju ij dUnzk/;{k@tkp vf/kdkjh vH;Fkh dk fyf[kr ijh{kk@lk{kkRdkj e lfEefyr gku l ofpr dj ldxA

---------- **QkVk lg gLrk{kj vViekV grq vko';d fun'k** ----------

vkond fuEu ckDl dk i;kx QkVk fpidkdj rFkk gLrk{kj dj Ldu djus grq dj ldrs gA bl ckr dk fo'k"k /;ku j[kk tk, fd vkond ijs isst dh Ldfux u djA doy QkVk rFkk gLrk{kj ;Dr ckDl dh gh Ldfux dh tk,A

vkond bl ckDl d vUnj viuk QkVk fpidk,s →

Size : <u>4.5cm X 3.5cm</u>

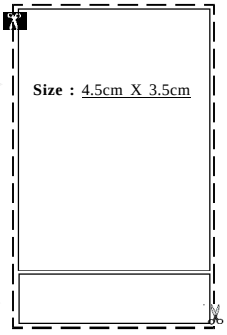

vkond bl ckDl d vUnj gLrk{kj djs →

Vhi%&

¼1½ vkuykbu vkonu gr i;Dr fd, tku oky vkond d QkVkxkQ lc/kh fun'k %& vkond vkuykbu vkonu gr **foKkiu tkjh gku dh frfFk** ;k mld ckn dh frfFk e f[kpok;k gvk ikliklV lkbt dk QkVk viu ikl j[kA QkVk dk cdxkmUM lQn @gYd jx dk gkuk pkfg, rFkk QkVk e vH;Fkh dh nkuk vk[k Li"V fn[kkb nuh pkfg,A QkVk d fupy fgLl ij vH;Fkh dk uke rFkk QkVk f[kpoku dh frfFk QkVkxkQj }kjk fiV dh gb gkuh pkfg,A

¼2½ vkond vkuykbu vkonu dju d io mDr ckDl e fu/kkfjr ckDl d vnj viuk uohure ikliklV lkbt dk QkVk fpidkdj QkVk d uhp gLrk{kj gr fu/kkfjr ckDl d vnj dkyk cky ikbUV iu l bl idkj gLrk{kj dj fd og Li"V gk rFkk gLrk{kj dk dkb fgLl ckDl d ckgj u tk,A ;fn vkond lfo/kk dUnz d ek/;e l vkonu djuk pkg rk QkVk o gLrk{kj;Dr mDr it lfo/kk dUnz lpkyd dk Ldu gr inku dj Ldu i'pkr okil y yA ;fn vkond Lo; vkonu djuk pkg rk QkVk o gLrk{kj;Dr mDr it dk bl idkj Ldu dj fd Ldu dh gb bet e QkVk rFkk gLrk{kj gr fu/kkfjr ckDl dk dUVu@lekfgr dju oky ckDl d ckgj dk fgLlk Ldu u gkA mDr idkj l Ldu dh gb bet dk **jpg** QkjeV e **save** djA bl ckr dk fo'k"k /;ku j[kk tk, fd Ldu dh gb bet dk lkbt 100Kb l vf/kd u gkA

परिशिष्ट 'चार'

–:: ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सुविधा केन्द्रों की सूची ::–

S. N.	District	City	Suvidha Kendra Name	Contact Person	Address1	Address2	Address3	Contact No.
1	BALOD	BALOD	AISECT CSC CENTRE	RITESH SINHA	GRAM SANKARI POST PAIRI	GRAM SANKARI POST PAIRI	GRAM SANKARI POST PAIRI	7697159940
2	BALOD	BALOD	AISECT CSC CENTRE	PRITI DESHMUKH	SHITLA MANDIR ROAD BALOD	NEAR BUS STAND	GANGASAGAR PARISAR	9406208255
3	BALOD	BALOD	AISECT CSC CENTRE	LALIT KUMAR SAHU	VILL KARHIBHADER	POST KARHIBHADER	THANA BLOCK DISTRICT BALOD	9993010378
4	BALOD	BALOD	AISECT CSC CENTRE	BHARAT LAL	AISECT COMPUTER	RAJNANGAON ROAD VILL AND POST DEORI BANGALA		9981548718
5	BALOD	DONDI	AISECT CSC CENTRE	LAXMI THAKUR	AISECT E GYAN CENTRE VILL AND POST DONDI BLOCK DONDI	SOURABH INFOTEK	MATHAI CHOWK, DONDI	9425898700
6	BALODA BAZAR	BALODA BAZAR	AISECT CSC CENTRE	JAGESHWAR PRASAD PATEL	NEWBUSSTANDBALOD ABAZAR	BEHIND OF BUS STAND	BALODA BAZAR	9926480057
7	BALODA BAZAR	DAMAKHERA	AISECT CSC CENTRE	ASHOK KUMAR SAHU	AISECT E- GYAN CENTRE			9907611928
8	BALODA BAZAR	PALARI	AISECT CSC CENTRE	JANIK RAM VERMA	AISECT COMPUTER CENTRE.	MAIN ROAD, PALARI,		9993829324
9	BALRAMPUR	RAMANUJGANJ	MADHUR COURIER SERVICE	VISHAL KUMAR GUPTA	MADHUR COURIER SERVICE BUS STAND RAMANUJGANJ			9630649941
10	BASTAR	BHANPURI	AISECT CSC CENTRE	HURDESHWARI JOSHI	AISECT E- GYAN CENTRE			9993765932
11	BASTAR	JAGDALPUR	AISECT CSC CENTRE	DHIRENDRA OGER	SHRI SAI TECHNOLOGY,	PLOT NO.75,MAHAVEER NAGAR,DHARAMPURA NO.2,	DHARAMPURA, JAGDALPUR	9753322200
12	BASTAR	JAGDALPUR	HEIGHTS INFORMATION TECHNOLOGY TALLY ACADEMY	ANAND MURTY	HEIGHTS INFORMATION TECHNOLOGY/ TALLY ACADEMY	1ST FLOOR, OPPOSITE SITARAM SHIVALAYA, SBI ROAD, JAGDALPUR		9926125022
13	BEMETARA	BEMETARA	AISECT CSC CENTRE	AKHILESH KUMAR	AISECT E GYAN CENTRE	VILLAGE - KUSMI	POST - KUSMI	9755190393
14	BEMETARA	BEMETARA	AISECT CSC CENTRE	TOPENDRA SINGH	DIGITECH COMPUTERS	DURG ROAD		9425561440
15	BEMETARA	BEMETARA	AISECT CSC CENTRE	DHANESHWARI VERMA	DIGITECH COMPUTERS	DURG ROAD		9425561440
16	BEMETARA	BEMETARA	AISECT CSC CENTRE	RUPENDRA SINGH CHOUHAN	CYBERSPOT B7 NH12A RAIPUR	ROAD BEMETARA	BEMETARA	9981347368
17	BEMETARA	BERLA	AISECT CSC CENTRE	KOMAL KUMAR SAHU	AISECT E GYAN CENTRE VILL AND POST LAWATARA BLOCK BERLA			9669765003
18	BEMETARA	BHIMBHOURI	AISECT CSC CENTRE	RAKESH KUMAR TIKRIHA	AISECT E GYAN CENTRE	VILL AND PO - BHIMBHOURI, BLOCK & TEH - BERLA,	DISTT - BEMETARA (C.G.)	9827317417
19	BEMETARA	HASADA	AISECT CSC CENTRE	CHAMPESHWAR DHANKER	AISECT E- GYAN CENTRE	NEAR GOVT. HIGH SCHOOL		9753586831
20	BEMETARA	JEWARI	AISECT CSC CENTRE	LAV PANDEY	LAV COMPUTER CENTRE	HIGH SCHOOL KE SAMNE		9589350282
21	BEMETARA	SAJA	AISECT CSC CENTRE	TORAN LAL SINHA	AISECT E GYAN CENTRE VILL AND POST SAJA BLOCK SAJA			8889407443
22	BIJAPUR	BIJAPUR	AISECT CSC CENTRE	MRIDUL BHOOT	AISECT COMUTER CENTER	NEAR SBI MAIN ROAD BIJAPUR		9424292829
23	BILASPUR	BELHA	AISECT CSC CENTRE	JAGJEET SINGH SALUJA	AISECT COMPUTER CENTRE	HATRI BAZAR		9893480876
24	BILASPUR	BILASPUR	AISECT CSC CENTRE	AJAY KASHYAP	VILLAGE NEWSA POST OFFICE JALI			9827666041
25	BILASPUR	BILASPUR	AISECT CSC CENTRE	SANTOSH SINGH RAJPUT	YADUNANDAN NAGAR	NARMADA VIHAR	TIFRA	9981527617
26	BILASPUR	BILASPUR	AISECT CSC CENTRE	SANJAY HARANGAONKAR	HARANGAONKAR COACHING AND COMPUTER INSTITUTE	MUKTI DHAM CHOWK	SARKANDA	9827923546
27	BILASPUR	BILASPUR	AISECT CSC CENTER	DEEPAK KUMAR THAWAIT	VILL.+POST JAIRAMNAGAR	JAIRAMNAGAR	BLOCK MASTURI	9827192921
28	BILASPUR	BILASPUR	SOFT COMPUTERS	MANISH JAIN	310 JAIN PLAZA,	CMD SQUARE		9039171745

क्रमशः

S. N.	District	City	Suvidha Kendra Name	Contact Person	Address1	Address2	Address3	Contact No.
29	BILASPUR	DAGANIA	AISECT CSC CENTRE	SUKDEW RISHI DUBEY	AISECT E- GYAN CENTRE	NEAR HIGH SCHOOL		9977617404
30	BILASPUR	DHAMANI	AISECT CSC CENTRE	VIJAY NAYAK	AISECT E- GYAN CENTRE			9754737982
31	BILASPUR	KARGI ROAD	AISECT CSC CENTRE	NITIN SAHU	AISCET NITIN COMPUTER'S	NEAR CENTRAL BANK	MAIN ROAD	9826969787
32	BILASPUR	KOTMI KALA	AISECT CSC CENTRE	RAMESHWAR PRASAD TIWARI	AISECT E- GYAN CENTRE	INFRONT GRAM PANCHAYAT		9981638121
33	BILASPUR	MARWAHI	AISECT CSC CENTRE	SHARAD RAI	GRAMIN CHOICE CENTER MARWAHI	NEW BUS STAND MARWAHI	TEH - MARWAHI	9753643966
34	BILASPUR	MASTURI	AISECT CSC CENTRE	RAM KUMAR MOURYA	AISECT E- GYAN CENTRE	MAIN ROAD,BUS STAND		9302651300
35	BILASPUR	RUMGA	AISECT CSC CENTRE	MAMTA DAS	VILL AND POST RUMGA TEH MARWAHI			9425331147
36	BILASPUR	SIPAT	ASECT CSC CENTER	KAPOOR CHAND LASKRA	AISECT E GYAN CENTER	NEAR OLD TAHSIL OFFICE SIPAT	VILLEGE POST-SIPAT 495555	9907490906
37	DHAMTARI	DHAMTARI	AISECT CSC CENTRE	SHAILENDRA KUMAR	AISECT E GYAN CENTRE VILL + POST - RUDRI	POST - RUDRI	TAH - DHAMTARI	7828194899
38	DHAMTARI	DHAMTARI	SINHA PHOTO COPY AND INTERNET CENTRE	MAHESH KUMAR SINHA	AMBEDAKAR CHOWK COLLEGE ROAD JODHAPUR DHAMTARI			9406052198
39	DURG	ANJORA	AISECT CSC CENTRE	RAJESH KUMAR HARMUKH	GRAMIN CHOICE CENTER SANDHYA COMPUTER INSTITUTE	THANAUD ROAD ANJORA PIN 491001		9424125628
40	DURG	BARHAPUR	AISECT CSC CENTRE	SATYWAN TAMRAKAR	AISECT E GYAN CENTRE VILL AND POST BARHAPUR BLOCK DHAMDHA			9301095944
41	DURG	BHIILAI NAGAR	R K ONLINE	ISHAQUE KHAN	136 ZONAL MARKET	SECTOR 10	BHILAI	9755607867
42	DURG	BHILAI	AISECT CSC CENTRE	RAJESHWARI SAHU	AISECT COMPUTER INSTITUTE	NEAR SURAJ NURSING HOME	SIRSA ROAD KOHKA BHILAI	9098004509
43	DURG	BHILAI	AISECT CSC CENTRE	DEENESHWAR PRASAD PATIL	AISECT E GYAN CENTRE VILL AND POST BHILAI BLOCK DURG			9425556209
44	DURG	BHILAI	AISECT CSC CENTRE	ARVINDER SINGH	AISECT-SUPELA BHILAI	TOP FLOOR HIMALAYA COMPLEX SUPELA BHILAI	DISTT-DURG (CG)	9827164761
45	DURG	BHILAI	FIRST COMPUTERS	SOMESH JAIN	SHOP NO 131, NEW CIVIC CENTRE			9827106561
46	DURG	BHILAI NAGAR	SAI SERVICES	KAMNA SACHDEVA	C/O SAI COLLEGE	STREET-69,SECTOR-6	BHILAI NAGAR	9826116968
47	DURG	DHAMDHA	AISECT CSC CENTRE	SUNIL SINHA	AISECT EDUCATION DHAMDHA	NEAR BANK OF INDIA DHAMDHA	POST-DHAMDHA PIN 491331	9893949720
48	DURG	DURG	AISECT CSC CENTRE	SNAHA LATA MESHRAM	HOT LINE COMPUTER	MALVIYA NAGAR DURG		9826992402
49	DURG	DURG	EASY CHOICE	NEERAJ KANT PANDEY	EASY CHOICE MAHARAJA CHOWK ADARSH NAGAR	INDIA POST FRANCHISE WARD NO 49 VIDYUT NAGAR	DURG 491001	9893542222
50	DURG	DURG	CAFE I INTERNET	SAURABH KULKARNI	TOPE BUILDING IN FRONT OF RAILWAY STATION	DEEPAK NAGAR DURG PIN 491001	DURG MOB 9827969249	9827969249
51	JANJGIR-CHAMPA	AKALTARA	AISECT CSC CENTRE	ANAND KUMAR JAIN	NEAR POST OFFICE AKALTARA	ASHI COMPUTER AKALTARA	AKALTARA TAHSIL-AKALTARA	9993797425
52	JANJGIR-CHAMPA	CHAMPA	AISECT CSC CENTRE	Y S DIVYA	KAMESWARI NIVAS	TAHASIL ROAD	CHAMPA	9300111246
53	JANJGIR-CHAMPA	JAIJAIPUR	AISECT CSC CENTRE	KHAGESHWAR PRASAD CHANDRA	GRAMIN CHOICE SENTER JAIJAIPUR	VIA JAIJAIPUR	DIST JANJGIR CHAMPA	9329205681
54	JANJGIR-CHAMPA	JANJGIR	AISECT CSC CENTRE	RISHABH NATH YOGI	MAIN ROAD RAHOD	TEH- PAMGARH	VIA KHAROD	9907149782
55	JANJGIR-CHAMPA	JANJGIR	AISECT CSC CENTER	MANOJ KUMAR PATLE	AISECT CSC RASOUTA	PAHARIYA ROAD		9755306172
56	JANJGIR-CHAMPA	JANJGIR	AISECT CSC CENTER	BHUSHAN PRASAD SAHU	GRAMIN CHOICE CENTRE SEMRA	ATAL CHOUK		9993300416
57	JANJGIR-CHAMPA	JANJGIR CHAMPA	AISECT CSC CENTER	BHUPENDRA KUMAR SAHU	AT POST KOTMI SONAR	VIA AKALTARA	TEH AKALTARA	9993743512
58	JANJGIR-CHAMPA	JANJGIR CHAMPA	AISECT CSC CENTRE	ROSHNI SAHARE	AISECT OM COMPUTER PAMGARH	GRAMIN CHOICE CENTER	NEAR TAHASIL MAIN ROAD PAMGARH	9425537986

क्रमशः

S. N.	District	City	Suvidha Kendra Name	Contact Person	Address1	Address2	Address3	Contact No.
59	JANJGIR-CHAMPA	JANJGIR CHAMPA	AISECT CSC CENTER	RAMKANT SAHU	AISECT E GYAN CENTER VILL AND POST TUNDRI BLOCK DHABHARA			9993908904
60	JANJGIR-CHAMPA	JANJGIR CHAMPA	AISECT CSC CENTER	RAJENDRA PRASAD MAITRY	GRAMIN CHOICE CENTRE	AT - TULSIDIH, PO - KIRARI 'D'	VIA - CHANDRAPUR	9300260264
61	JANJGIR-CHAMPA	JANJGIR CHAMPA	AISECT CSC CENTER	BASANT KUMAR PATEL	ATT - POST- SAPOS	VIA - CHANDRAPUR	THA - DABHARA	7697671965
62	JANJGIR-CHAMPA	SAKTI	AISECT CSC CENTRE	RAM NARESH SINGH YADAV	AISECT COMPUTER CENTER STSTION ROAD SAKTI	DIST-JANJGIR-CHAMPA TEH-SAKTI 495689		9302854597
63	JANJGIR-CHAMPA	SAKTI	KHEM COMPUTER AND MOBILE POINT	KHEM KUMAR TAMBOLI	KHEM COMPUTER AND MOBILE POINT	INFRONT OF SBI ,PETROL PUMP ROAD	WARD NO 14 SAKTI	7509087666
64	JASHPUR	JSHPUR	SHARMA COMPUTERS	NAVNEET KUMAR SHARMA	SHARMA COMPUTERS	KARBALA CHOWAK	JASHPURNAGAR	9425252975
65	JASHPUR	KUNKURI	AISECT CSC CENTRE	K K SINHA	AISECT COMPUTER NEAR POLICE TANA	JASHPUR ROAD KUNKURI		9425574117
66	JASHPUR	LUDEG	AISECT CSC CENTRE	RAVINDRA K PRADHAN	PRADHAN COMPUTERS	VILL AND POST LUDEG BLOCK PATHALGAON		9691304050
67	KABIRDHAM	KAWARDHA	AISECT CSC CENTER	RAGHAVENDRA SINGH SONI	DIKSHA COMPUTER NEAR DENA BANK PIPARIYA			9406208005
68	KABIRDHAM	KAWARDHA	AISECT CSC CENTER	NARENDRA SINGH THAKUR	DEEP TECH EKTA CHOWK	MAIN ROAD NH 12A	KAWARDHA	9893601234
69	KABIRDHAM	PANDARIYA	AISECT CSC CENTER	RAJESH KUMAR SAHU	AISECT E GYAN CENTER & GRAMIN CHOICE CENTER	MAIN ROAD PANDATARAI, POST PANDATARAI, TAHSIL-PANDARIA	DIST. KABIRDHAM C.G.	9755911659
70	KABIRDHAM	SAHASPUR LOHARA	AISECT CSC CENTRE	SOURABH SHRIVASTAVA	SAURAV COMPUTER , C/O THE INSTITUE OF IT, SHANTI NAGAR	VILL & POST :SAHASPUR LOHARA,		9098538575
71	KANKER	JAISAKARRA	AISECT CSC CENTRE	KUBER GAJENDRA	GAJENDRA PHOTOCOPY & SUVIDHA KENDRA	GAJENDRA PHOTOCOPY		9424275131
72	KANKER	KANKER	AISECT CSC CENTRE	DHANESH WARI	VILLAGE AROUD POST KOTELA	POST KOTELA	CHARAMA	9425593857
73	KANKER	KANKER	AISECT CSC CENTRE	RAMESH THAKUR	NEAR CHURCH NATIONAL COMPUTER	NATIONAL COMPUTER	MAHURBAND PARA	9425261817
74	KANKER	KANKER	MADHUR CUORIER SERVICE	MOHAMMAD IDRISH DEBHAR	NEW REPUBLIC STATIONERY MART	MAIN ROAD	RAZA COMPLEX	9425259038
75	KANKER	MATOLI	AISECT CSC CENTRE	BIPUL BISWAS	NEAR PETROL PUMP PAKHANJORE			9424275887
76	KANKER	SARONA	AISECT CSC CENTRE	GOPAL YADAV	RAJ COMPUTER SARONA	SARONA NETAM COMPLEX NEAR PETROL PUMP	DIST KANKER CG	9826420269
77	KONDAGAON	KONDAGAON	AISECT CSC CENTRE	NARESH SONI	MAIN ROAD KONDAGAON	SHOP NO.1 KONDAGAON	KONDAGAON DISTT. KONDAGAON	9826561053
78	KONDAGAON	PHARASGAON	AISECT CSC CENTRE	JYOTI KUMAR	AISECT COMPUTER EDUCATION CENTER	GANDHI CHOWK	BAZAR ROAD, PHARASGAON	9691345338
79	KORBA	CHAITMA	AISECT CSC CENTRE	MANOJ KUMAR PRAJAPATI	AISECT E-GYAN CENTRE	VILL & POST AT-CHAITMA		9617388414
80	KORBA	CHAITMA	AISECT CSC CENTRE	CHATRA BHUWAN SINGH	AISECT E-GYAN CENTRE	VILL & POST AT-CHAITMA	BLOCK: PALI	9303012550
81	KORBA	DIPKA	AISECT CSC CENTRE	RAVI KANT SHARMA	HITESH ENTERPRISES	NEAR RAILWAY CROSSING	BAJRANG CHOWK DIPKA	9826409052
82	KORBA	KORBA	AISECT CSC CENTRE	MANISH KUMAR ANANT	MANISH ONLINE SERVICES	NEW BUS STAND	KATGHORA	9893210455
83	KORBA	KORBA	AISECT CSC CENTRE	PANKAJ DUBEY	VILL-POST-PONDI	THASIL-PALI	THANA-PALI	9617388414
84	KORBA	KORBA	AISECT CSC CENTRE	B K SHARMA	AISECT, MLC COMPUTERS	MIG-85, NEHRU NAGAR	NEAR MAHARANPRATAP CHOWK	9425540062
85	KORBA	RAJGAMAR	AISECT CSC CENTRE	KANHAIYA RATHORE	AISECT EDUCATION	AT - RAJGAMAR		9993247759
86	KORBA	SOHAGPUR	AISECT CSC CENTRE	SHEKH SHAHNAWAZ	AISECT E GYAN CENTRE	VILL AND POST SOHAGPUR		9301787762
87	KORBA	TANAKHAR	AISECT CSC CENTRE	RASMI NAYAK	AISECT E GYAN CENTRE	VILL AND POST : TANAKHAR		9617388414
88	KOREA	CHIRIMIRI	UPASNA COMPUTERS	PUNNU LAL KEWAT	NEAR HANUMAN MANDIR	64 DAFAI, WARD NO. 7	KOREA COLLIERY	9425586683

क्रमशः

S. N.	District	City	Suvidha Kendra Name	Contact Person	Address1	Address2	Address3	Contact No.
89	KOREA	CHIRMIRI	AISECT CSC CENTRE	SUJEET KUMAR	AISECT COMPUTER ACADEMY	NEAR RADHA KRISHNA MANDIR, MAIN ROAD,GODRIPARA,	PO.: KURASIYA, CHIRMIRI - 497 553	9981551628
90	KOREA	MANENDRAGARH	AISECT CSC CENTRE	AKBAR RIZIVI	RAJEEV GANDHI COMPUTER COLLEGE	MANENDRAGARH	9827290029, 9826829727	9826829727
91	KOREA	MANENDRAGARH	AISECT CSC CENTRE	RAMESH DUBEY	HARRA ROAD POST NAGPUR	BLOCK MANENDRAGARH		9893764904
92	KOREA	MANENDRAGARH	OM SAI ONLINE SERVICES	AKASH SHEKDAR	WARD NO 15 NEAR RAILWAY STATION SAROWAR MARG			9993144703
93	KOREA	SONHAT	AISECT CSC CENTRE	RAJ KUMAR SAHU	VILLAGE - SONHAT	POST - SONHAT	DISTTI - KOREA	7389842534
94	MAHASAMUND	BASNA	AISECT CSC CENTRE	P L PATEL	AISECT E GYAN CENTRE VILL AND POST BANSA BLOCK BANSA	ABOVE DENA BANK	BUS STAND	9977442003
95	MAHASAMUND	PITHORA	AISECT CSC CENTRE	SHYAM LAL PATEL	SHYAM LAL PATEL	BAGBAHARA ROAD	AISECT - PITHROA	9977514102
96	MAHASAMUND	SARAIPALI	MADHUR COURIER SERVICE	AWADHESH AGRAWAL	C/O PRATIBHA AGENCY	MAIN ROAD	SARAIPALI	9424202447
97	MUNGELI	KODWA MAHANT	AISECT CSC CENTRE	BHANU PRATAP SAHU	SARMANGLA COMPUTER	THAKUR DEV MANDIR KE PASS		9179350881
98	MUNGELI	LORMI	MADHUR COURIER SERVICES	PAWAN GUPTA	WARD NO. 15 NEAR REST HOUSE MAIN RAOD	LORMI	LORMI	9993825656
99	RAIGARH	DHARAMJAIGARH	AISECT CSC CENTER	MEERA PURKAYASTHA	SHIVAM FOUNDATION	RAIGARH ROAD , DHARAMJAIGARH	PH. (O) 07766-266664 (M) 9424190437,9691601545	9691601545
100	RAIGARH	RAIGARH	AISECT CSC CENTER	BISHWAJIT SARKAR	AISECT COMPUTER CENTRE	NEAR GURUNANAK SCHOOL, KOSTA PARA	NAYA GANJ	9425252051
101	RAIGARH	RAIGARH	MADHUR COURIER SERVICE	OM PRAKASH DALMIYA	GANDHI GANJ,NEAR KABOOTARKHANA			9301010500
102	RAIGARH	SARANGARH	GUPTA KIOSK CENTER	NAWAL KISHORE KESHARWANI	GUPTA COMPUTER EDUCATION	NANDA CHOWK KACHHAHARI ROAD SARANGARH	TEH SARANGARH DISTT.- RAIGARH (C.G.)	9425250056
103	RAIPUR	KHARORA	AISECT CSC CENTRE	NARENDRA SAHU	AISECT COMPUTER	NEAR CO-OPERATIVE BANK	MAIN ROAD,KHARORA	9424222204
104	RAIPUR	RAIPUR	AISECT CSC CENTRE	HEERA BHASKER	AISECT COMPUTERS	VIDHANSABHA ROAD,	NEAR MOWA POLICE STATION, MOWA	9981673566
105	RAIPUR	RAIPUR	AISECT CSC CENTER	MOH SHARIF ANSARI	SUNDAR NAGAR	NEAR HP PETROL PUMP	MAHADEO GHAT ROAD	9993285811
106	RAIPUR	RAIPUR	AISECT CSC CENTRE	PRATAP SINGH PRADHAN	INDRAWATI COLONY RAJATALAB RAIPUR			9630164516
107	RAIPUR	RAIPUR	AISECT CSC CENTRE	SHASHIKANT VERMA	AISECT COMPUTER EDUCATION CENTRE	C-18, SECTOR-1,	AVANTI VIHAR	9826151135
108	RAIPUR	RAIPUR	AISECT CSC CENTRE	DINBANDHU SAHU	AISECT COMPUTER EDUCATION CENTRE	DINBANDHU SAHU, SHOP NO 20, SAHU COMPLEX,	TIKRAPARA, RAIPUR, PIN-492001	9424216157
109	RAIPUR	RAIPUR	SHYAM TYPING INSTITUTE	ANKIT AGRAWAL	SHYAM TYPING INSTITUTE, NEAR SHYAM TALKIS, BUDHA PARA RAIPUR			9893162450
110	RAIPUR	RAIPUR	PITAMBARA ONLINE	PRAVEEN SINGH	PITAMBARA TOUR & TRAVELS	SATTIBAZAR,NEAR SATTI MATA TEMPLE, FAWWARA CHOWK	GAURI SHANKAR APARTMENT RAIPUR (C.G.)	7489992794
111	RAIPUR	RAIPUR	METRO GRAPHICS AND PRINT MEDIA	MANVENDRA SINGH	SHOP NO 44, SHAHEED VEER NAYARAN SINGH PARISAR	GHADI CHOWK	NAGAR GHADI CHOWK	9425213394
112	RAIPUR	RAIPUR	SOURABH GHATGE	SOURABH GHATGE	CHOTTAPARA OPPO GOVT J.N PANDEY H.S SCHOOL			7869785082
113	RAIPUR	RAIPUR	SOAMI INTERNET CAFE	KAPIL KUMAR GOHIYA	SOAMI INTERNET CAFE & TRAVELS	SHRINAGAR MAINROAD NEAR CHHOTA HANUMAN MANDIR	GUDHIYARI ROAD KHAMTARAI RAIPUR	9329679877

क्रमशः

S. N.	District	City	Suvidha Kendra Name	Contact Person	Address1	Address2	Address3	Contact No.
114	RAIPUR	RAIPUR	ITSC	RAJESH AGRAWAL	AGRAWAL COMMERCE CLASS COMPLEX MAIN ROAD KANKALIPARA NAVBHARAT CHOWK	INFRONT OF DURGA LIGHT DECORATION		9425212773
115	RAIPUR	RAIPUR	AGRAWAL COMPUTERS	NEELESH BANSAL	AGRAWAL COMPUTERS	OPP. SATKAR HOTEL, NEAR DADHICH, STATION ROAD, RAIPUR		9303099022
116	RAIPUR	RAIPUR	MONARK INFOTECH	HARUN KHAN	RAJATALABNOORANI CHOWK			9329239685
117	RAIPUR	RAIPUR	AREA THIRTEEN CYBER CAFE	B SIDDHARTH RAO	BEHIND DISHA COLLEGE INFRONT OF D R PATIL HOUSE	NEW SHANTI NAGAR		7869434353, 9993855568
118	RAIPUR	RAIPUR	REAL COMPUTER	ABDUL SHAHBAAZ SIDDIQUI	OPPOSITE CHHATTISGARH BUNKAR SAHKARI SANGH	G E ROAD, AMAPARA	RAIPUR	9329212555
119	RAIPUR	TILDA-NEORA	MADHUR COURIER SERVICE	NARAYAN PRASAD SHARMA	SHUBHAM MOBILE TILDA	NEAR POLICE THANA STATION ROAD TILDA	PO NEORA PIN 493114	9300678040
120	RAJNANDGAON	DONGARGAON	AISECT CSC CENTRE	K L SONI	AISECT, SONI COMPUTERS	BTI ROAD,KILLA PARA,	THANA ROAD, DONGARGAON - 491 661	9893967284
121	RAJNANDGAON	DONGARGARH	AISECT CSC CENTRE	TULESH KUMAR	AJAY COMPUTER CENTER, VILLAGE-URAIDABRI, POST-TENDUNALA, BLOCK-DONGARGARH			9589083071
122	RAJNANDGAON	PENDERWANI	AISECT CSC CENTRE	VARSA TAMRKAR	AISECT EGYAN CENTRE	VILL & POST AT-PENDERWANI (BARBASPUR)		9424105111
123	RAJNANDGAON	RAJNANDGAON	AISECT CSC CENTRE	PHAGOO RAM SAHU	HIGH SCHOOL GROUND, SAHU DHAMSHALA	POST CHHURIA	TAHSIL CHHURIA	9407671960
124	RAJNANDGAON	RAJNANDGAON	G INSTITUTE	PRASHANT DIXIT	BEHIND SHRI HUNAMAN MINDIR SHITALA MANDIR ROAD GANDHI CHOWK RAJNANDGAON			9827185566
125	RAJNANDGAON	RAJNANDGAON	RAJAT JAIN	RAJAT JAIN	C/O SWARNA SADI CENTER, CHOKI ROAD, DONGARGAON	RAJNANDGAON		9752005946
126	RAJNANDGAON	RAJNANDGAON	MADHUR COURIER SERVICE	KAMAL KISHORE	SHOP NO. 7 JAI STAMBH CHOWK KALYAN MARKET			9424242373, 9300799922
127	RAJNANDGAON	RAOD ATARIA	AISECT CSC CENTRE	MAHENDRA SAHU	AISECT EGYAN CENTRE	VILL & POST AT- ROAD ATARIA	BLOCK-CHHUIKHADAN	9691500657
128	SURGUJA	AMBIKAPUR	SHRESTHA SALE AND SERVICE	SUSHMA SHRESTHA	C/O SHRESTHA SALE AND SERVICE	DEVIGANJ ROAD, NEAR CHITRAMANDIR	INFRONT OF PANCHSHEEL SWEATS, DEVIGANJ ROAD, AMBIKAPUR	9826484123
129	SURGUJA	AMBIKAPUR	SHEETAL INST OF COMPUTER SCIENCE	JAYA SHARMA	SHEETAL INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE, SCHOOL ROAD, COMPANY BAZAR	BESIDE MOBILE TOWER		9009172349
130	SURGUJA	AMBIKAPUR	SHAIL TRADERS	CHANDRESH GUPTA	MALVIYA MARKET DEVIGANJ ROAD AMBIKAPUR			9826831073
131	SURGUJA	AMBIKAPUR	MADHUR COURIER SERVICE	KISHOR KUMAR BAJRANI	MADHUR COURIER SERVICE BRAHMA ROAD AMBIKAPUR			9302127733

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 05/2019/परीक्षा/दिनांक 02/03/2019 **प्रकाशन की तिथि 06/03/2019**

:: विज्ञापन ::

ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी (उच्च शिक्षा विभाग) के पद पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 05/04/2019 मध्यान्ह 12:00 बजे से 04/05/2019 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रुप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश डिपोजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक **05/04/2019** को मध्यान्ह 12:00 बजे से **04/05/2019** रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक **07/05/2019** अपरान्ह 12:00 बजे से **13/05/2019** रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
6. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रुप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **उच्च शिक्षा विभाग** के अंतर्गत **ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित हैः–

स. क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की **वर्गवार** संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से **केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से **निःशक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	कुल योग	वेतन मैट्रिक्स
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	ग्रंथपाल	11	3	8	3	3	-	2	-	2 (OA, OL, OAL, B, LV, HH)	**25**	**56**	वेतन मैट्रिक्स अकादमिक लेवल–10 (वेतन बैंड ₹15600–39100 + ए.जी.पी. 6000)
	बैकलॉग	-	4	23	4	-	1	6	1	1 (OA, OL, OAL, B, LV, HH)	**31**		
2	क्रीड़ा अधिकारी	17	5	13	5	5	1	3	1	-	**40**	**61**	
	बैकलॉग	-	10	11	-	-	3	3	-	-	**21**		
											कुल पद :–	**117**	

<u>महत्वपूर्ण टीप</u> :–

1. **पदों की संख्या परिवर्तनीय है।**
2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियम के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
4. ग्रंथपाल पद के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन (OA, OL, OAL, B, LV, HH) ही मान्य होंगे।

5. **रिक्तियों में आरक्षण :–**

(i) उपर्युक्त तालिका के कालम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपर्युक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

(ii) **छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।**

6. परीक्षा योजना <u>परिशिष्ट 'एक'</u>, पाठ्यक्रम <u>परिशिष्ट 'दो'</u> एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी <u>परिशिष्ट 'तीन'</u>

क्रमशः

में उल्लेखित है।

7. <u>ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।</u>

(2) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य :–

(A) पद का नाम :– <u>ग्रंथपाल</u>

(i) सेवा श्रेणी :– राजपत्रित–द्वितीय श्रेणी

(ii) वेतन मैट्रिक्स :– ₹ 15600–39100 ए.जी.पी. 6000
(₹ 57700 (अकादमिक स्तर–10)

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iii) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :–

(क) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकुमेंटेशन विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नाताकोत्तर उपाधि अथवा ऐसी समतुल्य व्यावसायिक उपाधि (अथवा जहां ग्रेडिंग पद्धति लागू है। पाइन्ट स्केल में समतुल्य ग्रेड अथवा यूजीसी अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित समतुल्य व्यवसायिक उपाधि तथा पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का ज्ञान एवं अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो।

टीप –(1) अनूसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों/दिव्यांग (शारीरिक एवं दृष्टिबाधित विकलांग)/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 5% की छूट प्रदान की जावेगी। 55% या 50% अंक को पूर्णांकित किया जाना स्वीकार नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये कृपांक भी छूट हेतु स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(2) यूजीसी अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था (एजेंसी) द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा सेट/स्लेट परीक्षा पुस्तकालय विज्ञान में अर्ह हो।

(3) तथापि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फील./पी.एच.डी. प्रदान करने के लिये न्युनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को ग्रंथपाल या उसके समकक्ष पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिये नेट/स्लेट/सेट की न्युनतम पात्रता की शर्तो की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

महत्वूपर्ण टीपः–

(1) वे अभ्यर्थी जो, दिनांक 11 जुलाई, 2009 ग्रंथपाल पद के लिए एम.फिल./पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत है, उपाधि प्रदान करने वाले संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों द्वारा शासित होंगे। पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन न्यूनतम पात्रता शर्तो से छूट प्राप्त होगीः

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो;

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों, जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;

(ड़.) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।

उपर्युक्त (क) से (ड़.) को कुलपति/प्रति–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(2) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड से अभिप्रेत हैः–

(एक) स्नातक (अंडर ग्रेजुएट)–न्यूनतम 50%

(3) यू.जी.सी. की परिवर्तन तालिका के अनुसार, प्रतिशत अंकों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जायेगाः–

श्रेणी	श्रेणी बिन्दु (पाईंट)	समतुल्य प्रतिषत
'O'	5.50 - 6.00	75 - 100
'A'	4.50 - 5.49	65 - 74
'B'	3.50 - 4.49	55 - 64
'C'	2.50 - 3.49	45 - 54
'D'	1.50 - 2.49	35 - 44
'E'	0.50 - 1.49	25 - 34
'F'	0.00 - 0.49	00 - 24

(4) (एक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त व्यक्ति तथा दृष्टिहीन व्यक्ति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर समृद्ध श्रेणियां) के संवर्ग के व्यक्तियों की, शिक्षण संबंधी स्थानों (पदों) पर सीधी भर्ती के दौरान उनके पात्रता एवं अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के निर्धारण के उद्देश्य से स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5% की छूट उपलब्ध कराई जा सकेगी। पात्रता के लिए 55% अंक (अथवा जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां पर "पाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा उपरोक्त उल्लिखित संवर्गो के लिये 5% की छूट, किसी अनुग्रह अंक के सम्मिलित करने की प्रक्रिया के बिना, केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी।

(दो) ऐसे पीएच.डी. धारक, जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली हो, के अंकों में 5% की छूट प्रदान की जायेगी जो कि 55% से 50% होगी।

(तीन) जहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहां संबंधित श्रेणी, जो 55% के यथा समतुल्य मानी गई हो, पात्रता समझी जायेगी।

(B) पद का नाम :– <u>क्रीड़ा अधिकारी</u>

(i) सेवा श्रेणी :– राजपत्रित–द्वितीय श्रेणी

(ii) वेतन मैट्रिक्स :– ₹ 15600–39100 ए.जी.पी. 6000
(₹ 57700 (अकादमिक स्तर–10)

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iii) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :–

(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंको के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा खेलकूद विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा समतुल्य डिग्री अथवा यूजीसी 7 पाइंट स्केल मे श्रेणी "बी") तथा अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो।

(ख) अन्तर–विश्वविद्यालय/अन्तर–महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और/या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व का रिकार्ड हो।

(ग) राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, जो इस उददेश्य से यू.जी.सी. द्वारा अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित हो, आयोजित की गई हो, में अर्ह हो।

(घ) इन नियमों के अंनुसार संचालित शारीरिक क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो।

(ड़.) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को खेल अधिकारी या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तो की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

(च) शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी मापदण्ड :–

(एक) उपरोक्त प्रावधानों के अध्यधीन, ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिनके लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होता है, के द्वारा ऐसे परीक्षाओं में उपस्थित होने से पूर्व ऐसी चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें सत्यापित होगा कि वह चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है।

क्रमशः

(दो) उपरोक्त उप–खण्ड (एक) के अंतर्गत ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, नीचे दिये गये मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक सक्षमता परीक्षा देना होगाः –

पुरूषों के लिए मापदण्ड

12 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा

30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर

महिलाओं के लिए मापदण्ड

8 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा

30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर

टीप :– क्रीड़ा अधिकारी के पद के लिये –

(एक) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्ह अभ्यर्थियों के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा, छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित/नामांकित विभाग या एजेंसी द्वारा लिया जायेगा।

(दो) शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनर्ह अभ्यर्थी, चयन परीक्षा के लिये अपात्र होंगे।

महत्वपूर्ण टीपः–

(1) वे अभ्यर्थी जो, दिनांक 11 जुलाई, 2009 क्रीड़ा अधिकारी पद के लिए एम.फिल./ पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत है, उपाधि प्रदान करने वाले संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों द्वारा शासित होंगे। पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन न्यूनतम पात्रता शर्तों से छूट प्राप्त होगीः

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो;

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों, जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;

(ड़.) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।

उपर्युक्त (क) से (ड़.) को कुलपति/प्रति–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(2) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड से अभिप्रेत हैः–

(एक) स्नातक (अंडर ग्रेजुएट)–न्यूनतम 50%

(3) यू.जी.सी. की परिवर्तन तालिका के अनुसार, प्रतिशत अंकों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जायेगाः–

श्रेणी	श्रेणी बिन्दु (पाईंट)	समतुल्य प्रतिषत
'O'	5.50 - 6.00	75 - 100
'A'	4.50 - 5.49	65 - 74
'B'	3.50 - 4.49	55 - 64
'C'	2.50 - 3.49	45 - 54
'D'	1.50 - 2.49	35 - 44
'E'	0.50 - 1.49	25 - 34
'F'	0.00 - 0.49	00 - 24

(4) (एक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त व्यक्ति तथा दृष्टिहीन व्यक्ति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर समृद्ध श्रेणियां) के संवर्ग के व्यक्तियों की, शिक्षण संबंधी स्थानों (पदों) पर सीधी भर्ती के दौरान उनके पात्रता एवं अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के निर्धारण के उद्देश्य से स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5% की छूट उपलब्ध कराई जा सकेगी। पात्रता के लिए 55% अंक (अथवा जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां पर "पाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा उपरोक्त उल्लिखित संवर्गों के लिये 5% की छूट, किसी अनुग्रह अंक के सम्मिलित करने की प्रक्रिया के बिना, केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी।

(दो) ऐसे पीएच.डी. धारक, जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली हो, के अंकों में 5% की छूट प्रदान की जायेगी जो कि 55% से 50% होगी।

(तीन) जहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहां संबंधित श्रेणी, जो 55% के यथा समतुल्य मानी गई हो, पात्रता समझी जायेगी।

(3) **परिवीक्षा अवधि** :– चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति **02 वर्ष** की परिवीक्षा पर की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोटः–

(i) **अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, पीएच.डी., नेट, सेट, स्लेट, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण–पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, पीएच.डी., नेट, सेट, स्लेट, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।**

(ii) **ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।**

(4) **निर्धारित आयु सीमाः–**

अभ्यर्थी की आयु दिनांक **01.01.2019** को **21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी** अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर **40 वर्ष होगी।**

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः–

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके **परिणाम–स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरणः–"छटनी किये गये सरकारी सेवक"** से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु **आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।**

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी **परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।**

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–1/2016/1–3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

क्रमशः

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

(vii) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की **उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

(viii) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये **उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।**

(ix) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(x) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है। **यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।**

(xii) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

<u>महत्वपूर्ण टीपः–</u>

(i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली **सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।**

(ii) **आयु की गणना दिनांक – 01.01.2019** के संदर्भ में की जाएगी।

(5) <u>अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, पीएच.डी., नेट, सेट, स्लेट, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन–पत्र भरें।</u> परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा **चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।**

(6) **साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः–** साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण–पत्र यथा– स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, अनुभव, पंजीयन, पीएच.डी., नेट, सेट, स्लेट, आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। <u>**अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, पीएच.डी., नेट, सेट, स्लेट, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है।**</u> **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।**

(iv) **जाति प्रमाण पत्र :–**

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

(d) **यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:–**

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ii) विज्ञापन की कंडिका – **4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi),** एवं **4(vii)** के अंर्तगत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – **4(viii)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – **4(ix)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(v) विज्ञापन की कंडिका – **4(x)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट

क्रमशः

के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – 4(xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव" का प्रमाण–पत्र।

(vii) विज्ञापन की कंडिका – 4(xii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता" का प्रमाण–पत्र।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) आपराधिक अभियोजन :–

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:–

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश–पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी–

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा–

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि–

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) अनर्हता: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) चयन प्रक्रिया :– विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही

क्रमशः

उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं **अथवा** उच्च योग्यताओं **अथवा** दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा "केवल" साक्षात्कार द्वारा **अथवा** ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीपः– **यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगाः–**

(i) उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट–'एक' तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट–'दो' में प्रकाशित है।

(iii) ऑनलाइन परीक्षा हेतु रायपुर, दुर्ग–भिलाई एवं बिलासपुर परीक्षा केन्द्र होंगे।

(11) ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :–

(i) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए रूपये **300/–** (रूपये तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये **400/–** (रूपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

(ii) अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखने पर एक से अधिक विज्ञापित पदों हेतु आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी को प्रत्येक पद हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान पृथक–पृथक करना होगा।

(12) ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में:–

(यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) आयोग द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) अभ्यर्थी आयोग को ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न–पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न–पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर को मय दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन/शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 07 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(13) यात्रा व्यय का भुगतान :–

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

(ii) **साक्षात्कार के लिये** – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार **कंडिका 13(i)** में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(14) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):–

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/–
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर

परिशिष्ट–एक,
"परीक्षा योजना"

(1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण ऑनलाइन परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।

ऑनलाइन परीक्षा	–	300 अंक
साक्षात्कार	–	30 अंक
कुल	–	**330 अंक**

(2) ऑनलाइन परीक्षाः–

(i) ऑनलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगाः–

प्रश्नों की संख्या 150 3:00 घंटे अंक 300

भाग 1 – सामान्य अध्ययन – 50 प्रश्न (100 अंक)

भाग 2 – संबंधित विषय – 100 प्रश्न (200 अंक)

कुल – 150 प्रश्न (300 अंक)

(3) ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स एवं द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स एवं द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।

(4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगाः –

$$MO = M \times R - {}^{1}/_{3} M \times W$$

जहां MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।

(5) पाठ्यक्रम की जानकारी **परिशिष्ट–दो** में दी गई है।

(6) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में होगा।

(7) ऑनलाइन परीक्षा के अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23 प्रतिशत होंगे।

(8) साक्षात्कारः– साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।

(9) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

(10) केवल क्रीड़ा अधिकारी के पद हेतुः–

क्रीड़ा अधिकारी के पद हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्ह अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जायेगा। शारीरिक अर्हता परीक्षा में अनर्ह होने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के लिए अपात्र होंगे।

(11) चयन सूचीः– उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

□□□

परिशिष्ट-दो,
"पाठ्यक्रम"

भाग-1 सामान्य अध्ययनः-

(क) सामान्य अध्ययनः-

1. भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारत का भूगोल।
2. भारत का संविधान, लोक प्रशासन एवं विधि।
3. भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जल, खनिज एवं वन संसाधन।
4. समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद।
5. सामान्य विज्ञान एवं कम्प्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान।

(ख) छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञानः-

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र।
3. छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं।

(ग) बुद्धिमता परीक्षणः-

1. गणितीय योग्यता, बुद्धिमता परीक्षण एवं आंकड़ों का विश्लेषण।

Part-1 GENERAL STUDIES:-

(A) General Studies:

1. History of India, Freedom movement and Geography of India.
2. Constitution of India, Public Administration and Law.
3. Economy of India, Environment, Water, Minerals and Forest Resources.
4. Current Events and Sports.
5. General Science and basic knowledge of Computer.

(B) General Knowledge of Chhattisgarh:

1. History of Chhattisgarh and contribution of Chhattisgarh in freedom movement.
2. Geography of Chhattisgarh, Water, Mineral resources, Climate and Physical Conditions.
3. Literature of Chhattisgarh, Music, Dance Art and culture of the Chhattisgarh.
4. Tribes of Chhattisgarh, Dialect Rituals and Festivals.
5. Economy of Chhattisgarh, Forest and Agriculture.
6. Administrative structure of Chhattisgarh Governance and Panchayati Raj.
7. Human Resources and Energy Resources in Chhattisgarh.
8. Education, Health and current events in Chhattisgarh.

(C) Intelligence Test:

1. Mathematical Ability, Intelligence Test and Data Analysis.

भाग-2(क) "ग्रंथपाल" के पद हेतुः

1. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के पाँच नियम एवं उसका प्रयोग, शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान में पुस्तकालयों की भूमिका, पुस्तकालय समिति : प्रकार एवं कार्य, पुस्तकालय आंदोलन एवं भारत में पुस्तकालय विधान, पुस्तकालय संघ/व्यावसायिक संगठन : उद्देश्य एवं कार्य – यूनेस्को, इफला, ए.एल.ए. आइसलिक, आई.एल.ए.।

सूचना, सूचना विज्ञान, सूचना समाज – परिभाषा, क्षेत्र, उद्देश्य, उत्पत्ति एवं विकास, सूचना संसाधन, संचार के माध्यम एवं बाधाएं, नियोजन में सूचना की भूमिका, प्रबंध, सामाजिक आर्थिक विकास एवं टेक्नालॉजी ट्रान्सफर, सूचना तकनीकि एवं बौद्धिक संपदा–अधिकार–अवधारणा, कापीराईट, सेन्सरशिप–प्रिन्ट एवं नान–प्रिन्ट मिडिया, सूचना आवश्यकता एवं सूचना खोज व्यवहार, सूचना उत्पाद – प्रकृति, अवधारणा, प्रकार, विकास एवं विपणन, सूचना का अर्थशास्त्र, सूचना प्रबंध, ज्ञान प्रबंध।

सूचना के स्रोत – प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक – प्रलेखीय एवं अप्रलेखीय, संदर्भ सेवा – अवधारणा, परिभाषा एवं महत्त्व, विभिन्न प्रकार के ग्रंथालयों में संदर्भ स्रोत के प्रकार एवं प्रकृति – क्षेत्र, उद्देश्य, प्रकार महत्त्व एवं आवश्यक उदाहरण सहित मूल्यांकन – इनसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश, वार्षिकी एवं पंचांग, निर्देशिकाएं, सामयिक संदर्भ स्रोत, भौगोलिक एवं जीवन चरित्र स्रोत।

ग्रंथपरक सेवाएँ, अनुक्रमणीकरण एवं सारकरण सेवा, सामयिक अभिज्ञता सेवा एवं चयनित सूचना प्रसारण, प्रलेखन : अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, क्षेत्र एवं विकास, प्रतिलिपिकरण सेवा, अनुवाद सेवा, डाटा बेस, ग्रंथपरक एवं फूल टेक्स्ट मूल्यांकन, ई प्रलेख, ई बुक, ई जर्नल्स।

ज्ञान/सूचना का संगठन विषयों का निर्माण/विकास, पुस्तकालय वर्गीकरण – उपसूत्र एवं सिद्धांत, पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली – दशमलव वर्गीकरण यू.डी.सी. एवं द्विबिन्दु वर्गीकरण, अंकनः प्रकार संरचना एवं गुण।

पुस्तकालय प्रसूचीकरण – उपसूत्र एवं आदर्शक सिद्धांत, पुस्तकालय प्रसूचीकरण संहिता – वगीकृत प्रसूची संहिता एवं एंगलो–अमेरिकन केटालागिंग रूल्स 2, ग्रंथपरक संलेख – अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथीय विवरण, मार्क एवं सी सी एफ, अनुक्रमणीकरण – पूर्व समन्वयी अनुक्रमणीकरण, पश्च समन्वयी अनुक्रमणीकरण, शब्दावली नियंत्रण – थिसायरस, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, डाटा बेश सर्च स्ट्रेटजी, बुलियन आपरेटर।

प्रबंधन – सिद्धांत, कार्य, स्कूल ऑफ थॉट, संग्रह विकासः विभिन्न चयन स्रोत एवं महत्व, संप्राप्ति एवं परिसंशोधन, भौतिक वातावरणः पुस्तकालय भवन योजना, फर्नीचर, फिटिंग एवं उपकरण, नियमित प्रक्रियाएँ : संप्राप्ति, परिचालन, पत्र – पत्रिका नियंत्रण, भण्डार सत्यापन बनाम परिसंशोधन, पुस्तकालय जनसंपर्क एवं विस्तार सेवा, पुस्तकालय अभिलेख का रख – रखाव एवं पुस्तकालय सांख्यिकी एवं वार्षिक प्रतिवेदन। संसाधन सहभागिता, पुस्तकालय वित्त एवं बजट, बजट अवधारणा, प्रकार एवं विधि, मानव संसाधन प्रबंध – मानव शक्ति नियोजन, कार्य विश्लेषण, कार्य विवरण, चयन, भर्ती, अभिप्रेरण, प्रशिक्षण एवं विकास, स्टॉफ मेनुअल, नेतृत्व एवं योग्यता मूल्यांकन।

सूचना तकनीक – तत्व, समाज में सूचना तकनीक का प्रभाव, कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट–आउटपुट डिवाइस, टेलीकम्यूनिकेशन – ट्रान्समिशन मिडिया, स्विचिंग प्रणाली, बेन्डविथ, मल्टिप्लेक्सिंग, माडुलेशन, प्रोटोकाल, वायरलेश कम्यूनिकेशन फेक्स, ई–मेल, टेली कान्फ्रेन्सिंग, विडियो कान्फ्रेन्सिंग, नेटवर्क –

क्रमशः

सांस्थिति, प्रकार – स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, बृहत क्षेत्र नेटवर्क, महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क, हाईपरटेक्ट, हाईपरमिडिया, मल्टिमिडिया।

पुस्तकालय स्वचालन – स्वचालन के क्षेत्र, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर चयन, ओपेक नेटवर्क – अरनेट, निकनेट, डेलनेट, ओ.सी. एल.सी., इन्फिलिबनेट, इन्टरनेट – अंग, सेवा, ब्राउजिंग – वेबब्राउजर, सर्च– इंजन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली – निसात, नॉसडाक, निस्केयर, डेसिडॉक, ईनिस, एग्रिस, मेडलर, इन्सपेक।

शोध के प्रकार – सैद्धांतिक, व्यावहारिक एवं अंतर्विषयी, शोध प्रारुप, शोध रिपोर्ट लेखन प्रविधि, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में शोध प्रविधि, बिब्लियोमेट्रिक्स, इन्फारमेट्रिक्स, साइन्ट्रोमेट्रिक्स–अवधारणा, परिभाषा एवं क्षेत्र।

ग्रंथालयों के प्रकार – राष्ट्रीय, सार्वजनिक, शैक्षणिक एवं विशेष ग्रंथालय – उद्देश्य, संरचना एवं कार्य, डिजिटल ग्रंथालय – अवधारणा, वर्चुवल ग्रंथालय – अवधारणा, उपयोगकर्ता के प्रकार, उपयोगकर्ता शिक्षा–प्रकार, उद्देश्य, प्रविधि एवं मूल्यांकन, उपयोगकर्ता अध्ययन अवधारणा, उद्देश्य, क्षेत्र, प्रकार, राजा राम मोहन लाईब्रेरी फाउन्डेशन की भूमिका, प्रबंध सूचना प्रणाली अवधारणा, प्रकृति, क्षेत्र एवं कार्य।

Part-2 (A) For "Librarian" Post:

1. Library and Information Science:

Ranganathan's five laws of library science and their applications. Role of Libraries in academic & Social Institutions. Library Committee: Types and Functions. Library movement and Library legislation in India. Library Association/ Professional Organization: their objective and functions -UNESCO, IFLA, ALA, ILA, IASLIC.

Information, Information science, Information society : Definition, Scope, Objectives, Genesis and Development. Information as resource. Communication channels and barriers. Role of Information in Planning, Management, Socio Economic development and technology transfer. Information Technology and Library. Intellectual Property Rights - Concept, Copyright, Censorship-print and non print Media. Information needs and Information seeking behaviors. Information Products: Nature, Concept, Type, Development and Marketing. Economics of Information. Information Management and Knowledge Management.

Sources of Information- Primary, Secondary, Tertiary-Documentary and non documentary. Reference Service: Concept, Definitions, Importance, Kinds and Nature Reference sources - scope, Purpose, Type, Importance and Evaluation with suitable examples of Encyclopedias, Dictionary, Year books and Almanacs, Directories, Current Reference, Geographical and Biographical Sources.

Bibliographic Service, Indexing and Abstracting Service. Current Awareness Service and Selective Dissemination on Information. Documentation : Meaning, Definition, Objectives, Scope and Development. Reprographic Service. Translation Service. Databases, Bibliographic and Full text-Evaluation. e-documents, e-books, e-journals.

Organization of Knowledge/Information. Modes of formation of subjects. Library Classification - Canons and Principles. Library Classification Schemes - DDC, UDC and CC. Notations: type, structure and qualities.

Library Cataloguing - Canons and Principles. Library Cataloguing Codes - CCC and AACR-II. Bibliographic Records - International standards ISBDs, MARC and CCF. Indexing - Pre-coordinate, Post-coordinate. Vocabulary Control -Thesaurus, Lists of Subject Heading. Database-Search Strategies, Boolean Operators.

Management-principles, functions, School of thoughts. Collection Development - book, Serial, non book material - Selection, Acquisition and Maintenance. Basic consideration in planning of Library building, furnitures, fittings and equipments. Routine Procedures: Circulation, Serial Control, Stock verification/stock rectification. Public relation and Extension Activities. Maintenance of Library records, statistics and annual reports. Resource Sharing. Library Finance and Budget. Budgeting: concepts, types and methods. Human Resource Management - Manpower Planning, Job analysis, Job description, Selection, Recruitment, Motivation, Training and Development, Staff Manual, Leadership and Performance Evaluation.

Information Technology - Components. Impact of IT on Society. Computers - Hardware, Software, Storage Devices, Input/Output Devices. Telecommunication - Transmission media, Switching systems, Bandwidth, Multiplexing, Modulation, Protocols, Wireless Communication. Fax, E-mail, Teleconferencing/ Video-conferencing. Networking - concepts, Topologies, Types - LAN, MAN and WAN. Hypertext, Hypermedia, Multimedia.

Library Automation - Areas of automation, Planning, Hardware and Software Selection, OPAC. Networks - ERNET, NICNET, DELNET, OCLC, INFLIBNET. INTERNET - Components, Service, Browsing - Web Browsers, Search Engines. National and International Information Systems - NISSAT, NASSDOC, NISCAIR, DESIDOC, INIS, AGRIS, MEDLARS, INSPEC.

Types of Research- Basic, Applied and Interdisciplinary. Research Design. Methods of Research. Report Writing. Research Methods in Library and Information Science and Services Bibliometrics, Informetrics, Scientometrics - concepts, definition and their scope.

Types of Libraries - National, Public, Academic and Special- Objectives, Structure and Functions. Digital Libraries - Concepts. Virtual Libraries - Concepts. Types of users. User Education: need, objective, methods and evaluation. Users Study: concepts, objective, scope, types, designing and planning. Role of Raja Rammohan Roy Library Foundation. (RRLF) Management Information System-concept, nature, scope and functions.

क्रमशः

भाग-2(ख) "क्रीड़ा अधिकारी" के पद हेतुः

शारीरिक शिक्षाः

अ. खेलकूद का मनोविज्ञान एवं इतिहास :–

1. प्राचीन एवं आधुनिक ओलम्पिक गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन;
2. भारत, यू.एस.ए., जर्मनी एवं रूस में शारीरिक शिक्षा के विकास का अध्ययन;
3. विभिन्न खेलों का इतिहास एवं विकास;
4. खेल मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं सम्भावनाएं;
5. खेल मनोविज्ञान का खेलों से सम्बंध;
6. अधिशिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के लिए खेल मनोविज्ञान का महत्व;
7. खेलकूद में सहभागिता से व्यक्तित्व का विकास ;
8. शारीरिक गतिविधियों में प्रेरक, व्यवहार एवं रूचि की भूमिका;
9. महत्वाकांक्षा, संवेदना, हताशा एवं संघर्ष के स्तर एवं उसका खेल प्रदर्षन पर प्रभाव;
10. खेल दर्शक एवं उनके व्यवहार का खेल प्रदर्शन पर प्रभाव;
11. शारीरिक गतिविधियों का सामाजिक–मनोवैज्ञानिक पहलू;

ब. वैज्ञानिक विकास एवं खेलकूद :–

1. खेल विकास हेतु विभिन्न परीक्षणों का वैज्ञानिक प्रमाणिकता;
2. हृदय श्वसनतंत्र की क्रिया और खेल प्रदर्शन पर उसका प्रभाव;
3. गामक क्षमता एवं उसका परीक्षण;
4. ज्ञान एवं कौशल परीक्षण;
5. व्यायाम के कारण शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन;
6. (अ) हृदय एवं परिवहन तंत्र (ब) श्वसन तंत्र पर व्यायाम एवं प्रशिक्षण का प्रभाव;
7. विभिन्न खेलकूद गतिविधियों में ऊर्जा का व्यय;
8. खेलकूद के विकास में क्रीड़ा चिकित्सा की भूमिका;
9. विभिन्न खेलों में यांत्रिकीय सिद्धांतों का उपयोग;
10. प्रशिक्षण भार (Load) के सिद्धान्त एवं महत्वपूर्ण विशेषतांए;
11. प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण गामक घटक जैसे गति, शक्ति, क्षमता, लचीलापन एवं समन्वय क्षमता;

स. संगठन, अनुशिक्षण एवं निर्णयन :–

1. खेलकूद के विकास में व्यवसायिक संगठनों का प्रभाव;
2. खेलकूद में जनसम्पर्क एवं प्रचारक गतिविधियॉं;
3. खेलकूद प्रतियोगिता के संचालन हेतु महत्वपूर्ण सिद्धान्त एवं कार्यवाही;
4. एथेलेटिक्स ट्रेक एवं खेलकूद मैदान को चिन्हित करने के तरीके;
5. प्रबंधन, प्रशिक्षक, कप्तान एवं दर्षक में सम्बंध;
6. खेलकूद प्रतियोगिता में अधिकारियों का खेल पूर्व एवं खेल उपरान्त कर्तव्य;
7. शिक्षक, प्रशिक्षित एवं अधिशिक्षित के बीच अन्तर;
8. अधिशिक्षा के सिद्धान्त;
9. विभिन्न खेलों के नियम;
10. खेल दल के चयन का सिद्धान्त;
11. अधिशिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग;
12. अधिशिक्षा में वैज्ञानिक सिद्धान्तों का अनुप्रयोग;

द. विविध :–

1. खेलकूद में नेतृत्व ;
2. खेलकूद में वर्गीकरण;
3. लीग कम नाक आऊट प्रतियोगिता;
4. खेलकूद में तालबद्ध क्रियायें;
5. राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान;
6. भारतीय खेल प्राधिकरण;
7. स्वास्थ्य शिक्षा;
8. आक्सीजन ऋण;
9. श्वांस की क्षमता;
10. इंडियन प्रीमियर लीग;
11. खेलकूद में शिविरों का आयोजन;
12. खेल संगोष्ठी एवं सम्मेलन के औचित्य;
13. खेलकूद के प्रोत्साहन में मीडिया की भूमिका;
14. व्यक्तिगत भिन्नतायें;
15. खेलकूद में पोषण;
16. सीखने का पठार;

Part-2 (B) For "Sport Officer" Post:

PHYSICAL EDUCATION:

(A) History & Psychology of Sports

1 Comparative study of ancient & modern olympic movement;
2 Study of development of physical education in INDIA,USA,GERMANY & RUSSIA;
3 History & development of various games;
4 Meaning nature & scope of sports psychology;
5 Relationship of sports psychology with other sports;
6 Importance of sports pschology for a coach & physical education teacher;
7 Personality development through sports participation;
8 Role of motives, attitudes & interesting physical activity;
9 Level of aspiration, emotions, frustation, conflict & its effect on sports performance;
10 Sports audience & effect of their behaviour on sports perfomance;
11 Socio - Psychological aspect of physical activities;

(B) Scientific Development & Sports

1 Scientific authenticity of various tests for sports development;
2 Cardio- respiratory functions& their influence on sports perfomance;
3 Motorised fitness & its tests;
4 Knowledge & skill tests;
5 Physiological changes due to exercise;
6 Effect of exercise & training on (a) Heart & circulatory system
(b) Respiratory system;
7 Energy cost of various sports activities;
8 Role of sports medicine in development of sports;
9 Application of mechanical principles in various sports;
10 Important features & principles of training load;
11 Training for important motor components- Speed,strength,endurance, flexibility & co-ordination abilities;

(C) Organisation, Coaching & Officiating

1 Influence of professional organisation in development of sports;
2 Public relations & promotional activities in sports;
3 Important principles & steps for organisation of sports tournament;
4 Methods of marking sports ground including atheletic track;

क्रमशः

5 Relationship with management, coaches, captain & spectators;
6 Pre-game & post- game duties of officials in sports competitions;
7 Differentiate between teacher, trainer & coach;
8 Principles of coaching;
9 Rules of various games;
10 Principles of selection of sports teams;
11 Use of psychology in coaching;
12 Scientific principles applied to coaching;

(D) Miscellaneous

1 Leadership in Sports;
2 Classification of Sports;
3 League -Cum - Knock out Tournament;
4 Rythmic activities in Sports;
5 National Institute of Sports;
6 Sports Authority of India;
7 Health Education;
8 Oxygen Debt;
9 Vital Capacity;
10 Indian Premier League;
11 Camping in Sports;
12 Purpose of Sports Seminars & Conferences;
13 Role of Media in Promotion of Sports;
14 Individual differences;
15 Nutrition in Sports;
16 Learning Curve;

∫∫∫

परिशिष्ट-तीन,
"ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी"

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:–

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

(1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी. इत्यादी की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई–मेल आई.डी. पर दी जाएंगी।

(2). सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लेने के पश्चात अभ्यर्थी मोबाईल व ई–मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि रसीद पर Payment Staus के सामने Payment Done मुद्रित हो ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उक्त रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(4). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। निर्धारित भुगतान विकल्प (कैश डिपोजिट) चुनकर, अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में कैश या चेक के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस तक कर सकते हैं। कैश या चेक के माध्यम से शुल्क भुगतान के अगले दिन अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

(5). **ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश:–** आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु **विज्ञापन जारी होने की तिथि** या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल फोटो को ही स्केन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(6). **ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:–** ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं।

(7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही–सही प्रविष्टि की जाए।

(8). **आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।**

(9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद स्वतः खुलने वाले Page पर आवेदक द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर के साथ–साथ भुगतान की स्थिति व आवेदन क्रमांक की सूचना मिलेगी। यही ऑनलाइन आवेदन की रसीद होगी। आवेदक उक्त Page पर उपलब्ध Print बटन को क्लिक कर आवेदन की रसीद का प्रिंटआउट प्राप्त कर अपने पास अवश्य रखें। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आवेदन की रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आपके ऑनलाइन आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन के दौरान मोबाईल व ई–मेल पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. तथा पासवर्ड के साथ–साथ एडिट पासवर्ड जो कि एडिट हेतु पृथक से मोबाईल व ई–मेल पर प्रदान किया जाएगा का प्रयोग करना होगा। त्रुटि सुधार शुल्क के रुप में अभ्यर्थी को रुपये 15/– (सेवा कर पृथक) का भुगतान करना होगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। **अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।** आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि त्रुटि सुधार पश्चात् प्राप्त आवेदन की रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आवेदक द्वारा किया गया त्रुटि सुधार मान्य नहीं होगा।

(11). **आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई**

क्रमशः

किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(12). ऑनलाईन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :–

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 15/– (सेवा कर पृथक) देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा रुपये 15/– (सेवा कर पृथक) का त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। एक आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क रुपये 15 (सेवा कर पृथक) के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(iv) परीक्षा शुल्क, त्रुटि सुधार शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः–

(i) आवेदक रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग/हैंकिग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

<u>प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः–</u>

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु *मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राषन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे–पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित* में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

□□□□□

कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर

व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)–492002
Phone No.- 0771-2972780, Fax No.- 2972782,
Website- https://vyapam.cgstate.gov.in

क्रमांक / व्यापम / 2022 / 1944 रायपुर, दिनांक 29/06/22

प्रेस विज्ञप्ति

संयुक्त भर्ती परीक्षा (AGDO21) एवं डाटाएंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड–3 भर्ती परीक्षा (VDAG21) के "कौशल परीक्षा" आयोजन के सम्बंध में

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, अटल नगर, रायपुर द्वारा विभिन्न 06 विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 19.12.2021 को सहायक ग्रेड–3 एवं डाटाएंट्री ऑपरेटर पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा (AGDO21) का आयोजन किया गया था एवं लिखित परीक्षा उपरांत कौशल परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों के प्रथम चरण परिणाम दिनांक 28.02.2022 को घोषित किया गया ।

संयुक्त भर्ती परीक्षा (AGDO21) के द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा दिनांक 20 अगस्त 2022 (शनिवार) को रायपुर में आयोजित की जायेगी। इस सम्बंध में कौशल परीक्षा हेतु "Eligible" अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित की गई है ।

इसी तरह छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ (व्यापार एवं विकास), सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 06.02.2022 को डाटाएंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड–3 पदों हेतु भर्ती परीक्षा (VDAG21) का आयोजन किया गया था एवं लिखित परीक्षा उपरांत कौशल परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों के प्रथम चरण का परिणाम 31.05.2022 को घोषित किया गया ।

डाटाएंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड–3 (VDAG21) भर्ती परीक्षा के द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा दिनांक 21 अगस्त 2022 (रविवार) को रायपुर में आयोजित की जायेगी । इस सम्बंध में कौशल परीक्षा हेतु "Eligible" अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित की गई है ।

कौशल–परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र व्यापम के वेबसाइट **vyapam.cgstate.gov.in** पर 10 दिवस पूर्व उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी अपना लिखित परीक्षा का रोल नंबर एंटर कर ऑनलाइन से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा दिवस को कृपया डेढ़ घंटा पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें, जिससे आपके मूल पहचान पत्र से पहचान किया जा सके एवं परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके। जो अभ्यर्थी एक से अधिक पदों पर कौशल–परीक्षा हेतु पात्र हुए हैं, वे सभी पदों के लिए पृथक–पृथक प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केन्द्र में जावे ।

कृपया उक्त विज्ञप्ति अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

नियंत्रक
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
रायपुर

पृ.क्र. / व्यापम / 2022 / 1945 रायपुर, दिनांक 29/06/22

प्रतिलिपि –हेल्पडेस्क, छ.ग. व्यापम, रायपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

नियंत्रक
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
रायपुर